राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 11

मंगलवार;

16 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता ।

राज्य में स्वाइन फ्लू से बचाव हेतु कार्य-योजना

157. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल), **श्री अजय सिंह** (डेगाना) एवं **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतें हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के कितने रोगी पाजिटिव पाये गये एवं कितने रोगियों की मौत हो चुकी है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वाइन फ्लू के पहले मरीज की पहचान होने के कितने दिन बाद किस तारीख से सरकार ने इसके इलाज के लिए क्या-क्या कदम उठाये एवं स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए क्या प्रतिरोधात्मक कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु लेबोरेटरी खोलने के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? क्या इसके लिए मरीजों की संख्या को आधार बनाया गया है? यदि हां, तो कोटा, जयपुर और जोधपुर जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीजों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां): (1) जी हां। राज्य में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये:-

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से दिनांक 30.04.2009 को फैक्स मैसेज प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट आथोरिटी से सम्पर्क कर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए चिकित्सा दल में एम्बुलेंस लगाने के निर्देश जारी किये गये, व एयरपोर्ट पर तैनात किये गये चिकित्सा दल ने दिनांक 02.05.2009 से यात्रियों की स्क्रीनिंग आरम्भ कर दी। इसके साथ ही 5 मई, 2009 से जोधपुर एवं बाड़मेर मुनाबाव-खोखरापार थार एक्सप्रेस के यात्रियों की स्क्रीनिंग भी आरम्भ की गयी। अब तक 95 हजार 927 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

राज्य के जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर में प्रशिक्षित चिकित्सकों को इस रोग में होने वाले रेस्पिरेटरी काम्प्लीकेशन के मद्देनजर पुनः परीक्षण किया गया।

राज्य में स्वाइन फ्लू रोग की स्थिति का जायजा लेने एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 31 मई, 2009 को सभी जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू का प्रथम संदिग्ध केस दिनांक 04 जून, 2009 को आया जो लैब की जांच रिपोर्ट में नैगेटिव पाया गया। स्वाइन फ्लू के प्रथम रोगी की पुष्टि 25 जुलाई, 2009 को हुई जिसे आवश्यक उपचार दिया जा कर उपचारित किया गया। इस रोगी के सम्पर्क में आये 11 व्यक्तियों को रोग के बचाव हेतु तुरन्त आस्लटामिवीर नामक दवा प्रारम्भ कर दी गई।

स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुए एस.एम.एस. स्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय जयपुर में 20 बैड का वार्ड आरक्षित कर दिया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट व अन्य राज्यों से आ रही स्वाइन फ्लू के रेस्पिरेटरी काम्प्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए 7 बैड का अतिरिक्त आई.सी.यू. वार्ड 04.10.2009 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

स्थापित किया गया। यह आई.सी.यू. वार्ड मय आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण जैसे वेंटिलेटर, मॉनीटर, इन्फ्यूजन पम्प, बाइपेप मशीन एवं हाइ फ्लो आक्सीजन मास्क आदि की सभी सुविधाओं युक्त है।

इसके पश्चात् दिनांक 05.11.2009 से एक छत के नीचे आई.सी.यू. वार्ड के निकट एक 12 बैड का आब्जर्वेशन वार्ड, दो स्वाइन फ्लू ओ.पी.डी. एवं सैम्पल कलेक्शन सेण्टर की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी।

प्रारम्भ में राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, संदिग्ध रोगियों के जांच हेतु सैम्पल एन.सी.डी.सी. लैब, नई दिल्ली में भेजे जाते थे, जिनके जांच परिणाम आने में समय लगता था। राज्य सरकार के प्रयासों से सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर स्थित माइक्रो बायलोजी विभाग में पी.सी.आर. लैब की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा दिनांक 14.10..2009 से परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी। परीक्षण की रिपोर्ट सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और आवश्यकतानुसार चिकित्सालय के पूछताछ कार्यालय पर उपलब्ध करायी जाती है।

दिनांक 07.09.2009 से 10.09.2009 तक 126 रैपिड रेस्पांस टीमों का गठन कर प्रशिक्षण दिया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पढ़ा हुआ मान लो, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको सप्लीमेंट्री का अवसर दूंगा।

एक माननीय सदस्य: इतना लम्बा-चौड़ा जवाब है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पढ़ा हुआ मान लिया जाए, खुद इनको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। दस पेज का है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह तो हमने पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री पूछने दो हमको।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): और माननीय सदस्यों को भी प्रश्न करने हैं इसलिए मैं इनके हित में निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको इजाजत दी जाएगी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में उपचार हेतु पृथक् से स्वाइन फ्लू का आउटडोर दिनांक 05.11.2009 से प्रारम्भ किया गया एवं राज्य के समस्त मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सब जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाइट चिकित्सालयों में एवं राज्य के 31 निजी चिकित्सा संस्थाओं में पृथक् से आइसोलेशन वार्ड बना कर कुल 364 बैड्स (240 सरकारी एवं 124 निजी क्षेत्र में) की व्यवस्था की गयी।

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में नये वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। दिनांक 25.11.2009 को जयपुर में 10 वेंटिलेटर देने के बाद कुल 55 वेंटिलेटर हो गये। बीकानेर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 6 वेंटिलेटर हो गये। कोटा में 4 वेंटिलेटर उपलबध कराने के बाद कुल 15 वेंटिलेटर हो गये। दिनांक 26.11.2009 को जोधपुर में 14 नये वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 19 वेंटिलेटर हो गये। अजमेर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 19 वेंटिलेटर हो गये। उदयपुर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 30 वेंटिलेटर हो गये।

प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर प्रत्येक को एक-एक वेंटिलेटर दिनांक 01.12.2009 को उपलब्ध करवाया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से जोधपुर स्थित चिकित्सालयों हेतु दिनांक 04.12.2009 को 5 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। इसके बाद दिनांक 16.12.2009 को कोटा में दो, दौसा-एक, नागौर-एक एवं बाड़मेर-एक, को भी वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजैक्ट द्वारा जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को चार, कांवटिया अस्पताल, जयपुर को तीन, सामान्य चिकित्सालय, अलवर को दो, सैटेलाइट अस्पताल, पावटा (जोधपुर) को एक एवं ए.के. अस्पताल, ब्यावर को एक वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया गया।

इस प्रकार मेडिकल कालेजेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों में कुल 144 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं तथा जिला चिकित्सालयों में पूर्व में 34 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जो बढ़ कर 68 हो गये।

इस प्रकार राज्य में कुल 212 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।

स्वाइन फ्लू से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु दिनांक 04.6.2009 से लेकर 09.03.2010 तक विभिन्न चिकित्सालयों में 23 लाख 56 हजार 320 आस्लटामिविर कैप्सूल एवं 27 हजार 179 सीरप निःशुल्क इलाज हेतु उपलब्ध

(श्री एमादुदीन अहमद खान)

कराये गये। इसके साथ ही दिनांक 09.03.2010 तक 7044 पी.पी.ई. किट, 10 हजार, 595 एन-95 मास्क, एक लाख 63 हजार 995 ट्रिपल लेयर मास्क नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरा है, जवाब हमने पढ़ लिया। दस मिनट हो गये जवाब देते हुए।

श्री अध्यक्ष: आपको सप्लीमेंट्री की इजाजत दी जाएगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक प्रश्न कितनी देर चलाएंगे?

श्री अध्यक्ष : आपको सप्लीमेंट्री की इजाजत दी जाएगी, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): एक प्रश्न में आधा घंटा लगेगा ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इतना लम्बा-चौड़ा जवाब नहीं, हमको कुछ प्रश्न पूछने हैं ...(व्यवधान) हमको कुछ ...(व्यवधान) हमको पता तो होना चाहिए, दस मिनट हो गये जवाब देते हुए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हम तीन प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं, मंत्री जी ने जो जवाब भेजा है, आसन से हमारी प्रार्थना है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आमजन को इस रोग की दवा आस्लटामिविर उपलब्ध होने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के लगभग सभी जिलों में आस्लटामिविर टेबलेट, सीरप बेचने हेतु दिनांक 09.11.2009 से 09.03.2010 तक में 263 निजी मेडिकल स्टोर को अधिकृत किया गया।

राज्य सरकार के प्रयासों द्वारा 19 नवम्बर, 2009 से डी एम आर सी जोधपुर में भारत सरकार के सहयोग से पी सी आर लैब स्थापित कर जांच सुविधा आरम्भ की गई।

सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के अतिरिक्त राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में भी पी सी आर लैब स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसके फलस्वरूप आर एन टी मेडिकल कालेज, उदयपुर में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु 4 मार्च, 2010 से लेबोरेटरी प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पूरा जवाब पढ़ाएंगे क्या, साहब?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में जांच हेतु नमूना संग्रहण केन्द्र बनाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा तीन निजी लेबोरेटरी दिनांक 5.10.2009 को डा. लाल पैथ, दिनांक 7.10.2009 को सुपर रैलीगेयर एवं दिनांक 20.11.2009 को ऐरोप्रोब लैब को सैम्पल जांच हेतु अधिकृत किया गया तथा इन लेबोरेटरीज के कुल 46 कलेक्शन सेण्टरों को सैम्पल लेने हेतु विभिन्न जिलों में अधिकृत किया गया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पूरा जवाब पढ़ाएंगे क्या, साहब?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य सरकार द्वारा राजकीय लेबोरेटरीज में जांच शुल्क दिनांक 14.12.2009 से राशि प्रति सैम्पल 3000/- रुपये से घटा कर जन हित में 1500 रुपये किया गया। इसके साथ ही पांच वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह भी होना चाहिए कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जांच क्या किया, उनकी नौकरी कब लगी थी, रिटायर कब होंगे, बच्चे कितने हैं, शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, वह सब पूरा इतिहास आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इस इतिहास की आवश्यकता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्वाइन फ्लू के मरीजों को तुरन्त उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिए 108-एम्बुलेंस भी नि:शुल्क उपलब्ध रहीं।

स्वाइन फ्लू की गम्भीरता को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2009 को 600 चिकित्सकों की नियुक्ति अनुबन्ध पर करने की स्वीकृति जारी की गई, जिसकी अनुपालना में साक्षात्कार हेतु आये सभी 343 नये चिकित्सकों को संविदा पर जिला स्तर पर नियुक्ति दी गई एवं शेष रहे खाली पदों को भरने के लिए वाक-इन इन्टरव्यू द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

स्वाइन फ्लू से ग्रसित रोगी का उपचार यदि समय पर नहीं होता है तो रोग गम्भीर अवस्था में परिवर्तित हो सकता है एवं रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही रोग की पहचान हो सके एवं उपचार किया जा सके, इस हेतु अति संवेदनशील 18 जिलों में घर-घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों के 24304 गांवों का बार-बार सर्वे कर 27 हजार 161 लोगों को एवं शहरी क्षेत्रों के 28 लाख 36 हजार 183 घरों का सर्वे कर 38 हजार 909 लोगों का मौके पर ही निःशुल्क दवा देकर उपचार किया गया जिससे कि कैटेगरी बी के रोगियों को गम्भीर अवस्था में आने से बचाया जा सके।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): थोड़ा जवाब, ...(व्यवधान) यह क्या गलती हो गयी, साहब? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल बड़ा है, पूरे राजस्थान का मामला है, अत्यन्त गम्भीर बीमारी है ...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं क्रास क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) हमसे कोई गलती हो गयी क्या? इतना बड़ा जवाब, 15 मिनट तक, 16 मिनट तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 16 मिनट तक जवाब, आज तक इतना बड़ा इतिहास में जवाब नहीं आया होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं क्रास क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसके बारे में मुझे इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्ष: आपको सप्लीमेंट्री का अवसर दूंगा मैं। तीनों माननीय सदस्य प्रश्नकर्ताओं को सप्लीमेंट्री की इजाजत मिलेगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप अलाउ करना।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): एक प्रार्थना है कि जितना समय माननीय मंत्री महोदय लें, हम तीन प्रश्नकर्ता हैं, उतना ही उसी अनुपात में हमें समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो तो सही।

श्री एमादुद्दीन अह्मद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं कैटेगरी-बी के 337 संदिग्ध रोगियों को उपचार दिया गया।

पाजिटिव केसेज के नजदीक सम्पर्क वाले व्यक्तियों में इस रोग के बचाव हेतु रेपिड रेस्पांस टीमों द्वारा जांच कर दवा वितरित की जा रही है। अब तक बासठ हजार से अधिक व्यक्तियों को दवा वितरित की जा चुकी है।

राज्य में 9 मार्च, 2010 तक 11319 संदिग्ध रोगियों की जांच की गयी जिसमें से 3361 स्वाइन फ्लू से ग्रसित पाये गये।

जोधपुर जिले में इस रोग से मरने वालों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जोधपुर शहर में विशेष कार्यवाही की गई जिसके अन्तर्गत निदेशक (एड्स) द्वारा दिनांक 9.11.2009 को, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव द्वारा 18.11.2009 को, निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा 5.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रिंसिपल एस एम एस मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा दिनांक 9.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाकर जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

राज्य में राजस्थान ऐपिडमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 दिनांक 17.11.1957 से लागू किया गया, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22.11.1957 को हुआ था। इस अधिनियम की धारा 2(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम में वर्णित आवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही उठा लिये गये थे एवं सभी जिला कलक्टरों को मौखिक रूप से निर्देशित कर दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर रोग का विस्तार न हो, स्कूल/कालेज बन्द कराये जा सकते हैं तथा प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों के उपचार के उपयोग में लिया जा सकता है। फिर भी सावधानी के तौर पर राज्य के सभी जिलों के लिए अधिसूचना संख्या एफ.9(58)चिस्वा/2/2009 दिनांक 10.12.2009 जारी की गई, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र विशेषांक दिनांक 16.12.2009 में कराया जाकर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

किया गया। इस एक्ट के तहत अस्थाई रैगुलेशन से जिला कलक्टरों द्वारा निम्न प्रमुख कार्यवाही की गईः-

1. रेलवे अथवा अन्य संसाधनों यथा हवाई यात्रा, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच एवं परीक्षण की व्यवस्था।

2. चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू के रोगियों को पृथक् रखना।

3. अस्थाई आवास के प्रावधान यथा धर्मशाला आदि का अधिग्रहण।

4. निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को न्यूनतम आइसोलेशन बैड्स की व्यवस्था करने हेतु पाबन्द करना।

5. सरकारी एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग एवं स्वाइन फ्लू पाजिटिव पाये जाने पर अवकाश घोषित करना, इत्यादि।

भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 22.11.2009 एवं 20.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया एवं उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, एवं निदेशक, इमरजेंसी मेडिकल रेस्पांस, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2010 को राज्य का दौरा कर स्वाइन फ्लू की स्थिति का जायजा लेकर राज्य सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नया रिकार्ड बन जाएगा आज तो।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न नहीं है, क्यों दुःखी हो रहे हो? जवाब तो आने दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोलो, बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खान साहब, बोलो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजे आप। आप विराजे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): स्वाइन फ्लू के चिन्हित होंगे। आज पूरी व्यवस्था बताएंगे आपको। स्वाइन फ्लू खतम करके ही रहेंगे। स्वाइन फ्लू का पूरा इलाज कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: आबकारी मंत्रीजी, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। आपसे कोई इंतजाम होता तो है नहीं, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): स्वाइन फ्लू का मतलब, उस पर जो है...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजें। डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आबकारी का असर है यह।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिला जोधपुर के शहरी क्षेत्र में 21 नवम्बर, 2009 से 6 दिसम्बर, 2009 तक 100 टीमों द्वारा प्रथम चरण में 1 लाख 80 हजार घरों में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा पुनः 7 दिसम्बर, 2009 से 21 दिसम्बर, 2009 तक 69 टीमों द्वारा 1 लाख 95 हजार घरों में स्वास्थ्य परीक्षण कर कुल 22 हजार 274 रोगियों को आसलटामिविर दवा निःशुल्क वितरित की गयी। 22 दिसम्बर से लगातार स्वाइन फ्लू पाजिटिव रोगियों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का सर्वे कार्य अभी भी चालू है। पूरे राज्य में भी इसी की भांति सर्वे कार्य जारी है।

जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिसम्बर, 2009 से 7 जनवरी, 2010 तक प्रथम चरण में 45 टीमों द्वारा 1 हजार 320 गांवों में बार-बार सर्वे कर 7 लाख 17 हजार व्यक्तियों का परीक्षण किया गया एवं 8 जनवरी, 2010 से 5 फरवरी, 2010 तक 2 हजार 508 लोगों का पुनः परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 8 हजार 142 व्यक्तियों को आसलटामिविर दवा दी गयी।

जयपुर शहर में दिसम्बर एवं जनवरी माह में लगातार विभिन्न चरणों में 5 से लेकर 148 तक टीमों के द्वारा प्रभावी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य करवाया गया एवं 1009 संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क आसलटामिविर दवा दी गयी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे डेढ़ घण्टे का समय लग जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्यों समय खराब कर रहे हैं? बोलिये-बोलिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आम जन को स्वाइन फ्लू की जानकारी निःशुल्क प्रदान करने हेतु जयपुर में दिनांक 13.11.2009 को स्टेट हैल्पलाइन शुरू की गयी जिसके दूरभाष नम्बर 0141-3032222, 4092222 को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। इसी के साथ समस्त जिला मुख्यालय पर एवं निदेशालय में 24 घण्टे चलने वाले कण्ट्रोल रूम स्थापित किये गये।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में रोग के लक्षण, बचाव, उपचार एवं जांच सुविधाओं की जानकारी हेतु 403 विज्ञापन समय-समय पर जारी कर आम जनता को जागरूक किया गया।

विभिन्न अन्य माध्यमों (टी.वी., एफ.एम. रेडियो, इलेक्ट्रोनिक मीडिया) द्वारा स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु 571 विज्ञापन प्रसारित कर आम जन को समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता जागरूक नहीं हैं जवाब सुनने के लिये। मूल प्रश्नकर्ता गम्भीर नहीं हैं, बातें कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): डोंट वरी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं सुन रहा हूं। सुन रहा हूं मैं जवाब सुन रहा हूं। वह मैंने सुन लिया और मैंने पढ़ भी लिया। पढ़ भी लिया। आप गम्भीर नहीं हो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ऐसा लगता है, आज पूरी सरकार के ही स्वाइन फ्लू हो गया।

श्री पेमाराम (धोद): 571 विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ, वह भी बताओ।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रचार प्रसार हेतु 5-5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिनांक 25 अगस्त, 2009 को दी गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु सभी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटियों को इस रोग के नियंत्रण हेतु भागीदार बनाया गया।

इस प्रकार स्वाइन फ्लू की आपदा से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय रहते लिये गये उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न कदमों द्वारा राजस्थान बहुत सफलतापूर्वक इस आपदा से उभर पाने में सक्षम हो सका है।

नम्बर दो..(व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): कुल दो ही हुए हैं ?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले वाला दुबारा पढ़ो। पहले भाग का समझ में नहीं आया, दुबारा पढ़ दो। पहले भाग का उत्तर दुबारा पढ़ दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आदेश नहीं दे सकते। आप आदेश नहीं दे सकते। आप आदेश नहीं दे सकते।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समझ में पूरा नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी समझ की गलती है तो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (2) राज्य में दिनांक 09.03.2010 तक कुल 3361 रोगी पाजिटिव पाये गये एवं 196 रोगियों की मौतें हो चुकी हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार ने राज्य में स्वाइन फ्लू के पहले मरीज की पहचान हेतु 25 जुलाई, 2009 होने से पूर्व ही इस रोग के इलाज हेतु पर्याप्त व्यवस्था कर दी थी।

राज्य में प्रथम रोगी की पहचान होने से पूर्व ही दिनांक 04.06.2009 से एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर में आसलटामिविर दवा उपलब्ध करवा दी गयी थी। मरीज के उपचार हेतु पृथक् से आइसोलेशन वार्ड, आई.सी.यू. एवं वेंटिलेटर सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गयी थी। स्वाइन फ्लू की जांच सुविधा हेतु मरीज के सैम्पल लेकर एन सी डी सी, दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गयी। मरीज के सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की सघन स्वास्थ्य परीक्षण करके नि:शुल्क दवा दी गयी। मरीज एवं उसके सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को बीमारी के बारे में सम्पूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये एवं मरीज को जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने तक आइसोलेशन में रखा गया।

दिनांक 11.07.2009 को राज्य के समस्त जिलों में स्वाइन फ्लू रोग के नि:शुल्क उपचार आसलटामिविर टेबलेट, सीरप, पी.पी.ई. किट, ट्रिपल लेयर मास्क, एन 95 मास्क उपलब्ध कराये गये।

27 जुलाई, 2009 से जिलों के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा 4 बैड स्वाइन फ्लू के लिये आरक्षित रखे गये।

इसके साथ ही सभी मेडिकल कालेजों में स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु पृथक् से आइसोलेशन वार्ड एवं आई.सी.यू. बैड्स वेंटिलेटर के साथ आरक्षित किये गये। विभिन्न जिलों में 12 अक्टूबर, 2009 से 31 निजी चिकित्सालयों

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

को पृथक् से स्वाइन फ्लू उपचार हेतु आइसोलेशन वार्ड एवं आई.सी.यू. बैड्स वेंटिलेटर के साथ आरक्षित रखने हेतु अधिकृत किया गया।

5 नवम्बर, 2009 से राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में 240 बैड्स इस रोग के उपचार के लिये आरक्षित किये गये एवं निजी चिकित्सालयों में 124 बैड्स आरक्षित किये गये। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 212 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं एवं निजी चिकित्सालयों में 133 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, तीन वेंटिलेटर हमारे तीनों माननीय सदस्यों को और उपलब्ध करवा दीजिये। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, सरकार टाइम पास कर रही है ...(व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी न हो ...(व्यवधान) इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण क्रमांक संख्या 1 के उत्तर में वर्णित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: कितने पेज और बचे हैं?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बस एक और है, सर, आखिरी।

(4) राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कालेजों के माइक्रो बायलाजी विभाग में स्वाइन फ्लू रोग की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित किये जाने का निर्णय विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर लिया गया है, मरीजों की संख्या के आधार पर नहीं। जिसके फलस्वरूप एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के माइक्रो बायलाजी विभाग में प्रयोगशाला स्थापित कर 14 अक्टूबर, 2009 को जांच प्रारम्भ कर दी गयी। इसी प्रकार आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर के माइक्रो बायलाजी विभाग में भी प्रयोगशाला स्थापित कर 4 मार्च, 2010 से जांच प्रारम्भ कर दी गयी।

शेष रहे कोटा, जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर मेडिकल कालेजों की माइक्रो बायलाजी विभाग में जांच सुविधा प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जोधपुर में पूर्व से ही दिनांक 19.11.2009 से डी.एम.आर.सी. लैब द्वारा जांच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह सरकारी पक्ष 196 मौतों पर तालिया बजा रहा है क्या? 196 मौतों पर तालियां बजा रहे हो आप लोग? (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए। आप तालियां बजा रहे हो और 196 मौतें हो गयीं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न करिये, प्रश्न करिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सरकार की लापरवाही है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री नगराज (धरियावद): अध्यक्ष महोदय, गुर्जर आंदोलन में इनकी सरकार ने कितने लोगों को मारा? (व्यवधान) उसमें तालियां बजायी थीं आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इसका मतलब आप मार रहे हो? (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): गुर्जर आंदोलन में कितने लोग मरे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें आप ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): तालियां इसलिए बजा रहे हैं ...(व्यवधान) इतना बढ़िया इंतजाम हो नहीं सकता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें, डिस्टर्ब नहीं। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जितने प्रयत्न राजस्थान सरकार ने इस मामले में किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान) श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इतनी बड़ी महामारी हो गयी।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न करें ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इतनी बड़ी महामारी हो गयी और ये लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, टेबल बजा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछें कृपया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): शर्म आनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बीमारी तो पूरे भारत में हो चुकी थी, पूना में भी हो चुकी थी, राजस्थान में आने से पहले अन्य राज्यों में भी हो चुकी थी तो इस बीमारी के जो फैक्ट्स आपको प्राप्त हुए केन्द्र सरकार से, उस वक्त उन फैक्टस में क्या-क्या निर्देश आपको दिये गये थे इसके रोकथाम के लिए और उनको आपने कब लागू किया?

नम्बर दो, राजस्थान एपीडेमिक एक्ट की धारा 2(2) को आपने कब लागू किया? राजस्थान में प्रथम मौत कब हुई? उसके बाद लागू किया या पहले लागू किया क्योंकि एपीडेमिक एक्ट तो 1957 से लागू है, भारत सरकार के निर्देश आपको 30.04.2009 को प्राप्त हो गये थे और उसके बाद आपने 6 8 महीने बाद इस एपीडेमिक एक्ट को लागू किया यानि 16.12 को, 8 महीने बाद, इतनी गम्भीर बीमारी पूरे विश्व में चल रही थी, पूरे भारत वर्ष में चल रही थी और सरकार इतनी लापरवाह रही कि उस एक्ट को लागू नहीं किया आपने। तब तक कितनी मौतें हो चुकी थीं, कृपया बताएं? दवाइयों पर आपने कितना खर्च किया, इसकी पूरी डिटेल दें।

श्री अध्यक्ष: चलिये, श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा है।

श्री अध्यक्ष: उनका है, आपका भी आ जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरे बाद है उनका।

श्री अध्यक्ष: पहले वह पूछ लें, फिर आप पूछ लें। चलें, पहले इनको पूछ लेने दो ...(व्यवधान)।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकार लिया है, एक ही बात है। (व्यवधान) मेरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से कि अभी स्वाइन फ्लू का कलंकित इतिहास आपने पूरे सदन को

(श्री भवानी सिंह राजावत)

बताया, कलंकित। 4 जून को जब पहला रोगी सवाई मानसिंह अस्पताल में आया, उसके बाद जुलाई- अगस्त में इस जानलेवा बीमारी ने पूरे राजस्थान में महामारी का रूप ले लिया। लेकिन इसके बावजूद आपने जो प्रयास शुरू किये, आपने अक्टूबर, नवम्बर में जाकर वे कोई आई.सी.यू. का वार्ड स्वाइन फ्लु के लिए अलग किया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। वेंटिलेटर्स भी आपने नवम्बर, दिसम्बर में चालू करवाये। आपकी लैब भी नवम्बर, दिसम्बर में वह भी केवल जयपुर, जोधपुर में। तो दिसम्बर तक यह देरी क्यों हुई? दिसम्बर तक इतनी मौतें हुईं। खण्ड 4 में आपने कहा कि स्वाइन फ्लू की जांच की प्रयोगशाला विशेषज्ञों की तादाद के आधार पर स्थापित की जाती है, आप बताएं कि राजस्थान में कहां-कहां विशेषज्ञ हैं, माइक्रो बायलाजी राजस्थान में कहां-कहां पर है? आप यह भी बताएं कि महामारी वार्ड खोलने के वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के क्या मापदंड हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजे, श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, यह तो आपने खुद मान लिया कि आठ महीने तक राजस्थान की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जो प्रीवेंटिव मेजर्स लिये जाने वे वह नहीं लिये। (व्यवधान) आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आप चुप रहें।

अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राज्य सरकार की घोर लापरवाही के कारण राज्य में स्वाइन फ्लू से इतनी अधिक मौतें हुईं? दिल्ली में 9683 केसेज पाजिटिव पाये गये उसमें से 95 डैथ हुई, 0.98 प्रतिशत। कर्नाटक में 2082 केसेज, उसमें से 144 डैथ 6.9 प्रतिशत। महाराष्ट्र में 5342 केस उसमें से 343 डैथ, 6.42 प्रतिशत। यू.पी. में 1310 केसेज, उसमें 18 डैथ, 1.37 प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपके यहां 196 डैथ यानि 8.5 प्रतिशत, यह आपकी घोर लापरवाही का नमूना था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है आपका?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इनके कारण बताएं कि ये मौतें क्यों हुईं, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: अब आप भी इतना लम्बा करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, जितना लम्बा जवाब है उतना लम्बा प्रश्न पूछना होगा। दूसरा, पहले तो जब यह स्वाइन फ्लू का मामला आया था तो आपने लैब ही स्थापित नहीं की, दिल्ली नमूने जाते थे और वहां से रिपोर्ट आती थी, इतने में मरीज मर जाता था। उसके बाद जब लैब स्थापित की जयपुर में और जोधपुर में, पहले आपने 3 हजार रुपये शुल्क रखा जांच का, उसके बाद 1500 रुपये उसका शुल्क कम किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इसकी आपने निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं की? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दिल्ली में जांच निःशुल्क की गयी तो आपने यह निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं की।

नम्बर तीन, आपने प्राइवेट हास्पिटलों में जो जांच करवाते थे उनके पुनर्भरण की व्यवस्था नहीं की, जबकि दिल्ली में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में प्राइवेट हास्पिटलों में भी जिन्होंने अपनी जांच करवायी या जिन्होंने अपना इलाज करवाया, उसके पुनर्भरण की व्यवस्था हुई। चौथा, क्वेश्चन यह है कि जितने लोग आपकी लापरवाही के कारण मरे, 196 लोग, उनको सरकार ने क्या मुआवजा देने का तय किया है? यदि मुआवजा देने का तय किया है तो कितना मुआवजा और नहीं तो क्यों? इन चार प्रश्नों का जवाब दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर में यह कहा कि 25 जुलाई को पहले मरीज की पहचान हुई, उसके बाद जिलों में जांच संग्रहण केन्द्रों को खोलने की आपने बात की वे कितनी-कितनी तारीख को खोले?

नम्बर दो, 62 हजार रोगियों को आपने दवा वितरित करने की बात की, इनको दवा वितरित करने से पहले क्या इनमें प्रारम्भिक लक्षण पाये गये थे? और तीसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पहला आई.सी.यू. स्थापित किया 4.10.2009 को और रोगी आया 25 जुलाई को, यह घोर लापरवाही नहीं है तो क्या है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वास्थ्य मंत्रीजी, 196 लोगों की हत्या का कलंक आपके माथे पर लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है। आप केवल इतना ही बता दें कि जांच रिपोर्ट आने के पहले राजस्थान के इन 196 लोगों में से कितने लोग मर चुके थे? जांच रिपोर्ट आने के पहले ही जिनकी डैथ हो गई ऐसे लोग कितने थे, यह आप थोड़ा-सा बता दें? और यह जो आपने व्यवस्था की, मैं आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहता लेकिन जालौर में जितने केस आये पाजिटिव 5, उसमें से 3 लोगों की डैथ हो गई, 60 प्रतिशत है, करौली में 45 प्रतिशत डेथ है, जो छोटे जिले हैं जितने केस कम आये, राजसमन्द में 50 प्रतिशत डैथ है। वहां मरीज ही कम आये, उसमें से आधे लोग मर गए। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पहले कितने लोग भगवान के घर जा चुके थे?

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य मंत्रीजी। (व्यवधान) पूरे राजस्थान का ही मामला है, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान) आप जवाब नहीं सुनना चाहते?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सब का एक साथ जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसा अभी हमारे तीन बहुत सीनियर साथियों ने सवाल रखा तो मैंने भी यह सोचा कि मैं जितनी डिटेल आपको दे सकूं, एक रिकार्ड की चीज है, यह आपके सामने आ जाए। हमने कोशिश की और अपनी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): काहे के प्रयास किये, जुलाई में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो सही। (व्यवधान) जवाब तो सुनो पहले। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):×××

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउण्ड दे दूं। स्वाइन फ्लू सबसे पहले जब हुआ अमेरिका में, मैक्सिको में, तो उसके सिम्प्टम जो थे, वे इन्फ्लुएंजा के सिमिलर थे। उसके बावजूद भी जब लोग मरने शुरू हुए वहां, तो उन्होंने इसकी हिस्ट्री टैस्ट की। 1918 से 1920 में यह महामारी आई थी, उसमें बताया जाता है कि डेढ़ करोड़ लोग मरे थे जिसमें हिन्दुस्तान में 10 लाख लोग मरे। उसके बाद 90 साल तक इसका कहीं कोई इक्का-दुक्का केस आया जिसकी वजह से इसके प्रति जिस तरह की रिसर्च होनी थी या जिस तरह की दवाइयां बननी थीं, नहीं बनीं और इन 90 साल में इस चीज को लोग भूल गये। जब यह पहला केस दुनिया में आया अमेरिका में, मैक्सिको में तब उन्होंने ट्रेस किया इसके बाद फिर नेशनली और इण्टरनेशनली बहुत जबर्दस्त पब्लिसिटी इसकी हुई। उस पब्लिसिटी को लेकर लोगबाग यह भी कहते हैं, हो सकता है, कि इसमें फार्मा इण्डस्ट्री का कुछ हाथ हो क्योंकि एक अख़बार ने रिपोर्ट दी कि डब्ल्यू एच ओ की टीम के जिन लोगों ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया था उन लोगों को फार्मा कम्पनियों ने बड़ी-बड़ी ग्राण्ट रिसर्च के नाम पर दी। इस तरह से कई ऐलीगेशन भी लगने शुरू हुए। तो मैं आपको ...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):×××

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान) आप जवाब सुनिए। भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मैं जवाब दिलवा रहा हूं। (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ××× ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। कर्नल सोनाराम।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): प्रश्न नम्बर 158.

श्री अध्यक्ष: महिला बाल विकास मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: सुनने को ही तैयार नहीं हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सुन लो, जवाब सुन लो। भाषण दे रहे हैं माननीय सदस्य। जवाब सुनने को ही तैयार नहीं हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: सवाल का जवाब देने के लिए मैंने मंत्रीजी को काल किया। मैंने मंत्रीजी को निवेदन कर दिया कि सवाल का जवाब दें। मैंने मंत्रीजी को निवेदन कर दिया कि जवाब दें। लेकिन ये भाषण देकर इस प्रकार से सदन का समय जाया करेंगे तो फिर दूसरे माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, मैंने निवेदन किया कि मैं जवाब दिलवा रहा हूं तो भाषण चालू हो गया। तो और माननीय सदस्यों का भी समय क्यों खराब करें? मैं जवाब दिलवा रहा था लेकिन भाषण चालू हो गया इधर से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने की इजाजत दी। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): ... (व्यवधान) सरकार ने पुरजोर इन्तजाम किए इस बात के लिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर दिया था कि जवाब दें। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप जवाब सुनें लेकिन भाषण चालू हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):××× ...(व्यवधान) मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: कर्नल सोनाराम।

बायतू विधान सभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्र रहित बस्तियां

158. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का सृजन किया गया है? यदि हां, तो उक्त केन्द्रों के स्वीकृति का क्या आधार रखा गया?

(2) क्या सरकार जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए पूर्व संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास भी अतिरिक्त केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बायतू में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वांछित बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में नवीन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाती है। भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत यदि किसी पूर्व संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकता है तो भारत सरकार की स्वीकृति से अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र उक्त क्षेत्र में खोला जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) : विधान सभा क्षेत्र बायतू में वित्तीय वर्ष, 2009-10 में 244 आंगनबाड़ी एवं 22 आंगनबाड़ी कुल 266 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो यह प्रश्न है नवीन आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी के बारे में, 3 भागों में है, भाग 1 और 2 का मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं। सिर्फ उसमें एक बात कहनी है जो मैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन में पूछूंगा कि ये जो मापदण्ड हैं, ये जनसंख्या के ऊपर हैं, जबकि यह आप जानते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र- जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में मापदण्ड अलग होने चाहिए। जैसे पीएमजीएसवाई सड़क है या फिर पानी की, जल वितरण की समस्या है, उसके लिए अलग-अलग हैं, तो इसको लिया कि नहीं? मेरा जो खास जो तीसरा सवाल है, उसके बारे में आपके द्वारा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका जवाब है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार की मिनिस्टरी आफ वूमंस, चाइल्ड डवलपमेंट के बारे में जो 10 अप्रैल, 2007 का सवाल है, जो आपने मुझे भेजा है इसमें, इसी पत्र का जो पैरा नम्बर 6 है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सवाल पूछने के पहले, "States who have already sent their requirements of Anganwari centres and min Anganwari centres for the third phase of expansion may re-submit their proposals after taking into account as aforesaid mentioned population norms recommended by the IMTF." यह 2007 में आया और आप अभी कह रहे हैं, इस सवाल का बता रहे हैं कि इस पर कार्यवाही की जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के पत्र के अनुसार एडिश्नल मापदण्ड जो राजस्थान सरकार के हैं तो कितने हैं और बाड़मेर और बायतू में कितने हैं, उसका आप मुझे बताएं?

इसी सवाल का दूसरा भाग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंगनबाड़ी के जो भारत सरकार के मापदण्ड हैं, इसको क्या आप, जैसे अभी बताया, राजस्थान के लिए अलग करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह योजना भारत सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है, जहां 90 परसेंट राशि केन्द्र सरकार खर्च करती है और 10 परसेंट राशि हमारी होती है खर्च। इसमें जिस परिपत्र का इन्होंने उल्लेख किया है, यह जिस क्षेत्र से आते

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हैं और जिस क्षेत्र के बारे में आपने उल्लेख किया है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें गाइडलाइन में रिलैक्सेशन दी जा चुकी है। उसी के अनुसार अभी जो नवीन केन्द्र खोले हैं, बायतू में पहले 202 केन्द्र थे, अब वर्ष, 2009-10 में नवीन स्वीकृत केन्द्र 219 हैं। यानी कि पहले केन्द्र चल रहे थे, 202 और नवीन केन्द्र 219 स्वीकृत किये गये हैं, इस प्रकार 421 केन्द्र हुए हैं। मिनी केन्द्र 7 थे और अब 20 स्वीकृत हुए हैं, अभी कुल 27 केन्द्र हैं। इसके बाद भी अगर सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई क्षेत्र छूट गया है तो इसकी स्वीकृति भारत सरकार से होती है, हम प्रपोजल बनाकर भेज देंगे, उसके अनुरूप इनके जो प्रस्ताव होंगे, वे स्वीकृत कर दिये जाएंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): धन्यवाद, साहब, मुझे उम्मीद है कि आप डैजर्ट मापदण्ड के तहत सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर और बायतू की बात नहीं करेंगे, और जगह भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): प्रश्न संख्या 159

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी आखिरी क्वेश्चन है। (व्यवधान) स्पेसिफिक पत्र जो भारत सरकार का है उसमें पैरा थर्ड में लिखा है, "Population which could require additional Anganwaris and Min-anganwaris while ensuring that no habitations/settlements number with pre-dominantly SC, ST and Minority population is left out." आपसे मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि बाड़मेर ऐसा जिला है, जहां सबसे ज्यादा माइनोरिटी मतलब मुस्लिम भाई रहते हैं और उनकी रेट आफ लेटरेसी बहुत कमजोर है, इसलिए भारत सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए डैजर्ट के लिए अलग मांगेंगे मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, माइनोरिटी वहां सबसे ज्यादा है पूरे जिलों में राजस्थान के अन्दर, वहां बहुत गरीबी है, बहुत दूर-दूर ढाणियों में रहते हैं, उनके लिए आप अलग मापदण्ड का प्रस्ताव करेंगे कि नहीं?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि गाइडलाइन हैं, विशेष तौर से एससी, एसटी और माइनोरिटीज का ध्यान रखते हुए ये प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। उसके बाद भी सदस्य, या और भी कोई सदस्य यह महसूस

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

करते हैं कि कोई रह गये हैं क्योंकि सरकार का इरादा टारगेट ओरियेंटेड है कि कोई इससे वंचित न रह जाए और इसीलिए इसमें रिलैक्सेशन किया गया था, तो कोई क्षेत्र छूटता है सर्वे के अन्दर, उसको ले लिया जाएगा। आप बताएं, भारत सरकार को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

अलवर जिले के शहीद एवं पूर्ण रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

159. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 10-6-2008 को दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/आश्रित अथवा पूर्ण रूप से विकलांग हुए सैनिकों के परिवारों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रदेश में कितने सैनिक शहीद हुए अथवा पूर्ण रूप से विकलांग हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में कितने सैनिक शहीद हुए अथवा पूर्ण रूप से विकलांग हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/आश्रित अथवा पूर्ण रूप से विकलांग हुए सैनिकों के परिवारजनों के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दे दी गई है? यदि हां, तो किन-किन को एवं शेष को नियुक्ति कब तक दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी) : (1) जी हां। 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि के दौरान विभिन्न युद्धों/आपरेशनों में 591 सैनिक शहीद हुए हैं एवं 129 सैनिक विकलांग हुए हैं। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) इस अवधि में अलवर जिले में 61 सैनिक शहीद हुए हैं एवं 13 सैनिक विकलांग हुए हैं। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अलवर को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कुल 31 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, इनमें से 12

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्रकरणों में नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 19 प्रकरणों में से 2 आवेदन पत्र जांच हेतु जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय में व 1 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अलवर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। शेष 16 आवेदन पत्र विभिन्न विभागों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये गये हैं, विभागों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, अलवर जिले में 31 ऐसे आश्रित हैं जिनकी नौकरी के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को भिजवा दी, लेकिन सरकार ने 12 लोगों को ही अब तक नियुक्ति दी है, बाकी 19 लोगों के आश्रित परिजन दर-दर की ठोकर खा रहे हैं राज्य सरकार और जिलाधीश महोदय से सम्भाग कार्यालय, सम्भाग कार्यालय से कार्मिक विभाग, कभी एसपी आफिस, कभी आईजी आफिस। उनको अनुकम्पा नियुक्ति देनी चाहिए थी। वे ऐसे परिवार हैं जिनके सपूत ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश की रक्षा के लिए जो विकलांग हुए, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि आप कब तक नियुक्ति दे देंगे इनको?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, शेष प्रकरण हैं, वे प्रक्रियाधीन हैं। विभागों को अनुशंसा भेज दी गई है, जिन विभागों में पद रिक्त हैं, उन विभागों के द्वारा इनको नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए .....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सरकार को पता है, अध्यक्ष महोदय, कि इन-इन विभागों में रिक्त पद हैं, वहां नहीं भेजा जाता। कभी एसपी आफिस में भेज दिया जाता है, कभी कार्मिक विभाग में भेज दिया जाता है, कभी सम्भागीय आयुक्त के यहां। ऐसी जगह इनकी अनुकम्पा नियुक्ति की दरख्वास्त क्यों नहीं भेजी जाती? क्या सरकार को पता नहीं है कि कहां-कहां वेकेंसी है? तीन-तीन बार नहीं, एक केस में तो जगपाल का मैं लाया हूं, 7 बार उसकी वेरीफिकेशन करा ली। उसके परिजन दर-दर की ठोकर खाते हैं, कभी थाने से पुलिस वाले बुलाते हैं, कभी कार्यालय से चिट्ठी आती है कि आप वहां जाकर पुलिस चरित्र का प्रमाण पत्र लेकर आइए। सरकार से मैं चाहता हूं कि

(श्री रामहेत सिंह)

कब तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी? सरकार के पास जब जगह है तो उस विभाग में ऐसे केसेज को क्यों नहीं भेजा जाता?

(समय : 12.00 बजे)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित मामला है। एक और शहीद है जो स्वर्ण मन्दिर में आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण गंवा चुका था। वह सीकर जिले के जेरठी गांव का था। उस समय उसका बेटा एक साल का था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जब आतंकवाद का सफाया करवाया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रधान मंत्री, आज वह भी नहीं रहीं। उस शहीद की विधवा मनकोरी देवी राजस्थान की सरकार के तमाम दफ्तरों में चक्कर काट चुकी है, इसके परिवार की सारे दफ्तरों में पत्रावलियां होने के बावजूद सहायता नहीं मिली है। यही हालत दूसरे शहीद की है जो पुरां छोटी का है। 1984 से लेकर 26 साल तक पता नहीं कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं.....

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। सैनिक कल्याण मंत्रीजी, कृपया जवाब दें। समय खतम हो जाएगा। जवाब आ जाए।

श्री पेमाराम (धोद): मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसको भी जवाब में सम्मिलित करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। बात का जवाब आ जाए। समय समाप्त हो गया है, जवाब आ जाने दें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व सैनिक हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अशक्त सैनिकों के लिए नियुक्ति के लिए पहली बार हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने जब कारगिल युद्ध हुआ उस दौरान अपनी अध्यक्षता में राजस्थान में मीटिंग की और उसमें यह निर्णय किया कि इन शहीदों के आश्रितों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। आप अगर अनुमति दें तो मैं सब को पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप उसकी कापी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): है, वह सूची दी है आपने। आपने सूची दे दी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप सुनो तो सही। राजस्थान के, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार, शहीद तो पहले भी हुए.....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समय समाप्त होने जा रहा है, प्रश्न का जवाब आ जाए, किसी का भला हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, आश्रितों को कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी, यह मेरा सीधा सवाल है? (व्यवधान) आप डेट बता दो कि कब दे देंगे? सदन के नेता नहीं हैं.....

श्री अध्यक्ष: प्लीज विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1962 में भी शहीद हुए थे, हिन्दुस्तान और चीन के युद्ध के दौरान भी शहीद हुए थे, 1965 में भी शहीद हुए, 1971 में भी शहीद हुए.....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मंत्री महोदय, मैं सारा इतिहास जानता हूं। राजस्थान का सारा इतिहास जानता हूं, आप सीधा जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तीन युद्ध हुए, उस दौरान भी बहुत शहीद हुए, उनको कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, कोई नियुक्तियां नहीं दी गई। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब जब मुख्य मंत्री थे, उस दौरान जो कारगिल में शहीद हुए उनको यह सुविधा देने का पहली बार राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया। उस निर्णय के तहत यह कार्यवाही चल रही है, 12 लोगों को तो नियुक्ति दे दी गई है। यह मामला प्री कारगिल का है और प्री-कारगिल का जो निर्णय है वह जून, 2008 में किया गया। प्री-कारगिल के शहीदों को, अशक्त सैनिकों को सुविधाएं और नियुक्ति देने का यह निर्णय जून, 2008 में लिया गया। इतने कम समय में भी 12 को नियुक्ति दे दी गई है। बाकी जो भी आवेदन आये हैं, जिस विभाग में रिक्तियां हैं, पहले मालूम करके उन विभागों को भेज दी गई। यहां से जो अधिसूचनाएं जारी हुई उसमें थोड़ा संशय जरूर है। कलक्टर को यह रहा कि जिले के अन्दर चाहे किसी भी विभाग में रिक्त है, वो उसमें नियुक्ति दे सकता है। लेकिन उसमें कलक्टर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। फिर डिवीजन के अन्दर जो भी जिले हैं और चाहे कोई भी विभाग है, डिवीजनल कमिशनर उसमें नियुक्ति देता है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

और उसमें भी वेकेंसी नहीं है किसी भी विभाग में डिवीजन के जिले में, तो फिर कार्मिक विभाग को मामला रैफर किया जाता है। यह मामला सरल और स्पष्ट करने के लिए मैं जल्दी ही कार्मिक विभाग को रिक्वैस्ट करूंगा कि स्पष्ट निर्देश जारी कर दे जिससे कि इनकी नियुक्तियों में देरी नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो जाए। इसमें कहीं भी जो भी कठिनाई आ रही है, उसको शीघ्र से शीघ्र हल करके दें ताकि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शहीदों के लिए जो निर्णय किये हैं, उनका लाभ इनको हर सूरत में मिले।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

नानाजी देशमुख, उत्तर प्रदेश के कुंडा स्थित आश्रम में मची भगदड़ व सवाई माधोपुर की बस दुर्घटना के शिकार लोगों के निधन पर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए पूर्व सांसद श्री नाना देशमुख तथा उत्तर प्रदेश के कुंडा स्थित आश्रम में मची भगदड़ और सवाई माधोपुर की मोरेल नदी में एक बस के गिरने से हुए हादसे में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सांसद श्री नाना देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर, 1916 को महाराष्ट्र के कडोली कस्बे में हुआ। आपने राजकीय हाइ स्कूल, वाशीम, अकोला तथा बिड़ला कालेज, पिलानी से इन्टर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री नाना देशमुख छठी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सांसद रहे। आप नवम्बर, 1999 में राज्य सभा के मनोनीत सांसद भी रहे। नानाजी देशमुख के नाम से लोकप्रिय श्री देशमुख लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित रहे। आप प्रारम्भ से ही भारतीय जनसंघ से सम्बन्ध रहे। आप अखिल भारतीय जनसंघ के सचिव तथा उपाध्यक्ष भी रहे। आपने 1950 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। आप दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री देशमुख ने पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा इसके पहले कुलाधिपति रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री देशमुख वर्ष 1948 से 1951 तक राष्ट्रधर्म प्रकाशन के प्रबंध निदेशक रहे। श्री देशमुख ने वर्ष 1980 में सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया तथा सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के प्रति समर्पित हो गये। आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा बिहार के ग्रामोत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। सामाजिक कार्यों में आपके योगदान के लिए आपको वर्ष 1999 में 'पद्म विभूषण' तथा पुणे तथा अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा 'डाक्टर आफ लैटर्स' की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपकी इच्छा के अनुसार मृत्योंपरांत आपकी देह चिकित्सीय शोध के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दी गई।

श्री नाना देशमुख का दिनांक 27 फरवरी, 2010 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री देशमुख के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभाव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान कर तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

दिनांक 5 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित आश्रम में राम जानकी मंदिर का निर्माणाधीन गेट गिरने से भगदड़ मच गई। इस हृदय विदारक हादसे में करीब 65 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा लगभग 200 लोग घायल हो गये।

दिनांक 15 मार्च, 2010 को तड़के करीब तीन बजे मदर इण्डिया टी.टी. कालेज, खानपुर, जिला झालावाड़ की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर सवाई माधोपुर जिले की मोरेल नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 26 छात्र छात्राओं की मौत हो गई तथा लगभग 35 अन्य घायल हो गये।

मैं इन हादसों में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर के शहीद श्री हरिसिंह के आश्रितों को अभी तक सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बाबूसिंह राठौड़ एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अतिथि/अंशकालीन शिक्षकों को चड्ढा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मानदेय नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अनीता सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से पहाड़ी तहसील के गांव कठोल में फैले साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में।

(4) श्री बाबूलाल बैरवा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम अखेगढ़, थाना नदबई जिला भरतपुर के चार युवा व्यक्तियों को जेल से रिहा करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवजीराम मीणा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका जहाजपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम बिन्ध्याभाटा, पांचा का बाड़ा, लाला का बाड़ा, सेहलादांता, बोराणी का बाड़ा व मजरों को नगरपालिका क्षेत्र से निकालकर पुन: ग्राम पंचायत सृजित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर के रेलवे फाटक पर अधूरे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमरा राम, सदस्य की ओर से लाडनूं कस्बे में बसावट के समय में निर्मित रेलवे फाटक को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्रीमती सूर्यकांता व्यास एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर में बढ़ रहे अग्नि हादसों की संख्या के अनुरूप अग्निशमन संसाधनों का आधुनीकरण, मैन पावर में वृद्धि और नेशनल बिल्डिंग कोड को लागू करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती अनिता भदेल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से ब्यावर शराब दुखान्तिका, सितम्बर/अक्टूबर, 2009 की जांच सम्भागीय आयुक्त से कराये जाने के बावजूद दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दण्डित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर में महाराणा कृषि विश्वविद्यालय एवं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले तीन-चार माह से पेंशन व अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी आज शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्रीमती अनिता भदेल, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री हनुमान बेनीवाल अपने विचार रखेंगे।

(12) श्री रामहेत सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका खैरथल में एन.एच.-8 के टोल नाका शाहजहांपुर से टोल टैक्स बचाने के लिए कोटपूतली से बानसूर, खैरथल, किशनगढ़बास, तिजारा, भिवाड़ी होकर भारी वाहनों का आवागमन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायत पिपरड़ा के सरपंच द्वारा 500 से अधिक फर्जी राशनकार्ड बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री सुन्दर लाल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला झुंझुनूं के सिंघाना ब्लाक में 21 जनवरी से पोषाहार का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु जमीन का आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री सुन्दर लाल एवं डा. दिगम्बर सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली में हुडको निर्मित क्वार्टर्स के मालिकों को पट्टा दिये जाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की महत्वपूर्ण सड़कों को सुधारने के सम्बन्ध में।

(3) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा बनाई गई 31 क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत गैर अनुदानित अध्यापकों को भी अनुदानित कर्मचारियों के समान मानकर राज्य सेवा में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से पुजारी वर्ग को "डोली" कृषि भूमि में पुनः खातेदारी अधिकार दिलाने एवं राजस्व अभिलेख में काश्तकार के रूप में दर्ज करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

(7) श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राजकीय एम.एल. सांवल महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में विज्ञान संकाय स्ववित्त पोषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत झुझार्डी के थल ग्राम में दिनांक 28.12.2009 को कुए

(श्री अध्यक्ष)

की खुदाई के समय मिट्टी ढह जाने से मृतक चार मजदूरों को सहायता राशि देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से जिला जयपुर की फुलेरा में कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शनों के मीटर्स जलने एवं खराब होने पर तुरन्त नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से बयाना एवं रूपवास कस्बों में रोडवेज का बस स्टैण्ड बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पवन कुमार दुग्गल, सदस्य की ओर से बी.एड. योग्यताधारी आरपीएससी चयनित विद्यार्थियों की शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(12) श्री दौलतराज नायक, सदस्य की ओर से रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गंदे पेयजल का वितरण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर नगरपालिका के छह रेवेन्यू विलेज...

श्री अध्यक्ष: आप काहे पर बोल रहे हैं?

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं एक सूचना दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट माननीय सदस्य।

सूचना

जहाजपुर नगरपालिका के 6 राजस्व गांवों का ग्राम पंचायत बनाये जाने हेतु जारी अनशन

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): नगरपालिका जहाजपुर के छह रेवेन्यू विलेज- बिन्ध्याभाटा, सेहलादांता, लाला का बाड़ा, पांचा का बाड़ा, मुंडीभट्टा में सैकड़ों आदमी पिछले नौ मार्च से आमरण अनशन पर और भूख

(श्री शिवजीराम मीणा)

हड़ताल पर बैठे हुए हैं, महापड़ाव पर बैठे हुए हैं, वे चाहते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत अलग बना दी जाए। नगरपालिका जहाजपुर का गठन 1976 में हुआ था, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर इन गांवों में न तो कोई विकास हुआ है, न कोई नाली निर्माण हुआ है। यहां जो लोग निवास करते हैं, सारे के सारे खेती पर निर्भर करते हैं, उनकी आजीविका का साधन खेती है। 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। न कोई वहां लाइट की व्यवस्था है, न कोई सड़क की व्यवस्था है। वे लोग चाहते हैं कि इनकी अलग से ग्राम पंचायत बना दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ दिनों से वे महापड़ाव पर हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से नौ दिन में कोई जाकर पूछ भी नहीं रहा है कि आप किसलिए बैठे हो, आपकी क्या समस्याएं हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका जहाजपुर की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 18,363 है और ये जो गांव अलग होना चाह रहे हैं, इनकी जनसंख्या 3,985 है। इनको अलग भी कर दिया जाए फिर भी 14,000 कुछ जनसंख्या रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे जो लोग पड़ाव पर हैं, उनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, आज उनको नौ दिन हो गये हैं। मैंने सरकार से व मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया है, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से भी निवेदन किया, लेकिन इन पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, न कोई सरकार का नुमाइंदा वहां जाकर कह रहा है कि आपकी पंचायत बना दी जाएगी। पंचायत बनने से सरकार को कोई नुकसान नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ...मेरा करबद्ध आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से, कि जहाजपुर नगरपालिका के जो छह रेवेन्यू विलेज हैं, छह उनके मजरे हैं, उनको अलग से ग्राम पंचायत बना दी जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मई से जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा, यदि उससे पहले यह कार्यवाही नहीं की गई तो अगले पांच वर्ष तक भी ग्राम पंचायत नहीं बनेगी। इन गांवों के लोगों को न तो अकाल का लाभ मिलता है, न नरेगा का लाभ मिलता है और सारे के सारे लोग खेती पर निर्भर हैं, इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सरकार इन गांवों को नगरपालिका से हटाकर इनकी ग्राम पंचायत बना दे।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

शाहजहांपुर टोल टैक्स बचाने के लिए भारी वाहनों का डाइवर्जन

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे नम्बर-8 पर जो दिल्ली से जयपुर-बाम्बे जाने वाले भारी वाहन हैं, शाहजहांपुर में टोल टैक्स हैं, उसके कारण से अचानक पिछले एक महीने से जो भारी ट्रैफिक है, वह खैरथल, भिवाड़ी, किशनगढ़बास, बानसूर होते हुए इस हाइवे पर वापस आने लग गया है। खैरथल नगरपालिका क्षेत्र है, आधा शहर पटरी के पूर्व भाग में रहता है और आधा शहर पटरी के पश्चिम भाग में निवास करता है और कस्बे के बीच के अन्दर रेलवे फाटक है। इस हैवी ट्रैफिक के आने से सारा क्षेत्र बहुत परेशान है। उसका कारण है कि इस ट्रैक पर 58 ट्रेनें निकलती हैं और कोई व्यवधान नहीं तो लगभग 11 घंटे तक यह रेलवे फाटक बंद रहता है। रेलवे लाइन के पूर्वी भाग में सारी आबादी है, पश्चिम में बैंक है, स्कूल है, कृषि उपज मण्डी है, अस्पताल है। यह हैवी ट्रैफिक आने के कारण हालात ये है कि पूरे दिन में दो घंटे तक भी यह फाटक नहीं निकल पाता है, जाम लग जाता है। हजारों लोग जो ट्रकों पर जाते हैं, वे वहां पर उतर जाते हैं, लूट-खसोट हो जाती है। पिछले दिनों की मैं घटना बताना चाहता हूं। इसी तरह से जाम लगा हुआ था, उसका फायदा उठाकर दो हथियारबंद लोगों ने आलोक झालानी नाम के व्यापारी की दुकान को दिन के डेढ़ बजे लूट लिया। फाटक पर तीन ट्रैफिक की पुलिस खड़ी थी, 300 मीटर पर थाना है लेकिन न तो पुलिस आ सकी, न ट्रैफिक वाले आए। अकेले व्यापारी ने एक डकैत को पकड़कर उसकी बांथ भर ली, उसको छोड़ा नहीं। बाजार के लोग आ गये लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची, ऐसी हालत रही। उस साहसी व्यापारी ने हिम्मत करके अकेले ने हथियार भी पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन सारे ट्रैफिक में पुलिस भी फंसी रही। मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षाएं होंगी, बच्चे एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे लेकिन फाटक वहां लगने के कारण पटरी कूदकर बच्चे स्कूल की तरफ भगते हैं जो गैर-कानूनी है। कोई बीमार हो जाता है तो वहां वाहन को खड़ा करके फिर ले जाया जाता है पटरी के ऊपर से। ऐसी हालत है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले दिनों में घटना हुई, पुलिस और सरकार का तो एक ही काम है, कौन अवैध खनन कर रहा है। दापला, आगवानी, हुसैपुर, शाहपुर और गिरवास में लगभग 100 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो अवैध खनन में लगे हुए हैं। पुलिस तो उनका

(श्री रामहेत सिंह)

ध्यान रखती है, कि वे कैसे निकलेंगे। पूरी रात तो वे सोने नहीं देते और दिन में हालात खराब हैं। पिछले दिनों कई घटनाएं हुई। वहां मीट की दुकान लगी है उसके कारण पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आन्दोलन हुआ लोगों का, पूरा बाजार बंद रहा। उस लूट की घटना के बाद आज तक मुल्जिम नहीं पकड़े गये। उसका कारण है कि फाटक बंद होने से कई हजार लोगों का फाटक के दोनों तरफ जाम लग जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पुलिस की माकूल व्यवस्था हो, ट्रैफिक व्यवस्था दोनों पाइंटों पर हो। फाटक पर भी हो और एंट्री जो मातोर की तरफ से होती है, वहां पर भी होनी चाहिए। पिछले दिनों निमेड़ा में भैंस खुल गई, उसकी चोरी की सूचना पर लोगों ने पुलिस को मुल्जिम दे दिया, आज तक उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। जो व्यापारी को लूटा था, उसको सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए था, बल्कि मुल्जिम खुले घूम रहे हैं। दूसरे मुल्जिम नामजद हैं, आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। उनके लिए व्यापारियों को धमका रहे हैं। पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, खुले आम लोगों ने परसों आकर नगरपालिका में कहा कि मीट की दुकान खुली हुई है, आज तक उनको बंद नहीं कराया। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पुलिस में कानून-व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं बची। उस पर मंत्रीजी अपना बयान दें कि क्या पुख्ता इंतजाम करेंगे। सरकार अपना बयान दे कि ऐसे हालात में क्या ट्रैफिक की एंट्री बंद करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिन में निश्चित रूप से एंट्री बंद होनी चाहिए, हैवी ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। बाई पास बनना चाहिए, वही इसका समाधान है, सरकार तय करे। अनाज मंडी है। यह ट्रैफिक जो डाइवर्ट होकर आया है इसका समाधान है कि खैरथल में बाई पास बने। पुलिस की सारी जो व्यवस्था है, मंत्री महोदय अपना बयान दें कि ये घटनाएं बढ़ी हैं, इनको कैसे रोकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द की ग्राम पंचायत पिपरड़ा के फर्जी राशन कार्ड

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन की जानकारी में रखना चाहती हूं, खास तौर से सदन के नेताजी और पंचायत राज के मंत्री महोदय के। उन्होंने कल बजट की चर्चा के दरमियान और उसके बाद में किसी क्वेश्चन के आंसर में भी यह बात कही थी कि पंचायती राज में जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हमारे ध्यान में यह विषय आएगा तो हम सब एक पाजिटिव एटीट्यूड रख कर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस बात की मैं बहुत प्रशंसा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करते हुए मेरी बात कहना चाहती हूं क्योंकि जो विषय मैं यहां आज उठा रही हूं, वह विषय बहुत ध्यान से हमारे सदन के नेता अगर कहीं सुन रहे हैं मेरी बात को, तो जरूर से सुनें कि किस तरीके का घोटाला राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में पिपरड़ा ग्राम पंचायत के अन्दर हुआ है, लगभग पांच सौ से भी अधिक फर्जी राशनकार्ड बने। वे फर्जी राशनकार्ड इस तरीके से कि किसी ने राशनकार्ड छपवाये बाजार से और उन राशनकार्ड के ऊपर न किसी बीडीओ के दस्तखत हैं, न सचिव के दस्तखत हैं, केवल सरपंच ने अपने साइन से अपनी मोहर लगाकर उस राशनकार्ड को इश्यू किया जिस राशनकार्ड के ऊपर अनाज उठा है। आज से नहीं, पिछले चार-पांच महीने से उठ रहा है। जब पंचायती राज चुनाव आए तो उस चुनाव से ठीक पहले, तीन-चार दिन पहले ही उसी सरपंच ने बैठकर 300-350 राशनकार्ड अपने सिग्नेचर से अपनी स्टाम्प लगा लगा कर इश्यू कर दिये कि आप जाकर वोट डाल सकते हो इसलिए ये राशनकार्ड इश्यू किये जाते हैं। यह मैटर जब ध्यान में आया, हमने पूरी पंचायत के लोगों के साथ मिलकर जिला कलक्टर, राजसमंद को एक ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि तुरन्त इसकी जांच करवाई जाए, कि कितने करोड़ों रुपये का नुकसान इसके अन्दर सरकार को हुआ है, कि इस तरीके से राशनकार्ड फर्जी बनाकर राशन की दुकानों से राशन का सामान उनको दिया गया है और राशनकार्ड अगर फर्जी बनाने का अधिकार है तो यह बहुत बड़ा एक स्कैण्डल हुआ है, इसके खिलाफ एफआईआर लाज होनी चाहिए। लेकिन दुःख की बात यह है कि वहां के जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को केवल सुना। इतने गांवों के लगभग तीन सौ से चार सौ लोग गये कलक्टरी में और उसके बावजूद भी उस बात को नजरंदाज किया, सिर्फ कागजों में कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है वह जांच करेगी। लेकिन मुझे बहुत खेद है कि न तो कोई कमेटी ने जांच की और न ही किसी तरीके का तथ्य सामने आया। एक तरफ सदन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता है हमारे ध्यान में लाइये, आप और हम सब मिलकर भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और दूसरी तरफ ऐसे उजागर होते हैं मामले, जो अखबारों में छपते हैं जो साफ जाहिर होता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, लेकिन उस सब को दबाने की कोशिश की जाती है नीचे के लेवल पर। जिलाधीश महोदय जिसमें शामिल होते हैं, न कोई इन्क्वायरी की जाती है, न किसी तरीके से कोई जांच बैठाई जाती है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से हमारे बैठे हुए जो मंत्री महोदय हैं यहां पर, उनसे कहूंगी कि इसमें पूरी जांच करवाएं और जांच करवा कर जो दोषी व्यक्ति

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। यही नहीं, पुलिस में एफआईआर लाज करिये। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर अंकुश लगाने की शुरूआत अगर आपने नहीं की, उसमें अगर आपने मेरा-तेरा किया, उस पर अगर आपने यह कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का है इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, यह बीजेपी का है उसके खिलाफ कार्यवाही कर दें, यह अगर मानसिकता रही तो हम कभी भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकेंगे। अब पंचायत राज मंत्रीजी आए हैं, पिछली बार भी मैंने सदन में नरेगा के अन्दर ऐसे ही भ्रष्टाचार का मामला पिन-पाइण्ट किया था, आपने कहा था, हम पूरी जांच करवाएंगे। आज भी मैं कह रही हूं कि सरपंच के द्वारा फर्जी राशनकार्ड एक ग्राम पंचायत में पांच सौ, छह सौ की संख्या में बनाये गये हैं। पूरा मामला सामने आया है, राशनकार्ड की कापीज कलक्टर को दी गई हैं। उस पर जो बीडीओ के सिग्नेचर होने चाहिए, डीएसओ की छाप लगनी चाहिए, कुछ भी नहीं होने के बाद में भी उस राशनकार्ड से अनाज उठ रहा है। राशनकार्ड फर्जी बनाने पर भी किसी तरीके की कोई एफआईआर लाज नहीं हुई है। इसलिए पुनः मेरा आपसे कहना है कि अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं राजस्थान से, तो शुरूआत करिये इस बात पर, कि पूरी जांच करवा कर इसमें कार्यवाही करेंगे। मुझे आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, आपकी अनुमति हो तो..

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कुछ कह रहे हैं वह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने राशनकार्ड के सम्बन्ध में सदन में कोई जानकारी दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित्त रूप से यहां से किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवाऊंगा। पहले भी आपने विधान सभा में जब बात उठाई थी उसकी भी विस्तार से जांच करवाई थी, उसकी आपको जानकारी है। जांच के तथ्य जिस आधार से आते हैं और जिस तरीके से जांच अपने यहां होती है, बहुत बार दंडित करने की नीयत होने के बाद भी जांच के आधार के ऊपर हम कार्यवाही नहीं कर पाते हैं, मगर इसकी मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जांच कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह तो जवाब ही गलत दे दिया माननीय मंत्री महोदय ने, इससे सम्बन्धित नहीं है। Under what law will you take action?

झुंझुनूं के सिंघाना ब्लाक में पोषाहार वितरण में गबन

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): अध्यक्षजी, मेरी पंचायत समिति भुवाना में कई लाख का गबन हुआ है। पचास दिन पहले ही आंगनबाड़ी वालों से रसीद ले ली कि लिख दो, प्राप्त कर लिया। इसकी जांच कलक्टर ने एसडीएम खेतड़ी को दी, खेतड़ी के एसडीएम ने जाकर जांच की और गबन साबित हो गया। उसके बाद भी वह वहां ही बैठा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, सरकार को कहें कि एक तो उसको सस्पैण्ड करें और वहां से उसे तत्काल हटाएं। कम से कम भी पांच लाख का गबन किया है। चार-चार महीने से रसीद ले ली और कहीं भी आंगनबाडियों में वह बंटा ही नहीं सामान। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसमें कार्यवाही करें। सरकार इसमें जवाब भी दे और उसके खिलाफ कार्यवाही तो करे छह-छह महीने से उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप रसीद दे दो हमारे को कि हमने प्राप्त कर लिया। बच्चों से पूछा गया, एसडीएम ने खुद मौके पर जाकर जानकारी ली तो सब ने कह दिया कि यहां कुछ नहीं मिला है, कोई सामान नहीं मिला है। जाकर उसके स्टोर के गोदाम के ताला लगा दिया जिससे सामान ठेकेदार से लेता है। वह कहता है, मेरे से लिया ही नहीं सामान। इतना बड़ा घोटाला पंचायत समिति भुवाना में 42 पंचायतों में हुआ है और वह तीन दिन, चार दिन से दबाव लगा रहे हैं लोगों पर कि लिख कर दे दो। उनसे कहते हैं कि तुम जाकर खरीद लो कहीं से भी, पैसे तेरे को बाद में हम दे देंगे। आठ महीने से किसी को नहीं मिला है। कम से कम पांच-छह लाख रुपये का गबन है, तीन-तीन सौ बोरी एक साथ बिकी हैं। मैंने हरियाणा के घोड़ी वालों से पूछा कि आपकी तो घोड़ी बहुत मोटी हो रही है, बोले आपके राजस्थान से दलिया और यह फ्री मिलता है, सस्ते भाव में वहां से लाते हैं, घोड़ी मोटी हो रही है, दौड़ में जा रही है। घोड़ी तो मोटी होवे हरियाणा की और हमारा टाबर बोदा हो तो यह मामला तो गड़बड़ ही है। इसमें व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए कोई न कोई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें व्यवस्था दें, इसका जवाब दें। उसको आज ही हटाने के आदेश दें भुवाना से उसको आज हटाएं और हटाने के बाद में उसके खिलाफ कार्यवाही करें। वैसे लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं, अपने तो यहां के टाबर भूखे मरें और

(श्री सुन्दर लाल)
हरियाणा की घोड़ी मोटी होकर यहां दौड़ में रुपये ले जाए पांच-पांच हजार, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसका, साहब, जवाब तो दिलवाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, बच्चों का पोषाहार खा जाएं...(व्यवधान) जांच की है

श्री अध्यक्ष: कृपया शुरू करें, डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच हुई, एसडीएम ने जांच की है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लगातार खाते जाएं और जांच भी नहीं हो अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। पोषाहार ब्लैक में बिकवाने का काम सरकार में बैठे हुए लोग जानबूझ कर करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह। नहीं बोल रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पर, साहब, इसमें जांच तो करवाइये, यह तो हद ही हो गई। (व्यवधान)

भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु जमीन का आबंटन नहीं

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेवाड़ इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क, भीलवाड़ा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र है और मैं समझता हूं कि वहां पर स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां लगी हुई हैं। स्पिनिंग के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष महोदय, तो अपने प्रदेश का 45 प्रतिशत धागा केवल भीलवाड़ा में उत्पादन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने 30 टैक्सटाइल पार्क्स सैंक्शन किए थे। 30 में से 4 टैक्सटाइल पार्क राजस्थान के लिए दिये गये थे। इन में से भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना वहां के मेवाड़

(डा. दिगम्बर सिंह)

चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की पहल पर वहां के 45 इण्डस्ट्रियलिस्ट के एक समूह द्वारा की गयी। मेवाड़ इन्टीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कम्पनी का गठन किया गया और इस पार्क की स्थापना के प्रयास इस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के तहत शुरू किये गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत ऐसे टैक्सटाइल पार्क में आधारभूत सुविधाओं सड़क बिजली, पानी, कामन फैसिलिटीज के लिए 40 करोड़ रुपए का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.9.2008 को राजस्थान सरकार के द्वारा 142 बीघा 1 बिस्वा जमीन इस टैक्सटाइल पार्क क लिए आबंटन करने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के फलस्वरूप कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा 26.12.2008 को 142 बीघा जमीन को सैट-अपार्ट कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह पत्रावली सरकार ने वापस मंगवाई चुनाव के बाद और आज तक वह मंत्रिमण्डल की जो सर्वोच्च समिति आपकी बनी हुई हैं उसमें अब तक भी लम्बित है। मैं समझता हूं कि इसमें राजस्थान के डवलपमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है, एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि केवल भीलवाड़ा के अन्दर 75 से 80 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इतना जहां पर व्यापार है, वहां पर अगर इस टैक्सटाइल पार्क का निर्माण होता है तो यहां का जो बिजनस है एक्सपोर्ट का वह तीन हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ेगा। निश्चित रूप से 5 हजार करोड़ से ज्यादा का वहां पर बिजनस इम्प्रूवमेंट होगा और कम से कम 6 हजार लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस लम्बित पड़ी फाइल को आप जल्दी से दिखवाएं। आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पिछली सरकार ने आखिरी 6 महीने में जो डिसीजंश किए उनको एक बार से रिव्यू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने रिव्यू किया। आपने माथुर आयोग का भी गठन किया, माथुर आयोग का क्या हश्र हुआ वह सबके सामने है खोदा पहाड़ और उसके नीचे चुहिया भी नहीं निकली। माथुर साहब को यहां से विदा आपने कर दिया, कितना पैसा उस पर खर्च कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन एक साल तक केवल जांच होगी, जांच होगी, अभी तक फाइल दबी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से जनता से जुड़े हुए काम जो रुके हुए पड़े हैं इनका तो कम से कम जल्दी

(डा. दिगम्बर सिंह)
से निपटारा करें। मेवाड़ इन्टीग्रेटेड टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की जो जमीन सैट-अपार्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने, 142 बीघा जमीन अलाट कर रखी है, माननीय मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, अगर मंत्री महोदय कुछ बता सकें। मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295 के तहत श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लाडनूं आज तक जहां से बसा है, वहां से रेलवे ब्रिज....

श्री अध्यक्ष: वह मैंने रिजैक्ट कर दिया है आपका। इस तरीके से पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के बहाने से हर चीज नहीं। कृपया बैठ जाएं। अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: रिजैक्ट कर दिया है मैंने, और आप इस बहाने से ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। अंकित नहीं हो रहा है,माननीय सदस्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पाली में हुडको निर्मित मकान-मालिकों को पट्टा देने में आ रही अड़चनें

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान टैगोर नगर स्थित हुडको क्वार्टर्स,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रतापनगर, आनन्द नगर एवं सूर्य कालोनी, पाली में वर्तमान मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक (पट्टा) दिए जाने में आ रही अड़चनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हुडको क्वाटर्स आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर परिवारों को आबंटित किये गये थे। यह शर्त थी कि सम्पूर्ण किश्त जमा करा देने के बाद जिसकी निर्धारित अवधि दस वर्ष थी, वह अपने मकान का बेचान कर सकता है। परन्तु लगभग 300-350 आबंटियों ने पूरी किश्त जमा कराने से पहले या दस वर्ष पूर्व ही मकान बेच दिया। शेष किश्तें खरीददार द्वारा जमा कराई गईं। इस कारण वर्तमान मालिकों का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। पूर्व मालिकों में से कइयों का अता-पता भी नहीं है।

इसी तरह प्रताप नगर, आनन्द नगर, सूर्य कालोनी में भी भूखण्ड आगे नहीं बेचे जाने की शर्त पर आबंटित किये गये थे। इन बस्तियों में भी अनेकों आबंटियों ने अपने मकान या भूखण्ड आगे बेच दिये जिसके कारण वर्तमान मालिकों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

कृपया पूर्व में जारी नियमों में शिथिलता देकर कोई हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित कर वर्तमान मालिकों के पक्ष में पट्टा जारी करवाने का श्रम करे।

साथ ही हुडको क्वार्टर्स में जिन मकान मालिकों ने अपने क्वार्टर्स में कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य करवा लिया है, ऐसे प्रकरणों में नगर परिषद पाली अतिरिक्त निर्माण की लागत की 25 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वसूल कर रही है जो इन गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं है। शेष बस्तियों के ऐसे प्रकरणों में 7.5 प्रतिशत ही शास्ति वसूली जाती हैं। कृपया नगर परिषद् पाली को निर्देश देकर शास्ति 25 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत करवाने की अनुकम्पा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना की महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जिला जालौर, पाली, जोधपुर की अंतर जिला सीमा लगती हैं, परन्तु सीमावर्ती सड़कों को आपस में नहीं जोड़ा गया है। बाडमेर-जालौर, बाड़मेर-पाली अंतर

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

जिला सीमाओं की ये सड़कें आपस में नहीं जुड़ने के कारण इस मार्ग से आवागमन मुश्किल हो रहा है। कई बार तो यहां आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हुई हैं। यदि इन सड़कों को मिसिंग लिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इस क्षेत्र में प्रति दिन स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु मरीजों व अन्य यात्रियों को सुविधा होगी एवं समय भी कम लगेगा। किसी गम्भीर रोगी की जान भी बच सकती है। ये लिंक सड़कें नहीं होने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एवं अव्यवस्थाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए

रातड़ी से भोरड़ा जालौर जिला सीमा तक 02 किमी...,

सामुजा से लामड़ा पाली जिला सीमा तक, 04 किमी.....,

ढीढस से पुगतारी पाली जिला सीमा तक, 03 किमी....,

सरवड़ी से भवरानी जालौर जिला सीमा तक 04 किमी....,

मण्डप से रायथल जालौर जिला सीमा तक 06 किमी....,

मोतीसरा से रायथल जालौर जिला सीमा तक 05 किमी....,

मोकलसर गांव से रायथल जालौर जिला सीमा तक 09 किमी.....,

रमणीया से रायथल जालौर जिला सीमा तक 06 किमी...,

चिरड़िया से उदेसर जोधपुर जिला सीमा तक 04 किमी.....,

खेजड़ीयाली से सनाई जोधपुर जिला सीमा तक 04 किमी...,

पउ से बाबतरा जालौर जिला सीमा तक 06 किमी...,

कांखी से बावसरा जालौर सीमा तक 07 किमी...,

मोतीसरा से भंवरानी जालौर सीमा तक 05 किमी...,

पउ से ढालू जालौर जिला सीमा तक 07 किमी...,

उक्त सडकों को मिसिंग लिंक (डामर) के तहत तत्काल जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली में कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सभा क्षेत्र बाली की कृषि उपज मण्डी, सुमेरपुर द्वारा बनाई गई अति महत्वपूर्ण कृषि सड़कें क्रमशः

1. जवाई बांध से बीसलपुर,
2. बलवना से गोया,
3. जवाई बांध से बेड़ा,
4. बेड़ा से कुमटिया,
5. सम्पर्क सड़क मालनू,
6. सम्पर्क सड़क भन्दर,
7. मालनू से लुन्दाड़ा,
8. दानवरली से कोयलवाब,
9. सम्पर्क सड़क सैणा,
10. पेरवा से बेड़ल,
11. बाली से लालराई,
12. चामुण्डेरी से लुन्दाड़ा,
13. बारवा से पातावा,
14. मोरीबेड़ा से काम्बेश्वर महादेव,
15. कोयलवाब से कुरन,
16. सम्पर्क सड़क धाणदा,
17. सम्पर्क सड़क बमणिया,
18. सम्पर्क सड़क फतापुरा,
19. सम्पर्क सड़क केरापुरा,
20. सादड़ी पिण्डवाड़ा से गुडा कल्याण सिंह,
21. सम्पर्क सड़क साम्भरवाड़ा,
22. सम्पर्क सड़क उपला भीमाणा,
23. सम्पर्क सड़क बिजापुर रोड से भागली कोरटा,
24. सेवाड़ी से पीपला,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

25. सम्पर्क सड़क टोकरिया,

26. सम्पर्क सड़क माताजी वाड़ा,

27. सम्पर्क सड़क हिरोला,

28. सम्पर्क सड़क जुना बेड़ा,

29. सम्पर्क सड़क दानवरली भीमाणा रोड से वेरड़ी,

30. बाली से कागड़ी वाया चामुण्डेरी,

31. देसुरी फुलाद रोड से माडपुरा,

उक्त सभी सड़कों की कुल लम्बाई 143.93 किलोमीटर है। ये सभी सड़कें लगभग शत-प्रतिशत बाढ़ अतिवृष्टि वर्ष 2006 के समय से टूटी पड़ी हैं। इन सड़कों की क्षतिग्रस्तता से मण्डी यार्ड तक पहुंचने वाला किसान वर्ग ही नहीं अपितु यहां से होकर गुजरने वाले हर एक वर्ग के दोपहिया, चौपहिया साधन को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षतिग्रस्त सड़कों से आवागमन के साधन रैंग-रैंग कर चलने को मजबूर हैं व तेज गति से चलने वाले वाहन भारी मेंटिनेंस व दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। खाद्यान्न फसलों दलहन, तिलहन का विपणन कार्य बाधित हो रहा है। किसान वर्ग समय पर व सुरक्षित तरीके से अपनी फसल को मण्डी तक पहुंचाने में भारी कठिनाई महसूस कर रहा है।

अतः इन सभी 31 सड़कों की मरम्मत व पुनः डामरीकरण के लिए राज्य सरकार विशेष वित्तीय स्वीकृति जारी कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करावे।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत गैर-अनुदानित अध्यापकों का राज्य सेवा में समायोजन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख नियम 295 के अन्तर्गत यह मामला उठाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 9 मार्च, 2010 को अपने बजट भाषण में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में समायोजित करने की घोषणा

(श्री कालीचरण सराफ)

की है परन्तु इन अनुदानित विद्यालयों में स्थाई गैर अनुदानित कर्मचारियों को समायोजित करने के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

इन विद्यालयों में सन् 1999 के बाद रिक्त अनुदानित पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं न ही गैर अनुदानित फैकल्टीज (10+2) को अनुदान मिला है। इन पदों पर लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों को अनुदानित अध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार में समायोजित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इन विद्यालयों में कार्यरत गैर अनुदानित स्थाई कर्मचारियों की संख्या नाम मात्र रह जाएगी। ऐसे में प्रबंध कमेटी विद्यालय चलाने में असमर्थ हो जाएगी तथा इनमें कार्यरत गैर अनुदानित कर्मचारियों का भविष्य बरबाद हो जाएगा। एक तरफ तो राज्य सरकार अनुदानित विद्यालयों में स्वीकृत अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत गैर अनुदानित स्थाई कर्मचारियों जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 850 से अधिक नहीं है, के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्यों?

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993, अध्याय 12 (ग) स्पष्टीकरण के अनुसार 'यदि किसी संस्था का कोई भी भाग अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता है तो इस बात को विचार में लाये बिना कि उस संस्था का कोई भाग सहायता के अन्तर्गत आता है या नहीं, सम्पूर्ण संस्था को ही सहायता प्राप्त संस्था माना जाएगा।' ऐसी स्थिति में अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत इन गैर अनुदानित स्थाई कर्मचारियों को भी अनुदानित कर्मचारियों की भांति सरकारी घोषणा के अनुसार राज्य सेवा में लेना उचित होगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया भी अनुदानित कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया के समान ही अपनाई गई थी एवं अब तक इन कर्मचारियों को अनुदानित कर्मचारियों के समान ही समस्त वेतन एवं अन्य परिलाभ प्रबन्ध समितियों द्वारा भुगतान किये जा रहे हैं एवं अनुदानित पदों के समान ही समस्त सरकारी योजनाओं में सरकारी दायित्वों का निर्वहन भी इनके द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। आज तक किसी भी दृष्टिकोण से इन्हें अलग यूनिट नहीं माना गया है।

अतः आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन गैर अनुदानित कर्मचारियों को भी

(श्री कालीचरण सराफ)

अनुदानित अध्यापकों एवं कर्मचारियों के समान मान कर राज्य सेवा में समायोजित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़।

डोली कृषि भूमि में खातेदारी व उसका राजस्व अभिलेख में अंकन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, 'डोली भूमि' को कृषि भूमि में पुजारी काश्तकारों के नाम राजस्व अभिलेखों में पुनः दर्ज करवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पुजारी (डोली) भूमि बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान, कार्यालय बस स्टैण्ड के सामने, बोरानाड़ा, जोधपुर के संयोजक एवं समिति के सदस्यों की मांग अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान में प्रत्येक राजस्व ग्राम में पुजारी वर्ग मंदिरों में परम्परागत रूप से बिना वेतन से सैकड़ों वर्षों से सेवा-पूजा करता आ रहा है और आज भी सेवा पूजा कर रहा है। यह वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इस वर्ग के व्यक्तियों का भरण-पोषण का एक मात्र जरिया 'डोली की कृषि भूमि' है जिस पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। वर्ष 1991 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक आदेश क्रमांक राजस्व प.2(4)र 4190/37 दिनांक 13.12.1991 उप शासन सचिव, राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान, जयपुर से जारी कर 'डोली की कृषि भूमि' को राजस्व अभिलेखों से पुजारी काश्तकारों के नाम विलोपित कर दिया गया। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में आदेश क्रमांक 12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर से जारी कर सम्पूर्ण डोली की भूमियों से शेष रहे पुजारियों के नाम भी खातों से हटा दिये। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों से जो पुजारी जिस भूमि पर काश्तकारी कार्य करता था, उसे काश्तकारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस 'डोली की कृषि भूमि' के अलावा पुजारी वर्ग के परिवार का भरण-पोषण का अन्य जरिया नहीं है। वर्तमान में पुजारी वर्ग न तो राजकीय सेवा में सेवारत है, न ही व्यापार-उद्योगों से जुड़ा हुआ है, अपितु यह वर्ग सेवा पूजा कार्य कर रहा है। इनके पास किसी प्रकार की धन-सम्पत्ति नहीं है।

इस समुदाय का 'डोली की कृषि भूमि' के राजस्व अभिलेखों से पुजारी काश्तकारों का नाम विलोपित करने के कारण कथित भू-माफि या येन-केन

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

प्रकारेण इस वर्ग से जमीन हड़पना चाहते हैं और इस वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रायः प्रत्येक गांवों में पुजारी वर्ग निवास कर रहा है।

डोली भूमि का अभिप्राय है कि इस भूमि से जागीरदार सिर्फ लगान नहीं लेते थे क्योंकि पुजारी को वो पूजनीय मानते थे, उनका सम्मान करते थे, इसलिये इस जमीन से हिस्सा नहीं लेते थे। इस कारण यह जमीन माफी की हुई है। उक्त जमीन पर काश्तकारी कार्य करने के साथ कई स्थानों पर मंदिर का निर्माण कर सेवा पूजा करने यही पुजारी गांव में मुख्य मंदिर में भी पूजा-अर्चना आदि कार्य करते हैं तथा उक्त कार्य का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। यह भूमि इनके पास वर्षों से कब्जाशुदा है तथा इस भूमि पर ही काश्तकारी कार्य के साथ में बसे हुए हैं। माफी जमीन तो कुम्हार, नाई, दर्जी, सुथार इत्यादि कामगारों के पास भी थी, उनसे भी जागीरदार हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि इनसे बिना वेतन काम लेते थे। कुम्हार, नाई, दर्जी, सुथार इत्यादि वर्ग को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, परन्तु पुजारी वर्ग को नहीं। यह पुजारी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। इस समुदाय के व्यक्तियों का खातेदारी अधिकार से नाम विलोपित करने से पूर्व इनको किसी प्रकार का नोटिस, सुनवाई आदि का मौका भी नहीं दिया गया जो कि अनुचित है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फर्माते हुए पुजारी वर्ग को कृषि 'डोली' भूमि में पुनः खातेदारी का अधिकार दिलाने तथा काश्तकार के रूप में राजस्व अभिलेख में इनका नाम दर्ज करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

खण्डेला में पेयजल समस्या

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पीने के पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है, ज्यादातर एरिया में फ्लोराइड युक्त पानी है, इसकी जांच करवा कर फ्लोराइड की समस्या को दूर करावें। जहां पानी की ज्यादा समस्या है, वे गांव/ढाणियां निम्न हैं:-

चोकड़ी गांव व उसकी ढाणियां, सुजाना व उनके रेवेन्यू गांव व ढाणियां, रामपुरा व ढाणियां, पनिहारवास, केरपुरा, कारोई, ढाणी गुमान सिंह,

(श्री बंशीधर खण्डेला)
कोटडी-लुहारवास व उसके रेवेन्यू गांव/ढाणियां गुरारा व ढाणियां, रोयल, दूधवालों का बास, गोकुल का बास, छारा, फतेहपुरा भोमियान, निमेड़ा, सेवा की ढाणी, मालाकाली, भापतपुरा, तैतूसर, कोटड़ी धायवान, तपिपल्या व ढाणियां, रींगस नगरपालिका व उसमें शामिल ढाणियां व खण्डेला नगरपालिका में भी पीने के पानी की बहुत समस्या है। खण्डेला में तो 70 प्रतिशत पानी अजपुरा से पाइप लाइन से आता है। अजपुरा में और पांच बोरिंग खुदवाकर उसी पाइप लाइन से सप्लाई हो सकती है। उक्त पांचों बोरिंग पुलिस व प्रशासन के सहयोग से खुदवाये जा सकते हैं। इनके खुदवाने से खण्डेला नगरपालिका में पानी की समस्या से कुछ राहत मिल सकेगी।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि उक्त गांव/ढाणियों व दोनों नगरपालिकाओं को पेयजल की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत झुझाड़ी के थल ग्राम में कुआं खुदाई में मिट्टी ढह जाने से मृत मजदूरों को सहायता

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा मुख्य मंत्री महोदय एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत झुझार्डी के थल ग्राम में दिनांक 28.12.2009 को गुमान सिंह रावत के कुएं की खुदाई करते समय मिट्टी ढह जाने से कुएं के अन्दर काम करने वाले चारों मज़दूरों की कुएं में नीचे दबने से मौत हो गई- श्री डूंगरसिंह पुत्र मानसिंह निवासी हिराजी की कुरडी ग्राम पंचायत झुझार्डी श्री अमर सिंह पुत्र मोड सिंह निवासी हिराजी की करडी ग्राम पंचायत झुझार्डी, श्री भंवर सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी थल ग्राम पंचायत झुझार्डी, श्री लूम्बसिंह पुत्र माधुसिंह निवासी गाफा ग्राम पंचायत बामनहेडा पंचायत समिति जवाजा।

(श्री केसाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि जिस तरह देश के सैनिकों को सम्मान एवं सहायता दी जाती है, उसी तरह से देश के अन्दर अन्नदाता के रूप में काम करने वाले किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को सम्मान दिया जाना चाहिये। देश के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्रीजी द्वारा दिये गये नारे 'जय जवान जय किसान' के नारे को सार्थक करने के लिये मृतकों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाए।

अतः आशा है कि आप जयपुर तेल डिपो एवं कोटा के पुल पर काम करने वाले मजदूरों तथा कुएं में दब कर मरने वाले मजदूरों के खून में अन्तर नहीं करते हुए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए मृतकों के परिवार वालों की सहायता कर कृतार्थ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में कृषि एवं घरेलू विद्युत के खराब मीटरों का परिवर्तन

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि जयपुर जिले की तहसील फुलेरा में कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिये, लिये गये विद्युत कनेक्शनों के लिये लगाये गये विद्युत मीटर के जल जाने अथवा अन्य तकनीकी खराबी के कारण बन्द हो जाने पर उपभोक्ता द्वारा बार-बार विभाग के चक्कर काटने के उपरान्त भी मीटर नहीं दिय जा रहे हैं। उन उपभोक्ताओं को एवरेज चार्ज लगा कर बिल भिजवाये जा रहे हैं और वसूली की जा रही है। इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं के मीटर तुरन्त चेंज करवा कर उनको राहत प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त तहसील फुलेरा पूरा सूखा बैल्ट है और 90 प्रतिशत तक कुएं सूख चुके हैं। कुएं सूखने के कारण किसान विद्युत का कोई उपभोग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी विभाग द्वारा इन उपभोक्ताओं से फ्लैट रेट से पैसा वसूल किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में विभाग को अतिशीघ्र निर्देश प्रदान कर खराब मीटर चेंज किये जाएं और जो

(श्री निर्मल कुमावत)

कुएं सूख गये हैं और फ्लैट रेट से चार्ज लिया जा रहा है वहां पर भी मीटर लगाकर मीटर से वास्तविक उपभोग का चार्ज वसूला जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ग्यारसा राम कोली।

बयाना व रूपवास में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत बयाना एवं रूपवास में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप केवल पढ़ दीजिए। इसमें भाषण और भूमिका नहीं होती, माननीय सदस्य आप सीधा पढ़ दीजिए। माननीय सदस्य आप जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं हो पाएगा, लिखा हुआ केवल उसे पढ़े। जो लिखा हुआ है केवल वही अंकित हो पाएगा।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बयाना एवं रुपवास कस्बों की एप्रोच भरतपुर, हिण्डौन, धौलपुर, बाडी, बसेड़ी, खरेरी, कलसाड़ा, वैर, जयपुर है। जहां राजस्थान रोडवेज तो आंशिक रूप से संचालित है किन्तु राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग का अपना कोई बस स्टैण्ड नहीं है। चलती रोड पर ही बसें रुकती हैं और भीड़ का आलम बना रहता है, एक्सीडेंट की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। यही नहीं यात्री बुरी तरह से घूमते रहते हैं। कहीं भी छाया पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि निगम का निजी बस स्टैण्ड होगा तो निश्चित रूप से जन सुविधाएं मुहैया होंगी। यही नहीं, स्वतंत्र भारत का व्यवस्थित सपना प्रजा को मिलेगा। छोटे-छोटे बच्चों को राहत होगी। ऐसी स्थिति में इस माध्यम से चाहूंगा कि राज्य सरकार इन कस्बों में शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान राज्य पथ परिवहन का निजी बस स्टैण्ड बनवाये जाने की व्यवस्था करावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

लोक सेवा आयोग चयनितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत बीएड योग्यताधारी आरपीएस चयनित विद्यार्थियों की शिक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत माह जुलाई, 2009 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा आयोजित कर 22 सितम्बर, 2009 को परिणाम घोषित किया गया जिसमें चयनित लगभग 150 छात्रों को मात्र इसलिए अपात्र करार दिया जा रहा है कि उन्होंने विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा की दिनांक तक बीएड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार की नीतियों एवं विश्व विद्यालय की कमी के कारण परीक्षा आयोजन व परिणाम घोषणा में देरी हुई। छात्रों की बीएड प्रवेश पूरक परीक्षा 28.04.2008 को आयोजित होनी थी। परंतु गुर्जर आंदोलन के कारण परीक्षा 06.07.2008 को होकर प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर, 2008 में शुरू हुई। राज्य सरकार द्वारा नये कालेजों को लगातार मान्यता दिये जाने के कारण प्रवेश प्रक्रिया 2009 तक चली। इसके बाद विधान सभा व लोक सभा चुनावों के कारण बीएड सत्र लम्बा चला व सितम्बर, 2009 में परीक्षा होकर दिसम्बर, 2009 में परिणाम घोषित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन की गलत नीतियों के कारण बीएड परीक्षा आयोजन व परिणाम में देरी हुई है जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार नियमों में छूट दे सकती है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त चयनित विद्यार्थियों को नियमों में छूट देते हुए चयन हेतु पात्र मानने के निर्देश राजस्थान लोक सेवा आयोग को जारी किये जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दौलतराज।

रायसिंहनगर में नहर से गंदे पेयजल का वितरण

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गंदे पेयजल के वितरण के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ ब्रांच में बहुत कम मात्रा में छोड़े गये पानी में बदबूदार एवं गंदा पानी वितरण किया जा रहा है। यह पानी पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों के अपशिष्ट मिल एवं सेमग्रस्त क्षेत्रों के ट्यूबवैल का पानी है जिसे कि पेयजल के नाम पर सूरतगढ ब्रांच में छोड़ा जा रहा है। रायसिंहनगर

(श्री दौलतराज नायक)

विधान सभा क्षेत्र के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों 6 एलपीएम, मोहमकवाला, समेजा, 22 पीटीडी, 75 एनपी, बाजूवाला, खोखरावाली, बाण्डा, बाण्डा कालोनी 8 एसटीबी, 6 जेकेएम, कमराणियां आदि में पेयजल के नाम पर डिग्गियों में इस पानी की सप्लाई की जा रही है जिसके प्रभाव से क्षेत्र की जनता में गम्भीर बीमारियां एवं महामारी फैलने की आशंका है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त गम्भीर समस्या के समाधान हेतु पेयजल के नाम पर उक्त जल की सप्लाई को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकरों की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

(समय : 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 16 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई जो निम्न प्रकार हैं:-

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास जोधपुर में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

श्री हनुमान बेनीवाल चयनित प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य परिलाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

श्रीमती अनिता भदेल पुष्कर पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश पाराशर को पीटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 और ध्यानाकर्षण लगाया, मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: विराजो आप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर्ची के ऊपर जोधपुर चिकित्सा की तरफ ध्यान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दिलाना चाहूंगी। महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में सबसे बड़ा अस्पताल है, इस अस्पताल के अन्दर जो कोई भी इलाज कराने जाता है तो उसको कहा जाता है कि पट्टी नहीं है, गाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से कहकर उनको नकार दिया जाता है। साल भर तक तो कुछ किया ही नहीं और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि पट्टी, गाज बिना नियम प्रक्रिया के पांच लाख की खरीदी गई। इन्होंने कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की। यह भी जानकारी मेरे को मिली है कि जैसे ही बिल इन्होंने ट्रैजरी में सब्मिट किया, वहां पर उन्होंने आपत्ति लगा दी।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 चला गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): महात्मा गांधी के नाम से अस्पताल है उसके अन्दर इस तरीके से हुआ तो हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ी भूल हुई है इसके अन्दर, समझो चाहे डाक्टर की, या किसी की भी, खरीददारी की है तो उसकी गलती समझो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की तरफ चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सैक्टर 15 के अन्दर डिस्पेंसरी है, मैं चाहूंगी कि उसको सैटेलाइट अस्पताल में कन्वर्ट करें क्योंकि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पूर्वी-पश्चिम योजना है पाललिंक रोड -कमला नेहरू नगर, सूतला, चांदना, बाकर, चौपासनी गांव के 75 हजार से ज्यादा नागरिकों को आपात चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। 15 सैक्टर के अन्दर जो डिस्पेंसरी है वहां कम से कम रोज का 100-150 का आउटडोर रहता है, अगर ऐसी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल घोषित नहीं करें तो फिर तो यह जोधपुर का दुर्भाग्य समझो । जोधपुर के मुख्य मंत्री होने के कारण मेरी बात आपके माध्यम से भेज रही हूं कि इसको सैटेलाइट में कन्वर्ट करें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेहत का लोगों पर बहुत भार पड़ रहा है। एक जमाना हुआ था महाराज उम्मेदसिंहजी ने जब गांधी अस्पताल बनाया था तो महारानी भटियाणी बहुत गुस्से हुई और यह कहा कि औरतों ने आपका क्या गुनाह किया है। उस बात को देखते हुए महाराजा उम्मेदसिंहजी ने महिलाओं के लिए उम्मेद अस्पताल बनवाया। मगर उस जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर आ गया है, बहुत संख्या बढ़ गई है, उम्मेद अस्पताल छोटा पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी, सदन के नेता को, कि वह अभी 27 तारीख को जोधपुर पधारे और वहां पर मथुरा दास माथुर के अन्दर महिलाओं के लिए 100 बैड की घोषणा उन्होंने की और शिलान्यास भी किया। मगर मेरे को इस बात की बहुत तकलीफ है कि 27 तारीख को करने के बाद आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, महीना भर हो जाएगा। मारवाड़ी में एक कहावत और मुहावरा है कि कब बाबा आएगा कब ताली बजेगी। अभी तक तो उनकी कमेटी भी नहीं बनी और शिलान्यास तो उन्होंने कर दिया, मुख्य मंत्री कोष के अन्दर तीन करोड़ रुपये भी आ गये, मगर अभी तक न तो कोई कमेटी बनी है न कोई व्यवस्था हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इसकी कमेटी बनाएं और उसका काम सुचारु करें क्योंकि उम्मेद अस्पताल की यह स्थिति है कि एक-एक पलंग पर लेबर रूम के अन्दर दो-दो, तीन-तीन महिलाएं सो रही हैं। वे कितनी तकलीफ पा रही हैं, इसकी जानकारी मेरे को ज्यादा है क्योंकि मैं इस अस्पताल के अन्दर सबसे ज्यादा जाती हूं। समस्या लेकर महिला या कोई भी आ जाए तो मैं उनके साथ चाहे साइकिल से जाऊं, चाहे स्कूटर से जाऊं, कैसे भी जाऊं, मैं अस्पताल पहुंचकर उनकी व्यवस्था करवाती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो कुछ बोली भी नहीं हूं। मेरी पर्ची है, मेरे को ऐसे भी नहीं बोलने देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष: आप बोलीं ही नहीं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बोली क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं बोली हूं।

श्री अध्यक्ष: सारा एक्सपंज मान लें क्या ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अभी तो मैंने शुरूआत की है।

श्री अध्यक्ष: बोलीं नहीं, तो उसको एक्सपंज मानें क्या?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): वह तो नहीं कह रही। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे को बोलने दिया करो क्योंकि आपके कहते ही मैं तो बिलकुल मेरी बात को ही भूल जाती हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरी मजबूरी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को तो बहुत डर लगता है। आप कह देते हैं, मैं उस बात को नहीं मानूं, यह मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए आप कम से कम मेरे को ऐसे मत करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर के खनन श्रमिक, बड़ी संख्या में हैं। वहां डिस्पेंसरी की स्थापना सूरसागर चौपट क्षेत्र में कराई जाए। अनुसूचित जनजाति के भील अत्यन्त गरीब लोग हैं जो कि अधिकांश खनन कार्य से जुड़े हैं। जोधपुर पत्थर की खानें करोड़ों का राजस्व सरकार को देती हैं परंतु यहां के श्रमिक स्टोन डस्ट से अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। छोटी- मोटी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया था और पुनः अनुरोध करती हूं कि इन भील बस्ती के गरीब लोगों और खान श्रमिकों की 50 हजार से ज्यादा की संख्या के लोग हैं, लाभान्वित हो जाएंगे, सूरसागर चौपट में डिस्पेंसरी की व्यवस्था कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रही हूं, बाकी मेरे को तो मंत्रीजी तो कोई नजर आते नहीं हैं, न चिकित्सा मंत्री हैं, न कोई....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य काल का समय, न तो आफिसर गैलरी में कोई लिख रहा है माननीय सदस्य की बात, न सरकार की तरफ से। आपकी सारी सरकार गायब है। विधान सभा को इसी गम्भीरता से सत्ता पक्ष लेगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री बैठे हैं, सहकारिता मंत्री बैठे हैं, खेल मंत्री बैठे हैं, सम्पदा मंत्री हैं बिजली मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये सभी आपस में बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमें कौन संरक्षण देगा

श्री अध्यक्ष: उनको अनुमति दी है। (व्यवधान) उनको नहीं बोलने देना चाहते आप। आप नहीं चाहते कि वह बोलें और छपे। आप नहीं चाहते कि सूर्यकान्ता जी बोलें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विभाग का प्रश्न आता है तो मंत्रीजी यहां रहें, हमारी बात को सुनें, उन्हें नोट करें।

श्री अध्यक्ष: विधि मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, कृषि विपणन मंत्री हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिससे सम्बन्धित पर्ची है सवेरे जैसे ही आपके यहां लाटरी निकलती है, सम्बन्धित मंत्री को जाती है वह उसके बारे में जो कुछ भी उसका फीडबैक होगा, वह मंगाता है, देखता है, पढ़ता है। अगर उपयोगी है तो रिप्लाई करें, नहीं उपयोगी है तो नहीं करें। लेकिन यह कि हम बोल रहे हैं और वह अपने-अपने कमरों में बैठे आराम कर रहे हैं, यह कोई विधान सभा है क्या? मजाक है क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दो-चार लाइनें हैं सिर्फ। उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में मैं यह चाहूंगी, सोनोग्राफी मशीन की संख्या में वृद्धि हो। आज की तारीख में एक सोनोग्राफी मशीन है, उससे काम नहीं चल रहा। उम्मेद अस्पताल में माताओं के लिए सोनोग्राफी जांच में भी 10-15 दिनों की प्रतीक्षा रहती है, 15 दिन के बाद उनका नम्बर आता है। कोई भी मशीन नहीं है, कोई एमआरआई नहीं, कोई मशीन नहीं। समय के ऊपर डाक्टर भी उपलब्ध नहीं होता है। जिसकी जगह खाली है उस डाक्टर की जगह भी नहीं भरी जाती है। मेरा आपसे एक और निवेदन है, जोधपुर में तीन बड़े अस्पताल हैं, मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हैं। स्टेट के टाइम के, राजा-महाराजाओं के टाइम के बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मगर वहां पर पंखे गिर रहे हैं। बिजली बंद पड़ी है। सरकार को भेजे गये मरम्मत के प्रस्ताव राशि कम करने के लिये निर्देश देकर वापस लौटाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी मांग है कि अस्पतालों में बहुत आसानी हो जाए, इसमें मरम्मत हेतु साढ़े पांच करोड़ के प्रस्ताव की योजना अविलम्ब स्वीकृत ...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री महोदय अभी पधारे हैं, वहां कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): इसमें मरम्मत हेतु साढ़े पांच करोड़ के प्रस्ताव की योजना अविलम्ब स्वीकृत कर मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पावटा, जोधपुर जिले को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है पर्ची में, जबरदस्ती?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पावटा को जिला अस्पताल नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हमारा बालेसर कस्बा ही नहीं बना। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, प्रतापगढ़...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आसन पांवों पर है न, साहब।

श्री अध्यक्ष: तो आप बोलेंगे न, जब नाम पुकार चुका मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको पुकारें? अध्यक्षजी भी हैं और सभापतिजी भी हैं, आसन पर दो-दो हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी तो अध्यक्ष हैं। आज आपका लगता है, मुझे चश्मा बदलना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लेकिन दो-दो हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको कोई नजर ही नहीं आ रहा है, न अध्यक्ष आ रहे हैं, न मंत्री आ रहे हैं, न सरकार आ रही है, विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं की व्यवस्था थी, जब आसन पैरों पर हो तो यह कैसे बोलेंगे? ये खड़े नहीं हो सकते हैं और बैठ कर बोल नहीं सकते हैं।

(समय : 13.11 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: नव-वर्ष की शुभकामनाएं, सबको।

चयनित प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका और राजस्थान सरकार का ध्यान चयनित प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षक, पूववर्ती सरकार ने 2007-08 के बजट के पैरा नम्बर 42 और 2008 09 के बजट पैरा नम्बर 52 में राजस्थान में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने एवं छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिये प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी जिसका विज्ञापन 06/09/2008 को जारी कर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से संयुक्त रूप से सभी जिलों में 1500 पदों पर अस्थाई वरीयता सूची बनाकर काल लैटर भेजे गये। 25 जुलाई, 2008 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक व जिला खेल अधिकारी ने सम्पूर्ण शारीरिक दक्षता परीक्षा लेकर भर्ती प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी कर चयन सूची जारी कर दी थी जिसकी सूचना उसी दिन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को नियुक्ति हेतु भिजवाई गई थी। लेकिन आज 20 माह का समय निकल जाने के बाद भी, सरकार यूं तो नौजवानों को रोजगार देने के लिये, कितनी चिन्तित दिखाई दे रही है, लेकिन इसका उदाहरण इसके अन्दर झलकता है कि चयनित प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों को 20 माह गुजर जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गयी। उनका इंटरव्यू करा लिया गया, साक्षात्कार होने के बावजूद, ग्रामीण छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले बजट की घोषणाओं के अन्दर, जो 2009-10 का बजट प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने सदन में एक साल पहले रखा था, उसके अन्दर 82 हजार नये पद एक साल के अन्दर पूरे करने की बात कही गई थी, सरकारी नौकरियां लगाने की। 31 मार्च को मात्र 15 दिन का समय बचा है, क्या 15 दिन में मुख्य मंत्रीजी और उनके मुस्तैद मंत्री जो ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 15 दिन के अन्दर क्या सरकारी नौकरियां लगा देंगे, यह सदन को आश्वस्त करें? मंत्रियों को +++ की फुर्सत नहीं है। राजस्थान के नौजवानों की क्या हालत होने वाली है,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, इसका खुलासा आज राजस्थान के सदन के अन्दर आपको करना होगा। राजस्थान के अन्दर बेरोजगारों को सम्बल प्रदान करने के लिये पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने अक्षत योजना के तहत बेरोजगार छात्रों को 500 रुपये और छात्राओं को 600 रुपये प्रति माह भत्ता देने की एक ऐतिहासिक पहल की थी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने आते ही सबसे पहले बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात किया। अगर आपको योजना का नाम ही लेना था तो +++ के नाम पर ले लेते, +++ के नाम पर ले लेते। +++ के नाम से इस योजना को लागू कर देते तो राजस्थान का नौजवान उस +++ जय-जयकार करता जिसको मुख्य मंत्रीजी ने +++ और उसके लिये +++ भी जाते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान का नौजवान...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को आप निर्देशित करें कि वह विषयांतर न हों और इस तरीके से पारिवारिक उस पर न जाएं। किन-किन के नाम ले रहे हैं जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरे राजस्थान का छात्र समुदाय कांग्रेस सरकार की ओर देख रहा है। यह हालत रही तो कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के मुख्य मंत्री को राजस्थान का छात्र समुदाय और राजस्थान का नौजवान गांव के अन्दर घुसने नहीं देगा।

श्री करण सिंह (छबड़ा): कोई व्यवस्था तो दें, सभापतिजी, क्या बातें बोलना चाह रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जगह-जगह इनका घेराव किया जाएगा, जगह-जगह काले झण्डे दिखाये जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, मेरी बात सुनिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, आज ही सदन के अन्दर मंत्री इसका जवाब दें कि इंटरव्यू होने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति का पत्र क्यों लटकाया गया। मंत्रियों को आप...

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल जी, दो बार आपका नाम पुकार चुका, कृपया विराजें।

श्री करण सिंह (छबड़ा): क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, यह पूछें तो सही। जब-जब बोलते हैं ऐसे ही उलटा-सीधा बोलते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सत्ता के अन्दर आने से पहले...

श्री सभापति: तीसरी बार नाम ले लिया तो मेरा खयाल है कि परम्परा के मुताबिक गलत बात हो जाएगी, आप बैठिये। (व्यवधान) हनुमान बेनीवालजी, मैं बोल रहा हूं, आप बैठिये। देखिये, माननीय सदस्य, आप, विशेष तौर से ...(व्यवधान) विशेष तौर से। (व्यवधान) मंत्री महोदय, बैठिये।

श्री करण सिंह (छबड़ा): इनको शब्दों का पता नहीं, इनकी वाणी का पता नहीं, क्या बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विशेष तौर से माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप किसी भाषा का प्रयोग करें तो यह भी एक सदन है और असेम्बली है आपकी यह, पार्लियामेंटरी भाषा होनी चाहिए। यह +++ और मुख्य मंत्री महोदय के लिये बात करना आपके लिये शोभाजनक नहीं है। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिये कार्यवाही से एक्सपंज किये जाते हैं ये शब्द। और आगे से मेरा निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो विषय से अलग होकर हों और किसी भी माननीय सदस्य को व्यक्तिगत चुभें।

श्री करण सिंह (छबड़ा): उलटे-सीधे आए हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे असंसदीय शब्द कौन से थे, कौन से असंसदीय शब्द थे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री करण सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन से असंसदीय शब्द थे मेरे, आप बताएं पहले? असंसदीय शब्द कौन से थे मेरे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने एक्सपंज किया, वह तो ठीक है लेकिन उसमें अनपार्लियामेंटरी कौनसा है, यह फर्मा दें। इसमें एक भी शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, यह बताएं आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): और अनपार्लियामेंटरी है तो प्रक्रिया है इसकी, आप नहीं निकाल सकते हैं इसको। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बात पार्लियामेंटरी और अनपार्लियामेंटरी की नहीं है। विषय पर रहें, विषयांतर क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान) विषय पर रहें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, मंत्री +++ यह असंसदीय भाषा है, इसको निकलवाएं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मंत्री +++ यह असंसदीय भाषा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला नहीं है। माननीय सदस्य, बात सुनिये गौर से, मैंने अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला भी नहीं है। There does not go any unparliamentary word in the proceedings of the House. मैंने पार्लियामेंटरी वर्ड बोला है सिर्फ। मैंने यह भी बोला है कि यह भी असेम्बली है। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। बेकार का शोर मचाने से कुछ नहीं है, बैठिये आप। गुलाबचन्दजी कटारिया साहब।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, मंत्री +++ असंसदीय भाषा है यह, इसको निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिए। व्यवस्था देकर आगे के लिये ताकीद करना चाहिए कि गलती न करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, नहीं, कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): +++ यह असंसदीय भाषा है इसको निकलवाया जाए। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह असंसदीय भाषा है, इसको निकलवाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई असंसदीय भाषा नहीं है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): कोई असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): मंत्री के नाम से भी चार्ज लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मेरा अभिप्राय यह था कि आप जब विषय से हट कर बोल रहे थे और आप माननीय सदस्य, सदन के नेता के लिए बोल रहे थे कि +++ ओर जो है +++ दे रहे हैं। यह विषय से हटकर बात की है आपने। आपने हमेशा, आपकी व्यंग्यात्मक भाषा थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई गुनाह है क्या? अगर +++ को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यहां पर व्यंग्यात्मक नहीं तो ब्याह की बात कर रहे हैं क्या?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आप यह आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खिला दिया तो गुनाह किया है क्या? अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये-देखिये, माननीय सदस्य, यह व्यंग्यात्मक भाषा थी और व्यंग्यात्मक भाषा जो है, भाषा ...(व्यवधान) अनपार्लियामेंटरी होती है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं होती। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह दिया हुआ है इसमें। ...(व्यवधान) यह आसन की व्यवस्था है। आसन ऐसा सोचता है कि अगर किसी भी, सदन के नेता के लिए व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयास करेंगे तो यह अनपार्लियामेंटरी है। यह एक्सपंज की जाती है। आप बैठिये। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। नहीं-नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अच्छी बात है, माननीय सभापति महोदय, पर यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसा लगता है कि कार्यवाही चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं ...(व्यवधान) कटारियाजी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री करणसिंह (छबड़ा):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। राठौड़ साहब, आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया आसन पर वह मत, मैंने नहीं बुलवाया, वह खुद बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: आप बोले कि आपने बुलवाया ...(व्यवधान) मैंने नहीं बुलवाया।

श्री करणसिंह (छबड़ा):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: एक शब्द भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। मैं दुबारा से रिक्वैस्ट कर रहा हूं श्री गुलाब चन्दजी कटारिया साहब से, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। आप देखिये, न तो यह पाइंट आफ इन्फारमेशन है, न पाइंट आफ आडर है इसलिए मैं कहता हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री सभापति: मैं नाम बोल चुका हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक):×××

श्री सभापति: हां।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट मेरी बात निवेदन कर रहा हूं। एक मिनट। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा, एक्सपंज हो गया, ठीक है। अब जितने भी माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, उन्होंने यह कहा है ...(व्यवधान) +++ संसदीय, इसका मतलब यह +++ ठीक मानते हैं? वह यह कार्यवाही से नहीं निकलवाना चाहते? आप उसको भी कार्यवाही से निकलवाइये। +++ क्या होता है? (व्यवधान)

श्री सभापति: यह भी असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं जरा एक मिनट बोल लूं। माननीय सदस्य, I would like to express my feeling that whenever the occupant of the Chair changes तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग यह समझते हैं कि यह अब जो है फ्री, लंच हो गया, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें। यह बिलकुल गलत परम्परा है। अगर ऐसा ही आप रखेंगे तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि अनुशासन में तो आपको रहना ही पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही चलने दें। आम तौर से लंच आवर के बाद में ऐसा लगता है जैसे आप लोग सदन चलाने में इण्टरेस्टेड नहीं हैं। और टिप्पणियां होती हैं, और बातें इस किस्म की होती हैं जिससे यह लगता है कि आसन के प्रति आपका कोई सम्मान नहीं है। मैं बहुत खुलकर बात कर रहा हूं और खास तौर से कुछ विशेष सदस्य तो, ये सब बातें जो हुई हैं सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं थीं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, please keep intact your respect as well as the honour of the House. Now please carry on.

महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पुराने स्टाफ को पेंशन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले नये साल की मेरी ओर से सब को शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि मुझे जिन गुरुओं ने पढ़ाया, वे अगर मेरे पास यह दरख्वास्त लेकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आएं कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही है तो मुझे उस दिन उनका शिष्य होने के नाते मन में काफी वेदना और पीड़ा हुई, क्योंकि कालेज एजुकेशन में तो पेंशन सिस्टम था लेकिन विश्वविद्यालय में 1990 के बाद सरकार ने पेंशन देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। तब से लेकर जितने भी विश्वविद्यालय से चाहे वे लैक्चरर हैं, चाहे और किसी भी पद पर थे, जिनका भी रियाटयमेंट हुआ, उनको आप लगातार पेंशन देते रहे। दोनों तो कृषि विश्वविद्यालय-उदयपुर का महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और बीकानेर का जो विश्वविद्यालय है, और इसी तरह से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, दोनों कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 1100 व्यक्ति हैं जिनको पेंशन मिलती है और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 400-425 कर्मचारी से लेकर प्रोफेसर तक हैं जिनको पेंशन मिलती है। लेकिन पिछले लगातार तीन महीने से, एक तो उनकी उम्र भी 70 और 75 से ऊपर चली गयी और उसके बाद भी उनको अगर समय पर पैसा नहीं मिलता है तो उनको अपना जीवन चलाने में कितनी कठिनाई होती है। मुझे वास्तव में उनको देखकर मन में ऐसा लगा, स्वयं को बहुत ही एक तरह से ग्लानि हुई जिस अध्यापक ने हमको एम.ए. की क्लासों में जिसने पढ़ाया, वह अपने बुढ़ापे के अन्तिम छोर पर आकर इस तरह से गिड़गिड़ाता है तो मन में बहुत अफसोस होता है। कि पैसे भले ही कम होंगे लेकिन जीवन चलाने के लिए यही आज की तारीख में उसका एक मात्र सहारा है। यही नहीं, उन्होंने सितम्बर में जब राज्यपाल उदयपुर गयी थीं तब भी अपना ज्ञापन दिया था कि हमको अंदेशा है, कि आप भविष्य निधि के आधार पर हमको पेंशन का पेमेंट करते हैं, वह अब अन्तिम छोर पर पहुंच रहा है इसलिए हमें पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद मुख्य मंत्री 19 फरवरी को गये तब उन्होंने इनको भी ज्ञापन दिया और मुख्य मंत्रीजी वहां आश्वासन देकर आए थे कि मैं जाकर तुरंत इसके बारे में निर्णय करूंगा- आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद फिर 25 तारीख को उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को अपनी तरफ से एक और पत्र लिखा। उसके बाद 8 दिन राजस्थान पत्रिका ने इन लोगों की पेंशन की पीड़ा को जब प्रकाशित किया तो आपने देखा कि हमारे यहां के हाइ कोर्ट के जो जज हैं अजय रस्तोगीजी, इन्होंने जन याचिका मानते हुए इस केस को दर्ज किया। दर्ज करने के बाद दोनों ही डिपार्टमैंट, मतलब दोनों विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार है उनको उन्होंने अपनी तरफ से ही कॉल किया। वह रिट पिटीशन है 1914/10, महाराणा प्रताप टैक्निकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर्सेज स्टेट "Whereas the

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

above-named petitioner has made a writ petition to this court under Article 226 of the Constitution of India, a copy of which is enclosed.

You are hereby informed that you may appear in person or through a pleader, duly instructed, on 22.2.2010 at …. to show cause why the writ petition should not be admitted, failing wherein the said writ petition will be heard and admitted ex-parte." जब कोर्ट ने कांग्निजेंस ले लिया हो और कोर्ट आपके दोनों ही रजिस्ट्रार को अपनी तरफ से लिख रहा हो, मैं सोचता हूं कि कोई इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है। यह बात जरूर है कि कृषि विश्वविद्यालय में आय के इतने स्रोत नहीं हैं बाकी विश्वविद्यालयों में तो आय के कुछ और भी स्रोत बनते हैं। यहां तो भविष्य निधि के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। राज्य सरकार ने छठा वेतन आयोग देने के लिये वहां आज की तारीख में जो टीचर वर्क कर रहे हैं उनको दिया 23 करोड़ से उठाकर सीधा 41 करोड़। निश्चित रूप से उसके लिये तो आपको धन्यवाद उनकी मांग लम्बे समय से थी, लेकिन यह मात्र 1500 लोगों की पेंशन का सवाल है। मुश्किल से 8 या 9 करोड़ रुपये का सवाल है, 9 करोड़ रुपया आपको आज नहीं कल देना होगा। आप भले ही इसको चार महीने बाद देंगे, छह महीने बाद देंगे, देना तो आपको पड़ेगा। यह केवल आप ही नहीं दे रहे हैं, हिन्दुस्तान के सारे जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं उन्होंने गवर्नमेंट के सहारे से ही अपने लोगों को पेमेंट किया है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि देर क्यों हो? जो काम हमें करना है और जो हमें देना है, और मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया कि निश्चित रूप से आपको पेंशन मिलनी चाहिये। मेरा आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री से आग्रह है कि इसको मानवीय आधार पर भी लें। दूसरा यह कि अपने गुरूजन अगर अपने सामने आकर अपनी किसी समस्या के लिये ज्ञापन दें तो मैं सोचता हूं उसका पालन करना, उसको निभाना एक विद्यार्थी के नाते भी अपना धर्म बनता है। बुढापे में जिस प्रकार की सहायता की उम्मीद हमसे करते हैं, वह पेंशन निश्चित रूप से उनको समय पर मिल जानी चाहिये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल ।

पुष्कर पुलिस द्वारा मारपीट

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कल पुष्कर क्षेत्र में एक छोटी-सी घटना घटित हुई। अमावस्या होने के कारण पुष्कर में बहुत सारे धार्मिक क्रिया-कलाप होते हैं, एक छोटी-सी दुकान

(श्रीमती अनिता भदेल)

पर ग्राहक और दुकानदार के बीच में कहा-सुनी हुई। उस कहा-सुनी ने शाम को साढ़े 9 बजे बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया। समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उस विवाद को खतम करने के लिये, बीच-बचाव के लिये पुलिस के पास थाने पर गया और थानेदार महोदय जो कि रामेश्वर लाल भाटी जी हैं, उनसे बात की। थानेदार जी ने उनको आश्वस्त किया कि आप रुकिये, मैं अपने आवास पर हूं, थाने आकर अपन बात करते हैं। लेकिन इसी दरमियान कुछ पुलिस के जो दूसरे अधिकारी-कर्मचारी थे, वह घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। विवाद समाप्त होने के बजाय और बढ़ा। बहुत बड़ा झगड़ा होने के कारण से जब सभी लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो पुलिस उस विवाद को समाप्त करने की अपेक्षा जो व्यक्ति उन दोनों के बीच में बीच-बचाव करना चाहता था, झगड़ा समाप्त करना चाहता था, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो ए एस आई रामेश्वर लाल जी के साथ में गये थे, रामपाल जी विश्नोई, उन्होंने बहुत बुरी तरह से भरे बाजार में सबके सामने पीटा। पीटते हुए उनको अपनी जीप में बिठाया और थाने ले जाकर उनको और मारा। ऐसी स्थिति में विवाद का निपटारा करने के लिये समाज के जो प्रतिष्ठित लोग आगे आते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वह क्यों निपटाएंगे इस प्रकार के छोटे-छोटे विवाद, जो बड़ा रूप ले लेते हैं? एक सम्भ्रान्त व्यक्ति जो विवादों का निपटारा करने के लिये वहां पर गया था, उसको बुलाया गया था, उसको पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। उसको चोटें आई हैं। रात को पूरे पुष्कर क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं और आज सुबह एस.पी. महोदय के यहां पर पुष्कर के लोग पहुंचे हैं। उस ए.एस.आई. के खिलाफ कार्यवाही हो और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उन पर किसी प्रकार से रोक लगे। पुलिस के पास में और भी बहुत सारे काम हैं। पुष्कर में नशीले पदार्थों का कारोबार बहुत फल-फूल रहा है। पुष्कर की जो नौजवान पीढ़ी है, वह नशीले पदार्थों के सेवन के कारण से बहुत हताश और निराश होती है। समाज में एक तरह से भ्रान्ति फैल गयी है कि अब आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो पुष्कर पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम हैं। इस प्रकार के जो छोटे विवाद होते हैं उनको बड़ा रूप देकर और ऐसे जो आम व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको बुरी तरह से पीटकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी, मंत्री महोदय, चलो यह तो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, इसलिये इनको पीटना चाहिये। यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं होना चाहिये, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। जिनमें झगड़ा हुआ है वे तो आपस में रिश्तेदार भी हैं। उनकी रिश्तेदारी आपस में भी है तो अलग से रिश्तेदार झगड़े में बीच-बचाव करना चाहता है, यदि झगड़ा समाप्त करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिये, न कि उसी को पीटें कि तू क्यों आया। जब झगड़ा हो रहा था तो वह स्वयं जो पाराशर जी हैं, वह स्वयं थाने में मौजूद थे, उनकी थानेदार जी से बात हुई। थानेदार जी भी इस बात को एग्री करते हैं। जब ए एस आई उनको पीट रहा था तब थानेदान जी ने स्वयं यह बात कही कि आप इनको तो मत पीटिये और जो झगड़ा है उसको निपटाइये। लेकिन उनको और कुछ नहीं सूझा और उनको पीटा। उनके पूरे शरीर पर नीली चोटें आई हैं। आज उनका मेडिकल मुआयना हुआ है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय उसके बारे में कुछ कहें।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आपकी इजाजत है? जैसा माननीय ...(व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मैं उस क्षेत्र की विधायक हूं इसलिये मुझे ज्यादा जानकारी में है। मैंने रात को पता किया था, मैं बराबर अपने क्षेत्र में कान्टेक्ट में हूं। जो भी प्रकरण हुआ, उसमें अगर कोई भी दोषी है, उसके खिलाफ मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगी, कार्यवाही करें। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगी, उस प्रकरण में दोनों पक्षों को बिठाकर राजीनामा हो गया है। ज्यादा यह मंत्री महोदय बताएंगे आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कोई वहां पर आपस में समझौता नहीं हुआ है, गलत बात है। (व्यवधान) उनका मेडिकल हुआ है।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सदन में आपकी तरह मैं गलत नहीं बोलती हूं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप सदन को गुमराह कर रही हैं, वहां पर कोई समझौता नहीं हुआ है। (व्यवधान) अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सभापति महोदय, नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वहां पर कोई समझौता नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): राजीनामा हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपकी जानकारी में दे रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय विधायक महोदय, आज पुष्कर बंद है। (व्यवधान) एस.पी. महोदय के पास पहुंचे हैं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह गलत सूचना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जिम्मेदारी के साथ बोलने के लिये खड़े हुए हैं, कृपया सदन की गरिमा रखते हुए बैठिये, मैडम। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, अभी अजमेर से आने वाली श्रीमती भदेल ने जो बात उठाई, यह बात सही है कि 15.3.2010 को 9.45 बजे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर जाखोटिया की दुकान पर, मालिक का नाम शायद जाखोटिया है, जाखोटिया की दुकान पर एक झगड़ा हुआ झगड़ा इस बात पर हुआ कि जो खरीददार थे ग्राहक विजय पाराशर, उनका यह आरोप था कि दही पतला दे दिया। इसी बात को लेकर आपस में गाली-गलौच हुई, धक्का-मुक्की हुई और आखिर में जाते-जाते पुलिस भी मौजूद हो गयी वहां पर। सब कुछ आ गये, पुलिस वाले भी, लेकिन जाखोटिया के मकान पर जाकर कुछ लोग घुस गये और घुसने के बाद में गिरफ्तार हुए। पुलिस दोनों पक्षों को 151 में गिरफ्तार करके थाने ले गयी और थाने ले जाकर उनको दिन भर समझाइश करके आखिर में उनके बीच में राजीनामा करवा दिया। जैसे आपकी...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। मेरी बात सुनिये, मुझे बोलने दें। आप बोली हैं तो मैं बीच में नहीं बोला हूं। मेरे बोलने के बाद में फिर आप चाहे जितना भी बोल लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आपको यह कह रही हूं कि दिन में विवाद नहीं हुआ। रात को साढ़े 9 बजे आप इस बात को कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, बोलने तो दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे वक्तव्य के बाद में जो कुछ आपको कहना है, कह देना सभापति जी की इजाजत से। (व्यवधान) दोनों पक्षों के बीच में उसी रोज राजीनामा हो गया। जो दो पार्टियां थीं, एक तो जाखोटिया था, वह लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मालिक था और दूसरे जो दो ग्राहक थे एक ओम प्रकाश पाराशर था और विजय पाराशर था, उनकी यह लिखावट है और राजीनामा है। यह बात वहीं खतम हो चुकी। मैं नहीं समझता था कि इस मामले को कोई इतना तूल दिया जाएगा कि सदन का अमूल्य समय इस बात पर खर्च हो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह गलत बात है। यह मामले को तूल देने वाली बात नहीं है। यह समझौता पर, माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति: इस विषय पर चर्चा समाप्त। मंत्रीजी ने अपने भाषण के अन्दर स्पष्टीकरण दे दिया। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): झगड़े के जो दोनों पक्ष हैं दुकानदार और ग्राहक, उनके बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश पाराशर, जिसको पुलिस ने पीटा है, उसका झगड़े में कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप विराजिये। ..(व्यवधान)..

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर):×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजे। आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ तो सदन की गरिमा रखिये। मंत्री महोदय ने स्वयं ने जवाब दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। यह एक जिम्मेदारी का वक्तव्य है। मंत्रीजी ने सदन के अन्दर जिम्मेदारी से वक्तव्य दिया है, इसके बाद चर्चा समाप्त। (व्यवधान) आप बैठिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री सभापतिः अधिसूचनाएं। श्री शांति कुमार धारीवालजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की दो एवं कार्मिक विभाग की एक निम्न अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

(अ) वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2010-101 दिनांक 10.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ; एवं

2. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2010-102 दिनांक 10.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

(ब) कार्मिक विभाग

अधिसूचना संख्या : एफ.7(8)डीओपी/ए-2/2008 दिनांक 8.2.2010 जिसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या : 12810/2009 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

श्री सभापतिः श्री भरोसी लाल, सम्पदा राज्य मंत्री।

सम्पदा विभाग

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या : प.9(9)सम्पदा/2009 दिनांक 23.2.2010 जिसके द्वारा नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम, 1971 के अन्तर्गत नजूल सम्पत्तियों का सशर्त निस्तारण किया जाएगा, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापतिः श्री गंगासहाय शर्मा, सदस्य।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (क्र. सं. 1)

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर) (**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) के स्थान पर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2009-10 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, देवस्थान, पशुपालन, उपनिवेशन, भ्रष्टाचार निरोधक, उच्च शिक्षा, युवा एवं खेल, सामान्य प्रशासन, वक्फ, विधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खनिज, गृह, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं शिक्षा विभाग के वर्ष 2000 से 2005 तक के लम्बित आश्वासनों से सम्बन्धित सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति।

राजकीय उपक्रम समिति (क्र. सं. 9 से 19)

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2009-10 के निम्न ग्यारह प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का नवां प्रतिवेदन ;
2. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-1997 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2005-2006 के 27वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 का दसवां प्रतिवेदन ;
3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित बारहवीं विधान सभा के 29वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;
4. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 2001-2002 से सम्बन्धित बारहवीं विधान सभा के 57वें प्रतिवेदन में समाविष्ट

(श्रीमती जकिया)

सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का बारहवां प्रतिवेदन ;

5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1998-1999 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 के 69वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का तेरहवां प्रतिवेदन ;

6. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 70वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का चौदहवां प्रतिवेदन ;

7. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;

8. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का सोलहवां प्रतिवेदन ;

9. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का सत्रहवां प्रतिवेदन ;

10. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999 से सम्बन्धित बारहवीं विधान सभा के

(श्रीमती जकिया)

80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का अठारहवां प्रतिवेदन ; एवं

11. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 का उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री सभापति: कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था आसन की तरफ से मैं पढ़ रहा हूं।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षो से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिया जाता है कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो?

श्री सभापति: आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष, 2010-11 अनुदान की मांगों पर विचार। श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री। (व्यवधान) मैं अभी यहां आसन पर विराजमान हूं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) **(श्री महेन्द्र जीत सिंह)** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री के स्थान पर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,45,25,75,000/- (सत्रह अरब पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं एक मिनट की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आसन पैरों पर है। श्री बाबूलाल नागर, मांग संख्या 32.

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति की प्रस्तुति

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) **(श्री बाबूलाल नागर)** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) के स्थान पर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,71,06,000 (पचपन करोड़ इकहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री सभापति: श्री महीपाल जी मदेरणा, मांग संख्या 22.

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास की प्रस्तुति

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,60,53,40,000/- (दो अरब साठ करोड़ तिरेपन लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करूंगा कि बजट के समय जैसा मैंने कल भी कहा था, समय आपके पास घाटे में ही है और बोलने वाले बहुत हैं, पन्द्रह से सत्रह लोग एक तरफ से हैं और इतने ही दूसरी तरफ से भी हैं, इसलिए आप बोलते समय समय का ध्यान रखें। घंटी आपको डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

मांग संख्या 30, 32 व 22 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हाल ही में हुई इतनी जबरदस्त महंगाई से महिलाएं जूझ रही हैं। उनमें एक मैं भी हूं। महंगाई का क्या हाल है, उसका कुछ अन्दाजा नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, जब से कांग्रेस सरकार और अशोकजी गहलोत की सरकार आयी है और कड़ी से कड़ी जोड़ी गयी, तब से जनता को लूटने का काम किया गया है। ये भाव क्यों बढ़े? अभी हाल ही यह कहा गया कि दो रुपये किलो गेहूं दिए

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जाएंगे। यह तो भगवान ही जानता है कि कैसे देंगे और किस तरीके से देंगे। यह तो बाद में पता चलेगा। मगर ये भाव क्यों बढ़े, इसके बारे में सबसे पहले मैं चीनी के बारे में कहना चाहूंगी कि चीनी के मामले में केन्द्र में शुगर किंग आदरणीय श्री शरदजी पवार तारीख बताकर चीनी के भाव बढ़ाते रहे। यहां आपूर्ति मंत्री साहब ने कमाल ही कर दिया। इन्होंने चीनी को नहीं खरीदा। केन्द्र सरकार ने इस साल करीब अस्सी हजार टन चीनी राज्य को आबंटित की, लेकिन राज्य सरकार उसमें से अब तक केवल सैंतीस हजार टन चीनी ही उठा पायी है। जो आबंटित चीनी का 34 प्रतिशत है। तो इतनी चीनी कहां गयी और क्यों नहीं खरीदी गयी, यह तो अब माननीय मंत्रीजी बताएंगे। वैसे साफ है कि केन्द्र और राज्य की कड़ी से कड़ी जुड़ना, चीनी का घोटाला किया गया है। इसका परिणाम हुआ, दिनांक 25 फरवरी को मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्रीजी ने बताया कि जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 के बीच चीनी के भाव डबल हो गये। चीनी के भाव डबल क्यों हो गये? यह प्रश्न राज्य की ही नहीं देशभर की हर महिला पूछना चाहती है कि चीनी के भाव डबल क्यों हुए। चीनी को केन्द्र से उठाते वक्त ध्यान क्यों नहीं रखा। सभापति महोदय, सरकार की सबसे बड़ी विफलता यहां से शुरू होती है कि सरकार अपने हिस्से की 30 परसेंट ही उठा पायी। इस कारण वह केन्द्र सरकार से अतिरिक्त कोटा मांग नहीं सकी। तीसरा बढ़ती महंगाई का कमाल-दिसम्बर, 2008 से जबसे यह सरकार आयी है, तेरह महीनों में गरीब की दाल-चीनी के भाव डबल हो गये, महंगी हो गयीं। दूध, आटा, चावल का भाव तो पूछो ही मत। माननीय सभापति महोदय, आज के दिन जिस तरीके से भाव आसमान से छू रहे हैं, आज दाल लेने जाओ तो नहीं मिल रही। आपने दो रुपये किलो गेहूं कह दिये, बाकी सामान कहां से आएंगे? घी कहां से लाएगा, तेल कौन लाएगा, दाल कौन लाएगा? मूंग की दाल कौन लाएगा? चीवड़ा कहां से आएगा, चावल कहां से आएगे? उनकी महंगाई का किया क्या? खाली दो रुपये किलो गेहूं का मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर बोल दिया, गेहूं दो रुपये किलो देने से क्या आटा घोल कर पीएगी जनता? आप नारा तो दे रहे हो, सब को पढ़ाओ, बिजली बचाओ और गरीबी हटाओ, इस तरीके से रहा तो गरीबी तो अपने आप ही हट जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में अकाल के हालात और महंगाई से आम आदमी गजब की परेशानी में था, केन्द्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्षेत्रों के लिए 1 लाख 72 हजार 124 टन गेहूं दिया और राज्य सरकार ने उठाया केवल 76 हजार 62 टन, यानी केवल 50 प्रतिशत। केन्द्र सरकार ने महंगाई में राहत की दृष्टि से खुली बिक्री के लिए 1 लाख 73 हजार 840 टन गेहूं आबंटित किया और राज्य सरकार ने उठाया केवल 96 हजार 646 टन गेहूं। माननीय सभापति महोदय, यह क्या मखौल मचा दिया? गरीब आदमी को तो यह सरकार ऐसे ही खतम करवा देगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं जानती कि कांग्रेस सरकार की नीति क्या रही है, लेकिन गरीबी का नाम लेकर वोट बटोरो, इसे कभी मत सुधारो, यही बात महंगाई के बारे में सच है। पूरे साल आम आदमी महंगाई से मरता रहा और सरकार इससे निपटने में पूरी तरह से विफल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि 'आवतो ही कागलो मार अने लटका दो', यह किया। यदि ऐसा नहीं था तो सरकार जवाब दे, महीने-दो महीने तक, दो महीने तक अभियान चलाने के बाद सरकार ने यह अभियान बंद क्यों किया? 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया दो महीने तक, उस अभियान को बाद में क्यों बंद कर दिया गया? यह सरकार ने मान लिया कि मिलावट और जमाखोरी का खात्मा कर दिया? महीने, दो महीने इन्होंने जो सैम्पल उठाये और सैम्पल भरे, दो महीने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। वास्तव में राज्य की जनसंख्या व क्षेत्रफल की तुलना में भी बहुत थोड़े-से व्यापारियों के यहां छापे मारे गये और उनके दस प्रतिशत से भी कम सैम्पल लिये गये जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक सैम्पल महीनों तक बिना जांच के पड़े रहे और उंगली पर गिने जाने योग्य मामलों में कार्यवाही की गयी। माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार इस मामले में वास्तव में ईमानदार है तो सरकार बताए कि विभाग में क्या सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है? अभियान के बाद विभाग के निरीक्षकों ने नियमित प्रक्रिया में कितने छापे मारे, कितने सैम्पल लिये? इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि गैस की टंकियों में से गैस चुराने वालों पर अभियानपूर्वक कार्यवाही की जाए। मेरी मांग है कि गैस की टंकी की मांग के साथ ही उपलब्धता तय की जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक और मांग है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी, मान्यवर, सरकार द्वारा आटा वितरण को लेकर बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं, मेरे दो प्रश्न हैं, पहला सरकार यह बताए कि जो आटा वितरण किया जा रहा है उसकी पिसाई के लिए किस दर से पैसा दिया जा रहा है और आटे के लिए गेहूं किस मद से लिया गया है? माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार यह आटा सरस बूथों पर बेच रही है, इसकी अनुमति कहां से प्राप्त की? सरस बूथ क्या नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन आते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह प्रश्नकाल नहीं है, विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गयी है आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, प्रश्न नहीं है, प्रश्न कहां हुए?

श्री सभापति: आप तो मंत्रीजी से प्रश्न पूछ रही हैं। आप कृपया समाप्त करें अब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं प्रश्न नहीं पूछ रही, माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानकारी चाह रही हूं कि सरस बूथ के ऊपर यह जो आटा दे रहे हो ...

श्री सभापति: पहले भी पूछ चुकी हैं आप यह पिसाई की बात।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं जानकारी तो चाहूंगी न। आटा वहां दे रहे हैं तो किस हिसाब से दे रहे हैं?

श्री सभापति: अच्छा, कृपया आप समाप्त करिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, गलती होने पर इन बूथों के मालिकों पर क्या कार्यवाही की जाएगी और जो आटा भी दे रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत सही बात कह रही हूं कि जो आटा दस किलो का पैकेट दे रहे हैं उसको अगर छान कर लेवें तो किलो, डेढ़ किलो चापड़ निकलेगा उसमें से, इतना दलिये की तरह आटा दे रहे हैं। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं आ गयी, मैं आटा ला कर आपको बता देती कि यह स्थिति है। आपको बिलकुल कोई सत्य बात कह रही हूं। मैं प्रैक्टिकल काम करती हूं। मैं कोई इनसे दुर्भावना की बात नहीं कर रही हूं, मैं जनता के हित की बात कर रही हूं कि अपन तो चीज खावें अच्छी और जनता को देवें ऐसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन यहां किसलिए बैठे हैं? अपन जनता के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सुख-दुःख में काम आने के लिए कोई बात कर रहे हैं। हम इनको कोई ऐसी जानकारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। कोई भी चीज आप दो अच्छी दो। आपने कह दिया कि दो किलो गेहूं देंगे, उससे क्या हुआ? दाल कहां से लायेंगे, आटा कहां से लाएंगे? घी कहां से लाएंगे? तेल कहां से लाएंगे? वो भाव कहां जाएंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें अब। आपको अन्दर की बात मालूम है, क्या है, सप्लाई कितनी ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग तो रखूं कि नहीं रखूं? मेरी मांग तो सुन लो आप। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें 50 के लगभग कच्ची बस्तियां हैं, हाउसिंग बोर्ड चौपासनी और प्रताप नगर दो बहुत बड़ी कालोनियां हैं, पूर्वी पश्चिमी पाल रोड योजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनेक आवासीय योजनाएं और कई सारी निजी कालोनियां भी हैं, तो मैं यह चाहूंगी कि वहां पर कितनी राशन की दुकानें खोलेंगे? कितने, कैसे, किस तरीके से करेंगे? मेरी यह मांग है कि इतने बड़े और नगरीय विस्तार की सर्वाधिक सम्भावना वाले क्षेत्र में जनसंख्या अनुरूप राशन की नई दुकान की स्वीकृति शीघ्रता से जारी की जाए।

इसी प्रकार मेरी मांग है कि मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले जोधपुर में पूर्व घोषित राज्य उपभोक्ता मंच जिसमें कि पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा तो कर दी थी मगर उसको लागू नहीं किया था, मैं यह चाहूंगी कि इस मंच की सर्किट बैंच की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशजी त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आज आपके माध्यम से माननीय सदन के सभी सदस्यों को और पूरे प्रदेशवासियों को नये साल की शुभकामनाएं देते हुए मुख्य मंत्रीजी का और आपका, अध्यक्षजी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले सत्र में मैं इन्तजार करता रहा। आज जो मांग संख्या 30, 32 और 22 रखी है, इसमें 32 जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई डिमाण्ड है, उस पर बहस हो, लेकिन पिछले कार्यकाल में काफी विचार के बाद भी इस विभाग को पूर्व सरकार ने

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

कहीं छुआ तक नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम गरीब व्यक्ति से लेकर, मध्यम परिवार के व्यक्तियों से लेकर, ए.पी.एल. के लोगों से लेकर, इनसे जुड़े सभी परिवारों की रोजमर्रा की चीजों पर नियंत्रण करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की मांग आज सदन में रखी।

माननीय सभापति महोदय, इस बात से भी राजस्थान के सारे प्रदेशवासी वाकिफ हैं कि मुख्य मंत्रीजी की सोच महात्मा गांधी की नीतियों के प्रति उनकी विचारधारा है और उस विचारधारा में मुख्य मंत्रीजी इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में ठोस और सुचारु आमूलचूल परिवर्तन करने के पक्षधर हैं और इस विचारधारा के अन्तर्गत उन्होंने अभूतपूर्व कदम जो उठाया है, वो सब स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्दर प्रदेश की जनता के अधिक लाभान्वित होने के लिए जो मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में घोषणाएं की गयीं, उसमें सर्वप्रथम दो रुपये किलो गेहूं की घोषणा है जो बी.पी.एल. परिवारों को बजट पेश करते वक्त घोषणा की गयी और बजट के रिप्लाई के समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट बी.पी.एल. को भी सम्मिलित किया। यह एक और ऐतिहासिक घोषणा उनके द्वारा की गयी। जिन परिवारों का चूल्हा रोज की कमाई से जलता है, वो लोग इससे लाभान्वित होंगे। राज्य के 16 लाख 52 हजार बी.पी.एल. परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 5 लाख 24 हजार 610 क्विंटल गेहूं तो उनके लिए और स्टेट बी.पी.एल. का अलग से भार सरकार पर पड़ेगा। एक सौ सत्तर करोड़ की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग मद से अनुदान देने की घोषणा जो इसमें की है और जो एक संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वह एक ऐतिहासिक कदम है।

(समय : 14.00 बजे)

इसमें भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, उस पर रोक कैसे लगाई जाए, कालाबाजारी और जमाखोरी को कैसे रोका जाए, इसके लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि नागरिक आपूर्ति निगम का गठन करने की घोषणा इसमें है। नि:सन्देह इसका गठन होने से भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

इसके साथ ही, जो वितरण व्यवस्थाएं पूर्व में चल रही थीं, पूर्व सरकारों के समय से चल रही थीं और वर्तमान में अभी हमारे समय तक चल रही थीं, इनमें भ्रष्टाचार कई जगह व्याप्त हो रहा था, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि 15 से 21 तारीख तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सारी दुकानें खुलेंगी और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के नेतृत्व में गरीब आदमी को अनाज दिया जाएगा, गरीब आदमी को घासलेट दिया जाएगा जिसके प्रति मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि वह वहां तक पहुंचे। यह व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ठोस कदम उन्होंने उठाये हैं जो आज से पूर्व किसी सरकार ने नहीं उठाये।

इसके साथ ही खुदरा व्यापारी जो इस माल को लाकर बेचते हैं, उनके प्रति भी सहृदयता दिखाते हुए उनके कमीशन की राशि में बढ़ोतरी की। कालाबाजारी नहीं करें, इसके लिए उनकी कमीशन की राशि में बढ़ोतरी की, उससे उनका परिवार भी चले और सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। ऐसी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं कीं ये स्वागत योग्य घोषणाएं हैं। खाद्य सामग्री शुद्ध मिले, इसके लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया गया। हमारी बड़ी बहन जी अभी कह रही थीं कि दो महीने आपने अभियान चलाया। बड़ी बहन जी आपको एक निवेदन करूं, अगर आप आज का भी समाचार जगत पढ़ें तो इसमें साफ है कि 'शुद्ध के लिए युद्ध, अभियान के तहत ग्रामीण रसद विभाग ने सोमवार को चाकसू में ठीकरिया गांव में 43 क्विंटल कालाबाजारी का गेहूं पकड़ा, ग्रामीण रसद अधिकारी आभा जैन। महिला होते हुए आभा जैन के नेतृत्व में ठीकरिया डीलर बजरंग लाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार को कालाबाजारी का गेहूं ले जाते हुए पकड़ा। मीणा के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराकर तुरंत प्रभाव से मंत्रीजी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसलिए मंत्री और सरकार की भावना आप जो कह रहे हैं कि दो महीने चलाकर बंद कर दिया, यह सोमवार को पकड़ा है। बहन जी, मेरा निवेदन है ...(व्यवधान) आपको बोलना है फिर आप बोलें, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बैठिए।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बाकी आपने जो आरोप लगाए हैं मंत्री पर और सरकार पर, ये आरोप निराधार और मिथ्या आरोप हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं आपको बता रही हूं न।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बहन जी, मैं यह अख़बार की कापी टेबल कर देता हूं। खाद्य सामग्री शुद्ध मिले, प्रत्येक जिले के अन्दर एक चल प्रयोगशाला शुरु किये जाने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। ये प्रयोगशालाएं पूरे राज्य में 1 मई से प्रभावी काम जब करेंगी तो सामग्री की शुद्धता के अन्दर वास्तव में इजाफा होगा। यह कालाबाजारी और मिलावट करने वाले लोगों पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। यह एक विचारणीय, और ऐतिहासिक कदम है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार ने किया है, मंत्रीजी ने किया है।

इसके अलावा भी कई काम सरकार को करने हैं, 1100-1200 दुकानें ऐसी हैं जो आज बंद पड़ी हैं तो उनके डीलर नियुक्त करने हैं। राजस्थान में जो डीलर आपने नियुक्त कर रखे हैं तो उन डीलरों की यह स्थिति है कि एक डीलर के पास पांच-पांच, सात-सात गांव हैं। दूर-दराज के गांव से आदमी आकर अपना राशन का सामान ले जा नहीं सकता। तो एक सर्वे कराया। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में मंत्रीजी ने सर्वे कराया और करीब तीन-चार हजार दुकानों के आस-पास अब सरकार और खोलने की इच्छा शक्ति रखती है, इसका मैं स्वागत करता हूं। जब भी अपना रिप्लाई दें तो इन दुकानों को खोलने की तिथि भी बताएं। जल्दी से जल्दी इन दुकानों को खोलें ताकि गरीब आदमी को दूर-दराज में जाना नहीं पड़े।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): हाथ जोड़ दूं, आज नवरात्रा है, मैं ब्राह्मण हूं, माफ करो। आप फौजी हो, मैं खिलाड़ी हूं, मैं भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं।

श्री सभापति: सदन में बहुत ब्राह्मण हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दुकानों पर जिन व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाए, जिनके मार्फत यह वितरण व्यवस्था की जाए, इसमें हमारे एस सी, एस टी के जो भाई हैं, पचास प्रतिशत दुकानें उन लोगों को दी जाएं जो गरीब का दर्द समझते हैं, जो एस सी, एस टी के परिवार से आते हैं। उन

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

परिवारों के नौजवानों को इन वितरण व्यवस्थाओं में भागीदार बनाया जाए ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

मंहगाई की बात बहुत चल रही थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के यहां चाय नहीं बनती, हमारे मंत्रियों के यहां चाय नहीं बनती, हमारे सदन के कांग्रेस के सदस्यों के यहां चाय नहीं बनती। चाय बनती है विपक्ष के लोगों के यहां, विपक्ष के नेताओं के यहां, इनके परिवार में चाय बनती है। चीनी मंहगी हो गयी, चीनी मंहगी हो गयी, यह मंहगा हो गया, बहुत सही बात ये लोग कह रहे हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। यह जानकारी आपको भी है, हमको भी है। हमें इन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। कटारिया साहब अभी विराजमान हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, मुझे आज से पहले का ....

श्री सभापति: बाल तो आपके सफेद हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पच्चीस साल पहले जब मेरी बुआ की शादी थी तो, मेरे परिवार में खेती बाड़ी का ही काम है, मेरे दादाजी ने कहा कि कैलाश, जा, पांच मण अपना कपास ले जा, बोहराजी को दे आ और पांच मण गुड़ ले आ। तो, सभापति महोदय, मैं पांच मण कपास देकर आया और पाँच मण सेठजी के वहां से गुड़ लेकर आया जिससे शादी में लापसी बनी। कई माननीय सदस्य कह रहे थे, लापसी कैसे खाएं, चीनी मंहगी हो गयी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि आज कपास का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने बढ़ाकर तीस रुपये किया है, किसान के हित के लिए किया है और आज भी मण कपास अगर बोरे को तौल दो तो मण गुड़ की जगह मण शक्कर आती है। इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन हो- हल्ला करना कि मंहगाई बढ़ गयी, एक प्रवृत्ति बन चुकी है। है, है, गुलाब जी भाईसाहब, है, अपने इधर दालें पैदा होती हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है। हमारी दालें मंहगी हैं तो उनका गन्ना भी मंहगा है, तो पूरे बैलेंस से चलेगा। कोई एक जगह कि हमारी दालें तो सस्ती हो जाएं और उनका गन्ना सस्ता हो जाए, यह नहीं हो सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, छोटा करें, समाप्त करें। आज बहुत देर तक बैठना पड़ेगा वर्ना आप लोगों को।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मंहगाई को नियंत्रण करने के लिए ए पी एल के एक्स्ट्रा 7,72,300 मैट्रिक टन गेहूं जो मंगवाएं है, यह मुख्य मंत्रीजी का भी बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आटे की व्यवस्था की, बहन जी कह रही थीं, आटा सम्भाग स्तर पर नौ रुपये किलो जो बिक रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रत्येक जिले में बिके, प्रत्येक सहकारी समिति में बिके, ताकि ए पी एल के लोगों को मार्केट से मंहगा गेहूं खरीद कर नहीं खाना पड़े। मध्यम वर्ग के लोग नौ रुपये किलो का आटा लेकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

दालों की जो मंहगाई है उसमें सरकार ने रियायती दर पर देने का जो सम्भाग स्तर पर किया है, इसको भी आप सहकारी समितियों के स्तर तक पहुंचाएं ताकि आम गरीब जो काश्तकार रहता है, गरीब जो मजदूर रहता है, उसको यह मिल सके। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि तेल जो खाने के मुख्य काम आता है, मंत्रीजी जब जवाब दें तो इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से पन्द्रह रुपये, बीस रुपये किलो का अनुदान रखें। तेल भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिया जाए ताकि हमारी बहन जी की जो पीड़ा है वह पीड़ा कम हो सके और एक हड़बड़ाहट जो विपक्ष कर रहा है, वह शांति स्थापित हो सके।

जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए, चीनी के लिए, दालों के लिए जो लाईसेंस व्यवस्था की है, यह भी मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का सराहनीय कदम है।

इसके अलावा शुद्ध के लिये युद्ध में जो बहन जी ने यह कहा कि कुछ नहीं किया, खाली दो महीने यूं करके यह कर दिया। मेरी जहां तक जानकारी है, शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में 47,153 निरीक्षण किये सरकार ने, 11,758 के नमूने लिये उसमें 334 तो लाइसेंस निरस्त किये, 100 लाइसेंस और निरस्त किये, 51 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज हुई तथा 15,246 प्रकरणों में 6,10,577 रुपये की प्रतिभूति राशि सरकार ने जब्त की। जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब सम-अप करें आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दो छोटे से सुझाव हैं। गांवों में और दुकानें भी खोलें। जहां उचित मूल्य की दुकानें आप खोलें उसके ऊपर उचित मूल्य का तो बोर्ड लगे ही, बोर्ड लगने के साथ-साथ आपके कलक्टर, एस डी

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

ओ, इनके टेलीफोन नम्बर लगें ताकि आम उपभोक्ता जिसको वह गुमराह कर रहा है, चक्कर दे रहा है, आजकल सारी ऐसी व्यवस्था है, वह फोन पर अधिकारियों को सूचित करे कि, यह हमें गुमराह कर रहा है। हम आज सामान लेने के लिये आये, आज हमको तारीख दी लेकिन आज हमको सामान नहीं मिला। वह काश्तकार लौटकर अपना समय बरबाद करके मन मसोस कर नहीं जाए और खाद्य सामग्री माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो नीति है उसके तहत उस गरीब परिवार को मिल सके, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा बनी रहे। नव वर्ष में भी आपकी कृपा बनी रहे।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज राज्य के बजट की मांग संख्या 30, 32, 22 क्रमशः जनजाति क्षेत्रीय विकास, नागरिक आपूर्ति एवं क्षेत्र का विकास के मुद्दों पर चर्चा का आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इसके अन्तर्गत मेरा आपके माध्यम से जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री से निवेदन है कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट आथोरिटी टाडा के लिए बजट में आपने क्या प्रावधान रखा है? पिछले हमारे कार्यकाल का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का बजट और 13 महीने के बजट में इन्होंने क्या ऐसी विशेषता की है वह सदन की मेज पर रखें।

साथ ही हमने अक्सर यह देखा है कि जहां का भी जनजाति मंत्री बनता है, वह पक्षपात करता है। जब भी जिस क्षेत्र का मंत्री बनता है उसने हमेशा ही उस क्षेत्र के ही विकास की हमेशा सोची है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जनजाति मंत्रीजी से कि भेदभाव न करें, जनजाति पूरे राजस्थान में रहती है। जितने भी राजस्थान में जनजाति के चाहे छोटे क्षेत्र हों चाहे बड़े क्षेत्र हों, हर जगह लाभ मिले, ऐसा मेरा निवेदन है।

हमने कई जगह देखा है, विशेषकर मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, मेरे क्षेत्र में भी बहुत छुटपुट जनजाति हैं लेकिन उनको आज तक कोई भी इसका लाभ नहीं मिला। महाराष्ट्र पैटर्न की बात करते हैं या अभी आपने नयी

(श्री हरिसिंह रावत)

जनजाति कल्याण नीति बनायी है उसके अन्तर्गत, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी इस टाइप के छोटे-छोटे गांव हैं जहां इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका फायदा हमारे क्षेत्र के जनजाति के जो लोग हैं, उनको दिया जाए।

खाद्य मंत्रीजी से मैं थोड़ी विशेष बात करना चाहूंगा। खाद्य प्रणाली जो आपकी चल रही है, इसमें अनेक विसंगतियां हैं। इसके अलावा हमने यह महसूस किया है कि जब भी हम लोग राशन डीलरों के सम्बन्ध में कोई शिकायत करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन लगाया था, कि मेरे यहां फलां फलां जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी अनियमितता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जैसे ही मेरे क्वेश्चन पहुंचे, उससे पहले मुझे मालूम नहीं पड़ा, सैक्रेटेरिएट से या विधान सभा से कैसे उन राशन डीलरों तक शिकायतें पहुंच जाती हैं और फटाफट उनकी जो कार्यवाही है उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है। सभापति महोदय, चार दिन पहले मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ क्वेश्चन यहां गया नहीं उससे पहले वहां पर फोन पहुंच गया। बी पी एल के गेहूँ मिलते हैं ए पी एल को नियमों के अन्दर जो राशन मिलता है उनके राशन कार्ड टोटली उस राशन डीलर के घर पर पड़े रहते हैं। उस क्षेत्र के गांव के लोगों को पता नहीं है कि हमें बी पी एल की यह सुविधा मिलती है। जब हमने यह संदेश पहुंचाया तो उनको पता ही नहीं है। सारोड़ पंचायत का जो राशन डीलर है उसने फटाफट जाकर जितने भी राशन वाले थे उन सबको सौ-सौ का नोट दिया। जो मैंने शिकायत की थी, एक व्यक्ति, सांवल पंचायत का ही व्यक्ति था बीरमसिंह, उसने मुझे आगे होकर फोन किया कि 50 किलो राशन का बैग था, जब हमने वेट किया तो 40 किलो ही पाया। यह शिकायत करने के बाद जब मैसेज उसको पहुंचा मेरे क्वेश्चन के माध्यम से तो फटाफट वह राशन डीलर ने जाकर एक हजार रुपये देकर उससे लिखा लिया कि मेरे यहां पर कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहां पर अगर इस टाइम की पोल खुल जाती है तो फिर क्या फायदा है विधान सभा चलने का? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी भ्रष्ट राशन डीलर हैं उनको तत्काल निलम्बित किया जाए। विशेषकर खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने डी एस ओ को लिखा था, सारोड़ राशन डीलर, भीम, बार, लगेतखेड़ा, मंडावर, पीपली, क्वातल, विजयपुरा, एदिवेलतानी, इन

(श्री हरिसिंह रावत)

राशन डीलर्स की शिकायत हुई। गांव वालों ने शिकायत की। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन किस पर हुआ ? जो सही वितरण कर रहा था उसको निलम्बित कर दिया। एक राशन डीलर जो बिलकुल सही वितरण कर रहा था उसको जाकर बोले, हम यहां पर आए थे, दुकान बंद थी। दुकान बन्द बोलकर उस राशन डीलर का लाइसेंस निलम्बित कर दिया और जो चोर थे उन राशन डीलर्स ने फटाफट हफ्ते पहुंचा दिये, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें हमारे वहां कुछ कांग्रेसी नेता भी मिले हुए हैं। वे भी रात-दिन इसी में लगे हुए हैं कि कैसे पैसे मिलें, खाएं और रफा दफा कर दें। तो मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो-जो भी राशन डीलर्स की शिकायतें आयी हैं, उनमें तत्काल कार्यवाही की जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना बनायी कि 4.70 रुपये की जगह 2 रुपये किलो में गेहूँ दिये जाएंगे, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन यह योजना क्रियान्वित हो तो ही फायदा होगा। 2 रुपये किलो वाला गेहूँ शायद आज तक मेरे एरिये में तो कभी किसी को मिले हुए देखा नहीं है। लास्ट टाइम भी विधान सभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था तब मैंने बोला था। ये बोले, बी पी एल को 10 किलो गेहूँ मिलते हैं तो मेरे क्षेत्र में आज तक 10 किलो गेहूं किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशनकार्डधारी को नहीं मिला। 35 किलो बोले लेकिन 10 किलो भी नहीं मिला जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो फट से बोले हम 10 किलो और बढ़ा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं, पहले 10 किलो की तो बात कर लेवें, उसके बाद 35 किलो की बात करें आप। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए। गहन चिन्तन किया जाए।

आपने घोषणा की है, 15 से लेकर 21 तक राशन वितरण में सरकारी कर्मचारी को हम लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि कम से कम शिक्षा विभाग के शिक्षकों को तो न लगाएं, क्योंकि वैसे ही हमारे गांव के शिक्षकों का तो आपको पता ही है कभी तो वे जनगणना में लग जाते हैं, कभी उनको आप टीकाकरण में लगा देते हैं। अगर रहा सहा राशन वितरण में आप लगा देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा शिक्षा विभाग का तो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों को तो कम से कम

(श्री हरिसिंह रावत)

नहीं लगावें। वैसे ही हमारे गांव की शिक्षा की स्थिति तो आज तक जग जाहिर है, स्कूलों में बच्चे पढ़ते ही नहीं, स्कूल के टीचर तो कुछ काम करते ही नहीं हैं यह काम भी अगर उनको दे दिया तो मैं सोचता हूं, हमारा प्राइमरी स्कूल तो चौपट हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर किया जाए। तीसरा मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): लास्ट में महा नरेगा के सम्बन्ध में कुछ मेरे विचार हैं जो रखना चाहता हूं। सरकार चाहती है कि महा नरेगा का काम बहुत सुचारु रूप से चले, उस कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कुछ मेरे सुझाव हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो मैं सोचता हूं कि नरेगा का जो कार्य चल रहा है, काफी अच्छी गति से चलेगा।

इसमें सबसे पहला है कि महा नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को कितने कार्य आबंटित किये जाते हैं ? क्या आबंटित कार्य अन्य विभाग जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग में कार्यरत अभियन्ता नार्म्स के बराबर हैं? यदि हैं, तो कितना अधिक ? फर्स्ट। दूसरा यह है कि महानरेगा के अन्तर्गत रोजगार सृजन हेतु ग्रामीण विकास के अतिरिक्त अन्य विभागों की कितनी भागीदार तय है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आज दिनांक तक कितनी प्रतिशत भागीदारी विभाग द्वारा निर्वहन की गयी है? कम भागीदारी के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा, महा नरेगा के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों, अधिकारियों तथा कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, लेखा सहायक आदि को निरन्तर रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा? यदि हटा दिया जाएगा तो पूर्व कार्यानुभव के लाभ योजना को कैसे मिल पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, दो मिनट में खतम करूंगा। महा नरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद में कितने खर्च का प्रावधान है? क्या मद में अनन्त वृद्धि की गयी है? यदि हां, तो इसके उपरांत नरेगा स्टाफ

(श्री हरिसिंह रावत)

को स्थायी क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महा नरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह सही है कि स्टाफ की कमी के कारण यह भी पूरा सही ढंग से नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, लास्ट यह है कि वित्त एवं कोष नियंत्रण के लिए लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखाधिकारी के लिए क्या नार्म्स हैं अर्थात् कितनी लेखा राशि के अन्तर्गत संसाधन हेतु कितने पद सृजित किये जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस सरकार के गठन के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय खाद्य मंत्रीजी ने शुद्ध के लिए युद्ध का जोरदार अभियान चलाया। हम सब परिचित हैं, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि जो वस्तु रोजमर्रा में आदमी के काम में आने वाली है उसमें कितनी मिलावट पायी गयी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, खाद्य मंत्रीजी को और एक निवेदन भी इस बात के लिए करना चाहता हूं कि यह शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है, इसको निरन्तर जारी रखा जाए। केवल मात्र आलोचना के आने से कोई आदमी शिथिलता बरते, यह बात नहीं होनी चाहिए। जो आदमी काम करेगा उसकी आलोचना भी होगी और आलोचनाएं 99 प्रतिशत असत्य होती हैं, इसलिए आलोचनाओं से नहीं घबरा कर शुद्ध के लिए युद्ध निश्चित रूप से चालू रहना चाहिए।

सभापति महोदय, राशन कार्ड जो एपीएल और बीपीएल के लोगों के लिए थे, उन्हें बने दस साल से ज्यादा समय हो चुका है। मैं इस समय पर एक सुझाव देना चाहता हूं कि राशन कार्ड तुरन्त बनने चाहिए। किसी का खो गया, किसी का भीग गया, राशन कार्ड नहीं होने की वजह से कई तरह की असुविधा होती है, इसलिए राशन कार्ड सरकार तुरंत बनाकर के जारी कराए, नये राशन कार्ड बनने चाहिए।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उचित मूल्य की दुकानें जहां नयी खोलने की आवश्यकता है, उसमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। वहां पर डीलर नियुक्त होने चाहिए। जो डीलर बरसों से बैठे हैं उनमें सबसे बड़ी कमी है कि एक डीलर 3, 4, 5 गांवों का राशन उठाता है, वहां दुकानें और नहीं हैं। एक व्यक्ति स्वयं जाकर राशन का सामान वितरित नहीं करता है और अपनी मनमर्जी से दूसरे लोगों से जो उसके लिए अधिकृत नहीं हैं देने के लिए, उनके माध्यम से उसको देना पड़ रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में यह घोषणा की है कि यह जो इस प्रकार की शिकायतें आ रही थीं, उनको रोकने के लिए 1 मई से 15 तारीख से 21 तारीख के मध्य सरकारी कर्मचारी मानिटरिंग के लिए जाएंगे और उनकी उपस्थिति में यह चीज होगी। राशन डीलरों की शिकायतें काफी लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अब की बार गेहूं देगा कि नहीं देगा, कैरोसीन देगा कि नहीं देगा। क्योंकि यह गरीब से सम्बन्धित मामला है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी मानिटरिंग वहीं रैगुलर वे में होनी चाहिए, बराबर सरकार इस पर नियंत्रण करे। ये जो समितियां बनायी गयी हैं- जिला स्तरीय निगरानी समितियां और सतर्कता समितियां भी इनके निर्देश की पालना अक्षरशः होनी चाहिए। ये केवल कागजों में ही नहीं हों, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जो आज गांवों में मुंह बायें खड़ी है, वह गैस की समस्या है। गैस की समस्या इसलिए है कि आम लोग जो चाहे गांव में रहते हों, कस्बों में रहते हों, यहां तक की झोपड़ियों में रहते हों, वे भी गैस की सुविधा लेना चाहते हैं, गैस पर खाना बनाना चाहते हैं। लेकिन गैस एजेंसिंया इतनी मनमर्जी करती हैं कि चाहे जिसको कालाबाजारी से गैस सिलेण्डर दे देती हैं। उनकी अगर कोई शिकायत करता है तो उन शिकायतों पर कुछ भी नहीं होता है। जिला कलक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि हमारा नियंत्रण नहीं है, कंपनियों की गैस है, कंपनियों का नियंत्रण है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ है वहां पर साढ़े 3 लाख की पॉपुलेशन पर केवल एक गैस एजेंसी थी और उसमें भी वह गैस एजेंसी वाला सीकर डिस्ट्रिक्ट से बाहर चूरू तक भी गैस की सप्लाई ब्लैक में करता था। उससे कई लोग त्रस्त थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री देवड़ा साहब का कि उनके सामने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जब हमने समस्याएं रखीं तो वह लक्ष्मणगढ़ 14 तारीख को पधारे थे, उससे एक दिन पहले पूरे राजस्थान में नयी एजेंसियां खोलने के लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किये थे। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं और इससे गैस की समस्या पर काफी कुछ नियंत्रण होगा। इन लोगों के खिलाफ शिकायतें होती हैं लेकिन एक में भी चालान बहुत मुश्किल से होता है। इनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण हो। ये कनेक्शन के साथ में सामान देते हैं, यह सामान उन्हें नहीं देना चाहिए। एक नियम और व नीयत होनी चाहिए। नियम है भी लेकिन इसकी पालना में कहीं न कहीं कोई त्रुटि रहती है।

सभापति महोदय, माननीय खाद्य मंत्रीजी विराज रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें हैं, उनको मिटाने के लिए काम करें। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी डीलर नियुक्त किये जाते हैं, सबसे ज्यादा तो उपयुक्त यह रहेगा कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं यह उनके माध्यम से किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत संस्थाएं हैं, उनमें निर्वाचित जन प्रतिनिधि उसके मैम्बर होते हैं तो उनकी सामूहिक जिम्मेदारी हो जाएगी। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी के शासन में पदाधिकारियों के लैटर पैड यहां तक कि विधायकों के लैटर पैड के आधार पर भी जो राशन डीलर राजनीतिक प्रताड़ना से हटाये गये हैं, उनकी पुन: नियुक्ति की जानी चाहिए क्योंकि वे जो हटाये गये हैं वे राजनीतिक दुर्भावना के कारण से हटाये गये हैं।

किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की है, अभी जो महंगाई की बात आ रही है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, would you please...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भ्रमण के लिए आये हैं, माननीय सदस्य, यह भ्रमण करते ही रहते हैं और पता नहीं कब क्या बोलते हैं।

श्री सभापति: You are being……(interruptions)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो किसान की पैदावार में बढ़ोत्तरी वाली बात है उसमें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगर महंगाई होती है तो हमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। किसान कितने खून-पसीने से कमाता है अगर गेहूं 13, 14, 15 रुपये किलो मिलता है तो कोई अन्याय नहीं है। एक किसान गाय, भैंस, बकरी पालकर उससे दूध लाता है और अगर दूध दो रुपये ज्यादा महंगा हो जाता है तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। अगर देशी घी महंगा होता है, चीनी अगर थोड़ी बहुत महंगी होती है तो गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ भी गन्ने से बनता है और गन्ना किसान उत्पादन करता है। अगर उसको मिलता है और उससे महंगाई बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महंगाई इन व्यापारियों की कालाबाजारी से होती है तो वह उचित नहीं है। माननीय खाद्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, वह रुकनी चाहिए। किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसके लिए अगर महंगा होता है तो कोई बात नहीं होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो निरीक्षण प्रणाली है, हमारे इन्सपैक्टर्स कभी कहीं किसी दुकान पर, डीलर के यहां नहीं जाते हैं। अगर इनके पास कोई शिकायत आती है तो वह जाते हैं और उनसे बात करके, सौदापट्टी करके, मैं खुला निमंत्रण देता हूं कि सौदापट्टी करके जिस किसी के खिलाफ अगर राजनीतिक दबाव हो या वास्तव में उसके पीछे पड़ जाए कि आपको सही रिपोर्ट देनी पड़ेगी या घपला है तो घपले की रिपोर्ट देनी पड़ेगी तब भले भी वर्ना एक की भी कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही होने के बाद अगर सस्पैण्ड भी कर दिया तो दो महीने के बाद में उससे बात करके उसी को वापस डीलर नियुक्त किया जाता है। या तो किसी को सस्पैण्ड करना नहीं चाहिए, अगर हो गया है वह सस्पैण्ड तो अपील के थ्रू ही आ सकता है, उसको वापस उसी डी एस ओ के द्वारा एक को भी नहीं रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मोटे-मोटे एक मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। जितने भी डीलरों के स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति कराई जाए और नए राशन डीलर बनाए जाएं। जो भी नीति बना रखी है उसके माध्यम से ही बनाए जाएं, उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिन डीलरों के खिलाफ शिकायतें हैं, उनको शिकायत सुनकर सही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया जाना चाहिए और राशन कार्ड तुरंत बनने चाहिए। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जितने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। वहां जो गैस की कालाबाजारी है, उसको रुकवाने के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए। बी पी एल और ए पी एल की जो भी सामग्री है, उसका उठाव शत प्रतिशत हो और आम लोगों तक वह सामग्री पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने कहा कि आलोचना 95 प्रतिशत असत्य होती है तो गैस वालों की आलोचना असत्य मानें? श्री निर्मल कुमावत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आम जनता से सम्बन्धित है। मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, मंत्रियों की असत्य होती है 99 प्रतिशत, क्योंकि वह तो काम करते हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010 की अनुदान की मांग संख्या 32- नागरिक आपूर्ति पर कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को और हमारे पूरे सत्ता पक्ष को बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, विकास के नए आयाम कीजिए। बड़ी अच्छी बात है कि कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए, 50 साल से काफी लम्बी कड़ी से कड़ी जुड़ी, इसका परिणाम पूरे देश की जनता देख रही है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार, राज्य में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, यह इनका नारा है जो जनता देख रही है। (व्यवधान) समय आने पर बताएंगे आपको।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बजट में इन्होंने जो घोषणा की है खाद्य आपूर्ति विभाग के सम्बन्ध में कि आम जनता के हित में है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने 2008 का यह घोषणा पत्र जारी करके चुनाव लड़ा, आम जनता के बीच में वोट मांगे, इसके पृष्ठ संख्या 30 पर साफ साफ लिख रहे हैं - आम उपभोक्ता की वस्तुओं पर, प्रति दिन की खाद्य सामग्री की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, पैट्रोल, डीजल और घरेलू गैस पर स्थानीय करों में रियायत, इन तीनों घोषणाओं में यदि एक की भी सरकार ने पूर्ति की है तो आप प्रमाणित करके बता दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो घोषणाएं आपने की हैं, वे सिर्फ घोषणाएं ही हैं।

(श्री निर्मल कुमावत)

माननीय सभापति महोदय, बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कीं, राज्य के प्रमुख शहरों में रियायती दरों पर आटा, गेहूं वितरण का प्रयास किया जाएगा। मेरे खयाल से हमारी सरकार यही जानती है कि सारी हमारी जो मुख्य आबादी है, गरीब जनता है, वह शहरों में ही रहती है और आटा बांटा है तो सम्भाग मुख्यालयों पर। बहुत अच्छी बात है, जो आम व्यक्ति है, जो गरीब आदमी है जो गांव में रहता है, किसान जो अकाल की मार झेल रहा है, वह ग्राम पंचायत स्तर पर, छोटे कस्बे में भी नहीं पहुंच पाता है। वह सम्भाग मुख्यालय जानता भी नहीं है कि सम्भाग मुख्यालय होता क्या है?

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्रीजी खुद बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जब भी कोई सवाल का जवाब देते हैं कि राज्य सरकार ने इतने टन गेहूं मंगवाया, इतने टन आटा मंगवाया, इतने टन यह किया। अभी हमारे रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अख़बार की कटिंग के बारे में बताया कि महिला डी एस ओ महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कार्यवाही की। मैं उन्हीं महिला डी एस ओ महोदय का आज ही के अख़बार का आपको दिखाना चाहता हूं, 'सिरदर्द बना ओ एम सी का आटा।' कौनसा आटा? आटा जो सरकार दावे करती है कि गरीब आदमी को आटा बेच रहे हैं, घर-घर पहुंचा रहे हैं। 18500 क्विंटल गेहूं मिलों में रखा है और मिल वाले विवाद कर रहे हैं सरकार से कि आटा उठवाइए लेकिन आपकी सरकार, आपके अधिकारी आटा नहीं उठा रहे हैं। आगे लिखा है, शहरों में आबंटित गेहूं को मिल संचालकों को 15 मार्च तक उठाना था लेकिन गेहूं नहीं उठा रहे हैं। जिले के दोनों डी एस ओ के बीच तारतम्य की कमी के चलते मिल संचालक अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और उचित मूल्य की दुकानों व रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं ने आटा लेने से मना किया। यह घोषणा करते हैं कि हम सस्ता आटा बेच रहे हैं, कैसा बेच रहे हैं आटा? हमारी माननीय आभा जैन साहब कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते कहां है जो कमी है, यह तो बताइए? आप खुद घोषणा कर रहे हैं कि सम्भाग मुख्यालयों पर बेच रहे हैं। वह कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी है इसलिए राज्य सरकार इस गेहूं को सरेण्डर कर रही है। यह सरकार का वादा जनता के सामने है। यह आज ही के दैनिक नवज्योति अख़बार की खबर है, आप भी पढ़ लीजिए, कि दोनों अधिकारी कैसी बातें कर रहे हैं।

(श्री निर्मल कुमावत)

गैस की बात चली, माननीय सदस्य ने अच्छी बात उठाई, वाकई गैस एजेंसियों की हालत क्या है, किसी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं होगी। आज किसी भी गली में, किसी भी रोड पर निकल जाएं, लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई रहती हैं। कोई विधायक हो, किसी का जानकार हो, फोन कर दे तो सिलेण्डर मिल जाए, नहीं तो भगवान जाने कैसे मिलता है उसको। एक-एक गैस एजेंसी के पास पांच से सात हजार तक के आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं नए कनेक्शनों के लिए, कहां से देगी सरकार, जवाब दे? मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न लगाया था कि गैस एजेंसी खोलने के क्या नियम हैं और सरकार क्या क्या प्रभावी कदम उठाएगी? तो, माननीय सभापति महोदय, उसका जवाब मिला कि सरकार प्रत्येक नगरपालिका, पंचायत स्तर पर, प्रत्येक कस्बा स्तर पर गैस एजेंसी खोलने के लिए एक साल में कार्यशील होकर घोषणा करेगी। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं कि आपका ही यह कागज है, यह कल का मेरा सवाल था जो आज पेपर में भी छापा है मीडिया ने, मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में गैस एजेंसी खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय सभापति महोदय, इसका जवाब सुनिए आप। जी हां, इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा 3.11.2002 को, 3.11.2002 को खुली श्रेणी तथा शहरी वर्ग हेतु नई गैस एजेंसी खोलने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, प्राप्त आवेदनों की छंटाई का काम पूरा हो चुका है तथा निकट भविष्य में योग्य आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार की कार्यवाही की जानी प्रक्रियाधीन है। बहुत अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, साढ़े आठ साल, नौ साल से...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नो, वह टाइप की मिस्टेक हो गई।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): नौ साल से प्रक्रियाधीन है। बड़ी अच्छी बात है। राज्य सरकारें बदल गईं, केन्द्र की सरकार वही चल रही है, माननीय मंत्रीजी, क्या होगा? 9 साल से गैस एजेंसी के साक्षात्कार के लिए योग्य आवेदकों को छांट ही रहे हैं तो एजेंसी कब खोलेंगे? कब तक आप एजेंसी खोल पाएंगे, मेरी सरकार से मांग है।

माननीय खाद्य मंत्रीजी, सरकार जो रियायती दरों पर सामग्री बेच रही है वह प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपकी इस योजना का आम आदमी, गरीब आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। बीच में आपके

(श्री निर्मल कुमावत)

जो अधिकारी लोग हैं इनकी भी आप पूरी जांच करें कि यह माल बीच में इधर उधर क्यों हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक नहीं रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है इसकी भी आप जानकारी करें।

माननीय सभापति महोदय, गैस एजेंसियों का मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: आनरेबल मेम्बर, प्लीज कट शार्ट।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि इसके चक्कर में लोगों को अवैध रूप से लकड़ी काटनी पड़ती है, शादी-ब्याहों में भी लोगों को सिलेण्डरों की बड़ी प्रोब्लम होती है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं, यह कोई व्यक्ति विशेष की या पार्टी विशेष की समस्या नहीं है। इसके लिए सरकार गम्भीरता दिखाए और कड़ी से कड़ी जनता ने जोड़ी है उस विशेषाधिकार का उपयोग करके केन्द्र पर दबाव डाले कि हर पंचायत स्तर पर तथा जो भी बड़े कस्बे हैं, नगरपालिका क्षेत्र हैं, वहां तक गैस एजेंसियां खोले। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित प्रभारी मंत्रीजी तो यहां विराज नहीं रहे हैं, उनके स्थान पर माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने यह मांग सदन में रखी है। किसी विभाग का जो तात्कालिक जिम्मा लेते हैं, उनको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं अपनी बात सीमित रूप में सम्माननीय मंत्रीजी आसानी से सदन में जवाब दे सकें, ऐसी निवेदन करना चाहता हूं और आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं अपनी समय सीमा के अन्दर बात कहने की कोशिश करेंगे। आप कृपा करके मेरे को बीच में बुलेट नहीं चला दीजिए कि तुरंत मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति: आपको सीमा मालूम है न?

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय, आप फौजी आदमी हैं, आपकी आदत से बहुत वाकिफ हूं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान हैं। इसी संदर्भ में पांचवीं

(डा. दयाराम परमार)

पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना की गयी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, जनजाति का आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन, जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन। माननीय सभापति महोदय, यह जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए विभाग बनाया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 9 तारीख को विधान सभा में अपना भाषण पढ़ा उसमें कहा, जनजाति क्षेत्र विकास के लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जनजाति कल्याण निधि बनाई गई है। माननीय मंत्रीजी ने अभी 17 अरब से ज्यादा रुपये, की मांग सदन में पेश की है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिफरेंस क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। अगर जनजाति विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है 124 करोड़ रुपये, फिर ये 17 अरब रुपये कहां से पैदा हो गये? कहां से मांग पेश हो गई? माननीय सभापति महोदय, ये विभाग बना है तब से लेकर ट्राइबल डवलपमेंट डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है? विभिन्न विभाग जितने भी हैं अपने राजस्थान की सरकार में, ये विभाग जो जो ट्राइबल एरिया में काम करते हैं उनके सारे आंकड़े इकट्ठे करते हैं और फिर उसको पेश कर दिया जाता है कि ट्राइबल एरिया के विकास का इतना काम कर दिया। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस डिपार्टमेंट का नाम ट्राइबल एरिया डवलपमेंट फीगर्स कलेक्शन डिपार्टमेंट कर रखा था, क्योंकि फीगर्स कलेक्शन करने के अलावा किसी तरह का कोई काम मंजूर करने का इनके पास अधिकार नहीं था। माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय अशोकजी गहलोत साहब के पूर्व वाली सरकार थी उसके दौरान भी बड़ा चिंतन किया और चिंतन करके यह फैसला करने की कोशिश की कि इस विभाग को रुपया देकर सक्षम बनाया जाए। इन फीगर्स से आदिवासियों का विकास नहीं होने वाला, न आदिवासी एरिया का विकास होने वाला है। इसी सोच के आधार पर तत्कालीन् सरकार की कैबिनेट ने महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार फैसला करके कहा कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट प्रोजैक्ट का 8 प्रतिशत इस डिपार्टमेंट को एकमुश्त दिया जाए और डिपार्टमेंट को यह अधिकार दिया जाए कि ट्राइबल एरिया में अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उस रुपये का खर्चा करे और एरिया का डवलपमेंट

(डा. दयाराम परमार)

करे लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह फैसला हुआ, 2000 में और 2003 में चुनाव हो गये, सरकार बदल गई। उस सरकार में भी छोटा-मोटा 60-70 करोड़ रुपये के आसपास की बजट व्यवस्था करते हुए 5 साल में वे पूरे हो गये। अब फिर सरकार बदल गई तो पिछली बार में सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था। बजट भाषण में तो सौ करोड़ रुपये, बजट में 80 करोड़ के आसपास का रुपया, अब खर्चा मेरे को करने को दिया ही नहीं, कहां से करूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 40 करोड़ खर्चा ही हुआ है।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): 40 करोड़ जो खर्चा हुआ है उसकी भी तो कमिटेड लाइबिलिटीज है- हास्टल हैं, छात्रवृत्तियां हैं, उन पर किया, डवलपमेंट के नाम पर उस रुपये का खर्चा नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत कुछ ज्यादा बोलता हूं तो कहते हैं कि बहुत बड़े जोर से विरोध में बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है और सत्ताधारी पक्ष का आदमी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर बैठ कर चिंतन करे कि आंकड़ों के आधार पर ट्राइबल एरिया का विकास नहीं हो सकता। 37 साल हो गये डिपार्टमेंट को बने हुए, 37 साल में हम कहां तक पहुंचे? कहां मंजिल थी और कहां तक पहुंचे? इस पर चिंतन करें। अगर इसका चिंतन नहीं किया तो ट्राइबल एरिया जहां है वहीं रह जाएगा। वहां का आदमी और फिर पता नहीं, शांत वह नहीं बैठेगा तो हम जानते हुए किसी तरह की अशांति पैदा करना चाहते हैं तो समझदार हमको नहीं कहा जा सकता। इसलिए, माननीय सभापतिजी, हम चाहेंगे कि 37 साल के समय में जो ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट मिला है, जो उद्देश्य लेकर वह चला था, यह डिपार्टमेंट बनाया था, उस उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुंचा, उस पर सरकार बैठकर चिंतन करे। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे विभाग को चलाने के लिए 218 बड़ी-बड़ी पोस्टे हैं- दो एडिश्नल कमिश्नर, कमिश्नर, ऐसी पोस्टें सैंक्शंड हैं।

(समय : 14.46 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

180 पोस्टें भरी हुई हैं। लेकिन इतनी पोस्ट भरे हुए व्यक्ति फीगर इकट्ठे करने के अलावा कुछ काम नहीं कर पाते हैं इसलिए सरकार इस आंकड़ों वाले विभाग को ठीक करने की कोशिश करे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में राजस संघ बनाया गया, राजस संघ का उद्देश्य था कि ट्राइबल एरिया में बहुत सारी जड़ी-बूटियां वगैरह

(डा. दयाराम परमार)

जंगल से निकलती थीं, उनको खरीदे, रुपया कमाए और प्रोफिट में लाकर आदिवासियों का विकास करे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस संघ ने वहां से अदरक खरीदा, आदिवासियों से सफेद मूसली खरीदी और जो भी वस्तुएं जंगल से प्राप्त होती हैं, खरीदा पर वह हमेशा घाटे में रहा, कभी भी ऊपर नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, 5 बड़े-बड़े तालाब-जयसमंद, माही, कडाना, उनको अपने पास में लीज पर ले लिया 25 साल के लिए और कहा कि हम आदिवासियों की स्थिति फिशरीज कराकर सुधारेंगे। जो मछली बाजार में 12 और 13 रुपये में बिकती थी, उसको 6 रुपये में खरीदा, जो 30 रुपये में बिकती थी बाजार में, उसको 15 में खरीदा, फिर भी राजस संघ घाटे के घाटे में रहा, अभी तक कभी ऊपर नहीं आया। और अब तो वह सबसे कम हो गया। वे बांध भी उनसे निकल गये, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने वापस ले लिये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस संघ कर क्या रहा है आदिवासियों के नाम पर? जितने भी वहां पर अधिकारी बैठे हैं उनकी तो मौज-मस्ती हो रही है लेकिन उस राजस संघ से आदिवासियों को क्या मिला? गुजरात में भी इसी तरह का संगठन चलता है, हर आदमी के घर में लाइट पहुंचाने की जिम्मेदारी उस संघ की है, लेकिन हमारे यहां वाला तो अपना प्रोफिट जो भी कमाए, अपने आराम के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं, माननीय मंत्रीजी, फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, इस पर भी चिंतन करें कि राजस संघ की जरूरत है कि नहीं है। अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है। और जरूरत है उसको बनाये रखना है तो आदिवासियों के लिए क्या करोगे? केवल नाम से ही चलता रहेगा, उनके ठाठ होते रहेंगे या हमारे लिए भी कुछ कर डालोगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदिम जाति शोध संस्थान चलता है उदयपुर में और वहां पर शोध होता है। शोध करने वाला जाता है और लिखता है कि यह आदिवासी, इसका घर, दो घाट, कच्चा मकान है, एक चूल्हा है। क्या शोध हुआ यह? उस शोध के आधार पर आपने क्या थ्योरी डवलप की जिससे कि गरीब आदमी की गरीबी खतम हो जाए? वह आदिवासी जैसे एक व्यक्ति दिखता है, और दिखता है तो उसमें शोध की जरूरत नहीं है, उसमें रुपये लगाने की भी जरूरत नहीं है। आदमी लेटता है, उसको बदलने के लिए सरकार के खजाने से रुपया लगाने की जरूरत है, नीति और कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। अगर यह सरकार नहीं करती है

(डा. दयाराम परमार)

फिर आदिम जाति शोध संस्थान क्या कर रहा है? हमारे समय से वहां पर बैठ कर एक समय आया कि आरएएस और आरपीएस के लिए लड़कों को हम ट्रेनिंग देंगे। साल भर तक तो कोचिंग दी, दो साल कोचिंग देने के बाद में कहा कि यह काम भी बन्द कर दो। वह भी बंद कर दिया। अब तो वो हाल बना रखे हैं कि उनको किराये पर देकर सभाएं करवाते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, शोध के नफे-नुकसान पर सरकार बैठकर विचार करे। केवल आदिवासियों के नाम पर शोध संस्था चलती रहे, किताबें लिखते रहें और आदिवासी वहां का वहां रहता है तो फिर इस शोध में क्या मतलब निकला?

माननीय सभापति महोदय, जब विभाग बना था तब ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट कायम की थी और उस कमिश्नर के लिए यह कहा था कि वह ट्राइबल एरिया में जाएगा, पंचायत समिति की बैठक में जाएगा, ट्राइबल की समस्याओं की जानकारी करेगा और जानकारी करने के बाद में सरकार को सुझाव देगा कि उस समस्या का किस तरह से समाधान हो सकता है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं सन् 1965 में सरपंच बन गया था, मैंने आज तक किसी भी कमिश्नर को पंचायत समिति की बैठक में नहीं देखा। इसका मतलब यह होगा कि कमिश्नर ने आदिवासियों की समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की और सरकार को उसका सुझाव नहीं दिया, तो फिर सरकार आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या रास्ता ढूंढती?

सभापति महोदय, संविधान के फिफ्थ शिड्यूल के अनुसार एक एडवाइजरी कौंसिल की भी व्यवस्था है और एडवाइजरी कौंसिल का अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्रीजी होते हैं और वह कमेटी सरकार ने क्या कार्यक्रम लागू किया, उस कार्यक्रम में हमको क्या सफलताएं मिलीं और आगे के लिए क्या सुझाव सरकार को देती है, वह एडवाइजरी कौंसिल गवर्नमेंट को एडवाइज करती है कि इस तरह का कार्यक्रम चलाएं जिससे कि आदिवासियों का विकास होगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सवा साल हो गया, अभी तक एडवाइजरी कौंसिल नहीं बन पाई है। मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे 5 मिनट का समय और दें।

श्री सभापति: आप समअप करें अब।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस पूरे डिपार्टमेंट पर चिंतन करने की जरूरत है कि इस डिपार्टमेंट को किस तरह से आदिवासियों के विकास के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल परिवार और जो स्टेट बीपीएल परिवार हैं उनको भी दो रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा कर दी, इसके लिए मैं सरकार के प्रति गरीब जनता की ओर से आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं और यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि यह अनाज सही गरीब आदमी तक पहुंच जाए, इसके लिए सरकार को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। माननीय सभापतिजी, आज एक डीलर को अनाज अलाट होता है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से, अलाट होने के बाद में ट्रक भरने के बाद में सीधा का सीधा रतनपुर नेशनल हाइवे नम्बर 8 पर जाता है। जब पूछते हैं कि क्या हुआ डीलर साहब तो कहता है कि अभी दाना मिले ही नहीं हैं, मिल जाएंगे तब लाकर के वितरित कर दूंगा। तब तक दुबारा अलाटमेंट हो जाता है। इसलिए, माननीय मंत्रीजी इस व्यवस्था को बदलकर आप तहसील मुख्यालय पर कर दीजिये कि वहां से अनाज डीलर को वितरण होगा ताकि हमको पता पड़े कि किस सेंटर का ट्रक किसका भरकर जा रहा है। अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो अब तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, 4.60 रुपये की जगह 2 रुपया हो गया है, एक ट्रक सीधा ले जाकर बेच देगा तो 12-13 हजार रुपया उसका प्रोफिट हो जाएगा। इसलिए इसको जरा गम्भीरता से लें। प्रशासनिक व्यवस्था में आपके इंस्पेक्टरों की कमी है तो इंस्पेक्टरों को आप नियुक्ति दें और उनसे प्रशासनिक देखरेख सही कराएं ताकि आम आदमी को जो व्यवस्था सरकार ने हिम्मत जुटाकर की है वह उसका फायदा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था कि राशन कार्ड 10 साल के हो गये, टूट-फूट गये, गुम गये, यह बिलकुल सत्य बात है। लेकिन एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राशन कार्ड को जारी करती है और सरपंच साहब की पत्नी कंट्रोल डीलर है तो और पति सरपंच साहब है। या फिर पति कंट्रोल डीलर है तो पत्नी सरपंच है। तो किस तरह राशन कार्ड सही निकलेगा और किस तरह से सही आदमी तक पहुंचेगा, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

(डा. दयाराम परमार)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया फिर घंटी बजाकर या टोककर बैठना नहीं चाहता, लेकिन फिर से एक बार यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट आदिवासियों के विकास की जिस मंशा से बनाया गया है, यह विभाग उसके अनुरूप काम करे, इसके लिए चिंतन करके कई तरह के कानून-कायदों में तब्दीली करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस पर चिंतन करेगी कि इस डिपार्टमेंट को सही काम करने के लिए जिस तरह का धन मिलना चाहिए, वैसे उसको धन मिले और काम कर सके। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, जहां तक जनजाति क्षेत्रीय विकास का सवाल है, वाकई में शानदार रखा है। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आता है, बिचौलिये उस पैसे को हड़प जाते हैं। सन् 1947 की आजादी के बाद से लगातार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जो भी पैसा आया है, वह प्रैक्टिकल में नहीं लग पाया, यही कारण है कि आज भी वह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा है, ज्यों की त्यों हालत है। मैं जनजाति क्षेत्र के विकास के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जो भी नौजवान या पढ़ने की उम्र के बच्चे हैं उनको पढ़ा-लिखाकर उनके लिए अलग से आरक्षण करने की सरकार व्यवस्था करे तो शायद उनके विकास के बारे में सही तरीके से सोचकर उनको विकास की धारा में बराबर लाने का काम हम कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने डूंगरपुर में जाकर आदिवासियों के छात्रावास-स्कूल के छात्रावास भी देखे और महाविद्यालय के छात्रावास भी देखे, वाकयी में पैसा है लेकिन एक कमेटी के मार्फत उन छात्रावासों की हालत यह है कि उनमें सुविधाएं ठीक तरह से नहीं हैं, पीने के पानी का नल भी वहां पर नहीं है। इसलिए उनके छात्रावासों पर सरकार को ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि विकास के लिए सबसे अहम चीज है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए रहने की व्यवस्था है। प्राथमिकता के आधार पर देखकर यदि बजट में कोई कमी-खामी भी है, तो सरकार विशेष ध्यान देकर उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करे तो शायद बेहतर होगा।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति का जहां तक सवाल है, इस मांग के बारे में मेरे से पहले भी माननीय सदस्य कह चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, नागरिक आपूर्ति का जहां तक सवाल

(श्री पेमाराम)

है, निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, आज हालत यह है कि राजस्थान की जनता के पास राशन कार्ड हैं, वे टूटे-फूटे हो गये या 10 साल पुराने हो गये, वह एक जुदा बात है, लेकिन राशन कार्ड है राशन नहीं है, कार्ड मात्र दिखाने के लिए है। राशन कार्ड में बीपीएल, स्टेट बीपीएल या एपीएल का जो भेद किया है, ग्रामीण इलाकों में कैरोसिन तेल की हालत है, मैं मेरे सीकर जिले की बात करना चाहूंगा, सीकर जिले से चुनकर आने वाले और भी माननीय सदस्य यहां पर हैं, कैरोसिन तेल राशन डीलर के मार्फत् ट्रैक्टरों में जाकर बिक जाता है, आवश्यकता वाला पीपी लेकर खाली फिरता रहता है। गरीब बीपीएल या एपीएल की हम बात करें तो राशन डीलर से उसे कैरोसिन तेल भी मिल नहीं पाता।

(समय : 15.00 बजे)

जहां तक बी.पी.एल. के राशन का सवाल है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दिया, वही हालत सीकर जिले की है। राशन के डीलर या तो उठावा नहीं करते हैं, उठावा करते हैं तो पूरा का पूरा ट्रैक्टर, पूरा का पूरा ट्रक ब्लैक में बिकता है प्रैक्टिकल में गांवों में जाने की बजाय। जब शिकायत होती है माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहूंगा कि राशन डीलर ऊँचा राजनैतिक रसूख रखते हैं, शिकायत होती है तो इनका विभाग कहता है, माननीय मंत्रीजी बिराज रहे हैं, कि डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की, इंस्पैक्टर्स की कमी है। ये कहते हैं। हमारे कमी है कमी है, जनता तो पूरी नहीं करेगी, जनता को तो वहां भर्ती करने का राइट नहीं है। कमी है, सरकार चलाने वालों की जिम्मेदारी है जहां जो पोस्टों की कमी है, वह भरे, यह सरकार की ड्यूटी है और उसके बाद जो शिकायत मिलती है, उस शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करे। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था गैस एजेंसी के बारे में सीकर जिले का, इन्होंने कहा कि 69 शिकायतें सवाल के जवाब में इनके पास आ गईं। हमारे जिले में गैस एजेंसी है, नया गैस का कनेक्शन कोई लेने के लिए जाता है तो ब्लैक होती है। गैस एजेंसी पर जो भी कोई जाएगा, चाय-चीनी, राशन सारा सामान लिये बगैर दुत्कारा जाता है। इनके विभाग के पास फरियाद लेकर कोई फरियादी जाता है तो इनका विभाग भी उस फरियादी को दुत्कारने का काम करता है। इसलिए मेरा आरोप है कि इनका विभाग उन डीलरों से मिला हुआ है। ऊंचा रसूख रखने की वजह से दो साल में 69 शिकायतें आने के बावजूद, माननीय मंत्री महोदय, 69 शिकायतों में...

(श्री पेमाराम)

(व्यवधान) आप मुझे बीच में टोक रहे हैं, एक में भी आपने कार्यवाही की हो तो मुझे बता दें। कार्यवाही करने की बजाय उन्हें बचाने का काम करते हैं, जनता की जेब काटने का काम करते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि राशनिंग व्यवस्था को भी लागू करवाएं और इस सिस्टम को जरा ठीक करें तो बेहतर है।

माननीय सभापति महोदय, राशन का डीलर क्या करता है कि सारे के सारे राशनकार्ड इकट्ठा करके अपने पास ही रख लेता है और प्रमाणित भी हो जाती है, तो राशन डीलर का लाइसेंस निलम्बित कर देते हैं डी.एस.ओ., रसद अधिकारी। उसके बाद उन राशन डीलर को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। वे बहाल भी हो जाते हैं। चोर गली से राशन डीलर बहाल हो जाते हैं। व्यवस्था को सुधारने की बजाय, गांवों में कैरोसीन पहुंचाने की बजाय, बी.पी.एल. को गेहूं पहुंचाने की बजाय जो ब्लैक करने वाले हैं, उनको बचाने का काम करते हैं इसलिए उन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करें तो बेहतर रहेगा।

एक मैं सुझाव भी देना चाहूंगा। जहां ग्रामीण इलाकों में कोआपरेटिव सोसायटी हैं, निर्वाचित लोग हैं, वहां पर कोआपरेटिव सोसायटी की तुलना में जब राशन डीलर को भेजा जाता है तो निश्चित तौर पर मिलीभगत करके, मेरा तो आरोप है कि इनके विभाग द्वारा राशन डीलर से मिलीभगत करके सीकर जिले की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसलिए मेरी राय में राशन डीलर जो ब्लैकलिस्टेड हैं या जिनकी शिकायतें हैं, उनकी जांच करवानी चाहिए और वहां पर उनके लाइसेंस निरस्त करके उस इलाके में कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से राशन की व्यवस्था करें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक गैस का सवाल है, गैस से पूरा राजस्थान पीड़ित है। 20 दिन का इनका समय है, सारी चीज है, दुगना पैसा लेते हैं। नया कनेक्शन लेने के लिए या कोई सिलेण्डर भराने के लिए जाता है तो 500-600 रुपये लिये जाते हैं और शादी का मौका आता है तो हमारे जिले में ग्राहकों से 700-700 रुपये लेने के बावजूद भी सिलेण्डर नहीं मिल पाता है और ऊँचा रसूख रखने वालों के वहां पर 20-20, 30-30, 50-50 ट्रक के ट्रक सिलेण्डर पहुंच जाते हैं।

हमारे यहां एक गैस वाला है देव गैस एजेंसी, उसके लिए सारे के सारे अख़बार, सबने इतना लिख दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। जनता सड़कों पर

(श्री पेमाराम)

आ गई, आन्दोलन हो गया। इधर भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे, सरकार में ये भी बैठे हैं, अब सरकार में कांग्रेस वाले आए हैं, सरकार भाजपा की भी और कांग्रेस की भी आई, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जनता चलाकर आई तो 500 रुपये में सिलेण्डर भरने के लिए लगे उस इलाके में। सरकार आएगी, चली जाएगी, उस गैस एजेंसी के मालिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसी शिकायतों पर सरकार तुरंत निपटारा करे और आम जनता को राहत दिलाने का काम करे, यही कहते हुए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। वर्ष 2010-2011 का बजट माननीय मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया है, यह बजट किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, महिलाओं को समर्पित बजट है। (व्यवधान) आप रूको, मांग पर तो बोल रही हूं। शुरुआत है, सुनना सीखिये पहले। मैं सब का सुनती हूं, आप मेरी भी सुनें। पशुपालकों की, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर, इनके निदान के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रिप्लाई में चारे पर सब्सिडी दुगनी की और कहा कि पानी की सभी समस्याओं का निदान करने के लिए सभी पानी की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

प्रबोधक, मदरसा पैराटीचर्स की नियुक्ति के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाकर उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा जिससे प्रबोधकों की, मदरसा पैराटीचर्स की समस्याओं का समाधान होगा, उनके परिवारों को राहत मिलेगी।

माननीय सभापित महोदय, श्मशान एवं कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए 90 प्रतिशत राशि सरकार देगी और 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से करके कब्रिस्तान और श्मशान की बाउंड्री का निर्माण किया जाएगा। इससे कब्रिस्तान और श्मशान में अतिक्रमण रूकेंगे और अवैध निर्माण भी बंद होंगे, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को पूरे राजस्थान की जनता की ओर से हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं। नगरपालिका क्षेत्र...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप खाद्य आपूर्ति पर बोलें, चर्चा करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मेरे क्षेत्र का है, क्षेत्र के विकास का है।

श्री सभापति: वह भी मांग आएगी, उसके अन्दर बोलना। समय कम है।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बोल रही हूं। वर्तमान में ज्येष्ठ पुष्कर जो नगरपालिका पुष्कर में स्थित है, यहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं जो पुष्कर सरोवर, ब्रह्माजी के मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। रमणीक पहाड़ी व प्राकृतिक बने हुए रेतीले स्थानों, ऋषि-मुनियों के स्थानों के चारों तरफ फैली गुलाब की खेती, सुन्दर हरियाली को देखकर भरपूर आनन्द लेते हैं। पुष्कर में रेडीमेड कपड़े, ऐतिहासिक वस्तुएं, ज्वैलरी-पैंटिंग इत्यादि की खरीददारी करते हैं। यहां के गुलकंद एवं गुलाब की महक विदेशों तक फैली हुई है जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है। ज्येष्ठ पुष्कर से मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर जो जयपुर जाने वाला बाई-पास हाइवे है, रोड से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसको नगरपालिका सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है। इन स्थानों का धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाकर देशी-विदेशी पर्यटकों को इन स्थानों से जोड़ा जा सकेगा। जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर के चहुंमुखी विकास हेतु पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान माननीय श्री बरकतुल्ला खां ने पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल का गठन किया था। पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल की अंतिम बैठक 14 जनवरी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। यह बाद में कला संस्कृति की जब मांग आएगी, तब आप रखना।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए, यह मेरी मांग है।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, बोलने दीजिये। माननीय सभापति महोदय, बोलने दें इनको।

श्री सभापति: आज आप खाद्य नागरिक आपूर्ति के बारे में बोलिये, सिंचित क्षेत्र विकास पर बोलें, जनजाति पर बोलें। खाद्य आपूर्ति के ऊपर बोलें आप।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): क्षेत्र का विकास भी है इसमें, क्षेत्र का विकास भी है इसमें। (व्यवधान) यह मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास है, क्षेत्र का विकास इसमें है। मांग संख्या 22, क्षेत्र का विकास। क्षेत्र का विकास ही है। तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाएगा तो पुष्कर के विकास को नये आयाम मिलेंगे, विकास को गति मिलेगी, आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी क्योंकि नगरपालिका की सीमित आय है, वह इतने अच्छे साधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। नगरपालिका की आय कम है, वे तीर्थ मण्डल को वापस पुनर्जीवित किया जाय और जो इसकी बैठकें नहीं हुई हैं 14.1.1991 से, वह वापस शुरू की जाएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि इस पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए तो पुष्कर के विकास को नये आयाम मिलेंगे और आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा होगी। इसके चेयरमैन माननीय मुख्य मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष देवस्थान मंत्री होता है। और मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं है स्वतंत्र, न ही एक भी पंचायत समिति है, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं होने से मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को तहसील के कामों के लिए अलग-अलग विधान सभाओं में जाना पड़ता है, तीन तहसीलों में अपने कार्य सम्पादन के लिए जाना पड़ता है जिससे उनके धन और समय का व्यय होता है और माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी स्वतंत्र पंचायत समिति नहीं है, उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि पुष्कर और रूपनगढ़ क्षेत्र में एक-एक पंचायत समिति खोल दी जाए तो मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी और क्षेत्र का चंहुमुखी विकास होगा और धन और समय की जो खपत होती है वह भी बचत होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि क्षेत्र के विकास में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा के लिए जरूरी है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी शिक्षा पर नहीं है, मैं आपको बार-बार निवेदन कर रहा हूं, भूमिका बनाने में समय समाप्त हो जाएगा आपका, उस भूमिका-भूमिका में ही समाप्त हो जाएगा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): नहीं, क्षेत्र का विकास। मेरा नागरिक आपूर्ति पर नहीं है, मैंने अपनी मांग भी मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास लगायी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): क्षेत्रीय विकास पर लगाया है, सर। (व्यवधान) पुष्कर की योजनाओं के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, पुष्कर की जनता ने मुझे चुन कर भेजा है और लम्बे समय से इनकी मांग है, मैं उन्हें सदन में रखूंगी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, क्षेत्रीय विकास और पुष्कर की जो योजना है, वह इर्रिगेशन रिलेटेड है और इर्रिगेशन के मंत्रीजी जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान) आप विराजो, विराजो।

एक माननीय सदस्य: पुष्कर की बहुत बढ़िया मांग है, पुष्कर के लिए बोलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मैं पुष्कर के लिए बोलूंगी और बोलती रहूंगी क्योंकि पुष्कर की जनता ने मुझे चुन कर भेजा है। पुष्कर विकास मण्डल की 1972 के उपरांत नौ बैठकें, और 1991 से उन्नीस वर्षों से कोई भी बैठक नहीं हुई है। जन-जन की आस्था के केन्द्र तीर्थराज पुष्कर में प्रति वर्ष लगभग 17 लाख 75 हजार विदेशी पर्यटक आते हैं, अति पावन स्थल के समुचित विकास के लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस तीर्थ विकास मण्डल को वापस पुनर्जीवित किया जाए और झील संरक्षण का जो काम चल रहा है, उसको गति दें। इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, झील संरक्षण का काम धीरे कर रहे हैं। पुष्कर करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है, पुष्कर सरोवर के सौंदर्यीकरण के तहत जो काम चल रहा है, उस काम को गति दें। काम धीमे हो रहा है, आने वाले वर्षों तक पूर्ण नहीं होगा तो सरोवर तक पानी नहीं आ सकेगा। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदयजी, आपने मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत का अधिकांश क्षेत्र विकास कार्यों से पिछड़ा हुआ है। विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग मगरा क्षेत्र की

(श्रीमती संजना आगरी)

पहाड़ियों के मध्य स्थित है, मगरा क्षेत्र में पहाड़ियों के मध्य अधिकांश लोग निवास कर रहे हैं। मगरा क्षेत्र में निवास कर रहे लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आजादी के बाद आज तक सड़क, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। मगरा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मात्र पगडंडियां बनी हुई हैं, सड़कों का अभाव होने के कारण कई बार लोग रास्ता भी भटक जाते हैं। यहां निवास कर रहे लोगों के मकान नहीं बने होने के कारण ये लोग झोंपड़ियां बना कर रहते हैं, तेज बारिश के समय में झोंपड़ियों में पानी टपकता है, तेज हवा आने पर झोंपड़ियां गिर जाती हैं, पेड़ भी ऊपर से गिर जाते हैं जिसके कारण कई बार जन-धन की हानि होती है। माननीय सभापतिजी, मैंने पिछला बजट सत्र जब हुआ था उसमें कट मोशंस में मंत्रीजी को बताया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो मगरा क्षेत्र है उसको मगरा विकास बोर्ड के अन्दर सम्मिलित किया जाए ताकि यहां पर रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़े। मेरा निवेदन है कि यहां के लोगों ने बिजली का नाम सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। मगरा क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा नहीं होने के कारण और सड़कों की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज, विशेष तौर से महिलाओं की कई बार हास्पीटल जाते समय रास्ते के अन्दर ही मौत हो जाती है। मगरा क्षेत्र में पीने के पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यहां निवास कर रहे लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वैसे मैंने पहले भी अवगत कराया था कि मेरी कांस्टीट्युएंसी सोजत विधान सभा में जनता 2200 टीडीएस का खारा पानी आज भी पी रही है। ऐसा दूषित पानी पीने के कारण कई बार महामारी फैल जाती है। सरकार ने इस नये बजट के अन्दर जनता को दूषित पानी से निजात दिलाने के लिए ताकि वहां की जनता को शुद्ध पानी मिले, बजट में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है जिसके कारण बड़ी संख्या में मौतें हो जाती हैं। शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है इस कारण आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जहां कहीं स्कूलें खोली गई हैं वहां पर सड़कों की और बिजली की सुविधा नहीं होने के कारण अध्यापक मगरा क्षेत्र के अन्दर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका असर पढने वाले बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर स्थित जो गांव और ढाणियां हैं, उनमें बिजली और सड़क का अभाव है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस कारण से जो लोग यहां निवास कर रहे हैं

(श्रीमती संजना आगरी)

उनका जीना दूभर हो गया है। माननीय मंत्री महोदयजी, बड़े दुर्भाग्य की बात है एक गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान की ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं से ज्यादा और कुछ नहीं जरूरत होती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर उन गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उनके क्षेत्र में विकास हो और उनको रोजगार मिले, इसके लिए कोई भी विकास की कोई योजना अपने इस बजट में नहीं रखी। आजादी के बाद आज तक गरीब तबके में निम्न जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और मगरा क्षेत्र में जो पगडंडियां बनी हुई हैं, वहां सड़कों का निर्माण करवाया जाए ताकि उनको वहां सुविधा मिल सके। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप मगरा क्षेत्र व इसके आसपास के बैकवर्ड एरिया को मगरा विकास कल्याण बोर्ड में लेकर सुविधाएं दिलाएं। मगरा विकास बोर्ड में इन्हें लेकर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाए। मगरा और पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण मगरा क्षेत्र के निवासियों के लिए रोजगार की भयंकर समस्या है, मेरा सुझाव है कि इन लोगों को रोजगार के लिए विशेष योजना बना कर साधन उपलब्ध कराया जाए, कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए मगरा क्षेत्र के लोगों को वरीयता दी जाएं, इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बिजली के लिए मेरा सुझाव है कि अधिकांश गांव और ढाणियों के अंदर उन लोगों ने आज भी बिजली का मात्र नाम सुना है, तो इन लोगों को शीघ्र बिजली की व्यवस्था की जाए। राशन के सम्बन्ध में मैं आपको बताऊंगी कि मगरा क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं, उनको राशन कार्ड में बी.पी.एल, ए.पी.एल और अन्य को अपनी श्रेणी के अनुसार सुविधा मिल सके, इसके लिए क्षेत्र का पुन: सर्वे कराया जाए ताकि बी.पी.एल और ए.पी.एल की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, उनको वहां पर झोंपड़ी में नहीं रहना पड़े। इसके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराए। मगरा क्षेत्र में उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वह उनके नजदीकी क्षेत्र में खोले ताकि उनको दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर नहीं जाना पड़े। कई बार उनको सूचना नहीं होती है जो महीने का आप दस किलो गंहूँ आबटित करते हैं, एक गरीब के लिए वह भी बहुत बड़ी बात होती हैं लेकिन सूचना नहीं मिलने से वे उससे भी वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक गरीब के लिए मूलभूत सुविधाएं जो राशन की

(श्रीमती संजना आगरी)

होती हैं, उसके लिए आप पूरा प्रयास करें ताकि उस गरीब को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रहना पड़े।

सभापति महोदय, मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के 30-35 गांवों की सूची पहले भी मैंने आपको पेश की थी, आज तक उन पर कोई चर्चा नहीं की है। मेरा आपसे निवेदन है कि मगरा क्षेत्र में रहने वाले भाइयों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है। उनको न तो फाइव स्टार होटल के अन्दर जाना, न ए.सी. गाड़ियों के अंदर बैठना और न ए.सी. मकानों के अन्दर रहने की आवश्यकता होती है। एक गरीब आदमी को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की सुविधाओं की जरूरत होती हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन हैं कि आप इन्हें मगरा विकास बोर्ड के अन्दर लेकर मूलभूत सुविधा दिलवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापति जी, नागरिक आपूर्ति पर बहस चल रही है, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जब इस सदन से कोई अच्छे सुझाव, अच्छे विचार निकल कर आएंगे तो, मैं यह मानता हूं, मंत्रीजी ने जिस तरह मुख्य मंत्रीजी को विश्वास में लेकर, सरकार को विश्वास में लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, उसी तरह जनता की लाइफ-लाइन के रूप में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट, वह निश्चित रूप से कुछ सुधार कर पाएगा। ज्यादा सुधार होंगे तो उसमें सरकार का संदेश भी अच्छा जाएगा और लोगों में भी सरकार के प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी और लोग खुद ही यह मानेंगे कि गरीब की सरकार आई है, आम आदमी की सरकार आई है जो आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना चाहती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसा विभाग है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। पूरे हिन्दुस्तान में जब महंगाई से सरकार ही नहीं पूरा देश लड़ रहा था, ऐसे में जब राजस्थान सरकार ने सस्ता आटा, दाल, तेल सब बेचना शुरू किया तो उसकी प्रशंसा सब जगह हुई। आम आदमी ने यह महसूस किया कि राजस्थान की सरकार लड़ना चाहती है महंगाई से। जब आटा बेचने के लिए सरकार निकली, उसका परिणाम भी सामने आया। दुकानों पर आटा सस्ता हुआ, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने आटा सस्ता कर दिया। जब दाल सस्ती बिकने लगी तो दाल भी सस्ती हुई और सरकार का एक संदेश गया कि सरकार महंगाई से लड़ना चाहती है। उन

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लोगों से लड़ना चाहती है जो मुनाफाखोरी करते हैं, स्टाक करते हैं और स्टाक करके महंगाई को बढ़ावा देते हैं। आज जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर बात हो रही है, आटा और दाल हम बेच रहे हैं तो, मंत्रीजी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा यह मौका है राजस्थान की जनता में सही संदेश देने का। यदि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से गरीब की सेवा करना चाहते हैं, आज आटा बिक रहा है, और जो आटा लेकर जाता है उस की मां की आंखों में चमक नजर आती हैं। आटा देरी से पहुंचता है तो उसको लगता है, वह इंतजार ही करती है, लाइन में खड़ी रहती है। यह दर्द हमको पता नहीं है, यह दर्द उसको पता है जो भूख को महसूस करता है। आप चले जाइए उन बस्तियों में, उन गरीब की बस्तियों में, उन स्लम एरियाज में जहां पर आपकी एक दुकान है, लेकिन मौहल्ले कई हैं। जब पता चल गया कि आज आटा बेचेगा, आटा आ गया है, तेल आ गया, लोग पांच-पांच घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं। अब यह निर्भर करता है राशन डीलर की मेहरबानी पर कि वह 12 बजे पहुंचेगा या 7 बजे पहुंचेगा लेकिन लाइन में जो मां खड़ी है, वह खड़ी है, खड़ी होकर इंतजार ही करती है। आज आपका आटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी ही ले रहा है, आपका आटा अमीर आदमी भी लेकर जा रहा है। मैंने खुद ने चैक कराया, अमीर आदमी ले रहा है। मेरे यहां पर एक रिटायर्ड अधिकारी आते हैं, हमारे एमएलए करणसिंहजी कह रहे हैं मैं खुद खाता हूं वास्तव में आटे में कोई कमी नहीं हैं। मेरे यहां जॉय साहब काम करते हैं क्रियश्चियन हैं, प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं, मेरे यहां पर आते हैं, बिना तनख्वाह सेवा के रूप में काम करते हैं उन्होंने कहा, आटे में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी हमारे में है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं और वह सुधार तब होगा जब हम अधिकारियों की राय को किनारे करके बात करेंगे। होता क्या है जब हम राज में नहीं आते, उससे पहले तो हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हमारे दिमाग से काम करेंगे। गांव का, गरीब का, गली का दर्द समझकर काम करेंगे। हम खुद लोगों के बीच में जाएंगे और जाकर चैक करेंगे कि आम आदमी क्या महसूस करता है? लेकिन राज में आने के बाद हम थोड़े आराम पसंद हो जाते हैं और आराम पसंद होने के कारण हमारे सामने जो नोट आ जाता है उसी नोट को हम आर्डर मान लेते हैं, जो अधिकारी हमको समझा जाए। आज इच्छा शक्ति की जरूरत है यह जरूरी इसलिए नहीं है कि हमारा राज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज उनका था तब भी यही हालात थे, वे भी आराम पसंद ज्यादा थे। जो आर्डर सीट पर आ गया वही फाइनल होता

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

था। वही हालात आज हमारे हैं। हम काम कर रहे हैं लेकिन आज जो आटा बिक रहा है, एक राशन डीलर वह है जो सिविल लाइन की पाश कालोनी में दुकान लेकर बैठा है, वहां राशन किसका है? वहां राशन है मंत्रियों का, मुख्य मंत्री का, एमएलए का, अधिकारियों का, और वे जाते ही नहीं हैं राशन लेने के लिए। वहां भी उतना ही आटा जा रहा है। और एक राशन डीलर वह है जो हसनपुरा में बैठा है, जो अमानीशाह नाला क्षेत्र में बैठा है उसके यहां भी आटा जा रहा है। आपको पोलिसी बनानी चाहिए कि जहां पर आटे की जरूरत नहीं है, दाल की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई मंत्री या सरकार जिम्मेदार है, सिर्फ पोलिसी बदलने की जरूरत है। जिस दुकान पर आटे की जरूरत नहीं है, जहां आटा बिकता ही नहीं है, चैक करने की जरूरत है, तो उन दुकानों को आटा बेचने की जरूरत कहां है? आटा आप उस एरिया में बेचिए जहां मां आटा लेने के लिए खड़ी है। रोज एमएलए के पास, एमपी के पास, मंत्री के पास जाती है और जाकर कहती है, मुझे आटा दिलवा दो। एक व्यक्ति वह है जो आटा लेना नहीं चाहता, एक व्यक्ति वह है जो आटा लेना चाहता है। वह कह रहा है मुझे आटे की जरूरत नहीं है, तो फिर वह आटा बीच का जा कहां रहा है? उस बीच के आटे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ड्यूटी यह नहीं है। हम राशन डीलर के लिए बैठे हैं। यह सेवा का विभाग है और इस सेवा के डिपार्टमेंट में यदि कुछ राशन डीलर हैं जो शुरू से बने हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं और जो यह महसूस करते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, राज किसी का भी आ जाए लेकिन राज में चलेगी हमारी, पुराने राज के समय राशन डीलर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी दिखाकर भेदभाव नहीं किया, राशन डीलर नहीं बदले। राशन डीलर नहीं बदलने के कारण, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनको बदल दें। लेकिन जो जिम्मेदार हैं बेइमानी के लिए, जो गलती करता है, जो चोरी करता है, हमको लगता है यह राशन डीलर गलती कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और एक राशन डीलर के पास, मैं आपको इतना बता सकता हूं, ऐसे-ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, राशन डीलर यहां रहता ही नहीं है, बंगाल में रहता है, ठेके पर दुकान दे रखी है। पूरे राजस्थान में बहुत जगह ऐसे राशन डीलर मिलेंगे जिन्होंने धंधा बना रखा हैं। ऐसे राशन डीलरों की दुबारा जांच की जाए, सर्वे किया जाए। यह देखा जाए कि वास्तव में जिसको हमने दुकान दी राशन की, वह क्या वास्तव में सही राशन डीलर हैं या नहीं। यदि वह सही नहीं है तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

क्यों नहीं हम दुबारा सर्वे कराएं पूरे राजस्थान का, सर्वे वहां का भी करवाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों की आज क्या हालत है, दस गांव हैं, और एक गांव में दुकान है, दस गांव के लोग इकट्ठा होकर उस दुकान पर जाते हैं तो कैसे आप आटा ले सकते हैं, कैसे गेहूं ले सकते हैं, कैसे चीनी ले सकते हैं, कैसे तेल ले सकते हैं? राजस्थान का कोई भी गांव हो जिसकी आबादी 300 से ज्यादा हो, हमारी उपलब्धि उसी दिन सही साबित होगी जिस दिन हम हर गांव में राशन की दुकान खुलवा देंगे। मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की कि राशन की दुकान पर गेहूं, तेल, चीनी आटा जब भी बंटेगा, सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में बंटेगा। यह इस बात को साबित करता है कि हम ईमानदारी से आटा दिलाना चाहते हैं, राशन का वितरण करना चाहते हैं, हम बेइमानी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी उस घोषणा के बाद हम ईमानदारी के साथ पूरे राजस्थान की जनता के सामने खड़े हैं। 15 से लेकर 21 तारीख तक मुख्य मंत्रीजी ने कहा, आपको राशन की दुकानों पर वितरण करना पड़ेगा । पहले राशन की दुकानों पर चीनी आ रही थी, आज कल चीनी नहीं आ रही है। जरूरत चीनी की है, चीनी हम दे नहीं पा रहे हैं। अब चीनी दे नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि चीनी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। राज हमने लिया है तो राज में बहाने भी नहीं चलेंगे। राज में यह भी नहीं चलेगा कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, मेरे दिक्कत थी। जो गरीब आदमी आता है वो तो कहता है कि आप एमएलए हो, आप एमपी हो, आप मंत्री हो, आप मुख्य मंत्री हो, राज आपका है, आप हमारा काम करवाइये। हम यहां पर आकर अकड़ कर बैठ तो जाते हैं विधान सभा में और हम यह समझते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन जब सुबह आकर वो गरीब आदमी खड़ा होता है, आकर कहता है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मैं राशनकार्ड कहां से बनवाऊं? क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अधिकारी बनाने को तैयार नहीं हैं। मंत्रीजी, आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए। राजस्थान का राज उस मुख्य मंत्री के हाथ में है जो यह कहते हैं कि राशन का दुकानदार ईमानदारी से काम करेगा। कर्मचारी की उपस्थिति में राशन बंटवाएंगे। हमारी भी ड्यूटी बनती है, जब हम शुद्ध के लिए युद्ध करते हैं ओर उसका परिणाम सामने आता है, वो मिलावट करने वाला व्यक्ति पकड़ में आता है तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है। इस अभियान की चाहे कितनी भी बुराई हुई हो, लोगों ने कह दिया इंस्पेक्टर राज लग गया, मैं आज कह रहा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हूं आपसे कि मैं मेरे गांव में गया, दुकानें बंद पड़ी थीं खाचरियावास में। मैंने पूछा कि बंद क्यों कर रखी हैं दुकानें? तो बोले कि क्या करें आपके राज में हमें डर है, आज टीम आने वाली है। मैंने पूछा आयी क्या तो बोले, कोई नहीं आया। मैंने मंत्रीजी को फोन मिलाया, कलक्टर को मिलाया। मंत्रीजी ने कहा कि हमारा गांवों में क्या काम। और जब क्लियर हो गई स्थिति अखबारों में, तो सारे गांवों में दुकानें खुल गईं। मैं इतना कह सकता हूं कि वो अभियान चला, उस अभियान से आप आम आदमी से मां, बहन, बेटी से घर पर जाकर पूछें, जिस दिन अख़बार में चोरी करने वाले, मिलावट करने वालों को पकड़ा गया, उस दिन हर मां ने दुआ दी कि भगवान भला करे इस राज का कम से कम अब मिलावट का माल तो हमको नहीं खाना पड़ेगा। उसका असर पूरे राजस्थान में देखने में आया। अब बार-बार यह बात उठती है कि आपके पास तो लेबोरेटरी नहीं है, आप जांच कहां करवाओगे? वास्ते लगाओ इस जांच को। पकड़ तो रहे हैं काम तो कर रहे हैं, क्या जाएगा उससे? आपको जांच कराने की चिन्ता हो रही है, आप कह रहे हैं कि जांच कहां करवाओगे। जांच कहीं पर करवाएं या नहीं करवाएं लेकिन जो मिलावट करते हैं यदि वो ईमानदार होगा तो हम भी उसको नहीं पकड़ सकते, अधिकारी भी उसको नहीं पकड़ सकते और राजस्थान की जनता उनको पकड़ने भी नहीं देगी। आज मिलावट करता है उसको जब हम पकड़ते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको पकड़ने की। लेकिन आज लोगों के मन में डर पैदा हुआ। और राज का डर होना भी चाहिए। लेकिन अब डर एक और आप पैदा कीजिये, आप जाइये गैस डीलरों के पास। हम अखबारों में देते हैं, आप नीति भी बनाते हो, अख़बार में छापते भी हो, अधिकारियों की मीटिंग भी होती है लेकिन वो काम इंप्लीमेंट नहीं होता है, नीचे तक उसका असर नहीं होता है। वो गैस जो बेच रहा है, आपने तो नीति बना दी लेकिन वो गैस डीलर डरता नहीं है। वो कहता है कि आ गया न सिलेण्डर लेने के लिए तो चूल्हा लेकर जा। वो कहता है कि भाई साहब, मैं चूल्हा नहीं लूंगा। मेरे को पांच सौ रुपये में बाहर मिल रहा है। तो बोलते हैं कि तुझे चूल्हा लेना पड़ेगा। वो हमारे जैसे लोगों के पास आता है, आकर कहता है कि साहब वो गैस डीलर कह रहा है कि सिलेण्डर तभी देगा जब तू चूल्हा लेकर जाएगा, चाय लेकर जाएगा। मुझे पता नहीं था, आजकल चाय और चीनी सब बेच रहे हैं गैस वाले। अधिकारियों को पता होगा, मंत्रीजी को पता होगा। यह नया सिस्टम आया है कि आजकल गैस डीलर कहता है कि चाय लेकर,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

चीनी लेकर जाइये। कई सामान, साबुन भी बेच रहे हैं और तेल भी बेच रहे हैं। अब जो स्थिति पैदा हो गई उसमें वो मजबूर करते हैं कि तेल भी लेकर जाइये। अब तेल की मालिश खुद के करें या दूसरे के करें। अब मालिश करने के लिए आदमी नहीं है लेकिन तेल लेकर जाओ। इसलिए जो तेल की स्थिति हुई है उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंत्रीजी, मौका है आपको बाकायदा आर्डर निकालना चाहिए, अखबारों में विज्ञापन देने चाहिए। बड़े-बड़े विज्ञापन अलग-अलग मंत्रियों के छपते हैं, कई विज्ञापन ऐसे छपते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है छपाने की, फिर भी न मालूम फोटो किसको दिखाते हैं। चाहे हमारा राज हो चाहे आपका राज हो पहले आदरणीय राठौड़ साहब के छपते थे भाभी-सा देखती थीं या नहीं देखती थी पर हम जरूर देखते थे, यह तय बात है। और अब की बार कभी नागर का छप जाता है, कभी और मंत्रीजी का छप जाता है। नागर साहब हमारे मित्र हैं इसलिए आपका नाम ले रहा हूं, औरों का लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे और आपके ऊपर ही आएगी बात। इसलिए सब मंत्री जब छपवाते हैं, आप भी तय करें।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): मेरा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपका नहीं है। लेकिन आपका फोटो हमारे दिल में है, खान साहब, क्या बात कर रहे हो। आप हमारे ससुराल से हो, आपका भी नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूं, आपका भी नहीं है। एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस तरह के हम विज्ञापन दें उसमें स्ट्रिक्ट्ली यह तय करें कि हम जो पालिसी बना दें, उस पालिसी में गरीब तक सरकार की आवाज पहुंचनी चाहिए। 15 से लेकर 21 तक, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आटा बंटेगा। मैंने खुद कलक्टर साहब को परसों फोन किया, और मुझे खुशी है कि कल 15 तारीख से आटा बंटना चालू हो गया है और मुख्य मंत्रीजी की जो बजट में घोषणा हुई वो घोषणा लागू हो गई। मैंने इसलिए कहा कि यह सदन चल रहा है, अपोजिशन के लोग कहेंगे कि 15 तारीख से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी और आपका आटा बंट नहीं रहा है। हम यह चाहते हैं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इस पूरे सदन की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी में चीनी अब हमारे यहां से बंटनी चाहिए। लेकिन चीनी नहीं बंट रही है तो उसके लिए हमारे मैनेजमेंट में दिक्कत है। हमारी सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं, कार्यपालिका जो बैठी है उसके सिस्टम में गड़बड़ है। यदि

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कोई अधिकारी काम नहीं करता है, मंत्रीजी, तो कहीं से आपको कुछ भी परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मंत्री यह कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है या आदेश नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है। मंत्रियों को साफ निकलना चाहिए आर्डर कि यदि कोई अधिकारी काम नहीं करे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो और वो भ्रष्ट हो तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। यह तय कर लेना चाहिए उन इंसपेक्टरों के खिलाफ जो कभी दुकान पर जाते नहीं आम आदमी का दर्द समझते नहीं। उन दुकानों की जांच करा लो जो जिस क्षेत्र की दुकान है वो उसी क्षेत्र में खुलनी चहिए। आपको मैं राजधानी का एक उदाहरण दे दूं, हर शहर में यह मिलेगा, कि दुकान है आपके वहां ब्रह्मपुरी की और वो चल रही है चांदपोल में। चांदपोल की दुकान मालवीय नगर में चल रही है। एक सिस्टम है, डीएसओ को पावर दे रखा है आपने, पर आपको ध्यान ही नहीं है कि डीएसओ अटैच कर देता है। लेकिन उस क्षेत्र के लोग कहां जाएंगे जिसकी दुकान को दूसरे क्षेत्र में भेज दिया? उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। लोगों को 6-6 महीने तक राशन कहां जा रहा है, पता ही नहीं है क्योंकि दुकान अटैच हो गयी है। दुकान यदि अटेच हो तो उस इंस्पेक्टर की आप जिम्मेदारी तय करें कि तुम्हारी दुकान यदि कैंसिल हो गयी है तो यह आटा इंस्पेक्टर खड़ा रह कर बंटवाएगा, राशन का सामान इंस्पेक्टर खड़ा रह कर बंटवाएगा, चाहे हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी जाएगी लेकिन वो राशन का सामान बटेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा, बार-बार घंटी बज रही है, यह विभाग जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। आपने निश्चित रूप से काम अच्छा किया है। आपके सिर्फ एक अभियान ने राजस्थान में पूरा डंका बजाया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सब जगह जब आप आटा सस्ता बांट रहे हैं तो एक बात कहूंगा और मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध करूंगा आपके सामने, दो रुपये किलो में हम बीपीएल वालों को और राज्य बीपीएल को आटा देंगे, बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। 4.70 रुपये किलो वाला गेहूं दो रुपये किलो में मिलेगा, यह दो रुपये किलो का गेहूं लेने कोई अमीर आदमी राशन की दुकान पर नहीं आएगा। यदि हमारी सरकार दो रुपये किलो का गेहूं हर राशन वाले को जो राशनकार्ड लेकर जाए, उसको दस किलो प्रत्येक राशनकार्ड पर पूरे राजस्थान में देना शुरू कर दे तो पूरे राजस्थान की जनता हमको धन्यवाद देगी और राजस्थान की

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जनता यह कहेगी कि यह कांग्रेस का राज आम आदमी की सेवा करना चाहता है। दस किलो गेहूं से कोई बहुत बड़ा भार नहीं आ जाएगा। और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन उसके लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो उसका हमें लाभ मिलेगा। मैं इतना मानता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये वो सुझाव लेते हुए आप सुधार करेंगे। उस सुधार के बाद निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की जनता सरकार को धन्यवाद देगी, सरकार का सही संदेश जाएगा और हम जनता की सेवा कर सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल झंवर।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति की मांगों पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मैं कुछ सुझाव और कुछ कमियां, माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, उनके ध्यान में लाने के लिए बोल रहा हूं। मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों के रजिस्टर संधारण नहीं किये हुए हैं आज तक, राशन आता है, किसको बांटा, किसको नहीं बांटा, इस बात की कोई जानकारी किसी को नहीं है। मैंने एक राशन विक्रेता की वितरण रजिस्टर की कापी मांगी, दो जिला रसद अधिकारी ट्रांसफर होकर चले गये, तीसरा आ गया परंतु जब भी मैं फोन करता हूं कि साहब वो कापी, तब उस डीलर को कह देते हैं और डीलर वापस दस-बीस-पचास आदमियों को लगा देता है परंतु कॉपी नहीं दी जाती है आज तक। इसलिए मेरा सुझाव है कि राशन डीलरों के रजिस्टर संधारण किये हैं कि नहीं किये हुए हैं, इस बात की पूरी जांच करायी जाए। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 15 से 21 तक राशन बांटने का जो नियम लागू किया है, उसको चालू करने से पूर्व डीलरों के पहले जितने भी रजिस्टर हैं, वो जमा करने की कार्यवाही की जाए। फिर दूसरा रजिस्टर कर्मचारी के हस्ताक्षर से जिसको नियुक्त किया जाता है, उसको प्रमाणित करके दिया जाए ताकि राशन के वितरण में पारदर्शिता लाई जा सके।

दूसरा मेरा सुझाव है कि केरोसीन गांवों में जाता है, मैं एक दिन रात को जयपुर से गया तो रास्तें में बेरासर गांव पड़ता है, रात को साढ़े, 12 बजे

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

वहां टैंकर जा रहा था कैरोसीन खाली करने के लिये। मैंने पूछा कि रात को क्यों जा रहा है यह राशन? हालात यह है मंत्री महोदय, कि रात को कैरोसीन गांवों में खाली होता है। 10 ड्रम जिस डीलर के होते हैं उसमें से 5 ड्रम खाली हो जाते हैं, 5 वापस पम्पों पर आकर डीजल में मिलावट के लिये काम में आते हैं। मेरा निवेदन है कि जो भी कैरोसीन खाली हो वह दिन में खाली करें। पहले दिन अख़बार में विज्ञप्ति देवें कि कल इन-इन गांवों के डीलर को कैरोसीन का वितरण किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

निलम्बित डीलरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत डीलर निलम्बित हैं और 7-8 साल हो गये, पुराने डीलर ही नियुक्त किये हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि नये डीलरों की नियुक्ति की जाए। जो नये डीलर नियुक्त करें, वे भी आम सभा में नियुक्त किये जाएं ताकि आम जनता की भावना की कद्र हो।

मैंने कई पत्र लिख दिये डीएसओ को कि राशन का सामान आप जिस दिन जारी करें उस दिन प्रेस विज्ञप्ति देवें और एक कापी विधायक को भी देवें। नहीं दे रहे हैं। 14 महीने में सिर्फ एक जरूर आई है, वह भी टेलीफोन करने पर। इसलिए निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करें कि प्रेस विज्ञप्ति जाए कि कल इन-इन गांवों में यह राशन वितरण किया जाएगा। अब तो खैर सुविधा हो गई, 15 से 21 तारीख तय हो गई है इसलिए यह समस्या नहीं रहेगी। परन्तु 15 से 21 तक राशन क्या-क्या दिया जा रहा है, यह भी लोकल लेवल के अख़बार में खुलासा हो जाए तो पारदर्शिता बनी रहेगी।

मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में 2.75 लाख की जनसंख्या है और नौखा शहर की जनसंख्या है 70 हजार। वहां एक गैस डीलर है हिन्दुस्तान पैट्रोलियम का, मनमानी हो रही है। इसलिए जनसंख्या को देखते हुए और एकाधिकार खतम करने के लिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि एक नया डीलर चाहे किसी भी कम्पनी का हो, चाहे इण्डियन आयल का हो, चाहे भारत पैट्रोलियम का हो, और करें तो लोगों को राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने आज नागरिक आपूर्ति की मांगों पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह ।

श्री अजय सिंह (डेगाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर चर्चा है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सदन में लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते रहे हैं और सभी माननीय सदस्यों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिये। माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी ने बड़े ठोस तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार को वह बिलकुल खतम करेंगे। लेकिन उन्हीं के नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को यदि किसी भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी हो, पिछले एक साल से जानकारी हो और विधायक के रूप में मैं उनसे चार महीने पहले मिल भी लिया हूं और फिर भी यदि किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो मेरे खयाल से इससे ज्यादा जनता की पीड़ा और विधायक की पीड़ा क्या हो सकती है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाडरिया कलां ग्राम पंचायत है वहां के राशन डीलर द्वारा लगातार अनियमितता की जा रही है। उसके बारे में शिकायत करने पर वहां के जो भी लोकल अधिकारी थे, उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके पश्चात राज्य सरकार को शिकायतें गईं और राज्य सरकार ने अपना सत्यापन करने के बाद यह माना कि वह डीलर दोषी है। उसके बाद में सरकार द्वारा लगातार जिला रसद अधिकारी को और जिला कलक्टर महोदय को उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये लिखा जा रहा है। इस बीच में मैं भी प्रमुख शासन सचिव महोदय से मिला था, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लिख दिया हम क्या करें। अभी माननीय सदस्य अधिकारियों के बारे में बता रहे थे, यदि सरकार ही यह कह दे किसी विधायक को कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमारा भी बेकार है और जनता भी क्या करेगी। इसके बारे में सरकार ने जो पत्र जिला कलक्टर महोदय को लिखा है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा- 'जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां के राशन डीलर का प्राधिकारपत्र फर्जी तरीके से चालू किया गया है तथा बोगस राशन कार्डों पर अनुचित रूप से राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा 6 पत्र एवं एक नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। राशन डीलर के विरुद्ध गेहूं गबन के प्रकरण में बार-बार लिखे जाने के उपरान्त भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है बल्कि प्रकरण में गेहूं की भरपाई कर रफा-दफा कर दिया गया है।' यह राज्य सरकार लिख रही है। मंत्री महोदय, यदि राज्य सरकार किसी कलक्टर को और जिला रसद अधिकारी को 6-7 बार

(श्री अजय सिंह)

लिख दे और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं है। इसके अलावा मेरे द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय को जो पत्र दिये गये, आज तक मुझे उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने क्या किया, और आगे क्या कार्यवाही करेंगे। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मांग भी करता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करें और कितने दिन में करेंगे, इस सम्बन्ध में भी जब आप अपना उत्तर दें, मुझे अवश्य बताएं। इसके अलावा डेगाना विधान सभा क्षेत्र में गैस की कोई भी एजेंसी नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह डीलर सस्पैंड है या नहीं है?

श्री अजय सिंह (डेगाना): सस्पैंड नहीं है, पूरे जोर-शोर से काम कर रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरी जानकारी में लाये हैं? ठीक है, कर दूंगा इसको।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा, इसके बारे में इतने पत्र व्यवहार किये, वहां की जनता ने बार-बार कहा, उसके बाद आपके विभाग को पूरी जानकारी होते हुए भी यह कार्यवाही नहीं हो रही है। मंत्री महोदय से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में गैस की कोई भी एजेंसी नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इसको तीन दिन में सस्पैंड कर दूंगा।

श्री अजय सिंह (डेगाना): ठीक है, साहब धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद कि आप तीन दिन में सस्पैंड कर देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय से मैं 4-5 महीने पहले मिला, यदि वह उस समय ही कर देते तो शायद आज यह नहीं होता। वह लगातार डेढ़ साल से यह कार्य कर रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इस तरह के मामले आप मेरी जानकारी में लाया करें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): इसके अलावा अंत में मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से मेरे डेगाना क्षेत्र में गैस की एजेंसी नहीं है, यह मांग भी काफी

(श्री अजय सिंह)

वर्षों से कि करते रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ करें। सभापति महोदय, मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति पर सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीपीएल के साथ स्टेट बीपीएल को भी 2 रुपये किलो अनाज देने की घोषणा की। हमारे राज्य में 'शुद्ध के लिये युद्ध' के रूप में सरकार ने बहुत बडी पहल की और पूरे देश में शुद्ध के लिये युद्ध का प्रभाव गया। आज आप खुद देखें, हम देखें, पूरी जनता देखे इस बात को कि जो नवजात बच्चा पैदा होता है और वह सबसे पहले दूध लेता है, उस दूध में ही मिलावट हो जाए तो उस बच्चे का विकास क्या होगा उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी। इसके लिये सरकार ने सोचा, माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह अभियान चलाया। इस अभियान में करीबन 2400 ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें करीबन 100 अनुज्ञा पत्र निरस्त किये गये और 338 अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि करोड़ों लोगों के खाने-पीने की चीजों में जो मिलावट थी, उस मिलावट के लिये उन्होंने लोगों की आंखें खोलीं। पूरे देश में इसका प्रभाव गया और पूरे देश में इसको चलाया गया। कई जगह ऐसे मामले पकड़े गये पूरे देश में और राज्य में जिसका लोगों को आज तक पता नहीं था । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि 15 से 21 तारीख तक दुकानों में सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में सामग्री का वितरण किया जाएगा, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनके रहने से कालाबाजारी और जो डीलर लोग गडबडी करते थे, वह गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में केवल एक गैस एजेंसी है, भानपुर कलां, जमवारामगढ़ और आंधी बड़े कस्बे हैं वहां गैस एजेंसियां नहीं हैं। आंधी में गैस एजेंसी दौसा जिले से लगती है वहां से गैस आती है, लेकिन वितरण सही तरीके से नहीं होता। यह गैस एजेंसी दौसा जिले से आंधी में आती है जो करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, 60 किलोमीटर से आते हैं। एक दिन कहकर आते हैं और गाड़ी चली जाती है, कि एक दिन में आप ले लो तो ले लो और रह गये तो रह गये। ऐसी स्थिति में अगर कई जगह स्टेशन खोल दें कि इस तारीख से

(श्री गोपाल मीणा)

इस तारीख तक गैस मिले तो लोगों को फायदा हो पाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में गैस एजेंसियों की स्थापना होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है उसकी समय पर मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। समय-समय पर अधिकारियों को वहां जाकर यह देखना चाहिए कि खाद्य सामग्री का वितरण सही हो रहा है या नहीं। कई जगह दुकानों पर सामग्री का वितरण सही तरीके से नहीं करने पर उनके दुरुपयोग करने की शिकायत आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि राशन की दुकानों पर समय-समय पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि गरीब जनता को सामग्री सही समय पर मिल सके और गरीब जनता का भला हो सके।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो राशन की नवसृजित दुकानें माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री ने दी हैं, विज्ञापन में भी आ गई हैं, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण दिया है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। राशन डीलरों में यह पहली बार देखा गया है कि उसमें एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि राशन कार्ड पुराने हो गये जो बीपीएल कार्ड पिछली सरकार में बनाये गये, मैं बताना चाहता हूं कि जो हकीकत में गरीब आदमी है उस आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ है। जिनके पक्के मकान हैं, जिनके बसें चलती हैं, जिनके गाड़ी चलती है उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो बीपीएल कार्ड हैं वे दुबारा से बनाए जाएं, सही तरीके से, आम गरीब आदमी को उसका फायदा मिलना चाहिए। आज भी हम देखते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जो गरीब आदमी है उसको हम पूछते हैं कि क्या आपका बीपीएल कार्ड है, वह मना कर देता है कि हमारा बीपीएल कार्ड नहीं है। लेकिन वह कहता है कि इसका बीपीएल कार्ड है, हकीकत में देखा जाए तो वह आदमी बीपीएल लायक नहीं है। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि जो आम गरीब आदमी है उसको फायदा मिल पाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30-जनजातीय क्षेत्र पर भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए जिलों को एक इकाई मानते हुए

(श्री गोपाल मीणा)

प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या दस हजार या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हों व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है। मैं भी अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं और उस क्षेत्र में माडा के क्षेत्र में जो काम होते हैं, सरकार काम देती है, ऊपर से आते हैं। लेकिन आबादी के अनुसार माडा के क्षेत्र में पैसा देना चाहिए। मैं समझता हूं, मेरे क्षेत्र में माडा के जो पैसे आते हैं, उनमें बहुत कम पैसे इस क्षेत्र में पहुंचते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और बताना चाहूंगा। इस योजना के अन्तर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया गया है। 2001 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 28.51 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.72 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 55.15 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। माननीय सभापति महोदय, जमवारामगढ़ भी इस माडा क्षेत्र में आता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि माडा क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत की जाएं ताकि जनजाति के लोगों का भला हो सके और उनको रोजगार, शिक्षा आदि की मूलभूत सुविधा हो सके।

मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि राज्य के पोलोटैक्निक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति 22 हजार से घटाकर 12 हजार कर दी गई है जो इस वर्ग के साथ गलत हुआ है, और ओबीसी की छात्रवृत्ति 22 हजार ही रखी गई है । छात्रवृत्ति का पूरा पैसा केन्द्र सरकार से आता है। एसटी, एससी वर्ग के छात्रों की यह राशि 22 हजार रखी जाए क्योंकि यह फीस घटा दी जाएगी तो दस हजार अपने घर से देने पड़ेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी से कि जो एसटी, एससी के छात्र हैं, जनजाति के छात्र हैं, इनकी 22 हजार की छात्रवृत्ति, पैसे केन्द्र सरकार से आते हैं वे इन्हें दिये जाएं, वापस 22 हजार किये जाएं। वन भूमि में...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): मनमोहन सिंहजी ने जनजाति के उन लोगों को जो वर्षों से अपना अधिकार लेने के लिए तरस रहे थे, अधिकार दिया और उनको पट्टे जारी कर दिये। आने वाले समय में कुछ और पट्टे हैं, वे भी जारी किये जाएं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र भी वन क्षेत्र का है वहां भी जनजाति के लोग रहते हैं, उनको भी ये पट्टे जारी किये जाएं ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके। मेरे को इन मांगों पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापतिजी, आज सदन में मांग संख्या 30 और 32 पर अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, आलोचना-समालोचना हो रही है। मैं आपसे दो-तीन बातों का जिक्र करुंगा और कुछ सुझाव भी दूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में इस बार जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए 124 करोड़ रुपये की घोषणा की, वह स्वागत योग्य है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, प्रावधान किया था । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार के कुछ आंकड़े हैं, सौ करोड़ रुपये की घोषणा

(समय : 16.00 बजे)

की, बजट दिया कितना, 6113.23 लाख। और उसमें से भी खर्च कितना हुआ? 3258.01 ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं, कोई समझ में नहीं आता है। सरकारें जिसकी भी बनती हैं, जनजातियों के लिये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास के काम हाथ में लेती हैं, यह विभाग उसका काम देखता है, नोडल विभाग है। उसके बाद में हम व्यय का आंकड़ा अगर तुलनात्मक देखें, पिछली जो मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे की सरकार थी, उसके देखें और आपके देखें तो इसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हमने बड़े-बड़े भाषण दिये, हमने नरेगा जैसी योजना चलाकर गरीब क्षेत्र का पलायन रोक दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज गांव का गरीब आदमी मजदूरी के लिये तरसता है, वह गुजरात या मध्य प्रदेश या शहरी क्षेत्र में पलायन आज भी कर रहा है। उसके पीछे कारण है। सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी अभी विराजमान नहीं हैं, यह

(श्री बाबूलाल खराडी)

जितना भी बजट आबंटित हुआ, उदयपुर सम्भाग में 4-5 जिले हैं जहां पर जनजाति बहुतायत में है और यह सारा पैसा उनके लिये आता है। इन 13 महीनों में जितना भी खर्चा हुआ, जितनी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य हुए या परिसम्पत्तियां निर्मित की गईं, 1421.67 लाख की परिसम्पत्तियां निर्मित की गईं, सभापति महोदय, उनमें से मैं समझता हूं कि शायद मेरे क्षेत्र में एक भी एनीकट या एक भी सामुदायिक भवन की जनजाति विभाग ने स्वीकृति नहीं दी है, औरों को दी हो तो कह नहीं सकता हूं। वहां का जनजाति व्यक्ति चाहता है, अपेक्षा रखता है कि जनजाति विभाग का पैसा मेरे क्षेत्र में भी आएगा, कोई एनिकट बनेगा। एनिकट बनेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा और उस एनिकट में अच्छा पानी होगा तो हमारे खेतों में पानी आएगा और खेतों में पानी आएगा तो वहां पर वह अपने हाथों से मेहनत करके, खेती करके अपने बाल-बच्चों को पालेगा, यह अपेक्षा थी। लेकिन एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जनजाति छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। आज एक प्रतिभावान छात्र आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेता है और मैरिट के आधार पर जाता है, उन आवासीय विद्यालयों की हालत क्या है? वहां पर सब्जैक्ट टीचर नहीं है। सब्जेक्ट टीचर नहीं होने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में, स्तर में ग्राफ नीचे आता है और वह बच्चा मैरिट में वापस उस जगह आता है जहां पहले था। हम किसका भला चाहते हैं? मैं कोरडा का उदारहण दूं, कोरड़ा में, भैरोंसिंहजी का शासन था उस समय जनजाति छात्रावास की घोषणा हुई थी और जनजाति छात्रावास बनकर तैयार हो गया था। सी.बी.एस.ई. कोर्स था और उसको रिवर्स कर दिया गया और आज वहां पर एक भी सब्जैक्ट टीचर नहीं है। उन विद्यार्थियों का क्या होगा, सभापतिजी, यह मैं उत्तर चाहता हूं? दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, उसी कैम्पस में एक बालिका छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। उस भवन का उद् घाटन भी हो गया, आज तक एक भी बालिका का प्रवेश नहीं हुआ। वह बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है। किस जनजाति के विकास की हम बात करते हैं, किसका जीवन स्तर सुधारने की बात करते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापतिजी, आप कहें तो मैं बैठ जाऊंगा।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापतिजी, हमारे जनजाति के कालेज छात्रों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को तो 150 रुपये गृह किराया देंगे और एक प्राइवेट कालेज में पढ़ता है, उस बालक को आप गृह किराया नहीं देंगे। यह भेदभाव क्यों? तो मेरा सुझाव है, जब मंत्रीजी जवाब दें तब इसका जिक्र करें कि हम उन प्राइवेट कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी गृह किराया देंगे तो अच्छा होगा। और जो भी यह दे रहे हैं, वास्तव में सही कह रहे हैं कि वास्तव में 150 रुपये महीना किराया आज क्या है। आज अगर किसी शहर में हम जाकर मकान किराये पर लेते हैं तो दो हजार से कम किराये पर मिलता नहीं है, फिर 150 रुपया देकर क्या निहाल करेंगे? तो वास्तव में तुलनात्मक दृष्टि से इसको बढ़ाना चाहिए।

दूसरा, एक ही बात कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। पूर्व सरकार हमारी वसुन्धरा राजेजी की सरकार थी, उन्होंने गांव और गरीब की चिन्ता की, आदिवासी क्षेत्र की चिन्ता की। आदिवासी का बच्चा पढ़ता था वह तो पढ़ता था सरकारी स्कूल में, और इधर जो पढ़ने वाले हमारे जनजाति के बंधु थे, वे अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, उनका स्तर ठीक था। जब बच्चा नौकरी के लिये लाइन में लगता था तब क्या होता था उनका स्तर नीचे होता था? उनका स्तर ऊपर होता। इस कारण से वह मैरिट में रुक जाता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी को हमने निवेदन किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए बहुत बड़ा कदम लिया, उस जनजाति-उपजाति क्षेत्र में 45 प्रतिशत आरक्षण उस गरीब के लिये अलग से करके बहुत उपकार का काम किया। इस सरकार के आने के बाद में हमारे छात्रों ने महीने-महीने भर आन्दोलन किया, बी.एड. छात्रों ने आन्दोलन किया, छात्रों ने फीस जमा करा दी, मैरिट में आ गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको कालेज आबंटित किये, कालेज का कोई अता-पता नहीं, और कोई सुनने वाला नहीं। सभापति महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 32 पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी

(श्री मेवाराम जैन)

गहलोत और हमारे माननीय खाद्य मंत्रीजी यह चाहते हैं कि खाद्य आपूर्ति आम जन तक पहुंचे। शक्कर हो, गेहूं हो, घासलेट हो, दाल हो चाहे आटा हो, आम जन-जन तक पहुंचे। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अभी इस मंहगाई की मार को देखते हुए बी.पी.एल. को दो रुपये में एक किलो गेहूं देने का इस बजट में प्रावधान किया, उसके साथ-साथ स्टेट बी.पी.एल. थे, उनको भी गेहूं देने के लिये घोषणा की। हमारे मित्रों को उसमें शंका है कि यह आम लोग, आम गरीब तक यह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यह संशय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो हालत हुई इन पिछले पांच सालों के अन्दर, किस कदर बिगड़ चुकी थी और क्या हालत थी, मैं वर्णन करना चाहूंगा। पिछले 5 साल में राशन के गेहूं, चाहे ए.पी.एल. हो, चाहे बी.पी.एल. हो, शक्कर हो चाहे घासलेट हो, इनके एक साल में चार-चार क्वार्टर बनते थे जिसमें एक हिस्सा तो अधिकारी खा जाते थे, एक डीलर खा जाते थे और एक बड़ी मुश्किल से जनता के पास पहुंचता था। अब हमारी सरकार आयी, प्रयास कर रहे हैं। डीलर जो पहले से कार्यरत हैं उन डीलरों के हालात क्या है, आप कहीं का उदाहरण ले लीजिए। बाड़मेर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आधे डीलर बर्खास्त हो गये। उन डीलरों की एवज में जो दूसरे डीलर बैठे हैं, उनके एक-एक के पास दो-दो, चार-चार दुकानें दे दीं। तो हालात सुधारने में बहुत ही समय लगेगा। मैं यहां हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो भ्रष्ट डीलर बैठे हैं, पुराने टाइम में उनको नियुक्त किया था उनको कसो, जो खाली दुकानें पड़ी हैं, आप पुनः सर्वे करो, जहां आवश्यकता है उस जगह दुकानें खोलो एक नौजवान गरीब को इसमें रोजगार मिले और गरीब तक सामान पहुंचे, इसके लिए अपने को पहल करनी होगी।

इसके साथ-साथ यह आटे की बात है, बहुत अच्छी शुरूआत हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है। डिवीजनल हैडक्वार्टर पर आटा गरीबों को दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि जिला हैडक्वार्टर पर भी इस आटे को पहुंचाया जाए, दाल को पहुंचाया जाए। बी.पी.एल. के अन्दर जो पहले से चयन किये हुए है, कैसे किये हुए हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। बी.पी.एल. में सर्वे ऐसे लोगों का किया है जिनके पास गाड़ियां हैं, पक्के मकान हैं, टी.वी. है, बंगले हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं और आम गरीब रह गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए पुनः सोचना होगा और सही आदमियों का चयन होगा तभी आम गरीब आदमी को इसमें लाभ मिल पाएगा।

(श्री मेवाराम जैन)

इसके साथ-साथ गैस की बात आयी, गैस के अन्दर भी बहुत ही किल्लत है और जिस तरह से लोग चाहते हैं उनको गैस समय पर नहीं मिल रही है। गैस के डीलर मनमानी कर रहे हैं, कामर्शियल बेच रहे हैं। कई अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इस जगह आज 20 टंकियां पकड़ीं, उस जगह यह हुआ, यह हुआ। इस व्यवस्था को आपको अच्छी तरह से देखना होगा कि किस तरह आम आदमी तक गैस की हम सप्लाई कर सकें, अच्छी सुविधा उनको दे सकें, इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।

आज मिलावट की बात कर रहे हैं, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप बाजार में जाइये, बाजार में, जो मिल रहा है उसमें 50 परसेंट मिलावटी घी मिलेगा और दूध की हालत के तो कहने ही क्या और तो और, आप पैट्रोल पम्पों पर जाएंगे तो पैट्रोल पम्पों में 50 परसेंट तो घासलेट होगा ही। यह चैक करके दिखवा लीजिए। यह हालत है इसको हमको सबको सुधारना पडेगा। सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको रोकें। यह रोकना कोई आसान भी नहीं है क्योंकि यह कई सालों का है यह अभी का हमारे समय का नहीं है। पुराने समय में इस तरह की छूट दे रखी थी कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। उन हालात को अपन चेंज कर रहे हैं, मजबूती के साथ चेंज करें। हमारे मुख्य मंत्रीजी यह चाहते हैं, मंत्रीजी भी यह चाहते हैं कि किस तरह से इससे हम निपटें। इसमें स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ भी आप इसमें भेजें और जो काफी समय से वहां बैठे हैं, उनको हटाएं। नये स्टाफ भेजें ताकि लोगों में इसका भी कुछ असर रहे। आम आदमी के लिए हम करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, आम आदमी को लाभ मिले, यह सरकार की मंशा है, आप और हम सबकी मंशा है, तो हम किस तरह पहुंचाएं, उसकी आप कार्य योजना बनाएं।

इसके साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने, डीलर कह रहे थे कि हमें कमीशन तो कुछ मिलता नहीं है, चोरियां नहीं करें तो कहां से हमारा घर, पेट हम पाल सकते हैं इस बजट के अन्दर उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था कर दी है। पांच की जगह दस रुपये कमीशन कर दिया है, आठ की जगह 20 रुपये कर दिये हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही सफिशिएंट है और सरकार ने बहुत ही अच्छा यह निर्णय लिया है। मैं चाहूंगा कि इन सुझावों पर ध्यान देकर आगे बढ़ें। 'शुद्ध के लिए युद्ध' का कार्य बहुत ही अच्छा है और लोगों ने बहुत ही सराहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य को जारी रखें। इसमें मेरा सुझाव है कि हम घी का सैम्पल, तेल का सैम्पल

(श्री मेवाराम जैन)

छोटे व्यापारी के पीपा खुला हुआ है, उसके यहां से नहीं लेकर बड़ी कम्पनियां हैं जो बनाकर भेज रही हैं, बेच रही हैं, उनके यहां आप छापा मारें, उनके यहां चैक करें तो अपने आप नीचे स्तर पर यह पहुंचेगा ही नहीं। यह मेरा आपसे सुझाव है, उनको भी देखें और इसको आप जारी रखें ताकि लोगों में डर रहे और बाजार में सही चीज उपलब्ध हो सके।

इसके साथ-साथ मैं मांग संख्या-30 पर एक ही बात कहना चाहूंगा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था है, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर एरिया बहुत ही बैकवर्ड है और इसमें भी एस.टी. के लोग तो इतने गरीब है कि उनके उनके रहन-सहन की हालत देखो तो हर दृष्टि से कमजोर है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सहायता मिले। एक मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कृषि कनेक्शन एस.सी. को आप प्राथमिकता के तौर पर दे रहे हो, उसी प्रकार एस.टी. वालों को कनेक्शन प्राथमिकता के तौर पर दें मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुआ यही कहूंगा कि ये जो बातें हैं इनको इस बजट में देखा जाए और इन पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, 32-नागरिक आपूर्ति और 22 क्षेत्र का विकास, आज इन तीनों पर जो चर्चा हो रही है, मैं सारे आंकड़ों की ओर नहीं जाते हुए समय के अभाव को देखते हुए मेरे क्षेत्र की बात तकसीमित रहूंगा। आबू रोड, रेवदर, आबूरोड से अम्बाजी के आगे कम से कम चालीस किलोमीटर की दूरी तक आदिवासी रहते हैं। टाडा-माडा के माध्यम से सरकार की योजना जो चलायी जा रही है, उसमें मैं समझता हूं कि सरकार के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को झूठे आकड़े बताये जा रहे हैं, कागजों में बनाये जा रहे हैं जबकि वहां पर कोई ऐसी योजना लागू नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए वहां पर पीने और खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खाद्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर की दूरी पर जो आदिवासी भाई रहते हैं उनके लिए पानी की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन साथ-साथ में वहां पर राशन का डीलर भी तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर बैठता है। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का स्थानीय अनुसूचित जाति का भाई वहां पर डीलरशिप ले

(श्री जगसीराम)

और वहां की पापुलेशन के हिसाब से ही वहां पर राशन उपलब्ध कराएं तो न तो कालाबाजारी होगी और न उसमें जनता को इधर-उधर जाना पड़ेगा।

मैं सरकार को अवगत करवाना चाहूंगा कि जनजाति के भाइयों को वन अधिकारों के तहत जो पट्टे जारी करवाये गये हैं, आबू रोड के अन्दर मंत्रीजी जब पधारे, वहां पर तो कुछ साथियों को पट्टे आबंटित करवाये गये। लेकिन साथ ही रेवदर के अन्दर कम से कम 80 गांव ऐसे हैं वहां पर आदिवासी भाइयों को वन अधिकारों के तहत एक भी पट्टे का आबंटन नहीं करवाया। मैंने दो दिन पहले वहां के उपखण्ड अधिकारीजी को बताया, उसके उपरान्त मात्र चार पट्टे आबंटन किये हैं। उसके अलावा जो बाकी थे, उनमें कम से कम 40 निरस्त करवा दिये हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वन अधिकारों के तहत उनको भी पट्टे दिये जाए।

आबू रोड क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, वहां पर खाद्य सामग्री के लिये, कैरोसीन के लिये राशन कार्ड कम से कम दस साल पहले के बने हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड गुम हो गये हैं, उनके पास में राशन कार्ड नहीं हैं। डीलरों द्वारा सीधे उसकी एण्ट्री होती है और माल डीलरों के पास में ही रह जाता है, जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र में प्रायोरिटी के अनुसार एस.सी. के भाइयों को बिजली कनेक्शन दिये जा रहे हैं लेकिन एस.टी. के भाइयों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी एस.टी. बस्ती में जो लोग रहते हैं, उनको प्रायोरिटी के अनुसार बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वे इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी यह प्राथमिकता मिले और जनजाति क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन मिलें। रेवदर विधान सभा क्षेत्र, रेवदर तहसील और आबू रोड में भील जाति के बंधु निवास करते हैं, लेकिन रेवदर तहसील के रायपुर कालोनी, जालमपुरा, बडवस केशुआ, निम्बस, अनापुर और लालपुरा, हमीरपुरा जिरावल, पंचदेवल, कोचरिया बासन, बिकड़वास हीदरला, मालपुरा वेरिया, बटाणा मकावल आदि इन 60 गांवों में काफी लोग रहते हैं, मगर इनके लिये कोई कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये टाडा-माडा जैसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। विद्युत कनेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं और इन्हें कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। न सरकार की ओर से कोई आर्थिक राशि दी जा

(श्री जगसीराम)

रही है। ऐसा क्यों? जबकि दूसरी तहसीलों में वरीयता के अनुसार है। इसी प्रकार आबू रोड तहसील और रेवदर तहसील के गांवों में वन अधिकारों के तहत पट्टे जारी हुए थे, वे जो बाकी है और जिनको निरस्त कर दिया गया है, उनको वापस आप दिलवाने का आदेश कराएं।

यह खाद्यान्न जो आबंटन होता है, मंत्री महोदय, कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समिति आबू रोड शाखा, रेवदर के लिए चार महीने पहले एफ सी आई से माल उठा। मंत्रीजी, वहां से उठने के बाद में। रास्ते में दो गाड़ियों के चक्के खोलकर गाड़ी वहां पर खड़ी कर दी। रात्रि में जनता द्वारा समाचार दिये जाने के बाद में जिला कलक्टर ने आदेश दिया, उसके बाद में उस गाड़ी को सीज करवाया। अखबारों में वह खबर छपी। उसके 10 दिन बाद में दो गाडियां और पकड़ी गयीं, वह भी अख़बार में खबर आई। उसके बाद में उन्होंने उनके स्तर पर ही उसको समेट लिया है, मैं आपसे जानने का आग्रह करूंगा कि इनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? वे गेहूं रेवदर क्षेत्र के थे या आबू रोड क्षेत्र के थे? माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जानकारी कर हमें अवगत करवाएं। जो एफ सी आई से माल गया, उसका आज तक मेरे हिसाब से कोई धणी-धोरी भी है नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय, आपने जिले की बैठक ली, जिला स्तर के प्रभारी के नाते वहां पधारे तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि पिण्डवाड़ा एफ.सी.आई. से जो गेहूं उठता है, उसमें एक से दो क्विंटल पर-गाड़ी माल कम आता है। उस समय में जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद यह दिखवाया है। उसके बाद में मैंने खुद वहां पर कांटे पर जो दूसरी एफ सी आई से गाड़ियां आईं उनको दिखवाया, सब में सत्य में दो-दो क्विंटल गेहूं कम पाया गया। मंत्री महोदय इन बातों को आप ध्यान में रखें और शिकायतों के आधार पर डीलरों की राशन की जो दुकानें निरस्त की जाती हैं, जिला रसद अधिकारी मनमर्जी से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करवाते हैं। 6-6 महीने या एक एक साल भर तक उन दुकानों का न तो आबंटन करते हैं, न उनकी किसी की विज्ञप्ति निकलवाते हैं मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विज्ञप्ति निकलवाकर मापदण्डों के अनुसार डीलरों को दुकान आबंटन करवाया जाए। वहां का जो पड़ौसी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, वह तो वैसे ही माल कागजों में वितरण करेगा, न कि जनता तक माल पहुंचेगा। मैं ज्यादा बात को

(श्री जगसीराम)

न बताते हुए गैस सप्लाई वाली बात बताना चाहता हूं कि रेवदर तहसील के अन्दर एजेन्सी आज तक नहीं खुली है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे रेवदर क्षेत्र के अन्दर गैस एजेन्सी खोलें ताकि कालाबाजारी को रोका जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे मेरे क्षेत्र के लिये काफी कहना था। छात्रावास की जो बात अभी आई, जनजाति छात्रावासों की, आबू रोड और गिरवर में आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि न तो कोई बैड की व्यवस्था है और न कोई अधिकारी नियंत्रण कर रहा है। मंत्रीजी, इनको उच्च अधिकारियों से दिखवाएं ताकि वहां की व्यवस्था ढंग से हो। अपन जनजाति की बड़ी चिन्ता और दु:ख प्रकट कर रहे हैं, जो बातें सभी माननीय सदस्यों ने बताईं, उन पर गहनता से आप देखें तो निश्चित तौर से इनका कोई न कोई असर पड़ेगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापतिजी, 9 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ और तत्पश्चात् आज नव संवत्सर के शुभ दिवस पर बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। मैं नव संवत्सर के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति सादर साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान की छह करोड़ जनता के लिये, धरातल से जो लोग जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शानदार बजट दिया। सभी प्रकार की बातों का समावेश किया, जो कि आम आदमी से ताल्लुक रखती हैं। आज सदन में क्षेत्रीय विकास, नागरिक आपूर्ति और जनजातीय क्षेत्रीय विकास, तीनों विषयों पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों के विचार कुछ समस्याओं पर सामान्य हैं और उनका निवारण नितान्त ही आवश्यक है। माननीय सभापतिजी, बजट और अनुदान मांग के प्रत्येक बिन्दु के विस्तार में नहीं जाते हुए सीधे-सीधे मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच गरीब को दो रुपये किलो गेहूं देने की है, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच गरीब को दवाई देने की है, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' है, इस उद्देश्य को लेकर चलने की है वह तभी सार्थक होगा जब प्रभावी तरीके से

(श्री ओम जोशी)

उसका क्रियान्वयन किया जाए। इस क्रियान्वयन हेतु कई कदम इस बजट के माध्यम से उठाये गये हैं, राशन वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और सहकारिता की उसमें भागीदारी रहे, इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर जो क्रय विक्रय सहकारी समिति बनाने की घोषणा की गयी है, वह इस सार्वजनकि राशन वितरण प्रणाली के कार्य में सहयोगी रहेगी। राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम की स्थापना भी राज्य में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्रभावी नियंत्रण में कारगर साबित होगी। मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने राशन कार्ड के सन्दर्भ में बात रखी है, हम भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो प्रश्न यह आता है आम जनता की ओर से कि नये राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं। जो वर्षो पुराने राशन कार्ड हैं, उनमें फोटो नहीं होने से, राशन कार्ड लोगों का एकमात्र पहचान का अभिलेख है, फोटो नहीं होने से और वर्षो से काम में लेते हुए उनकी स्थिति फटी होने से कई तरीके की समस्याओं का सामने उनको करना पड़ता है। मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए जानना चाहूंगा कि नये राशन कार्ड बनने पर रोक क्यों लगी है। यह बहुत अहम प्रश्न है। हमें आम तौर पर इसका उत्तर देना होता है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। आप नये राशन कार्ड बनाने या पुराने जो राशन कार्ड हैं उनका कब तक नवीनीकरण करने का विचार रखते हैं, कृपया इस बात को सदन के समक्ष स्पष्ट करेंगे तो कई तरीके की जो जनता में भ्रांतियां हैं राशन कार्ड को लेकर, वह स्पष्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि राशन कार्ड का बनना या नहीं बनना यह बहुत छोटा काम है, परंतु यदि जनता हमारे पास आए और हम राशन कार्ड नहीं बनवा सकें और पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण आराम से नहीं हो सके, यह बहुत बड़ी कठिनाई होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सरकार का प्रयास है कि आटा वितरण हो सस्ती दालें, गेहूं, कैरोसिन वितरण हो, उसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन नीचे के स्तर तक होना आवश्यक है। वर्षो से राशन डीलर्स एक माफिया की तरह से काम कर रहे हैं गांवों में और उनकी उस सोच के कारण सदैव प्राप्त राशन कालाबाजार में जाता है। ऐसा भी सामने आया है कि जो राशन कार्ड हैं उनको डीलर्स अपने पास में सैकड़ों की संख्या में रखते हैं, मर्जी से उसका दर्ज करते हैं और राशन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय खाद्य मंत्रीजी से कि कृपया आज इसलिए इस बात को स्पष्ट करें कि राशन कार्ड की रोक क्यों और कब लगी और कब इसको प्रारम्भ करने का सरकार सोचती है।

(श्री ओम जोशी)

मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा गैस आपूर्ति के सम्बन्ध में। हमारे क्षेत्र से और सभी क्षेत्रों से यह बात आ रही है कि गैस की आपूर्ति नहीं होती, गैस की कमी है और उससे उसकी कालाबाजारी हो रही है। राज्य सरकार का विषय गैस एजेंसी खोलने में कहां तक होता है और गैस एजेंसी खोलने के लिए क्षेत्र में किस तरीके की प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से होती है, इस सम्बन्ध में अगर आप स्पष्ट करेंगे तो यह जो बात कि गैस एजेंसी नहीं खोली जा रही है और जो दोषारोपण राज्य सरकार पर आता है, उससे हम बच सकते हैं। वर्तमान में जो गैस एजेंसीज काम कर रही हैं, जब तक वहां पर गैस एजेंसी नहीं खोलेंगे, जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, फलौदी क्षेत्र में मात्र एक गैस एजेंसी है, वहां पर एक और गैस एजेंसी खोलने के लिए 2005-06 के मार्केटिंग प्लान में गैस एजेंसी कम्पनी यह बात तय कर चुकी थी, फिर भी आज तक नहीं खुलने का, से एकतरफा जो निर्णय है, उनका आधिपत्य कायम हो जाता है जो जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए प्रेरित करता है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन डीलर्स की नियुक्ति और अन्य सभी सतर्कता बरतने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कमेटियां बनानी हैं, उन कमेटियों की जन भागीदारी भी निश्चित करते हुए अतिशीघ्र इन कमेटियों का गठन सरकार को करना चाहिए जिससे हमारे सामने कई खामियां उजागर होती हैं उनका निराकरण किया जा सकता है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिल में आम आदमी के प्रति पीड़ा है, वह पीड़ा मैंने पिछले दिनों जोधपुर के कार्यक्रम में महसूस की। माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर में जब भाषण दे रहे थे, उनके ध्यान में इस बात को लाया गया कि राशन और अन्य व्यवस्थाओं में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो एक गरीब के मुख का निवाला छीनकर अपने बंगले बनाना चाहते हैं, उनको उनकी आत्मा कभी माफ नहीं करेगी, ईश्वर माफ नहीं करेगा। जब उनके बंगले बन जाएंगे, हो सकता है वे बंगले पचास लाख के बन जाएं लेकिन आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, आने वाले जो उनके बच्चे हैं, इतना स्पष्ट उल्लेख किया था कि उनके बच्चे निश्चित रूप से बिगड़ेंगे और उनके गलत पैसे का असर उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर पड़ेगा। इसमें प्रभावी कदम उठाते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस सोच का राजस्थान की जनता तक पूरा लाभ पहुंचाने के लिए ये चन्द

(श्री ओम जोशी)

सुझाव जो मैंने प्रस्तुत किये हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय खाद्य मंत्रीजी इन पर गौर फर्माएंगे।

क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में, गत वर्ष राज्य सरकार की सिफारिश पर फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में गन्दी बस्ती और कच्ची बस्ती के विकास के लिए साढ़े तेइस करोड़ रुपये की योजना जो स्वीकृत हुई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति, एक ऐसा विषय है जो आम व्यक्ति के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मैं प्रगति प्रतिवेदन देख रहा था, उस प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि पूरे प्रदेश के अन्दर 148 लाख कार्डधारी परिवार हैं जिनकी 6 करोड़ 68 लाख यूनिट इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही इकोनोमिक सर्वे जो हमें दिया गया है इसमें पापुलेशन प्रौजेक्शन है रजिस्ट्रार, जनरल आफ इण्डिया के अनुसार, 2001 से लेकर 2026 तक का, उसमें इस वर्ष की हमारी अनुमानित जनसंख्या बतायी गयी है 6 करोड़ 63 लाख। यानी राशन कार्ड दसों वर्ष पहले बने थे, उन राशन कार्ड में 6 करोड़ 68 लाख और आज हमारी जनसंख्या का प्रोजेक्शन 6 करोड़ 63 लाख है। यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रणाली में कमी कहां से प्रारम्भ होती है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट के पैरा 132 के अन्दर महंगाई की समस्या पर चिन्ता व्यक्त की गयी और यह कहा गया कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनका परिणाम आने लगा है। सभापति महोदय, इन परिणामों को ढूंढ रहे हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर गरीबी बढ़ रही है और महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। अभी प्रधान मंत्रीजी ने तेंदुलकर कमेटी बनायी थी पूरे देश के अन्दर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए, उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है, वह बड़ी भयावह है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की कमेटी थी, कि प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति दरिद्रता का जीवन जीता है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या दस परसेंट बढ़ गयी। यानी आज की तारीख में देश में बी पी एल से नीचे जीने वालों की संख्या 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गयी। और इसी तेंदुलकर समिति ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने बहुत जरूरी हैं। सभापति महोदय, हमें संविधान के अन्दर संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का प्रथम कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों के भरण-पोषण का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सतत् प्रयास करे। इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 के अन्दर एक वधवा कमेटी बनायी थी जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2007 में आयी। माननीय सभापति महोदय, वो वधवा कमेटी यह कहती है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 53 परसेंट गेहूं और 39 परसेंट चावल कालाबाजार में चला जाता है। आज हर आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है और इस महंगाई की समस्या के बारे में उसकी चिंता उस समय और बढ़ जाती है जब देश के प्रधान मंत्री संसद में कहते हैं कि महंगाई को रोकते हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पाद में गिरावट आएगी और हम बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को नहीं बढ़ने दे सकते, देश पहले ही इस समस्या से जूझ रहा है। प्रधान मंत्री यहां तक जब कह जाएं कि मूल्य वृद्धि के कारण सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं तो चिंता होनी वाजिब है।

माननीय सभापति महोदय, 26.02.2010 को भारत सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाये, पैट्रोल के दाम बढ़ाये- 2 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़े और 2 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर पैट्रोल के भाव बढ़े। उसके साथ ही 2 मार्च, 2010 को राजस्थान ट्रक आपरेटर एसोसिएशन मीटिंग कर ट्रक के भाड़े में 10 परसेंट से 15 परसेंट की बढ़ोतरी करता है और उसका प्रभाव यह पड़ता है कि चावल हो, चाहे दाल हो, सब्जी हो, सभी में 5 परसेंट, 10 परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है।

आज, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर खाद्यान्नों के भण्डार की कमी नहीं है, हमारे बफर स्टाक से तीन गुना ज्यादा हमारे सरकारी भण्डारों में खाद्यान्न पड़ा है। गेहूं पड़ा है 230 लाख मैट्रिक टन और और हमारा निर्धारित बफर स्टाक है 82 लाख मिट्रिक टन। चीनी के अलावा हमारे बफर स्टाक में सब चीजें हैं। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो संसद के अन्दर शरद पंवार यह कहते हैं कि पिछले एक वर्ष के अन्दर गेहूं के दाम 26 परसेंट बढ़े, दालों के 131 परसेंट बढ़े, मसाला 34 परसेंट बढ़ा और खाद्य तेल 22 परसेंट बढ़ा। आर.बी.आई. यह कहती है कि एक वर्ष में आलू और दाल के दामों में 41 परसेंट की बढ़ोतरी रही, जो अपने आप में चिंता की बात है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, एक कहावत चला करती थी, हम कहा करते थे, 'घर की मुर्गी दाल बराबर', आज यह कहावत यथार्थ में बदल गयी क्योंकि आज अरहर की दाल का भाव है 99 रुपये से 100 रुपये किलो और नागर साहब अच्छी तरह जानते हैं चिकन का क्या भाव है। मुर्गी का भाव है 110 से 120 रुपये किलो। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात सही सिद्ध हो गयी। और पहले कहते थे, प्याज और रोटी खा कर जमाना गुजारें, आज आटे का भाव है 20 रुपये किलो और प्याज बिक रहा है 25 रुपये किलो। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ ही आपने पशु आहार पर टैक्स लगा कर, राजस्थान में मनुष्य तो इस महंगाई से पीड़ित था ही, बेजबान पशु के मुंह से भी वो आहार छीनने का काम किया है जिसको किसान अपने पशु को देता है।

माननीय सभापति महोदय, आप महंगाई रोकने की बात करते हैं, गेहूं पर वैट ले रहे हैं, पहले 5 परसेंट की घोषणा की अब 4 परसेंट ले रहे हैं। चावल पर ले रहे हैं 4 परसेंट, खाद्य तेल पर ले रहे हैं 4 परसेंट, धनिया पर ले रहे हैं 4 परसेंट, हल्दी पर ले रहे हैं 4 परसेंट, जीरा पर ले रहे हैं 4 परसेंट और दाल पर ले रहे हैं एक परसेंट। अगर आप यह वैट कम कर देते तो निश्चित तौर पर हम यह मानते कि राजस्थान की हुकूमत की महंगाई को कम करने की इच्छा है।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा पत्र में पैट्रोल पदार्थों के स्थानीय करों को रियायत देने का वाद किया, डीजल पर वैट आज राजस्थान में है 18 परसेंट, और हरियाणा में 8.8 परसेंट, पैट्रोल राजस्थान में वैट है 28 और हरियाणा में 20 परसेंट।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी घोषणा जिस पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं, आपने घोषणा कर दी कि आप नो रुपये किलो बी.पी.एल. को और ए.पी.एल. को आटा देने का काम करेंगे, यह सब इसलिए है, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को बताना चाहिए, क्या यह सही नहीं है कि जनवरी, 08 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और उसमें यह लिखा कि राज्य सरकार गेहूं के बदले उपभोक्ता को आटा वितरित करे और आटा पहुंचाने में आया वित्तीय भार सरकार वहन करे? इसका सर्कुलर भारत सरकार ने आपको जारी किया। आपने इस बात को तो छिपा लिया और थोथी वाहवाही लेने के लिए कह दिया कि हम आटा वितरण करने का काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है? माननीय सभापति महोदय, 9 रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किलो ए.पी.एल. को आप आटा दे रहे हो और गेहूं का भाव है ए.पी.एल. का 6 रुपये 80 पैसे, अभी आपने घोषणा की है। बी.पी.एल. के गेहूं का भाव मैं दो रुपये नहीं मानता, 4 रुपये 70 पैसे है और 9 रुपये आप दे रहे हैं, अन्त्योदय वालों को भी और दो रुपये 20 पैसे उसका भाव है। यानी पिसाई 2 रुपये 20 पैसे से लेकर और 4 रुपये 30 पैसे और 6 रुपये 50 पैसे। कल ही आपके एक सवाल के उत्तर में मैं ढूंढ रहा था, आप एम.ओ.यू. कर रहे हैं शायद 2 रुपये 38 पैसे या कितने रुपये में, आज पूरे हिन्दुस्तान में एक किलो आटे की पिसाई अगर इतनी हो तो मुझे बता दें। मंत्री महोदय, यह आटा पिसाई है या दांत पिसाई, यह तो आप खुद तय कर लेना, पर एक अनुत्तरित सवाल ...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपको जवाब दूंगा, सुन कर जाना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक अनुत्तरित सवाल जो राजस्थान की अवाम के दिल में घूम रहा है, आज मैं भी गांव में रहता हूं, आपने कभी इस तरह का आटा पिसाई का खेल नहीं देखा होगा। क्या हुआ आपकी पीली मटर का, आप मंगवा रहे थे, क्यों बीच में रुक गये? मतलब, किसी चीज में पारदर्शिता नहीं। इसी का परिणाम रहा कि आज आम आदमी का सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आयातित चीनी पर 4 परसेंट का वैट कम किया, बहुत बड़ी आपने वाहवाही कर ली, आज 80 परसेंट आयातित चीनी चीनी मिल में जाती है। माननीय सभापति महोदय, अगर एन.एस.एस. के सर्वे को हम मानें, एक व्यक्ति को एक दिन में 100 ग्राम चीनी चाहिए, और हमारी जनसंख्या 6 करोड़ के लगभग मानें तो एक वर्ष में चीनी की खपत है सवा दो करोड़ मैट्रिक टन। इसका पैसा होता है, अगर भाव के हिसाब से देखें तो 10 जनवरी, 2009 को चीनी का भाव था 20 से 22 रुपये किलो और 10 जनवरी, 2010 को चीनी का भाव हो गया 44 और 45 रुपये किलो, यानी सिर्फ चीनी की बढ़ोतरी के कारण 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राजस्थान की जनता ने वहन किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पी.डी.एस. की दुकानें 22,991 हैं और 16 लाख 52 हजार के लगभग बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, साढ़े तेरह रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किलो जो प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी मिलनी चाहिए थी वो चीनी आप क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है कि लेवी की चीनी में आपका उठाव सिर्फ 31 परसेंट है? आपके कई जिले- दौसा, अलवर, भरतपुर में अप्रैल से दिसम्बर हो गया, एक किलो चीनी वितरित नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक निवेदन और करना चाहूंगा, अभी आपने मुख्य मंत्रीजी से पैरा 137 में कहलवाया कि बी.पी.एल. को 2 रुपये किलो गेहूं देंगे। माननीय सभापति महोदय, इस बार संसद में जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ, उसमें साफ उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब खाद्य सुरक्षा कानून को हम देश में लागू करें। वित्त मंत्रीजी कहते हैं, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक का मसौदा करेंगे, खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे। 31 अप्रैल तक भारत सरकार यहां खाद्य सुरक्षा कानून बना रही है, इस खाद्य सुरक्षा कानून में बी.पी.एल. परिवारों को 25 किलो गेहूं 2 रुपये किलो देने का प्रावधान है और आप मई से देने की बात कह रहे हैं। इस थोथी वाहवाही के अन्दर मैं समझता हूं, कुछ नहीं पड़ा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी यहां शुद्ध के लिए युद्ध बहुत बड़ी बात चली, यहां यह भी चला कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। यह जो प्रगति प्रतिवेदन आपने दिया है इसके परिशिष्ट-दो में आपने जो कार्यवाही की, 22.06.2009 से 31.12.2009-खाद्य विभाग, आपने निरीक्षण किये 3172 और सैम्पल लिये 20, उद्योग विभाग-इसके माध्यम से आपने निरीक्षण किये 2036 और सैम्पल लिये 100, स्वायत्त शासन विभाग, फूड लाइसेंस- निरीक्षण किये 2579 और सैम्पल लिये 26, यह क्या खेल है? क्या करने गया था आपका इंस्पैक्टर वहां? क्या इंस्पैक्शन करने गया था? मतलब आप जाओ, जा कर उसे डराओ, डरा कर के पैसा लो। पैसा सारा इकट्ठा कर कहां से कहां पहुंचे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता पर निश्चित तौर पर इसमें कोई न कोई बू आ रही है। आज कितने आपने सैम्पल लिये, आपके मुख्य मंत्रीजी खुद जाते हैं भारत सरकार की बैठक में और कहते हैं कि हमारे प्रयोगशालाएं बंद पड़ी हैं, पब्लिक एनेलेटिक आपके पास नहीं हैं और अब आप कहते हैं कि हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं हम सब के लिए जो इस सदन में बैठे हैं, शर्म की बात है। राजस्थान का उच्च न्यायालय यह कहता है कि मिलावट और सिंथेटिक दूध से निर्मित मावे की मिठाई, पनीर आदि से बचने के लिए दीपावली, होली, ईद पर मावे पर रोक लगाओ। किस तरह का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सिंथेटिक मावा कैसे बनता है, अगर मैं बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसमें डिजरजेंट पाउडर मिलाते हैं, सस्ता तेल मिलाते हैं, खड़िया मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, कास्टिक सोडा मिलाते हैं, हाइड्रोन प्रोक्साइड मिलाते हैं, फार्मोल मिलाते हैं, हड्डी का चूरा मिलाते हैं और शैम्पू मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? एसीडीटी, हृदय रोग, कैंसर और किडनी के रोग। इस तरह का तो आपका काम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने पैरा 136 के अन्दर यह कहा कि भविष्य में प्रत्येक महीने में 15 से 21 की अवधि के लिए राशन वितरण में सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहेगा। मैं स्वागत करता हूं, अच्छा कदम है, पर मुझे यह बात तो बता दो कि आपकी कुल जो दुकानें हैं, दुकानें हैं 22991, 7 दिन तक आप किसी कर्मचारी को वहां लगाएंगे, आपके पास ले-देकर के एक कर्मचारी है, वो है स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक जनसंख्या में लगाओ, पल्स पोलियो में लगाओ, आप लगाओगे। अच्छा रहता, आप इसके लिए कोई और प्रबंध करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब मंत्री महोदय का ध्यान एक छोटे से काम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपको याद होगा, जयपुर में गेहूं के ब्लैक होने के समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप ही के उपायुक्त मुख्यालय, राजस्थान सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने 22.6.2009 को यह आदेश जारी किया, कि जयपुर जिले में गेहूं ब्लैक होने सम्बन्धित शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है, प्रकरण की जांच हेतु निम्नांकित टीम गठित करते हैं- सतबीर सिंह, संजय झाला। और दस दिन के अन्दर आपने कहा कि इसकी पूरी जांच आनी चाहिए। फिर ये आप ही के हस्ताक्षर थे, 13.1.2009 को आप सारी बात को दफ्तर दाखिल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण था? प्राइमाफेसी आपके पास जानकारी नहीं थी तो क्यों आपने उस डी एस ओ को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस कमेटी का गठन किया? आप कह रहे हो, मेरे पास गुमनाम शिकायत थी। तो क्या गुमनाम शिकायत के आधार पर जांच बैठाएं या नहीं बैठाएं? उसके बाद क्या कारण था, कब वो कैसे मिला आपसे, किस हालत में मिला कि आपने इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। ये सारी बातें मैं समझता हूं, निश्चित तौर पर आपको कहनी चाहिए। समाचार पत्रों के अन्दर ये सारी सुर्खियां आपकी खूबसूरत फोटो के साथ पूरे राजस्थान में प्रकाशित हुई हैं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, आप मेरे पुराने मित्र हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि अगर देश के अन्दर सर्वाधिक चना कहीं पैदा होता है तो राजस्थान के अन्दर होता है। पन्द्रह से बीस लाख टन यानि दो से ढाई करोड़ बोरी। और इसमें भी चना सबसे ज्यादा बीकानेर सम्भाग में पैदा होता है। चने की पैदावार, सभापति महोदय, आप तो खुद काश्तकार हैं, मार्च के पहले सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक आने लग जाती है। आज हाड़ौती, झालावाड़ और बांसवाड़ा साइड में चना आ ही गया, आज चने को व्यापारी खरीद नहीं रहा है। व्यापारी इसलिए नहीं खरीद रहा है कि आज जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह है 1835 रुपये क्विंटल और बाजार भाव उससे ज्यादा है। परन्तु मजबूर होकर उसे चना सस्ता बेचना पड़ रहा है क्योंकि आपने एक आदेश जारी कर दिया। मैं स्वागत करता हूं, पर आपसे यह पूछना जरूर चाहूंगा, दलहन पर आपने स्टाक सीमा निर्धारित की थी, मूंग और मोठ के भाव को आपने निर्धारित कर लिया, हुआ क्या? चना जो एफ सी आई खरीदती है आढ़तियों के माध्यम से, वह आज आढ़तिया खरीद नहीं रहा है और आढ़तियों को कमीशन के रूप में हमारे पड़ौसी पंजाब और हरियाणा में ढाई परसेंट आढ़त मिलती है, हमारे राजस्थान के आढ़तियों को दो परसेंट आढ़त।

आज हो क्या रहा है? हनुमानगढ़ का चना जा रहा है इलाहबाद, गंगानगर का अबोहर जा रहा है, नोहर भादरा का सिरसा जा रहा है, चूरू का हिसार जा रहा है और हाड़ौती का एम पी जा रहा है। इसके साथ-साथ जो मण्डी टैक्स आपका 1.6 परसेंट है, जो वैट आपका एक परसेंट है, ये सारे के सारे आज राजस्थान से अलग जा रहे हैं। इसका नुकसान सरकार को भी हो रहा है। आपको दस वर्ष बाद यह राजस्थान ट्रेड आर्टिकल लाइसेंस की अचानक याद क्यों आ गयी? इन्सपैक्टर राज के माध्यम से आप राजस्थान के हर व्यापारी को धमका कर, उसके सामने एक इस तरह का कानून बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके बारे में भी आप बताएं।

सभापित महोदय, अभी इसी बजट के अन्दर पैरा 293 में काटन सीड आइल केक और सब्बल, अब बताओ, काटन सीड आइल केक, मतलब आपने खल और बिनौला पर टैक्स लगाकर राजस्थान के लोगों को एक तरह से मारने का काम किया है। यह राजस्थान की सरकार मंहगाई नहीं रोक सकी, मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय खुद कहते हैं कि कालाबाजारी रोकना बस की बात नहीं है, समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं, यह राजस्थान की सरकार इन्सपैक्टर राज के माध्यम से मात्र लोगों को डराना चाहती है।

'शुद्ध के लिए युद्ध' के माध्यम से जिस तरह का आंकड़ा मैंने सदन के सामने पेश किया है, इससे स्पष्ट होता है कि आपका करने का मन कुछ और है और उसके पीछे हिडन एजेण्डा आपका कुछ और है। ये जो अनुत्तरित सवाल हैं, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता जो आज आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हैं। कौन राशन डीलर कब सस्पैण्ड हो जाए, कब बहाल हो जाए, कितने दिन में बहाल हो जाए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, उसके पीछे क्या है। पर मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिससे आम व्यक्ति जुडा है, अगर इसके अन्दर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की बू आएगी तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चिन्ता की है, तेंदुलकर कमेटी ने चिन्ता की है, वधवा कमेटी ने चिन्ता की है। हम राजस्थान के लोगों के साथ किस तरह का अन्याय करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, नौजवान हो, विश्वविद्यालय में हमारे साथ रहे हो, कुछ सोचो, कहां ले जा रहे हो राजस्थान को। किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यह ईमानदारी-ईमानदारी की बात करने से काम नहीं चलेगा, आपके आचरण में दिखना चाहिए कि आप निश्चित तौर पर राजस्थान के अन्दर वितरण प्रणाली को ठीक करना चाहते हो और राजस्थान के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हो।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कार्य सूची में वर्णित आज की मांगों के पारण तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन की सहमति हो तो सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 30, 32 व 22 पर विचार

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर मैं अपने विचार, अपने सुझाव रखना चाहती हूं। सभापति महोदय, जनजाति विकास विभाग की स्थापना 1975 में हुई और इस विभाग का उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगण विकास करना, जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना। इस क्षेत्र में रहने वाली हर जाति, हर समुदाय चाहे एस सी हो, एसटी हो, ओ बी सी या सामान्य वर्ग, सभी का समान रूप से विकास हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, यह इसका उद्देश्य था। सभापति महोदय, 1975 से लगाकर आज तक अरबों रुपया खर्च हुआ इस विभाग के माध्यम से लेकिन यहां का व्यक्ति, यहां का आदिवासी वहीं का वहीं खड़ा है, इस पर विभाग को विचार करने की आवश्यकता है, चिन्तन करने की आवश्यकता है। आखिर इतना अरबों रुपया खर्च करने के बाद में कहां कमी खामी रह गयी कि आज जिस उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की थी वह उद्देश्य पूरा हुआ हो ऐसा नहीं लगता।

सभापति महोदय, जहां तक मेरी समझ में आता है इसके पीछे इस विभाग में जो योजनाएं बनीं उनमें कमियां, खामियां थीं। सार्वजनिक विकास तो हुआ इसमें लेकिन कहीं न कहीं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की उपेक्षा हुई। यहां के व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उप योजना क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि है, जो पैसा है उसको सार्वजनिक योजनाओं के साथ ही साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर भी खर्च किया जाए। ऐसी योजना बनाई जाए जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर ऊंचा उठ सके। इस क्षेत्र के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार है और कृषि के लिए पानी की और बिजली की आवश्यकता होती है। हमारा बांसवाड़ा जिला पानी की अथाह राशि से भरा पड़ा है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर इसमें टी ए डी का पैसा भी खर्च करके जो वंचित क्षेत्र हैं, जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाए तो मैं सोचती हूं, यहां के निवासियों को, यहां के किसानों को लाभ मिलेगा।

(समय : 17.00 बजे)

सभापति महोदय, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, जो नोन कमाण्ड हैं, ऐसे क्षेत्र में लघु और सीमान्त कृषक चाहे वह एस सी एस टी का हो, चाहे

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

सामान्य वर्ग का हो उनके पुराने कुओं को गहरा किया जाए। टी ए डी के मार्फत और नये कुए खुदवाये जाएं जिससे उनको सिंचाई सुविधा मिल सके।

इस विभाग का उद्देश्य शैक्षिक और आर्थिक सर्वांगीण विकास भी है। इस क्षेत्र में स्कूलें तो काफी संख्या में खुल गयीं लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलें हैं उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी लोग निवास करते हैं, शिक्षकों की कमी होने की वजह से बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित हो जाते हैं, बच्चों का स्तर गिरा हुआ रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी को जिन्होंने हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोला। धन्यवाद देती हूं कि हमारे वहां आवासीय विद्यालयों में वाणिज्य संकाय दिया, विषय खोले। लेकिन निवेदन करना चाहती हूं कि दूसरे जो राजकीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी अधिक से अधिक विज्ञान संकाय खोले जाएं ताकि वहां से निकला हुआ इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश ले सके।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी और कमजोरी है उस पर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह है राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को 5वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पास करना और आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिलाना। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पास करने की इस अनिवार्यता को हटाया जाए। बच्चे को पास करने के लिये तो पास कर दिया जाता है सरकार और हम यह कहते हैं कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट शत-प्रतिशत हो, लेकिन जो बच्चा धक्का गाड़ी से आगे बढ़ता है उस बच्चे का कहां से सुधार होगा ? कहां से वह 10वीं में पास होगा ? क्योंकि उसको तो लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। पढ़ना-लिखना बच्चा 8वीं में जाकर सीखेगा तो उस विषय के अन्दर क्या चीज दी हुई है उसको सीखना तो बहुत दूर की बात है। सभापति महोदय, इसलिये ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए रहते हैं क्योंकि शहर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको तो ट्यूशन की व्यवस्था भी मिल जाती है। स्कूलों में अध्यापक नहीं हो तो बाहर के व्यक्ति से भी ट्यूशन कराके उन्हें पढ़ाई करायी जाती है। उनके मां-बाप सक्षम होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षकों का अभाव है, जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, उस क्षेत्र में यह व्यवस्था रही तो निश्चित तौर पर आदिवासी बच्चा कभी भी पढ़ कर आगे नहीं आएगा।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

सभापति महोदय, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये क्योंकि यहां का व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि जो नान कमाण्ड क्षेत्र है वहां पर कुओं की व्यवस्था हो और जो कमाण्ड क्षेत्र है, सिंचित एरिया है, वहां पर नहरें अच्छी हों। नहरों में जो पानी का रिसाव होता है, उसको ठीक करने के लिये विभाग से व्यवस्था की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा और हमारा जो टी एस पी क्षेत्र है, वहां पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने की काफी सारी सम्भावनाएं होती हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि व्यक्तिगत स्तर को सुधारने के लिये वहां पर पशुपालन को बढावा देने के साथ पशु आधारित और कृषि आधारित उद्योग धंधे लगाये जाएं। छोटे-छोटे लघु उद्योग धंधे वहां पर स्थापित किये जाएं सरकार के द्वारा ताकि वहां के अधिकांश लोग उसका लाभ उठाएं और वहां का जीवन स्तर ऊंचा उठे।

सभापति महोदय, वहां पर जो कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं उसमें वहां का सामान्य वर्ग, जनजाति क्षेत्र का जो सामान्य वर्ग है, मैं नहीं सोचती हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है। आदिवासी और सामान्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 2005 के कृषि कनेक्शन जो पैंडिंग हैं, उन्हें भी अतिशीघ्र देकर वहां के लघु, सीमान्त और सामान्य वर्ग के काश्तकारों को राहत प्रदान की जाए।

सभापति महोदय, इस विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उन आवासीय विद्यालयों में ऐसे बच्चों का प्रवेश होता है जो बच्चे प्रतिभावान हों, जो बच्चे पढ़ने में काफी अव्वल हों। लेकिन एडमिशन होने के बाद वहां की स्थिति क्या होती है, उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहती हूं। वहां पर अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर विषय अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां वार्डन की कोई व्यवस्था नहीं। जो भी व्यवस्था वहां की जाती है वह अस्थायी तौर पर की जाती है। शिक्षा विभाग से या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर के आधार पर वहां कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वहां का वार्डन हो या अन्य और कोई हो। तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्य

(श्रीमती कान्ता गरासिया)
मंत्रीजी से निवेदन है कि आवासीय विद्यालयों के लिये अलग से कैडर की स्थापना की जाए विभाग के द्वारा। वहां प्रतिनियुक्ति की समस्या है, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षक आता है उस पर विभाग की कोई बाध्यता नहीं होती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह चाहे जब वापस प्रतिनियुक्ति निरस्त करवा करके अपने पैतृक विभाग में जा सकता है। उस पर किसी तरह की पाबन्दी नहीं लगायी जा सकती। प्रतिभावान बच्चा वहां पर जाता है और आवासीय विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट अन्त में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत आता है। इतना सारा खर्च किया जाता है आदिवासी गरीब समाज के उत्थान के लिये, लेकिन व्यवस्था में किसी तरह की कमी है..

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उस व्यवस्था को सुधारना मैं सोचती हूं कि कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग के द्वारा अलग से कैडर स्थापित करके आवासीय विद्यालय के सभी शिक्षकों की भर्ती की जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आश्रम विद्यालयों में जो वार्डन वहां पर हैं, वे वार्डन भी अलग कैडर के माध्यम से आने चाहिये क्योंकि वे भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आते हैं। जो भी वहां वार्डन नियुक्त किये जाएं, वें स्थायी तौर पर वहीं पर रहें। बाहर मकान लेकर सुबह-शाम आकर अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं, स्थायी तौर पर वहां नहीं रहते हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इन विषयों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अन्त में निवेदन करना चाहती हूं, मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास, सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन..

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समअप करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): एक मिनट मुझे दीजिये।

सभापति महोदय, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र 70 प्रतिशत सिंचित है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे यहां नहरों की

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

हालत बहुत खराब है। सीपेज से वहां पर पानी इतना बहता है कि जो उपजाऊ जमीन है वह ऊसर होती जा रही है। क्षेत्र का विकास चाहते हो तो निश्चित तौर पर सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाकी गांवों की सड़कें तो प्रधान मंत्री सड़क योजना के मार्फत बहुत अच्छी हो गयीं लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं- पालोदा से जो उदयपुर जाती है, बागीदोरा होकर गुजरात जाती है, मध्य प्रदेश से जुड़ती है, गढ़ी से आनन्दपुरी जो जाती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह इतनी खराब हो गयी है कि फोर व्हीलर के दोनों टायर डामर पर नहीं पड़ते, इतनी जर्जर अवस्था हो चुकी है। डेढ़-डेढ़ फीट के खड्डे वहां पर खुद गये हैं। बारिश के दिनों में पानी उन खड्डों में भर जाता है जिससे स्थिति बहुत खराब होती है, कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। अगर कोई डिलीवरी हो तो उसको समय पर नहीं पहुंचाया जा सकता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, समाप्त करो।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उसकी जान रास्ते में जा सकती है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, अन्त में मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी ब्लाक में 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता है उसे भी पूरा किया जाए।

श्री सभापतिः श्री रामहेत सिंह यादव।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो स्टेट हाइवे है 10, उस पर सिम्मनपुर का पुल बहुत नीचा है, जब भी जरा-सी बारिश आती है वहां पर वाहन रुक जाते हैं, पुल के ऊपर पानी जाता है। न केवल मेरा विधान सभा क्षेत्र बल्कि दोनों जिले उससे बाधित होते हैं, यात्री काफी परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में उस पुल को ऊंचा करने के लिये किसी तरह विभाग के द्वारा या माननीय मुख्य मंत्रीजी इस तरफ ध्यान देकर चाहे पी डब्ल्यू डी के मार्फत कराएं या किसी के भी मार्फत कराएं...

श्री सभापति: समअप करें माननीय सदस्य।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): लेकिन मेरे क्षेत्र के विकास के लिए उस पुल को बनाना बहुत आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सीएचसी मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत अवश्य की जानी चाहिए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 32 पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी तो इसके पीछे सोच थी कि गांव में जो झोपडी में रहता है वह भूखा नहीं सोए। उसका बच्चा मिटटी के तेल की डिब्बी जलाकर गांव में उस झौपड़ी में ही पढ़ ले और पढ़-लिखकर अच्छा नागरिक बन जाए। यह सोच बनाकर शायद हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने इस प्रणाली को लागू किया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे प्रांत का है, दुर्भाग्य इस देश का है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेवा के भाव से शुरू हुई थी कि गरीब का उत्थान हो, झौपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का उत्थान हो, उसमें एक तरह से माफिया लग गया। इस एजेंसी को उसने अपने काबू में ले लिया राजनीतिक प्रभाव से और अपने धन बल से। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की दुकानें अलाट करते समय भेदभाव नहीं हो तो उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। जो नीडी व्यक्ति हो उसको दुकान मिले। अलॉट करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इसका कोई परिजन या जो अलाट कराना चाहता है, दुकान का आबंटन कराना चाहता है, उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो इसके आबंटन के बाद दुरूपयोग करेगा। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के रूप में दो-चार बातें आपसे कहना चाहता हूं। अब जो हालात बने है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुछ माफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे हालात हैं कि इसमें जो राशन का तेल आता है वह उद्योगों में चला जाता है, ब्लैक मार्केट में उसको बेचा जाता है और पैसा कमाया जाता है। अगर हम उसके कारणों पर विचार करें, हमने हर समय एक ही बात को सोचा कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर दूसरे पहलू पर, उसमें आने वाली कठिनाई पर भी विचार हो जाता तो शायद इतनी बात नहीं होती। हम कैरोसीन की बात करें, कैरोसीन में हम डीलर को 45 पैसे देते हैं कमीशन के, अनाज में एक बोरी जो एक क्विन्टल की होती, उस पर 8 रुपये मिलते हैं।

(श्री रामहेत सिंह)

लाने-ले जाने का किराया भी उसी में रहता है। आप अगर किसी एक डीलर को मान लें 4 हजार लीटर देते हैं, उसको एक महिने में एक बार मिटटी का तेल मिलता है वह 2 हजार रुपये के अन्दर अपने परिवार का और उस दुकान का खर्च कैसे चलाएगा? वह निश्चित रूप से बेइमान होगा। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, नई नीति बनानी पड़ेगी कि जो डीलर है उसको पर्याप्त पैसा मिले ताकि उसके माध्यम से जो वह किराये पर दुकान लेता है उसका खर्च निकल जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए, रजिस्टर का खर्चा निकल जाए। इस पर उनका कमीशन बढ़ाना पड़ेगा। गेहूं की भी यही हालत है, 8 रुपये बोरी का आप देंगे कमीशन तो वह गेहूं तो अनाज की मंडी में ही बिकेगा। आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वह आकर किसी गरीब को, बी.पी.एल. को देगा।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रूपवास जो कि तिजारा पंचायत समिति में एक गांव है उसमें एफआईआर हुई, फूलावास में एफआईआर हुई। जो ब्लैक होता है उसका एक सिस्टम बना रखा है, हमारे अलवर जिले में तो सारा मिटटी का तेल भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में चला जाता है। आखिरी के दिन जब यह आ जाता है कि कल मिटटी तेल बंटेगा तो रात को जो स्टाक है वह सारा इकट्ठा करके माफियाओं द्वारा इंडस्ट्रियल एरिये में दे दिया जाता है। उस समय तक अगर आप स्टाक चैक करें तो बिलकुल सही मिलेगा। उसके स्टॉक में जो तेल नहीं उठाया है वह बोलेगा, जो बांटा है वह बोलेगा। लेकिन उनको यह पता है क्यों कि रसद विभाग के अधिकारियों से वह मिले रहते हैं। उनका सिस्टम रहता है कि कल सुबह 6 बजे मिटटी तेल आएगा तो रात को जो स्टाक है वह सारा ब्लैक में बेच दिया जाएगा। कई बार पुलिस गश्त के दौरान पकड़ लेती है। लेकिन होता यह है कि या तो डीएसपी को पावर होती है एफआईआर दर्ज करने की या डीएसओ को होती है, पुलिस का सब इंस्पेक्टर चाहे या एसएचओ चाहे कि एफआईआर दर्ज कर ले उनके खिलाफ, तो वह एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। होता यह है कि जिसका तेल पकड़ा गया है वह जिलाधीश महोदय के दरख्वास्त लिखता है, पुलिस वाले भी दरख्वास्त दे देते हैं कि यह ज्वलनशील पदार्थ है, इसका स्टाक नहीं रखा जाता है, इसको किसी के सुपुर्दनामे कर दिया जाए, फिर जिसके यहां से पकड़ा गया है उसी के नाम पर सुपुर्द हो जाता है। वह कन्ट्रोल रेट के पैसे जमा करके वापस उस तेल को

(श्री रामहेत सिंह)

इंडस्ट्रियल एरिये में बेच देता है। ऐसी घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं मिलकर होती हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से इस कारोबार में पीढ़ी दर पीढ़ी, एक एक परिवार के एक-एक रिश्तेदार आपस में मिले हुए हैं और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। किशनगढ़बास मेरे विधान सभा क्षेत्र में बास कृपालनगर पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां पर जो दो दुकानें हैं, एक तो हरिनारायण के नाम से है और दूसरी दुकान उसका बेटा राजेन्द्र है उसके नाम से है। दस साल पहले कांग्रेस की सरकार थी उसको अलाट कर दी, जब वह 13 साल का था, गांव ने खूब शिकायत कर ली, आज तक भी यही हालत है। दोनों बाप-बेटे एक गांव में दो दुकानें चला रहे हैं। मैं और बताना चाहूंगा, ताराचंद नाम का डीलर है वह तो किशनगढ़बास में चलाता है, माचा के अन्दर उसका बेटा दुकान चलाता है।

सभापति महोदय, दूरियां हैं, पंचायतें बड़ी हैं, आठ-आठ, दस-दस गांव उन पंचायतों में लगते हैं दूरियों के कारण आम आदमी तेल लाने नहीं जाता है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 15 तारीख से 21 तारीख तक मिलेगा, वर्ना हालत यह होती है कि डीलर वहां जाता नहीं, आदमी चक्कर लगाकर घूमकर आ जाता है और परेशान हो जाता है। सरकार जब राशन की दुकानें अलाट करती है तो यह बिन्दु नहीं देखती कि यह कौनसे गांव में, किस जगह पर बननी चाहिए, कहां पर आफिस खोलना चाहिए जहां सबको सुविधा हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भागौड़ा एक गांव है जहां पर राशन की दुकान है और राशन डीलर कुटियापुर का है और भागौड़ा पंचायत में जो गांव पड़ता है चाचाका, वह 9 किलोमीटर पड़ता है। इसी तरह से तिजारा में मायापुर पंचायत है, नारनौल में डीलर रहता है और चूहड़पुर वहां से 10 किलोमीटर पड़ता है। इसी तरह से खातीवास उससे 10 किलोमीटर पड़ता है। नारनौल में जो डीलर है, जो चूहड़पुर में जीएसएस चलाती थी पिछले 7-8 महीने से उसने जीएसएस को हटा दिया। राजनीतिक प्रभाव के कारण उसने लिखित में दे दिया कि वह राशन नहीं उठाना चाहती क्योंकि प्रभावशाली आदमी है, और 17-17 किलोमीटर तक कौन राशन लेने जाएगा। मंत्री महोदय, इसकी जांच करना, सच आपके सामने आ जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार की बू आपको नजर आ जाएगी। मैं कहना

(श्री रामहेत सिंह)

चाहता हूं कि जहां भी स्थान तय हो, नई दुकानें अलाट हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि उसका केन्द्र बिन्दु क्या है।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है आपके माध्यम से सरकार को और मंत्री महोदय को कि एक-एक गांव में एक राशन की दुकान होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा लगता है कि छोटा गांव है जहां 200 से ज्यादा कार्ड नहीं हैं, तो यह तय कर लें कि जहां 2 गांवों को मिलाकर 500 राशन कार्ड हो जाएं, वहां एक दुकान होनी चाहिए ताकि यह वितरण प्रणाली ठीक हो।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं गैस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में गैस का यह हाल है कि जब हमारा राज था तो जहां पर गैस एजेंसी नहीं थी तिजारा, कोटकासिम और किशनगढ़बास में, तो अलवर के गैस डीलर अख़बार में एड देते थे कि बुधवार को वहां पर गैस मिलेगी और अगर कोई नहीं आता था तो अगले सप्ताह सिलेण्डर देने की बात कही जाती थी। आज क्या है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक सिलेण्डर पर 800 रुपये वसूल किये जाते हैं, ब्लैक में बेचा जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वितरण प्रणाली को ठीक करें। आपने तय कर दिया कि 15 तारीख से 21 तारीख तक राशन का वितरण होगा तो इसी तरह से गैस का भी देखें। कौन कर्मचारी लाएंगे, कहां हैं आपके पास कर्मचारी, किसकी जिम्मेदारी हैं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि चोर को अगर जांच दे देंगे तो उसमें वह क्या जांच करेगा? जिलाधीश महोदय से कोई मिल ले, डीएसओ से मिल ले। जांच ईआई को दे देते हैं, जबकि ईआई से मिलकर तो सारा कर ही रहे हैं। ईआई तो 20 पैसे लीटर के लेता है। यही नहीं होता है, महीने के अंत में सरकार की तरफ से जो तेल दिया जाता है, उस पर 40 पैसे प्रति लीटर का भ्रष्टाचार होता है, वह अपने चहेतों को दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह वितरण व्यवस्था आप देखें, इसकी मानिटरिंग हो कि हर तीन महीने में समान रूप से सबको कैरोसिन मिल रहा है कि नहीं, समान रूप से गेहूं मिल रहा है कि नहीं और गैस एजेंसियां समान रूप से सिलेण्डर बांट रही हैं कि नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास, कोटकासिम और तिजारा में नई गैस एजेंसियां खोलने के प्रस्ताव सरकार भिजवाए।

(श्री रामहेत सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं, यह जो वितरण व्यवस्था है, इसके दूसरे पहलुओं पर भी आप विचार करें। जो डीलर हैं उनके पैसे बढ़ाएं। और एक ही परिवार में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है, यह चेन बनी हुई है, एक ने किशनगढ़ में ले ली, उसी ने अपने बेटे को दिला दी कोटकासिम में, उसने अपने बेटे को खैरथल में दिला दी, तो यह जो चेन सिस्टम है, जिनके परिवार में दो-दो, तीन-तीन दुकानें हैं और जो आम आदमी है उसको दुकान नहीं मिली है, इस सब की जांच कराकर उनकी दुकानों को निरस्त किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30, 32 और 22 के बारे में चर्चा हो रही है, मैं मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, नागरिक आपूर्ति विभाग से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए बजट में काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं। बी.पी.एल. को दो रुपए किलो गेहूं दिलवाने की घोषणा जिसमें कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट बी.पी.एल. को भी शामिल कर लिया, एक महत्वपूर्ण और अहम फैसला है। 170 करोड़ रुपए की सहायता राशि इस प्रबन्धन के लिए दी जाएगी, इसकी घोषणा भी उन्होंने की, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्राणाली को सुदृढ़ करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के गठन की भी चर्चा की गई है, यह महत्वपूर्ण फैसला है। यह निगम जब गठित हो जाएगा तो निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख तक उपभोक्ता दिवस के रूप में वितरण व्यवस्था करने की बात कही गई है, यह निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। माननीय मंत्रीजी, जिस तरह से अन्य माननीय सदस्यों को भी डर है कि इसमें अध्यापक नहीं लगा दें, आप इस बात का विशेष खयाल रखें कि इसमें अध्यापक नहीं लगाएं क्योंकि अध्यापकों की पहले से ही कमी है, इसमें दूसरे डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों को आप लगाएं।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

बजट में घोषणा की गई है कि 1997 से थोक विक्रेताओं और 2002 से खुदरा विक्रेताओं का कमीशन एवं अन्य खर्चे नहीं बढ़े हैं। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि बढ़ाया जाए, तो इस बजट में इसकी बढ़ोतरी कर दी गई है। 1997 से, 13 साल से इनके कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, वह अब कर दी गई है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से माननीय मंत्रीजी ने अभी हाल ही में 4 हजार राशन की नई दुकानें खोलने का फैसला किया है, अनेक जिलों में विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि राशन की जो नई दुकानें खोलेंगे उसमें आरक्षण कायम किया है एस सी, एस टी और ओ बी सी का, इनको 49 प्रतिशत दुकानें आरक्षित की गई हैं। जब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू हुई है, राशनिंग चालू हुई है, तब से इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आज हाल ये हो रहे हैं कि एक-एक राशन डीलर ने बीस बीस दुकानों पर कब्जा कर रखा है। अब इससे आम आदमी भी राशन डीलर बन सकेगा, कोई पाबन्दी नहीं है। एस सी, एस टी और ओ बी सी का कोई भी व्यक्ति डीलर बन सकेगा, यह आज से पहले सम्भव नहीं था। यह माननीय मंत्रीजी ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर जिले में चौमूं विधान सभा क्षेत्र भी आता है, इन्होंने आरक्षण पद्धति से दुकान आबंटन के लिए जो आदेश जारी किया, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय मंत्रीजी, नई राशन की दुकान खोलने के मापदण्ड में आपने 500 राशन कार्ड का किया है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन इस मापदण्ड के लिए हमने जो सुझाव दिये उनके अनुसार दुकानों के विज्ञापन नहीं किए गए हैं, उसमें कुछ छोड़ दिये गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव नरसिंहपुरा, रैगर मोहल्ला, सामोद भोजला, मोरीजा, गुवारली, सबलपुरा, जोधपुरा, सिंगोद कला, इटावा भोपजी, डोला का बास में नई दुकानें खोला जाना आवश्यक है। यहां 500 से अधिक राशन कार्ड भी हैं और बड़े गांव भी हैं और यहां के लोगों को काफी दूर से राशन लाना पड़ता है जिससे उनको पूरा राशन भी नहीं मिलता है। राशन की दुकान जहां के लिए है वहीं खोली जाए, और वहीं राशन मिलना चाहिए, चाहे वह किसी गांव में हो। चाहे किसी नगरपालिका वार्ड में हो, जिस वार्ड का डीलर हो उसी वार्ड में राशन की उपलब्धता होनी चाहिए।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

8 महीने पहले 22 जून से 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चालू किया गया, निश्चित रूप से इससे जनता को बहुत फायदा मिला है। इससे कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट करने वालों पर लगाम लगी है। जगह जगह सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक मावा, मिलावटी मसाले, इस तरह की चीजें मिली हैं और कई जगहों पर छापों में मिलावटी यूरिया के कट्टे भी मिले हैं। जब से यह अभियान चालू किया गया है, वास्तव में जमाखोरों, मुनाफाखोरों और मिलावट करने वालों पर लगाम लगी है और जनता को इससे काफी राहत मिली है। अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य राठौड़ साहब चर्चा कर रहे थे कि मसालों में क्या-क्या मिलाते हैं, अब मिलावट में काफी कमी आ गई है और इस 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान से शुद्ध मसाले मिलने लग गये हैं।

महंगाई पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जनता को राहत देने के लिए सम्भाग मुख्यालयों पर सस्ती दर से ए.पी.एल. को 9 रुपए किलो पर 10 लाख क्विंटल आटा उपलब्ध कराया गया है, 1 हजार मीट्रिक टन मूंग दाल 47 रुपए किलो पर उपलब्ध करवाई गई जिससे काफी राहत मिली है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था चौमूं में भी की जाए। चौमूं जयपुर राजधानी का उप नगर है और वहां सरस डेयरी के बूथ भी हैं, उसके बावजूद भी वहां पर आबंटन नहीं कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं से जयपुर राजधानी की खपत का 7 प्रतिशत दूध आता है, 70 प्रतिशत सब्जी आती है, गेहूं आता है, तो हमारे वहां भी सस्ती दर से आटा तो उपलब्ध कराएं जिससे जनता को राहत मिले।

गांवों में घरेलू गैस आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए राजीव गांधी एल पी जी ग्रामीण वितरण व्यवस्था चालू की गई है। भारत में सबसे पहले अभी रविवार को ही लक्ष्मणगढ़ में माननीय मुख्य मंत्रीजी और केन्द्रीय गैस मंत्रीजी ने आकर इसका ड्रा चालू किया है। निश्चित रूप से इसका गांवों को फायदा होगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी, हमारे यहां चौमूं में एक ही गैस डीलर है जिसके यहां 14 हजार उपभोक्ता हैं। यही नहीं, 15 हजार उपभोक्ता वेटिंग में हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप प्रस्ताव भिजवाएं और चौमूं में दो नई गैस एजेंसियां खोलने की कार्यवाही कराएं जिससे जनता को राहत मिल सके।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

इसके अलावा राशन कार्डों की भी चर्चा की गई, हमारे यहां भी नए राशन कार्ड फोटो युक्त बनाए जाएं, ये राशन व्यवस्था में तो काम आएंगे ही, साथ ही जो चुनाव होते हैं उसके लिए भी यह जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। जनजाति क्षेत्र विकास की मांग संख्या 30 पर भी चर्चा हो रही है, मेरे क्षेत्र में 4 गांव ऐसे हैं जहां जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं। मालेरा और झीड़ा, ये दो गांव ऐसे हैं जिनमें जनजाति के अलावा एक भी दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है। इसके अलावा ढोला का बास, गुवारली में 95 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं। वहां पर आज तक जनजाति चाहे माडा हो, चाहे कोई और योजना हो, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जब भी कोई योजना इस तरह की हो तो मेरे क्षेत्र के इन चार गांवों को भी रिलीफ दी जाए, जो भी प्रावधान हो, वह उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलालजी बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): सभापति महोदय, मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति पर आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को मंत्री महोदय को मेरे कठूमर क्षेत्र के बारे में अवगत करवाऊंगा। सभी माननीय सदस्यों ने विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में या वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के बारे में बात बताई, मैं अलवर जिले और कठूमर के बारे में आपको थोड़ा निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस प्रणाली में केवल राशन डीलर ही करप्ट नहीं है, वह तो केवल अपने कमीशन और अपने रोजगार के लिए लिमिट में ही अपना काम करता है लेकिन उसको बाध्य करते हैं उस विभाग के अधिकारी। मैं आपको निवेदन करूं कि कैरोसिन आयल में एक डीलर को 45 पैसे कमीशन मिलता है पर उस पैसे में से वह 20 पैसे डीएसओ को देता है, 20 पैसे ईओ इंस्पेक्टर को देता है और 20 पैसे इंस्पेक्टर को देता है और 20 पैसे एसडीओ को देता है। 60 पैसा वह आदमी 45 के पीछे कमीशन देता है, इसलिए ज्यों ही तेल का टैंक आता है वह पम्प पर बिकता है और गेहूं की जो ट्राली आती है वह कृषि मंडी में बिकती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण, सभापति महोदय, यह है। कई बार राशन डीलर अपना गेहूं उठाता है और तेल उठाता है, गांव वाली उसकी दुकान में वह पहुंचता भी नहीं है, सीधे ही मार्केट में चला जाता है, पब्लिक वहां से आती है, शिकायत करती है। गये साल मेरी शिकायत पर चार डीलर सस्पैंड किये गये थे, रोणीथान, बहतूकलां, खेरली नगरपालिका

(श्री बाबूलाल बैरवा)

क्षेत्र और सोंकरी के वे तीन महीने सस्पैंड रहे और 3 महीने बाद वापस उन्होंने ही बहाल कर दिया। एसडीओ सस्पैंड कर देता है तो डीएसओ बहाल कर देता है, डीएसओ बहाल कर देता है तो एसडीओ सस्पैंड कर देता है, क्यों? इन तीनों के पास ही कमीशन जाता है। जो अभी इन्होंने बताया, हमारा निवेदन ऐसा है कि इनकी जो जांच का सिस्टम है, किसी और के पास भेज दिया जाए या कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जहां इसकी जांच चले। बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि वितरण किसी कर्मचारी के माध्यम से करवाएंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे 20-20 परसेंट के आलरेडी हिस्सेदार मौजूद हैं, यह चौथा भी यही काम करने लग जाए, 20 परसेंट का ही तय हो जाए। आपने दो रुपये किलो गेहूं बांटने की बात कही तो मैं बताऊं ग्रामीण क्षेत्र में आपका न तो गेहूं था आटा बिक रहा है, न कोई दाल गई, न कोई चीनी गई। हमारे अलवर जिले के नगरपालिका क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मात्र गेहूं और कैरोसिन आयल आता है, इसके अलावा तीसरी चीज वहां कोई आती नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि तीसरी चीज भी वहां भिजवाई जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरा, मैं ग्रामीण क्षेत्र की एक बात निवेदन करूंगा, मेरे कठूमर क्षेत्र की नगरपालिका खेरली है ......(व्यवधान) वहां 25-30 हजार आबादी का एक कस्बा है खेरली ......(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, खेरली नगरपालिका क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी है जो कि बहुत खारा है। 20-25 साल से पानी की समस्या चली आ रही है। विभाग द्वारा 2 करोड़ 19 लाख की स्कीम सैंक्शन है, दो साल से काम चालू है लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। वहां के नागरिक अपने निजी पैसे से टैंकर मंगवाते हैं, सरकार की तरफ से वहां एक भी टैंकर की व्यवस्था नहीं है।

ऐसा ही सेम गैस एजेंसी का मैं निवेदन करूं। हमारा कठूमर हैड क्वार्टर, एसडीओ हैडक्वार्टर विधान सभा क्षेत्र हैडक्वार्टर है लेकिन वहां एक भी गैस एजेंसी की व्यवस्था नहीं है। एक गैस एजेंसी खेरली में है जो अपने सेंटरों को ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा दूसरी तहसीलों से दूसरे गांवों में भेजता है, जहां उसकी कीमत आठ सौ, एक हजार रुपये तक कर देते हैं। लोकल में मुश्किल से 25 परसेंट जो उपभोक्ता हैं उनको सप्लाई होती है। मेरा निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक गैस एजेंसी कठूमर हैडक्वार्टर पर हो और जितने भी ब्याह-शादी करने वाले लोग हैं, प्रत्येक ब्याह, शादी वाले को 5 सिलेंडर कम्पलसरी कर दिये जाएं। लड़की की शादी हो, उसको 5 सिलेंडर दिये

(श्री बाबूलाल बैरवा)

जाएं। दूसरा मेरा निवेदन है, गये साल भी विधान सभा में क्वेश्चन पूछा था उसमें बताया था कि 21 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां राशन डीलर की कमी है- 4 खेरली नगरपालिका क्षेत्र में और 17 ग्रामीण क्षेत्र में। सरकार का नियम भी है कि जहां 2 हजार से ज्यादा आबादी हो वहां नये राशन डीलर नियुक्त कर दिये जाएं। ऐसी 17 ग्राम पंचायत हैं मेरा निवेदन है कि उन 17 ग्राम पंचायतों में नये राशन डीलर नियुक्त किये जाएं और वह भी वहां के किये जाएं जो बहुत बड़े तीन-तीन, चार-चार हजार की आबादी के गांव है। उदाहरण के लिए रूणी, सोंकरी पंचायत में से हैं जहां चार-चार हजार की आबादी हे और डीलर रहता है किसी झोंपड़ी में जाकर, किसी एक ढाणी में जाकर। कब माल आया और कब माल गया, कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। मंत्रीजी ने घोषणा की है, सरकार ने घोषणा की है कि नये डीलर हम लगाएंगे वे शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लगाएंगे, तो हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब्स का तो कोटा पूरा है लेकिन विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 41 और 5, 46 ग्राम पंचायतों में से मुश्किल से कोई भूला-बिसरा एकाध एससी का डीलर होगा, बाकी कोई डीलर नहीं है। जब भी आप डीलर नियुक्त करें तो कोटा के अनुसार और जहां भी रिक्त पड़ते हैं, नये राशन डीलर जो नियुक्त करें वह एससी के लोगों को प्राथमिकता दी जाए या उनमें एससी का लिया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संतोष सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत निरीक्षणों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कायम करने के काफी कदम उठाये गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब भविष्य में उचित मूल्य की दुकानों को 15 से 25 तारीख तक वितरण के लिए पाबंद किया है, जो सर्वहित का निर्णय है। आगामी एक मई से बी.पी.एल. परिवार को व स्टेट बी.पी.एल. परिवार को भी गेहूं 4 रुपये 70 पैसे के बजाय दो रुपये प्रति किलो पर वितरण किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी को जन हित में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राशन कार्ड सन् 2000 में बनाये गये थे उसके बाद परिवारों की जनसंख्या में बढोतरी हुई है। पुराने राशन कार्डों पर ही राशन वितरण होता है, लेकिन परिवार बड़े हो गये हैं, बेटे बड़े हो गये व परिवार से अलग परिवार के रूप में रहने लग गये हैं। राशन

(श्री संतोष कुमार सहारण)

कार्डों को अलग नये परिवारों के अनुरूप बनाने की मांग उठ रही है, कार्डों को अलग परिवार के रूप में बनाये जाने की आवश्यकता है। वितरण प्रणाली पर खास कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी पुराने क्रोनिक बेइमान डिपो होल्डर्स का आधिपत्य है, उन पुराने बेइमान लोगों को राशन सुचारु व पूर्ण वितरण न करने के कारण हटाएं। नये लोगों को या सहकारी समितियों को डिपो अलाट किये जाएं, और आबादी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र व जिले में नये राशन डिपो खोलने की व्यवस्था की जाए जिससे आम आदमी को राशन मिल सके। माननीय सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं बाली विधान सभा क्षेत्र, उसमें पाली पंचायत समिति में लगभग 14 पंचायतें ऐसी हैं और लगभग 40 गांव माडा क्षेत्र से जुडे हुए हैं, मैं यहां तक समझता हूं कि आज पूरे राजस्थान में सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी तरह से हम सब, सरकार आ रही है, जा रही है, सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं एक तरह से विकास की गति को सब बढ़ावा दे रहे हैं, पर आज सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी संभाग, किसी जनजाति क्षेत्र में है, जहां आज मैं कह सकता हूं कि 60 साल की आजादी के बाद भी आम नागरिक भयंकर गरीब है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, लोग मजबूर होते हैं पलायन करने के लिए। अकाल लगातार दूसरे साल पड़ रहा है, कुओं में पानी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खेती नहीं है, पशुपालन के अलावा उनके पास दूसरा कोई व्यवसाय ही नहीं है, आज भी उस क्षेत्र में कोई लघु उद्योग या बड़े उद्योग नहीं हैं जहां अपना रोजगार का साधन उनको मिले। सबसे बड़ी बात है कि विकास की दृष्टि से सरकार ने स्कूल खोल दिये, प्राइमरी स्कूल भी हैं, माध्यमिक स्कूल भी हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल भी हैं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र में जो स्कूल हैं, आज वहां पर कोई भी शिक्षक नहीं हैं। बच्चे वहां स्कूल में जाते हैं पर शिक्षक नहीं होने के कारण वो वापस अपने घर पर लौटते हैं। उच्च माध्यमिक स्कूल की जो बात करते हैं तो मेरे क्षेत्र में दो उच्च

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माध्यमिक स्कूल हैं माडा क्षेत्र में- एक तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतरली है और एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमाणा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतरली है उसमें मात्र एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है वो भी थर्ड ग्रेड। भीमाणा का जो स्कूल है वहां एक भी सब्जैक्ट टीचर नहीं है। वहां एक आश्रम छात्रावास भी खुला हुआ है जहां 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं पर सब्जैक्ट टीचर नहीं होने के कारण लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत बोर्ड में खेतरली और भीमाणा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का रिजल्ट जीरो प्रतिशत रहा है।

हम ट्राइबल डवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की है कि ऐसे बच्चे-बच्चियां जो स्कूल से पास करके कालेज में जाएंगे, उनको हम 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन के रूप में देंगे और ऐसी बच्चियां जो कालेज में 65 प्रतिशत से पास होकर जाएंगी उनको हम फर्स्ट ईयर में 20 हजार, सैकण्ड ईयर में 10 हजार और थर्ड ईयर में 10 हजार रुपये देंगे। पर हालत यह है कि शिक्षकों की कमी के कारण, सब्जैक्ट टीचर नहीं होने के कारण उस पूरे क्षेत्र में गरीब आदिवासी बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ने की इच्छा शक्ति है पर वह पढ़ नहीं पाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत को जिन्होंने इस आदिवासी क्षेत्र में शिक्षाकर्मी योजना लागू की। शिक्षाकर्मी योजना लागू करके वहां का जो पढ़ा-लिखा लड़का था, जो 12वीं पास था, 10वीं पास था, उसको को 1200 रुपये, 1300 रुपये में वहीं शिक्षाकर्मी योजना के साथ जोड़ा गया जहां वो बच्चा बैठा था, जिस वार्ड में बैठा था, जिस मोहल्ले में रहता था। उसने अपने घर में स्कूल चलाई और वहां के बच्चों को केन्द्रित करते हुए एक शिक्षाकर्मी स्कूल में लगभग 50 से 100 लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि आज हमारा 10वीं, 12वीं पास बच्चा है उसको भी सरकारी नौकरी मुहैया हो सकती है। उससे लोगों में एक आकर्षण पैदा हुआ और सब माता पिताओं ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने हर पंचायत हैडक्वार्टर पर माध्यमिक स्कूल खोली, लगभग हर ग्राम में उच्च प्राथमिक स्कूल खोली। उसका एकमात्र कारण था कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध हो। पर मुझे सबसे बड़ी कमी इस बजट में नजर आई कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

शिक्षकों की भयंकर कमी है, राजकीय स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में गिरावट आ रही है, लगातार बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में जाना चालू कर दिया है, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, शिक्षा में गिरावट आ रही है पर इस बजट में कहीं भी शिक्षकों की भर्ती- थर्ड ग्रेड टीचर या सब्जैक्ट टीचर, लैक्चरर्स की पोस्ट को भरने का कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हकीकत में इस आदिवासी क्षेत्र के समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी शिक्षा के प्रति हमको चिंता करनी पड़ेगी। अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दे देंगे, शुरूआत से ही, प्राइमरी एजुकेशन से ही उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से इस समाज के बच्चे आने वाले टाइम में कालेज में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज में भी जाएंगे और निश्चित रूप से समाज का उज्ज्वल भविष्य रहेगा। अन्यथा खाली हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उन्हें हम किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। खाली स्कूल खोलकर, खाली बिल्डिंग बनाकर हम यह महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए माध्यमिक स्कूल खोल दी, आपके लिए हमने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दी। पर वहां टीचर नहीं होने के कारण वो बच्चे दिनोंदिन कमजोर हो रहे हैं और पढ़ने के प्रति जो उसकी चिंता है वह दिनोंदिन कम होती जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ट्राइबल सब प्लान एरिया जो माडा क्षेत्र से है, मैं आपका बताना चाहूंगा कि गरासिया, भील और सिरोही, जालौर, पाली के जो मीणा हैं, इस क्षेत्र का 50-60 साल का इतिहास देख लें, मात्र एक आरएएस अफसर और एक आरपीएस अफसर बना है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इनकी शैक्षणिक गतिविधियां कितनी मजबूत हैं या इनमें कितनी कमी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधराजी को जिन्होंने 45 प्रतिशत आरक्षण दिया राजकीय सेवाओं में जो 1 से 9 शिड्यूल में हैं जिसमें इंजीनियरिंग, डाक्टर से लेकर पियोन, कांस्टेबल तक हैं। यह समाज पिछड़ा हुआ है इसको भी एक स्पेशल आरक्षण देकर इस ट्राइबल सब प्लान एरिया से उन्होंने जोड़ा है। मैं इस सरकार से विनती करूंगा कि जो ट्राइबल सब प्लान एरिया को फायदा मिला है इसको अगर माडा क्षेत्र में भी जहां 65 से 70 प्रतिशत ट्राइबल लोग रहते हैं, उस एरिया को भी 45 प्रतिशत आरक्षण से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो पढ़े-लिखे लड़के हैं, जो कम्पीटिशन में दूसरे क्षेत्र के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लोगों से पीछे रहते हैं, उनको एक मौका मिलेगा, उनको सरकारी नौकरियां हासिल हो पाएंगी। यह मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं।

दूसरा, मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आपका यह 2009-10 का प्रतिवेदन है, इसमें महाराष्ट्र पैटर्न में आपके पास 80 करोड़ 4 लाख रुपये थे जिसमें से दिसम्बर माह तक 40 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च हुए हैं। दूसरा, विशेष केन्द्रीय सहायता जिसका कुल बजट अनुमान 5099 लाख था, उसमें भी आपका खर्चा मात्र 1665 लाख दिसम्बर माह तक हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बाद में संविधान की धारा 275 में 3315 लाख रुपये बजट का प्रावधान है, उसमें आपका 1652 का खर्चा हुआ है और लास्ट में जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है उसमें 1875 लाख रुपये आपका बजट का प्रावधान रखा है उसमें मात्र 333 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। कुल आपको 183 करोड़ रुपये का बजट मिला है उसमें मात्र 77 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यानि 40-50 प्रतिशत से कम खर्चा हुआ है। इससे आप ट्राइबल एरिया के विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यह हकीकत बात बता रहा हूं। मेरी 14 पंचायतें इस माडा क्षेत्र में आती है, पंचायत समिति की मीटिंग में, पंचायतों की मीटिंग में सरपंच मेहनत से प्रस्ताव लेकर जाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, तकमीना बनाते हैं कि इंडिविजुअल को कैसे फायदा दें। हर आदमी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि किस-किस को फायदा मिल रहा है, एनीकट से कितने काश्तकार, कितने लघु सीमांत काश्तकार को फायदा होगा इस पम्प सैट से। जमाबंदी, खातेदारी सब लेकर जाता है और उसको फायदा नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि माडा में पैसा लाना शेर के मुंह से निवाला निकालने के बराबर है। हकीकत की बात है कि पूरे साल में 5 से 7 लाख रुपये का काम होता नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरे क्षेत्र में लगभग 50 हजार से अधिक जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं, 14 पंचायतें माडा क्षेत्र में हैं। दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मिनट। जो जनता पम्प एण्ड टैंक योजना है इस पम्प एण्ड टैंक योजना में पैसा आपका ऐसे का ऐसे लैप्स होता है। मेरे गोरीया, पीपला, काकराडी ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 3-4 हजार से ज्यादा है, अगर यहां पम्प एण्ड टैंक योजना लागू हो जाए तो ग्रामीणों को इससे काफी फायदा होगा। हैण्डपम्प के अलावा उनके पास पीने के पानी का साधन नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि 1975 में यह जनजाति क्षेत्र विकास योजना लागू हुई उस समय ट्राइबल सब प्लान में जो गांव जुड़ गये या माडा क्षेत्र में जो गांव जुड़ गये, आज दिन तक वो ही चल रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि मेरे कई ऐसे गांव हैं जिनमें 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं पर आज भी माडा क्षेत्र में नहीं हैं और न ही टाडा में हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उन गांवों की 90 से 95 प्रतिशत पापुलेशन अनुसूचित जनजाति की है, उनको टाडा में होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उनको टाडा में सम्मिलित होना चाहिए, पर 1975 के बाद में आज दिन तक नये टाडा ग्रामों का फार्मेशन नहीं हुआ और न माडा में गांव सम्मिलित हुए हैं। केन्द्र सरकार को बार-बार राजस्थान से प्रस्ताव गये हुए हैं पर आज दिन तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने दो बार केन्द्र सरकार के मंत्री को कागज लिखा है कि इन गांवों को माडा में जोड़ा जाए, इन गांवों को पंचायत समिति में जोड़ा जाए, इन गांवों को टाडा में जोड़ा जाए, पर आज दिन तक उस बात का भी कोई ध्यान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो गांव हैं, आज वास्तव में 70-80-90 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र है, इसमें लोग रहते हैं, इनको माडा में अगर हम जोड़ दें, टाडा में दे दें तो इनको फायदा मिलेगा। क्षेत्र के विकास की केन्द्र की योजना आती है, राज्य सरकार की योजना आती है, उन सब में सम्मिलित होंगे, उनका विकास भी होगा। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में माडा की आबादी के अनुसार और पंचायतों के अनुसार...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मेरा कुछ निवेदन है आपसे, मैं चार बार घंटी बजा चुका हूं, पर समय सीमा का मुझे पालन करना पड़ेगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बातें की हैं, जिस क्षेत्र से जो आदमी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उस क्षेत्र से जो मंत्री आता है, जैसे बांसवाड़ा से कोई मंत्री बन गया तो पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा, माडा का पैसा पूरा उस क्षेत्र में लगाता है, कोई दूसरा क्षेत्र उसको दिखता नहीं है- उदयपुर का क्षेत्र दिखता नहीं है, सिरोही का क्षेत्र दिखता नहीं है, पाली का क्षेत्र दिखता नहीं है। हकीकत में बात यह है कि साल में दो-चार लाख रुपये से ज्यादा पैसा हमारे पास आता नहीं है। आज 50,000 से ज्यादा आबादी जनजाति क्षेत्र में हमारी है, 14 पंचायतें और 50 गांव जनजातीय क्षेत्र, माडा क्षेत्र में है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी को देखते हुए और हर क्षेत्र के विकास को देखते हुए बराबर इस पैसे का वितरण होना चाहिए।

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया। माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दूसरा, एक मैं आपसे और निवेदन करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दें और बालिका छात्रावास पीपला में और सिंघाना में आप चालू करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप पर?

श्रीमती निर्मला (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30 और 32 जनजाति क्षेत्रीय विकास और नागरिक आपूर्ति पर कुछ मांगें रखना चाहती हूं। सभापति महोदय, जो बी.पी.एल. के मकान बनाये जाते हैं आवासीय, मेरे क्षेत्र में जो बने हुए हैं, वे अधूरे पड़े हैं। जो सहरिया विकास परियोजना के तहत मकान बने हैं, वे अधूरे हैं। उनके न छतें डली हैं, उन मकानों को आज 20-25 साल हो गये हैं, किसी को 15 साल हो गये हैं, न उन पर पट्टियां डली हुई हैं। उनका अधूरा विकास पूरा कराने के लिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग रखती हूं। सहरिया छात्रावासों में जो असुविधाएं हैं, उनके लिए बैड, खाना और जलापूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। मैं अपने क्षेत्र शाहबाद की बात कर रही हूं, सभापति महोदय, शाहबाद क्षेत्र में

(श्रीमती निर्मला)

राजपुर पड़ता है, उस आवासीय छात्रावास में मेरे सहरिया बच्चे हैं, वे गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने लिखित में कलक्टर महोदय को भी दिया था जांच के लिए, पर उन्होंने अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैंने उनसे जांच रिपोर्ट मांगी थी पर उसका कोई जवाब नहीं आया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि मेरे जितने भी आवासीय छात्रावास हैं, उनमें इन सुविधाओं का अनुभव क्यों नहीं है?

सभापति महोदय, जो नरेगा चलाया जा रहा है, सब लोग नरेगा पर बोलते हैं। पिछले पांच वर्षों में जो दूसरी सरकार थी, उसमें मेरे क्षेत्र के मजदूरों को कम राशि दी गई। वहां कर्मचारी अभी तक लगे हुए हैं, मैंने उनके लिए मांग भी रखी थी, कई बार हटाने के लिए एप्लीकेशन्स भी लगाई थी। अभी तक उनको पेमेंट में 12 रुपये, 15 रुपये दिये जाते हैं, जबकि नरेगा में पेमेंट 100 रुपये प्रति दिन मजदूरी के दिये जाते हैं। सभापति महोदय, नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से यह मांग रखती हूं कि मेरे क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, इसकी भी मुझे सूचना दी जाए।

सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता हैं प्रतिपक्ष के, वे बार-बार यह कह रहे थे कि सम्माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने आरक्षण के लिए, एस.सी. एस.टी. के लिए इतना कुछ किया। मैं मानती हूं, आरक्षण होते हुए भी सहरिया को लाभ नहीं मिला। मेरे विधान सभा क्षेत्र जो किशनगंज शाहबाद में पड़ता है, 25 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण लाभ हमें नहीं मिल पाता है, उसे दिलाया जाए ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो छात्र एवं छात्राएं पूर्ण रूप से 10वीं और 12वीं पास करके आते हैं, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम विकास की बात करते हैं, आगे इनको नौकरी की बात करते हैं पर हमारे समाज के बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में और महाविद्यालयों में नहीं हो पाता है क्योंकि ये न ट्यूशन लगवा पाते हैं, न ये कोचिंग जा पाते हैं, इस वजह से इनका प्रतिशत कम आता है इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के सहरिया समाज के लिए अलग से यह कोटा चाहती हूं

(श्रीमती निर्मला)

कि हमारे बच्चों को हास्टल्स में और महाविद्यालयों में एडमिशन मिले ताकि इनको राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को मिल रहे लाभ व सुविधा के अनुरूप इस सहरिया वर्ग को सम्पूर्ण बारां जिले में भी लागू करवाने का श्रम करें, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया। समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मैं आपके द्वारा प्रदान किये गये समय का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। इस विभाग का मुख्य लक्ष्य कमजोर वर्ग, गरीब और आम जनता को बाजार भाव से कम दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि गेहूं, चावल और चीनी समय-समय पर उपलब्ध करवाने का है। सभापति महोदय, राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में बढ़ती महंगाई एक चिंता का विषय है और हम पूरे देश में बढ़ने का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकते क्योंकि महंगाई रोकने का काम राजस्थान सरकार का और खाद्य आपूर्ति विभाग का मिलकर किस माध्यम से है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य में 22,991 उचित मूल्य की अधिकृत दुकानें हैं, जिनमें से 17,693 तो ग्रामीण और 5,298 शहरी दुकानें हैं। इनकी मार्फत से और दो ऐसे हथियार इस विभाग के पास हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ता की मांग और महंगाई दोनों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। वे दोनों हथियार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995, और दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, इन दोनों कानूनी हथियारों का उपयोग करके समय-समय पर मांग और महंगाई को नियंत्रित करने का काम इस विभाग का है।

(समय : 18.00 बजे)

सभापति महोदय, कुछ दिन पहले राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में, जो उसका सारांश था, आम आदमी को अपना केन्द्र बिन्दु बनाकर अधिकतम घोषणाएं की थीं, आम आदमी की खुशहाली और उसके उत्थान के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी। यह अच्छी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

बात है। अगर किसी राज्य सरकार का बजट आम आदमी पर केन्द्रित हो, आम आदमी पर फोकस हो तो उस राज्य की आम जनता के लिए अच्छी बात है। परन्तु मैं कहना चाहूंगा, इस शासन में अगर सबसे ज्यादा दुःखी और बदहाल कोई है तो वह महंगाई की मार झेल रहा आज का राज्य का आम आदमी है। सभापति महोदय, सरकार देश और प्रदेश में 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर की चाहत रखती हो या फिर देश की प्रगति दर में वृद्धि की बात करती हो या राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में गतिशीलता लाना चाहती हो, परन्तु हकीकत यही है कि आज भी हमारे राजस्थान का जन-जन महंगाई की मार से त्रस्त है। हिन्दुस्तान के लगभग 84.6 फीसदी लोग महंगाई की मार की वजह से अपनी क्रय शक्ति कम कर चुके हैं। अगर इसी प्रकार महंगाई बढ़ती रही, सभापति महोदय, तो आने वाले समय में यह और ज्यादा कम हो जाएगी। महंगाई एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सरकार इसको नजरंदाज करना चाहती है, इस पर बहस नहीं बुलाना चाहती। इसलिए मांग के माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का, इस विभाग को, सरकार को महंगाई के प्रति कुछ सुझाव और कुछ गलतियां और वे क्या कुछ कर रहे हैं, यहां उल्लेख करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपने प्रगति प्रतिवेदन 2008-09 तथा प्रतिवेदन 2009-10 में दर्शाया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980, दो अलग-अलग नियम हैं, इनमें महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये। उसके तहत अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक 486 छापे मारकर 81.94 लाख रुपये की उपभोक्ता सामग्री जब्त की गई। 89 व्यापारियों को अदालत में चालान प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ, अप्रैल, 09 से नवम्बर, 09 तक क्योंकि यह प्रतिवेदन शायद तब तैयार किया गया था, 490 छापे मारकर 2 करोड़ 17 लाख रुपये की उपभोक्ता सामग्री को जब्त किया गया था। बेहतर होता, यह सामग्री गरीब जनता में, बी.पी.एल. परिवारों में, हरिजनों में वितरित होती तो शायद कहीं न कहीं किसी प्रकार महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता था। सभापति महोदय, आज 40 की चीनी हो या 90 की दाल, सबको पता है, गरीब हरिजन का इस कांग्रेस के राज में चौतरफा हाल बेहाल है। कारण एक ही है, राजस्थान हो या हरियाणा, महाराष्ट्र हो या दिल्ली, यह जो चौतरफा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

राज और एकल प्रतीत की सोच इन सरकारों की बन गई है, उससे यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि सरकार महंगाई के प्रति कितनी जागरूक है। उदाहरण के तौर पर, विश्व बैंक की जो नई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत सहित पूरी दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन की कमी 2015 तक जारी रहेगी। नम्बर दो, जैसा कि हमारे माननीय उप नेता ने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था, देश में सितम्बर, 2009 तक चली आ रही ऋणात्मक महंगाई दर 17 अक्टूबर, 2009 तक थोक मूल्य सूचकांक अर्थात् डब्लूपीआई के अनुसार 1.5 फीसदी थी। इस पर हमारे उप नेता महोदय ने बड़ी बहस चाही थी क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, पर इसको सरकार नजरंदाज करना चाहती थी। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी चालू वित्त वर्ष के अंत तक, मार्च के अंत तक 6 प्रतिशत महंगाई दर होना बताया था, जो कि अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मैं आपके बीच में पेश करना चाहूंगा, यह महंगाई दर नवम्बर में 7.31 प्रतिशत थी, बढ़कर दिसम्बर में 8.10 प्रतिशत बन गई, उसके बाद अब 8.56 जनवरी में नये साल के तोहफे के रूप में सरकार ने इसको पेश किया और अब फरवरी में, मार्च बंद होने से पहले-पहले 9.89 तक पहुंच गई है। सभापति महोदय, अर्थात् महंगाई दहाई का आंकड़ा छूने जा रही है और उसके विपरीत पिछले वित्त वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 23.4 करोड़ टन के मुकाबले 1.1 करोड़ टन कम रहने की आशंका है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, माननीय सभापति महोदय, हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री इन सब बातों से दूर अपनी अन्य कार्यों में विवशता के बहाने से हर बार एक न एक नया बयान देकर इन खाद्यान्न वस्तुओं के दाम बढ़ाने का काम करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके बयानों से जमाखोरों और मुनाफाखोरों दोनों को प्रोत्साहन मिला है। यह तथ्य भी मैं आपके समक्ष देना चाहूंगा, मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, सभापति महोदय, पर बड़े दुःख की बात है, ऐसा होने पर हमारे केन्द्रीय मंत्री ने सारा दोषारोपण प्रधान मंत्री पर कर दिया। प्रधान मंत्री बड़े कुशल अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने वापस केन्द्रीय मंत्री और राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वापस केन्द्रीय मंत्री ने यह कह दिया कि मैं कोई ज्योतिष या कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। तो यह एक बड़ा वीशियस सर्किल माननीय मंत्री ने और प्रधान मंत्री के सलाहकारों ने यहां पर बना दिया जो कि गरीब जनता के साथ एक मजाक में लिया जा रहा है। सभापति महोदय, सब को याद है, कुछ वर्ष पूर्व मात्र प्याज के दाम बढ़ने से भगवान तुल्य प्रधान मंत्री आदरणीय वाजपेयीजी की सरकार बदल दी गई थी। जनता को अधिकार

(श्री अभिषेक मटोरिया)

भी था। अगर जनता को यह महसूस हुआ। प्याज के दाम 60 से 70 तक पहुंच गये तो उनको पूरा अधिकार था, उन्होंने सरकार पलटी, उनका निर्णय सिर माथे। लेकिन हकीकत क्या हुई थी, सभापति महोदय? बेमौसम बरसात की वजह से जितना भी प्याज था वह सारे का सारा जमीन में दबा रह गया, जितने भी स्टाकिस्ट थे, जमाखोर थे उन्होंने उसका लाभ उठाया और रातों-रात उसमें वृद्धि कर दी। सभापति महोदय, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब-जब भी हमारे केन्द्रीय मंत्री ने कोई बयान दिया, किस प्रकार महंगाई बढ़ी। गत वर्ष जुलाई में जब उन्होंने कहा, गन्ने की खेती का क्षेत्र घट जाने के कारण चीनी का उत्पादन कम होगा, रातों-रात 26 रुपये से बढ़कर महंगाई 32 हो गई। 31 दिसम्बर, 2009 को चीनी 36 रुपये बिक रही थी, 7 जनवरी, 2010 को चीनी के थोक मूल्य उछल कर 43 रुपये हो गये? क्या हम इस बात का दण्ड भोग रहे हैं माननीय सभापति महोदय, कि आम आदमी की बात करने वाली सरकार के झांसे में आकर हमने वोट दिये। नम्बर दो, दीवाली के तोहफे के रूप में, दीवाली पर पवार साहब ने बयान दिया कि चीनी के मूल्य 2010 के अंत तक कम होंगे, परिणामस्वरूप हाफ सैंचुरी मारी, 50 रुपये हो गये। नम्बर तीन, सभापति महोदय, गत वर्ष सितम्बर, 2009 में कृषि मंत्री ने चावल को छुआ। उन्होंने कहा, चावल का उत्पादन एक करोड़ टन कम होने की आशंका है, हुआ क्या? मोटा चावल भी 11-12 रुपये से बढ़कर 18 और 22 रुपये हो गया। उसके बाद पीएमओ से यह बयान आया, अगर महंगाई कम करनी है, चीनी खाना कम कर दो, एक भद्दा मजाक पीएमओ ने यह किया। उसके बाद फिर उन्होंने 29..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मैं जल्दी समाप्त करूंगा, मात्र दो मिनट सभापतिजी, मेरे पास ज्यादा नहीं है।

फिर 29 जनवरी, 2010 को बयान आया, दाल और खाद्य तेलों की कमी की संभावना है और दस साल तक देश को आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। परिणामस्वरूप दाल और खाद्य तेल के भाव क्या हैं, आप भी जानते हैं। इतनी कमी होने के बावजूद 3.1 करोड़ टन हमारे यहां पर दाल बंदरगाहों पर सड़ रही है जिसके प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। सभापति महोदय, फिर बयान आया, भारत में दूध की कमी के कारण, दूध की आपूर्ति और मांग में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

18 लाख टन का जो अंतर है, उससे कितने दाम बढ़े? 16, 18, 22 और अब 26 रुपये तक दूध जा पहुंचा है, सभापति महोदय।

अंत में मैं सुझाव के रूप में अपनी बात कहना चाहूंगा, सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिलकर 24 कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर नियंत्रण रखे, राज्य में एक दूसरी हरित क्रांति के माध्यम से फसलों के उत्पादन को बढ़ाए, राज्य के कृषि बजट में बढ़ोतरी करने का काम करे, कृषि जिंसों पर जो कर लगाया गया है उसे समाप्त करें, कृषि स्टाक के एवज में बैंक लोन प्रक्रिया सरल करे, राज्य में खाद्य पदार्थों के बाजारों को कठोरता से नियंत्रण किया जाए, दैनिक उपयोग की कृषि जिंसों पर निर्धारित स्टाक सीमा को और नीचे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को संस्थागत क्रेडिट नैटवर्क से जोड़ा जाए। अंत में, सभापति महादेय, बात समाप्त करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, पीडी सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि महंगाई को नियंत्रण में लाया जा सके। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पदमारामजी मेघवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 32 के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास क्षेत्र की मांग संख्या 30 के अन्दर मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जनजाति क्षेत्र की गरीब जनता के विकास के लिए जो तरह-तरह की योजनाएं लागू की हैं, वे सराहनीय हैं। उन्होंने इस साल के बजट के अन्दर 124 करोड़ रुपए का प्रावधान अधिक रखा है, वह सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास योजना 1975 से लेकर आज दिन तक जिस क्षेत्र को चयनित किया, उसी के अन्दर लागू हैं। मेरा जिला बाड़मेर सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान सीमा के नजदीक है। हमारे यहां अनुसूचित जनजाति के भील समाज की बस्ती पाकिस्तान के बार्डर के ऊपर बसती है, वहां कई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां रहने वाली गरीब जनता को इस योजना से जोड़ा जाए तो उनकी गरीबी दूर हो सकेगी और वे शिक्षा में सक्षम हो सकेंगे। मजदूरी करने के लिए जो महाराष्ट्र और गुजरात पलायन करते हैं हमेशा, उनको वहां रहने की सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत से मेरा निवेदन है कि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र आजादी से

(श्री पदमाराम)

लेकर आज दिन तक बहुत पिछड़ा है, वहां गरीब भील जाति की जनता रहती हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं, वे अपनी टूटी-फूटी झोंपड़ी में रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बरसात का अभाव है, हमेशा अकाल पड़ता है। लोग मजदूरी के लिए गुजरात चले जाते हैं और जब बरसात होती है उस समय वापस आते हैं। तब उनको अपने घरों में रहने की जगह नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि जनजाति विकास योजना के अन्दर इस सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ा जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। वहां पानी की उपलब्धता बहुत है परन्तु जनजाति के लोगों को सामान्य श्रेणी में जोड़ दिया गया है इसलिए उनको कृषि कनेक्शन के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनको विद्युत कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दें। जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है उसी आधार पर इनको जोड़ा जाए तो उनको सुविधा होगी। उनके विकास के लिए, उनके जीवनयापन के लिए आसानी रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 हजार जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है पर वहां अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी छात्रावास नहीं हैं। हमारी ग्राम पंचायत हाटला व उसके आस-पास में 22 गांव हैं, कुल 50 से 60 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। वहां एक छात्रावास की व्यवस्था यदि सरकार करावे तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुविधा रहेगी। हमारे उप तहसील सेड़वा के अन्दर जो उप तहसील है वहां भी एक अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की व्यवस्था करावें ताकि उसके आस-पास में 20-25 गांवों के जो गरीब बच्चे हैं, वे अध्ययन कर सकें। उनके समाज के विकास के लिए सुविधा रहेगी।

मेरा एक और निवेदन है कि नागरिक आपूर्ति के अन्दर हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2 रुपए किलो गेहूं की घोषणा की बी.पी.एल. के लिए। परन्तु बी.पी.एल का जब सर्वे हुआ और उसके बाद में जब आम सभा के अन्दर उनका अनुमोदन किया उस समय उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो ढाणियों में रहने वाले हैं, उनको यह मालूम नहीं था कि बी.पी.एल. का चयन हो रहा है, हमारे नम्बर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे। जो प्रभावशाली लोग थे जिनके पास तीन

(श्री पदमाराम)

-तीन सौ, चार-चार सौ बीघा जमीन है, उन लोगों का चयन हो गया। जिस आदमी के पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, जिस आदमी को खेलने के लिए 10 बीघा जमीन भी नहीं है, उन आदमियों का नाम बी.पी.एल. सूची से रह गया। मेरा निवेदन है कि बी.पी.एल. में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनके बारे में सरकार ध्यान दे। जो गरीब आदमी हैं, जिनको रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, जिनको खेलने के लिए खेत नहीं है, ऐसे आदमी जो छूट गए हैं उनको बी.पी.एल सूची में जोड़ा जाए और उन्हीं आदमियों को 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाए तो उनका विकास होगा।

मेरा आपसे एक ओर निवेदन है कि मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक ही गैस एजेंसी है। वह हफ़्ते में एक बार या 15 दिन के अन्दर एक बार गैस वितरण करती है। मेरा निवेदन है कि उस गैस एजेंसी को रसद विभाग द्वारा पाबंद किया जाए, प्रति दिन गैस की दुकान खोली जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।

मेरा निवेदन एक और है कि जो राशन की दुकानें हैं, हमारा क्षेत्र दूर दराज की ढाणियों में बिखरा हुआ है, जहां भी 50 या 100 ढाणियां होती हैं, वहां एक अलग दुकान खोली जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नई दुकानें जारी की हैं उसके अन्दर आरक्षण की व्यवस्था की है, यह बहुत सराहनीय कदम है। इससे गरीब आदमी जिनका कभी नम्बर भी नहीं लग सकता था, गांव के अन्दर प्रभावशाली लोग हमेशा ही डीलर की दुकानों पर अपना अधिकार जमाये बैठे थे, उनको राहत मिलेगी और गरीब आदमी को अपने उपयोग के लिए जो वस्तुएं हैं, शक्कर है, कैरोसिन है, गेहूँ है, उनकी व्यवस्था होगी।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि गेहूं और कैरोसिन के साथ-साथ चीनी का भी आबंटन करावें और समय समय पर वितरण करावें तो बढ़ती महंगाई के अन्दर उनको सुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी तो शुरू ही नहीं किया, पहले ही सीमा लगा दी। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-32 पर चर्चा चल रही है, खाद्य एवं आपूर्ति का विषय है। काश्तकारों को खेती में निपट जाती है पूरी पैदावार, अकाल नहीं पड़ा होता तो इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज काश्तकारों को खेती करना इस अंग्रेजी बबूल ने भुला दिया है। हरित राजस्थान की जगह अच्छा होता, अंग्रेजी बबूल हटाने के लिए एक अभियान जिलावाइज चला देते। हरित राजस्थान कम से कम अंग्रेजी बबूल रहित राजस्थान बन जाता। जहां-जहां पर भी अंग्रेजी बबूल हैं, वहां पर खेती होना बिलकुल बंद हो गया है और इधर ऊपर से भगवान भी रूठ गये। बरसात नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया इसलिए काश्तकार आज दुःखी हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज काश्तकार खाने के अनाज के लिए दुःखी हो रहे हैं। आज जो वितरण प्रणाली बनी हुई है उस वितरण प्रणाली के अन्दर भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि समय पर राशन वितरण नहीं होता है। सामग्री पहुंच नहीं पाती है, टाइम पर वितरण नहीं होता है। मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि राशन की दुकान के खुलने की और बंद होने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ताकि कम से कम उस गांव के, क्षेत्र के लोगों को यह मालूम रहे कि कितने बजे दुकान खुलेगी, किस-किस दिन छुट्टी रहेगी, कब नहीं रहेगी ताकि उससे कालाबाजारी के ऊपर भी रोक लगेगी। जो राशन सामग्री आबंटित होती है, जिला रसद अधिकारी के यहां से विधान सभा क्षेत्रवाइज जो वितरण करते हैं, मेरा आपको सुझाव है कि कितनी चीनी आबंटित हुई है, कितना गेहूं दो रुपये किलो वाला आबंटित हुआ है साढ़े चार रुपये किलो वाला कितना हुआ है और ग्यारह रुपये किलो वाला कितना हुआ है, उसकी एक सूची प्रत्येक सम्बन्धित विधायक को भी मिलनी चाहिए ताकि पारदर्शिता रह सके। उसको पता लगे कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कितनी सामग्री बंटी है कि नहीं। इसकी सूची कहीं पर भी नहीं दी जाती है, अन्दर के अन्दर चुपचाप सारा वितरण हो जाता है और राशन डीलरों से साइन हो जाता है कि पहुंच रही है सामग्री? हां, पहुंच रही है। इसलिए किसी प्रकार की वहां पर राशन सामग्री नहीं पहुंचती है तो उसका पता नहीं लग पाता है। अब 'शुद्ध के लिए युद्ध' जो चल रहा है, तो गेहूं जो काश्तकार पैदा करके लाता है, उसमें कौनसी अशुद्धता होती है गेहूं धरती से पैदा हुआ, वो गेहूं बाजार में आता है। लेकिन अगर सरकार की नीयत साफ होती है तो यह आटा पिसा कर देने की कहां आवश्यकता पड़ गयी? आटा इसलिए पिसाया जा रहा है कि उसमें

(श्री शंकर सिंह)

मिलावट करने का मौका मिल जाए। तो यह 'शुद्ध के लिए युद्ध' है या और, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा युद्ध चल रहा है। मेरा इसमें सुझाव है कि इसमें गरीबों को सिर्फ गेहूं दें, आटा तो वो पिसा लेगा। आप तो गेहूं वितरण चालू कर दें, जैसा पहले हो रहा था। माननीय सदस्य, सबके हित की बात बता रहा हूं, इसमें काम, क्रोध की बात नहीं है। अच्छी बात बता रहा हूं आज आप सुन ही नहीं रहे हो। आज जो दूध आ रहा है उसमें भी मिलावट हो रही है। अपनी भैंस का दूध आप निकाल करके पीयें, कितना बढ़िया लगेगा वो। यह जो थैली लाकर पीते हो, उसमें क्या स्वाद है? मिलावट करने का मौका मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम आटा तो शुद्ध रहे और यह आटा पिसा करके नहीं दिया जाए बल्कि गेहूं दिया जाए।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पिसाई के पैसे दिये जाएं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है वो तो अपने आप पिसा लेंगे। साथ ही साथ, जो सामग्री वितरित की जा रही है उसमें लोग कहते हैं कि, साहब, राशन डीलर चोर होता है, राशन डीलर समय पर पूरी सामग्री का वितरण नहीं करता है। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में प्रवर्तन निरीक्षक लगा हुआ था, राशन डीलर उससे इतने परेशान थे कि उसको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उसके बाद भी उस प्रवर्तन निरीक्षक को जिले से बाहर नहीं निकाला गया। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, 6 विधान सभा क्षेत्रों में वहीं की वहीं घूमता रहा। छहों हमारे माननीय सदस्य विराजमान हैं, उससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि वो कैसा प्रर्वतन निरीक्षक है। लास्ट में सब जगह से थक हार कर केकड़ी गया, वहां हमारे माननीय डा. रघु जी भाई साहब भी परेशान हुए और वहां से उसको झालावाड़ भेजा गया। लेकिन वो वापस बहाल हुआ। भ्रष्टाचार में पकड़ा गया और बहाल हुआ। सस्पैंड होने के बाद कैसे बहाल हुआ, भारत की मुद्रा में बहुत ताकत है। निश्चित तौर पर वो कैसे बहाल हुआ...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह भी बता दो कि कब सस्पैंड हुआ और कब बहाल हुआ। यह आपके टाइम में बहाल हुआ है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, नहीं, बाद में बहाल हुआ है, साहब।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपको जानकारी नहीं है, पहले हुआ है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): चलो, कोई बात नहीं है मंत्री महोदय, लेकिन अभी आपकी जानकारी में यह तो है कि वो भ्रष्ट था?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नहीं, यह तो आपने बताया है, मुझे क्या पता?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कोई बात नहीं है। मैं आपको मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। शहर के अन्दर 65 राशन डीलर हैं, माननीय सभापति महोदय, उनमें एक भी राशन डीलर ऐसा नहीं है जिसने इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत पेश नहीं किया हो। सबने साइन करके एक-एक ने हस्ताक्षर करके पूरी की पूरी कापी दी है, उसको एक डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन फिर भी जिस जगह वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया उसी जगह उसको जबरन वापस लगाया गया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप पर किसी प्रकार का एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं लेकिन इस बात से आप भी संतुष्ट होंगे कि किस कारण से उसको वहां लगाया जा रहा है। इसमें आपकी नीयत में भी संदेह नहीं लगता है आम जनता को कि आपने क्यों लगाया। आप अगर थोड़ी बहुत भी इसमें ईमानदारी काम में लेते तो ऐसे अधिकारी को वहां पर लगाने की कहां आवश्यकता थी। आज पूरी जनता चिल्ला रही है। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' चलाया जा रहा है और हमारी सरकार बहुत पारदर्शिता का काम कर रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आप यह तो समझें कि यह आरोप नहीं तो क्या है। वहां के राशन डीलर लगा रहे हैं। राशन डीलर उसको अगर टाइम पर किश्त नहीं देते हैं तो उसके ऊपर केस लगा देता है यह कार्यवाही चल रही है। यह आप चाहें तो कापी दे दूं मैं आपको। यह भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत दे रहा हूं। इस पर आप निश्चित तौर पर कार्यवाही करें। मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करते हुए ऐसे अधिकारी को तुरन्त वहां से हटाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उसका नाम भी बताइये, नाम क्या है?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कुलदीप तिवारी। माननीय मंत्री महोदय, यह रिकार्ड के साथ मैं आपको दे रहा हूं। सारे सबूत दे रहा हूं। आप हमें थोड़ा बहुत यह आश्वासन दें कि उसको कम से कम ब्यावर से तो हटाएंगे बल्कि पूरे जिले की जनता उससे दु:खी हो रखी है, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: सम अप करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है।

श्री सभापति: आप तो हमेशा ही ...

एक माननीय सदस्य: अच्छा बोलते हैं, साहब।

श्री सभापति: ...नहीं बोलते बहुत अच्छा हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): चलो, सभापति महोदय का मैं कहना मानता हूं लेकिन मैं जिस विषय पर बोला हूं उसके ऊपर कार्यवाही हो जाए। सभापति महोदय, एक ही विषय के लिए कम से कम...

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय अगर जवाब दे देंगे तो अच्छी बात है, मैं सारे सबूत माननीय मंत्री महोदय को दे रहा हूं आपके माध्यम से। आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया है तो उसमें एक मेरी मांग और है कि अंग्रेजी बबूल रहित राजस्थान हो जाए तो काश्तकारों की खेती पनपने लग जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, मैं सर्वप्रथम जनजाति विकास के कटौती प्रस्ताव पर निवेदन करूंगा। राजस्थान की आठ प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल एरिया में रहती है, वैसे तो 12 प्रतिशत है लेकिन जिस योजना की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें आठ प्रतिशत लोग रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले डिबेट में माननीय सदस्य शाहपुरा से आने वालों ने यह विषय पूछा था कि महाराष्ट्र पैटर्न का जो आठ प्रतिशत बजट है उस महाराष्ट्र पैटर्न पर आपने कितना खर्च किया। उन्होंने कोई राष्ट्रीय एजेंसी है उसके आंकड़े देकर यह प्रमाणित किया कि अब तक अधिकतम ढाई प्रतिशत, एक शर्म का विषय है, ट्राइबल के उत्थान के लिए हमने उपयोजना बनायी, विशेष प्लान बनाया लेकिन ढाई प्रतिशत से ज्यादा कभी खर्च नहीं किया। अभी वहां एक जीवनदायिनी जलस्रोत है माही डैम और उसका जो भराव क्षेत्र है उसका नाम भी बहुत अच्छे महापुरुष बजाज सागर नाम से है, लेकिन वो भरा रहता है और ट्राइबल प्यासा रहता है। अभी सरकार ने घोषणा की है कि एक करोड़ रुपये में सर्वे करेंगे। 1968 में प्लान बना और 1978 में मोरारजी देसाई ने उसका उद् घाटन किया। उसमें आठ तहसीलें डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हैं। किसका सर्वे सरकार कराना चाहती है? ट्राइबल को उस पानी से वंचित रखने

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

की यह साजिश है। गंगानगर से पानी तत्कालीन वित्त मंत्रीजी प्लान नहीं होते हुए भी तारानगर में ले आये और प्लान नहीं होते हुए भी नागौर आ गया लेकिन गडरा रोड तक नहीं गया। उसी प्रकार से वो कुशलगढ़ और दानपुर में इसलिए नहीं जा सकता कि वहां ट्राइबल है और वहां लिफ्ट नहीं बन सकती। 13 किलोमीटर से दानपुर तहसील शुरू हो जाती है, पानी के भराव क्षेत्र से पैंतीस किलोमीटर से कुशलगढ़ प्रारम्भ हो जाता है लेकिन लिफ्ट योजना बन नहीं सकती। कई बार ट्राइबल से आने वाले माननीय सदस्यों ने उठाया लेकिन कभी आश्वासन भी नहीं मिला। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल का उत्थान करने के लिए जो पानी गुजरात में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, उस पानी का पूरा उपयोग होना चाहिए और वो ट्राइबल के लिए होना चाहिए। मैं सभापतिजी, आपसे प्रार्थना करूंगा आप बांसवाड़ा जाइये, डूंगरपुर जाइये और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सड़क पर खड़े हो जाइये। कुंवारी बालिकाएं, 15 से 20 साल की बालिकाएं टिफिन लेकर जाती हैं शहर में और शाम को अपना टिफिन लेकर वापस आती हैं। उनको जीप में बैठने की जगह नहीं मिलती है- इंजन पर बैठती है या जीप में राड लगी होती है उस पर खड़ी होकर आती हैं, और शाम को चली जाती हैं। आपने कोई व्यवस्था आज तक ट्राइबल के लिये नहीं की विशेष योजना के होते हुए भी। मैं सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम हकीकत में ट्राइबल की उन्नति चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक संकल्प पारित होना चाहिये। संकल्प इस बात का हो कि अब तक 60 सालों में हमने जो पाप किया है, 8 प्रतिशत की तुलना में कम खर्च किया है, उस पाप को धोना है। जिस तरह से सर्विस में बैकलाग होता है, उतनी राशि ट्राइबल में खर्च की जाए, ऐसा मेरा निवेदन है इस सदन से।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कल मुख्य मंत्रीजी ने एक एडिशन किया कि 2 करोड रुपये वह उन तहसीलों को देंगे जहां कालेज नहीं है। ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? बांसवाड़ा में हमारे शासन में गर्ल्स कालेज खोला था और वहां के सांसद और एमएलए ने पैसे देकर बिल्डिंग बनाई थी, क्या आवश्यकता है? मैं कह रहा हूं, 11 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कालेज नहीं है। सरकारी कालेज के बिना प्राइवेट कालेज कितने भी खोल दीजिए, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि उस 2 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, इसी सदन में मंत्री महोदय

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

यह घोषणा करें कि वहां की बिल्डिंग तो बनाएंगे सांसद और एमएलए लेकिन वह गवर्नमेंट कालेज करोगे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, माननीय भैरोंसिंहजी जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने विशेष व्यवस्था के तहत 1-6 के जो ग्रेड पद हैं उन पर 45 परसेंट ट्राइबल के लोग नियुक्त होंगे, ऐसी व्यवस्था की थी। और पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, माननीय वसुंधराजी ने 9 श्रेणी के पदों तक 45 परसेंट नौकरी देने की व्यवस्था की थी। पिछले 15 महीनों में एक भी नौकरी ट्राइबल में नहीं दी गई, यह मैं आरोपित करता हूं इस सरकार को, कि ट्राइबल है इसलिए, बाकी और कोई कारण नहीं है। बांसवाड़ा में जो लड़के कालेजों में पढ़ते हैं, उनको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गई, इस वर्ष की तो बहुत दूर की बात है। मैं रिकार्ड की बात कर रहा हूं, एक भी पाई प्राप्त नहीं हुई है। आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, 1998 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने वहां लड़कों के लिये एक छात्रावास की घोषणा की थी जो कालेज से करीब 13 मीटर पर बना हुआ है। 75 लाख रुपये खर्च होकर 2002 में तैयार हो गया था, वह आज तक चालू नहीं हुआ है, वह बंद पड़ा है। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अव्यवस्था क्या हो सकती है। यह ट्राइबल के हितैषी होने की बात करते हैं और केवल टालने की कोशिश करते हैं। जितनी कालेज विपक्ष में बैठने वाले लोगों ने खोली हैं- हमने सलूम्बर में कालेज खोला, खैरवाड़ा में खोला, कोटड़ा में खोला, सागवाड़ा में खोला, प्रतापगढ़ में खोला, डूंगरपुर में खोला, बांसवाड़ा में खोला और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कालेज को पीजी किया, आपने केवल एक कालेज खोला है कुशलगढ़ में, वह भी किस दवाब में खोला, मैं नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं कि वहां शिक्षा के स्तर को अगर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो स्थिति ट्राइबल की है उसको ठीक करने के लिये प्रयास करें। इसी सत्र में सरकार लिफ्ट योजना के तहत ट्राइबल को पानी देने के लिये जो बची हुई तहसीलें हैं दानपुर, कुशलगढ़, आसपुर, इन सबको पानी देने के लिये लिफ्ट योजना के प्रपोजल को स्वीकार करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह औसत की बात करते हैं, बांसवाड़ा में इस समय 1156 लड़कियां हैं और वहां 13 टीचर काम करते हैं। शर्म की बात है, 22 फरवरी को एक पत्र गया है कि ढाई सौ रुपये में विकास समिति वहां टीचर रख ले, वह लड़कियों को पढ़ाएगा जबकि

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

प्रैक्टिकल चालू हो गये हैं 1 फरवरी को। 22 फरवरी का पत्र है और लिखा है मार्च-अप्रैल में कि आप पढ़वाइए। परीक्षा वहां शुरू हो गई। कैसी निर्लज्ज स्थिति है, किस प्रकार की दकियानूसी बात यह करते हैं, किस प्रकार से ट्राइबल की उन्नति चाहते हैं, इसका निवेदन मैंने आपसे किया है।

एक और शर्मनाक स्थिति है, सारे राजस्थान में बीएड के लिये एडमिशन हो गये और 2000 ट्राइबल के छात्रों की 22-22 हजार रुपये की फीस जोधपुर विश्वविद्यालय में जमा हो गई, अभी तक वे सारे छात्र सड़कों पर हैं उनको कालेज अलाट नहीं हुआ इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती ट्राइबल के 2000 छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, यह जो अन्याय हो रहा है इनके विज्ञापन से, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जोधपुर को अलाट किया कि आप बीएड की परीक्षा लीजिए लेकिन 2000 छात्र अभी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनकी एक साल खराब होगी, जो विज्ञापन निकलेंगे उससे वे वंचित रहेंगे। इस पाप के लिये कौन दोषी होगा, कौन सज़ा भुगतेगा, यह आपके माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

इसी प्रकार से मैं दो सुझाव देना चाहता हूं, टीएडी का अलग से बजट है, समय पर छात्रवृत्ति दे दो, समय पर टीचर लगा दो, बजट का एलोकेशन टाइम पर कर दो, इससे ही वहां की उन्नति हो जाएगी।

एक विषय जो सिंचाई से सम्बन्धित है वह मैं कहना चाहूंगा, ट्राइबल की उन्नति ट्राइबल के हिसाब से चलने से होगी। आम के पेड़ को नहीं काटते, राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर आम की फसल किसी आम के पेड़ पर आती है तो वह बांसवाड़ा में आती है। हिमाचल सरकार की तरह, शान्ता कुमारजी मुख्य मंत्री थे उन्होंने ट्राइबल में सब्सिडी पर पेड़ दिये थे, अगर आम का पेड़ देकर उसको पांच साल तक डवलप किया जाए तो मैं कहता हूं कि 10 साल बाद ट्राइबल का उत्थान हो सकता है। वे पेड़ भी नहीं काटेंगे, वन भी होगा और धन भी होगा इस प्रकार का एक सुझाव दे रहा हूं। कल मुख्य मंत्री जी ने कहा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में नरेगा में एनीकट बनेंगे। बांसवाड़ा में क्यों नहीं बन सकते, डूंगरपुर में क्यों नहीं बन सकते? यहां से ज्यादा वहां वर्षा होती है इस कारण उसमें एड करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

अब मैं दूसरे विषय नागरिक आपूर्ति पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, समाप्त कर रहा हूं। अभी तो इसी में से निकलेगा माल तो।

सभापति महोदय, जो 2 रुपये किलो में गेहूं, चावल बेचने की बात है वह सहकारी समितियों के माध्यम से बांटा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी माननीय शंकर सिंहजी ने निवेदन किया था कि आटा क्यों बेच रहे हो। आटा इसलिए बेच रहे हैं कि 6.80 रुपये में एपीएल का गेहूं देंगे तो जिनके घर में चक्की है वे महिलाएं पीस लेंगी, उनको 2.80 रुपये कम में अनाज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं? आप खुद भी प्रबुद्धजन हैं, आप स्वयं अनुमान लगा लें कि कोई न कोई दाल में काला है। वर्ना एपीएल का गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं पिसा कर क्यों बांट रहे हो? गांव में 60 पैसे में पीस कर देते हैं इसलिए मुझे इसमें दुर्गंध आती है, इसकी जांच होनी चाहिये।

इसी प्रकार से एक पेंच और है, जैसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है उसमें मार्जिन मनी है 20 पैसे। वे पैसे कल्याण के नाम पर जमा होने चाहिये, लेकिन एक पैसा राजस्थान में जमा नहीं हुआ, यह भी मैं आरोपित करता हूं। मेरे क्षेत्र में नागरिक आपूर्ति में किस प्रकार चल रहा है, यह मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, यह एक ही डीलर का प्रकरण है, सरकार ने जो डाक्यूमेंट पुलिस में दिये हैं वे मैं लाया हूं, ये सारे डाक्यूमेंट एक डीलर माफिया के हैं। उसको पहले निलम्बित किया, फिर एफआर लगी फिर बहाल किया फिर निलम्बित किया लेकिन वर्तमान में वह 4 पंचायतों का किसी दूसरे नाम से करता है, अफसोस की बात है। जब राजनीतिक लोग चुनाव लड़ते हैं, वह डीलर राजनेताओं के बैठा रहता है, इस कारण से उस माफिया को कौन पकड़ सकता है, यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आरोपित कर रहा हूं कि एपीएल का गेहूं ....

श्री सभापति: अब समाप्त करो, माननीय सदस्य ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नवपुरा पंचायत में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर का नहीं बंटा, मैं प्रमाणित कर रहा हूं, आप थोड़ी-सी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी प्रकार से दिसम्बर का कैरोसीन 14 जनवरी को बांटा गया है। जनवरी, फरवरी का अभी बंटा नहीं है, मार्च आ गया अब कब बंटेगा? इतना ही नहीं, जब दिसम्बर, 08 में वह पकड़ा गया था, जब मैं चुनाव प्रचार में गया था तो एक मां ने कहा था, मुझे अटलजी का गेहूं नहीं मिला।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

तब शिकायत की थी, वह पकड़ा गया दिसम्बर 08 में। 1300 लीटर कैरोसीन जब्त करके किसी को संभलाया था, उस कैरोसीन का मुझे हिसाब चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसका कोई न कोई हिसाब होना चाहिये।

श्री सभापतिः हां, यह बाद में बता देना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): गृह मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया है गलती से एफआर लग गई। एफआर की नोटिंग के आधार पर उसको बहाल कर दिया गया। जिसने यह एफआर लगाई थी वह भी कहीं ट्रांसफर होकर चला गया, वह भी पकड़ा गया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां कर रहा हूं।

श्री सभापतिः बिलकुल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपकी इजाजत हो तो यह टेबल कर दूं । (व्यवधान) यह सारे के सारे सरकारी डाक्यूमेंट है वो ही जो उसमें आए हैं। लेकिन बाजार भाव से, यहां के जो डीएसओ ने जो पुलिस को रिपोर्ट दी है उसमें 27 लाख का गबन है। ऐसी स्थिति है उसका हिसाब होना चाहिए। अभी तक वह टर्मिनेट नहीं हुआ, अफसोस की बात है। 8 दिसम्बर, 08 से लेकर आज तक उसके खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ, किस न्याय की बात कर रहे हो। ये किस नागरिक आपूर्ति विभाग की बात करेंगे कि यहां अच्छा राशन देगा, सस्ता राशन देगा। मैं सरकार को आरोपित करता हूं कि मिलीभगत के कारण से यह सब कुछ हो रहा है और इसको जब तक ठीक करना चाहते हो, कल मार्मिक भाषण था माननीय मुख्य मंत्रीजी का...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं सहयोग कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी को तीन पेज का दिया था यह सारा हिसाब, आज तक जवाब नहीं आया।

श्री सभापतिः आपको मेरे निवेदन का कुछ असर हुआ?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं मुख्य मंत्रीजी को आरोपित करता हूं कि मुझे जवाब तो देते कम से कम कि कब क्या हो रहा है उसका।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

गृह मंत्रीजी असत्य बोल गये कि हमने गलती से एफआर लगा दी। एफआर तब लगती है जब कोर्ट स्वीकार करता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बिना एफआर के इसको कर लिया क्या ?

श्री सभापति: फूलचन्दजी भिण्डा, आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बहाल कर दिया क्या, यह कौन सा तरीका है, किस आधार पर? (व्यवधान)

श्री सभापति: फूलचन्दजी भिण्डा साहब, समाप्त करें। (व्यवधान) फिर मैं व्यवस्था दूंगा, कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दाल बांटी जा रही है ...(व्यवधान) उस दाल में वैट का हिसाब-किताब नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वैट कटा कि नहीं, टैक्स वसूल हुआ कि नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: जब मैंने निवेदन कर दिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: कई बार आपको निवेदन कर दिया, उसके बाद भी आप...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: आपने कहा दो सुझाव दूंगा । (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दाल जो बांटी गई ...(व्यवधान) यह जमा हो गया क्या खाते में? टैक्स लगाओगे मेरे ऊपर। दस पैसे का टैक्स मुख्य मंत्रीजी लगा रहे हैं, जो टैक्स चोरी हुआ, उसकी बात कर रहा हूं, आप

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सुन नहीं रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वैट की चोरी हुई है दाल बांटने में, उसको सभा पटल पर रखा जाए।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापतिः कर दीजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस प्रकार के प्रकरण हैं उनके बारे में जवाब आना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री परसादीलालजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अगर आप कहें तो दो मिनट दो-तीन प्रश्न मंत्रीजी से पूछ लूं।

श्री सभापतिः हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कल इस प्रश्न पर ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार राज्यों को खाद्य के बारे में जितनी सहायता देती है वह राजस्थान को नहीं देती। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का गेहूं और चावल में राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने भी कोशिश की, मैं भी सफल नहीं हुआ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वहां पर आपकी सरकार है और यहां पर आप हो । देखिये, तमिलनाडू में तीन रुपये किलो चावल 35 किलो एपीएल और बीपीएल दोनों को मिलते हैं, सारा पैसा भारत सरकार से आता है, आन्ध्र प्रदेश में ऐसा मिल रहा है, कर्नाटक में ऐसा मिल रहा है, गुजरात में यह व्यवस्था लागू है, छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू है, मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है। बहुत से राज्यों में, केवल राजस्थान को छोड़ दीजिए, हरियाणा को छोड़ दीजिए, पंजाब को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में वैसे ही भारत सरकार अपना पैसा देती है, सैवन सिस्टर स्टेट्स आफ आसाम इनमें भी इस प्रकार की सहायता है, बंगाल में भी है केवल राजस्थान ऐसा प्रान्त है जिसमें मरूस्थल है, जहां पर 40 प्रतिशत गेहूं हमें खाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है, जहां पर सारी चीजों की हमें कमी है। राजस्थान अकाल से लगातार पीड़ित प्रदेश रहा है, राजस्थान की फूड सिक्योरिटी होना अत्यन्त आवश्यक है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, माननीय मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार की मंशा हो, आपने इसके लिए सिविल सप्लाइज कारपोरेशन बनाया, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मूल बात यह है कि हमको वह चीज प्राप्त क्यों नहीं होती जो हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को प्राप्त होती है? इसका कारण है कि राजस्थान, हरियाणा ये राज्य राष्ट्र की मूल धारा में शामिल है। हमारे यहां कोई क्षेत्रीय पार्टियां जीतकर नहीं आतीं। तमिलनाडु में डीएमके आती है, एआईएडीएमके आती है वह घोषणा कर देती है, इतना काम देंगे। केन्द्र में किसी को सरकार बनानी हो और समर्थन लेना हो तो उनको फूड सिक्योरिटी दो। आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल आता है, फूड सिक्योरिटी लेते हैं। सब लोग मिलकर इस प्रकार से ले रहे हैं। इस प्रकार से केवल राजस्थान राज्य का नहीं राजस्थान के करोड़ों गरीब आदमियों का एक जो अधिकार है, वह अधिकार मारा जा रहा है। इसलिए मैं, मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा कि आप यह योजना बनाकर जिस प्रकार अन्य राज्यों में है, वह भारत सरकार को भेजें, 35 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति एपीएल और बीपीएल जिस प्रकार से तीन रुपये और चार रुपये किलो में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात सब राज्यों में मिलता है, वह हमको प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो राजस्थान की विधान सभा का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को हम भेज सकते हैं, संकल्प बनाकर हम भेज सकते हैं, इसमें आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं मिलती हमको? आपने दो रुपये किलो किया ठीक किया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है।

दूसरी बात, मंहगाई पर राज्य सरकार कन्ट्रोल करे। बार-बार वह कहते हैं, होल सैल प्राइस इन्डैक्स के आधार पर भारत सरकार मंहगाई की बातों को तय करती है, 435 आइटम उसके अन्तर्गत शामिल है। उन 435 आइटम के अधिकांश आइटम भारत सरकार की इच्छा पर चलने वाले हैं, केवल दो-तीन चीजों के असेंशल कमोडिटी एक्ट के भी अधिकांश अधिकार राज्य सरकारों के समाप्त हो चुके हैं। असेंशल कमोडिटी एक्ट के भी जितने अधिकार थे, अधिकांश अधिकार समाप्त हो चुके हैं। तो राज्यों के पास अधिकार नहीं है इसलिए राज्यों पर आरोप लगाते समय जो एम्पावर्ड कमेटी बनी है मुख्य मंत्रियों की, उस एम्पावर्ड कमेटी में राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या ज्ञापन दे रही है? मंहगाई को कम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह-यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमको मांग करनी है, वह क्या-क्या मांग आपने की है? मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान की ओर से क्या बात कही है मंहगाई को खतम करने के लिए, वह बात, माननीय मंत्री महोदय, आप सदन को अवगत कराएंगे तो हम आपके आभारी होंगे।

तीसरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि होल सेल प्राइम इन्डैक्स प्राइस यह हमारे साथ धोखा है। जी-20 देश है उन सारे देशों में और अन्य में जो रिटेल प्राइस है, उसके आधार पर इन्डेक्स तय किया जाता है। हमारे यहां पर डब्ल्यूपीआई होल सेल प्राइस इन्डैक्स के आधार पर मंहगाई की रेट तय की जाती है, वह अनुचित काम है। पहले हर सप्ताह शनिवार को किया जाता था और शनिवार को करने के बाद में उसको दो सप्ताह पहले का कहा जाता था। अब भारत सरकार ने उसको एक महीने का तय कर दिया। इस प्रकार से मंहगाई बढ़ने के बाद भी आम आदमी को मंहगाई का पता नहीं होता। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप राज्य की तरफ से लिखकर दें, हर शनिवार को जिस प्रकार से होल सेल प्राइस इन्डैक्स के बारे में जानकारी और कोटा उपलब्ध होता था उसी प्रकार से होल सैल प्राइस इन्डैक्स के बारे में, डब्ल्यूपीआई उसको कहते हैं, राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार कैरोसीन के मामले में राज्य सरकार के साथ ज्यादती हो रही है। कैरोसीन के मामले में हमारे साथ ज्यादती हो रही है, गेहूं के मामले में हमारे साथ ज्यादती हो रही है, चावल के बारे में हमारे ज्यादती हो रही है और अनाज जो इकट्ठा करते हैं उसमें भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उदाहरण के लिए, पंजाब गेहूं जो पैदा करता है वह गेहूं तो भारत सरकार जो सपोर्ट प्राइस तय करती है उस पर लेती है लेकिन वहां की सरकार उनको अपनी तरफ से 100 रुपये 200 रुपये क्विण्टल का किसान को और उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार से मध्यप्रदेश की सरकार भी किसान को उपलब्ध कराती है। अब गेहूं की फसल हमारे पास आने वाली है, जितना गेहूं हम स्टाक करेंगे आजकल भारत सरकार उसके अनुपात में उनको सहायता देने की पेशकश करती है तो क्या हम राजस्थान में जो समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदेंगे उसमें किसान को अतिरिक्त पैसा देने का, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार देती है, आप विचार रखते हैं कि नहीं? सभापति महोदय, उसका कारण है, हमारे यहां जो गेंहू पैदा होगा तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मध्य प्रदेश के पास वाले जिले हैं, इधर पंजाब के पास वाले जिले, हरियाणा के पास वाले जिले वह राजस्थान में हमको नहीं देंगे, वह चला जाएगा गेहूं वहां पर, क्योंकि किसान को वहां पर 100 रुपये, 200 रुपये क्विण्टल सपोर्ट प्राइस से ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार केन्द्र से जो हमको अनाज का कोटा मिलता है, वह कम हो जाता है इसलिए मंत्री महोदय आप अपना जवाब देते समय बताएं कि हमारे पड़ोसी राज्यों की तरह आप भी किसानों को भारत सरकार के समर्थन मूल्य के बाद जिस प्रकार वे सरकारें 100 रुपये, 200 रुपये क्विण्टल के देती हैं, आप किसानों को देंगे कि नहीं देंगे और देंगे तो राज्य का हित होगा। दो-तीन मुद्दे तो ये हैं।

एक चीज अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको गेहूं पिसाकर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब यह विवाद बन रहा है तो अपन इसमें क्यों पड़ें? क्योंकि गेहूं पीसाकर देने के लिए न तो किसी की डिमांड आई न किसी का और आया। जितना हम देना चाहें उतना गेहूं पिसा हुआ न देकर हम उनको गेहूं ही दे दें हम क्यों झंझट में पड़े? जब गेहूं की मांग ही हो रही है तो पिसाने के चक्कर में अपन क्यों पिसें? पीस लेंगे खाने वाले एक-एक, दो-दो किलो गेहूं। इसलिए इस पर आप विचार कर लें। आप पिसाकर देना चाहें तो दें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बिना मतलब भंवर जाल में फंस रहे हो। शुद्धता रहती है, आप गेहूं दो, सीधा-सीधा। और पी.डी.एस. सिस्टम को सरकार ने मजबूत करने के लिये और क्या-क्या कार्यवाही की है, वह बताने का श्रम करेंगे, इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें ताकि राज्य के हित सुरक्षित हो सकें। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत।

श्री सभापति: श्री परसादीलालजी मीणा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों द्वारा करीब 47 कटौती प्रस्ताव विभाग को मिले हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि उन सभी के जवाब कल तक आपको भिजवा दिये जाएंगे और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करुंगा। इस विभाग की सेवाएं हैं जनजाति के कल्याण के लिये, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आवास सम्बन्धी इन समस्याओं को, उनको मुख्य धारा में लाने के लिये जनजाति में टी.एस.पी. की हमारी जनसंख्या है, माडा की है, सहरियाओं

(श्री परसादीलाल)

की है, और दूसरी जो जातियां हैं, ये पूरी जनसंख्या का 12.56 प्रतिशत राजस्थान में निवास करती हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ हैं, टी.एस.पी. एरिया 27 पंचायत समितियां मिलकर बना है, उसको उप योजना क्षेत्र में, टी.एस.पी. में शामिल किया है। बाकी अन्य जो ट्राइबल पापुलेशन है, वह माडा की है। बाकी सहरियाओं को भी विशेष पैकेज भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने दिया है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि इसमें बजट प्रावधान कम किया गया है। बजट में जो प्रावधान किया गया, उसको खर्च नहीं किया गया। अब इस सरकार का संकल्प है कि हम 5 वर्षों में, जो पिछली सरकार ने अपने लास्ट ईयर में इसमें बजट प्रावधान रखा था, पांच वर्षों में हम उसको दुगुना करेंगे और इस खर्च की भी हम समुचित निगरानी रखेंगे। माननीय कटारियाजी ने, दूसरे सदस्यों ने पहले भी चिन्ता व्यक्त की थी कि पैसा जो बजट में रखा, सौ करोड़ रखा, उसको रिवाइज्ड एस्टीमेट में 80 करोड़ कर दिया और उससे भी कम खर्च हुआ। मैं आप सब क़ो आश्वस्त कर देना चाहता हूं हमारे विभाग की ओर से कि जो 80 करोड़ का हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट रखा है हम उसको 31 मार्च तक, यह सूचनाएं आपके पास दिसम्बर तक की हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट पूरा का पूरा 80 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में खर्च हो, ऐसे हमने विभाग को निर्देश दिये हैं जिसमें पूरी व्यवस्था करेंगे। आगामी बजट के लिये आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 124 करोड़, सौ करोड़ से कम भी हो गया था उसको इतना बढ़ा दिया, 20 करोड़ रुपये प्लस करते हुए 124 करोड़ तक का हमने इसमें प्रावधान रखा है जो एक तरह से बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि मानते हैं। इस बजट का समय रहते हुए हम प्लान बनाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होने के कारण भी आपको पता हैं।

(समय : 18.53 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

पहले लोक सभा चुनाव आ गये, तीन महीने आचार संहिता रही। फिर पंचायतों के चुनाव आ गये, उसमें 2-3 महीने ऐसा माहौल रहा जिसमें काम नहीं हो सकता था। आचार संहिता थी, काम नहीं हुआ, ये सब कारण इस बजट के खर्च नहीं होने के हैं। फिर भी मैंने विभाग से आज जानकारी ली है।

(श्री परसादीलाल)

31 मार्च तक हम इसको खर्च करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो माननीय सदस्यों ने सबसे ज्यादा चिन्ता व्यक्त की है कि वनवासी, हमारे ट्राइबल जो रहते हैं, वनों में, फोरेस्ट लैण्ड में रहते हैं उनको वन अधिनियम के तहत पट्टे नहीं मिले। विशेष अभियान चलाया, उनकी एप्लीकेशंस आईं, उनमें से बहुत ज्यादा, 59 हजार में से 30 हजार के करीब खारिज कर दीं। हम सब के लिये एक चिन्ता का विषय था। उस चिन्ता के विषय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया हमने उसकी कार्य योजना बनाई है। जब प्रशासन गांवों के संग चलेगा, वे सारी एप्लीकेशंस 30 हजार जो खारिज कर दीं, हम उसको दुबारा रिव्यू करेंगे और जो वाजिब होंगे हम उनको अधिकार पत्र जारी करने के निर्देश देंगे। ऐसे लोग, जिन्होंने अपनी जानकारी के अभाव में या किसी और कारण से अपनी एप्लीकेशंस भी नहीं दीं ग्राम सभाओं को, वे भी उसमें देंगे, उन पर भी सरकार की ओर से प्राधिकार पत्र जारी करने का प्रशासन गांवों के संग में लार्ज स्केल पर काम होगा। वनवासी जो बहुत समय से रह रहे हैं, उनको वास्तव में अधिकार मिलें, सरकार की, हमारे मुख्य मंत्रीजी की ऐसी मंशा है, उस मंशा को हम पूरा करेंगे। मैंने सवाल के जवाब में कहा था कि 14 हजार के करीब पट्टे थे, अभी दुबारा जानकारी मिली है विभाग से, 21838 लोगों को प्राधिकार पत्र हमने जारी कर दिया है। बाकी को प्रशासन गांवों के संग में हम चाहते हैं, आपकी भावना के अनुरूप, सदन की भावना के अनुरूप, आदिवासी जो 2005 से पहले से फोरेस्ट लैण्ड में रह रहा है जिसका वहां पर अधिकार है, जिसका क्लीयर टाइटल है, उसको वहां पर अधिकार पत्र मिले, सबको मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। हमने विभाग को निर्देश दिये हैं, इसमें किसी तरह की कोई कोताही विभाग की ओर से नहीं की जाएगी। इसके प्रति पूर्णतया गम्भीर होकर हम इस काम को निश्चित रूप से एक अभियान के रूप में करेंगे।

शैक्षणिक व्यवस्था की जहां तक बात है, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, कि आश्रम विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। विद्यालय खोल दिये, वहां पर अध्यापक नहीं हैं। दूसरी कई तरह की चिन्ताएं की हैं। आश्रम छात्रावासों के भवन पुराने हो गये, उनकी हालत जर्जर है। वहां पर व्यवस्थाओं की कमी है, कहीं पीने का पानी नहीं है। इन सबके लिये हमने बजट में प्रावधान रखा है, और सात जगह नये भवन, जो पुराने भवन हैं, उनकी जगह हम नये भवन भी बनाने जा रहे हैं, जिसका मैं आपको बाद में उल्लेख करुंगा।

(श्री परसादीलाल)

(समय : 18.57 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, हम जनजाति क्षेत्रों में 10 नये आश्रम छात्रावास भी अगले वित्त वर्ष में बनाने जा रहे हैं जिससे आदिवासियों में भी शिक्षा का, जो उनका स्तर बढ़े, उनको सुविधाएं मिलें। मैस भत्ता भी जो 850 रुपये था पहले, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का, उसको भी बढ़ाकर, सभापति महोदय हमने एक हजार रुपये कर दिया है, क्योंकि महंगाई भी आई, उनके खाने की क्वालिटी में कहीं कोई बात, कमजोरी नहीं रहे। उनको खाने में कहीं कोई किसी तरह की लापरवाही न हो, इसलिये सरकार ने पहले ही एक हजार रुपये उनका मैस भत्ता बढ़ाकर किया है। खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों के लिये पहले 40 रुपये मैस भत्ता था, उसको बढ़ाकर भी हमने 80 रुपये कर दिया है। महाविद्यालयों में जो सहरिया जाति के छात्र और छात्राएं पढ़ते थे, पहले उनको 13 हजार रुपये का प्रावधान था साल में मिलने का, उसको बढ़ाकर हमने 20 हजार रुपये कर दिया है जिससे सहरियाओं में जो शिक्षा का अभाव है, सहरिया बालक और बालिकाएं नहीं पढ़ पाते हैं, कालेज से जुड़कर अपनी पढ़ाई करें। माननीय सदस्य किशनगंज-शाहबाद से आनी वाली, उन्होंने भी चिन्ता व्यक्त की है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। जो भी आपने यहां पर बात बताई है, कि छात्रावासों में अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, इस तरह की लापरवाही नहीं हो, चाहे वहां ट्यूबवैल लगाना पड़े और संसाधन करना पड़े, अच्छा पानी छात्रावासों में, आश्रम विद्यालयों में मिले, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र टी.एस.पी. के छात्र और छात्राएं हैं, सहरिया क्षेत्र के हैं, उनको पहले कालेज की पढ़ाई पर 350 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर हमने 500 रुपये कर दिया है जिससे उनका कहीं किसी तरह कालेज की पढ़ाई से लगाव कम नहीं हो। जो 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं हैं, उनको स्कूटी दी गई थी। माध्यमिक विद्यालय में अगर कोई छात्रा 65 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगी तो उसको स्कूटी देने का प्रावधान था। अब यदि वह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 65 प्रतिशत अंक लाएगी और वे स्नातक की पढ़ाई के लिए जाएगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ेगी तो 20 हजार उसको अतिरिक्त देंगे और सैकिण्ड और थर्ड ईयर तक जनजाति की बालिकाओं को हम 10-10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति हर साल देंगे जिससे उसकी पढ़ाई में कहीं कोई कमजोरी नहीं आए।

(श्री परसादीलाल)

गरीब वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको इस तरह की प्रोत्साहन राशि देने से, माननीय सभापति महोदय, एक तरह से जो टी.एस.पी. के इलाके में छात्राओं की पढ़ाई का प्रतिशत कम है, वे अच्छी लगन से पढ़ेंगी, अच्छे अंक लाएंगी। जो ऐसी बालिकाएं होंगी, निश्चित रूप से यह सरकार उनको यह प्रोत्साहन राशि देगी।

(समय : 19.00 बजे)

दो नये आवासीय विद्यालय भी हम, माननीय सभापति महोदय, इस साल शुरू कर रहे हैं। एक तो है हमारा घाटोल में और दूसरा है हमारा सांगवाड़ा में, इन दोनों आवासीय छात्रावासों इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जारी कर दी है। जमीन वगैरह का हमने उसका कर लिया और उसके बाद हम काम बहुत जल्दी उनका शुरू करा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, सात जो पुराने छात्रावास थे, जिनकी हालत जर्जर थी, अभी मैंने कहा, सात करोड़ रुपये का प्रावधान उनके लिए रखा है। सातों छात्रावासों-गढ़ी, छोटी श्रवण, घोड़ी तेजपुर, रामपुरिया, सुहागपुर, बाघपुरा और टोकर, इनके एक-एक करोड़ रुपये लागत से नये छात्रावास भवन बनाएंगे जिससे बालक और बालिकाएं अच्छी तरह से वहां पर रह सकें।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ट्राइबल सब प्लान में, टी.एस.पी. एरिया में बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार की इच्छा है कि ट्राइबल सब प्लान के छात्र और छात्राएं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ें। धनाभाव के कारण, वहां पर सुविधाएं नहीं होने के कारण छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे थे, उसके लिए बांसवाड़ा में इसी वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। उसके लिए 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जमीन और साइट सारा तय कर बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू करा देंगे। जनजाति के छात्र काम्पीटिशन के लिए या इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए या पी.एम.टी. या सी.पी.एम.टी. के लिए कोटा और जयपुर में नहीं आ सकते थे, वहां रहने की सुविधाएं नहीं थीं। लोगों की हालत अच्छी नहीं होने के कारण प्रतिभावान छात्र-छात्राएं जयपुर और कोटा में आकर कोचिंग नहीं कर सकते थे। उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि कोटा और जयपुर में दो कोचिंग सेंटर्स में जो छात्र-छात्राएं आएंगे, उनके लिए हम छात्रावास बनाएंगे, सरकारी खर्च से और उनमें उनको हम सुविधाएं देंगे।

(श्री परसादीलाल)

कम्प्यूटर की शिक्षा के लिए, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने विचार किया है कि कम्प्यूटर की शिक्षा, जिससे वे रोजगार लग सकें, अपना काम-काज कर सकें, नौकरियां नहीं भी लगें तो भी बेरोजगार नहीं रहें युवक और युवतियां, उनके लिए भी हमने कम्प्यूटर की नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इस बजट में रखा है।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति के छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए जिनको ऋण नहीं मिलता था, उसके लिए हमने सम्भाग स्तर पर और जिला स्तर पर मेला लगाने का फैसला किया है। बैंकों से, विभिन्न संस्थाओं से उनको ऋण और साथ में अनुदान की भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे टी.एस.पी. और नान-टी.एस.पी. के छात्र जो बेरोजगार हैं, उनको निश्चित रूप से सुविधाएं मिलें।

एक दूसरा सड़कों के संबंध में भी, ट्राइबल में 250 की आबादी तक के सभी गांवों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों से जोड़ दिया। सबको पता है टी.एस.पी. एरिया में बिखरी हुई आबादी है, छोटे-छोटे मगरे हैं, ढाणियां हैं । एक-एक ट्राइबल कहां-कहां रहता है, जो भी ऐसी जगह हैं वहां पर सी.सी. रोड़, पुलियाएं बनें जिससे वे आ-जा सकें, इसके लिए हमने इसी वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रावधान किया है। ढाणियों में, मगरों में जहां भी वे निवास करते हैं, सी.सी. रोड और पुलियाएं बनाएंगे जिससे उनके आवागमन में सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल की जो बस्तियां हैं, जहां पर एक-एक, दो-दो ढाणियों में लोग रहते हैं, जो मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना थी, उससे भी कवर नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर हमने इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान किया है जिससे उनकी बस्तियों में विद्युत हो और उनकी बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एनिकटों का ट्राइबल सब प्लान में, टी.एस.पी. एरिया में विशेष महत्व है थोड़ी-थोड़ी जो खेती करते हैं, छोटी-छोटी जमीन भी जोतते हैं वहां पर एनिकटों के लिए इस वित्तीय वर्ष में हमने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिससे उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

हमारे ट्राइबल के, टी.एस.पी. के भाई मक्का की खेती ज्यादा करते हैं छोटी-छोटी जमीनों पर, उसके लिए प्रोजैक्ट गोल्ड रेस के तहत जो मक्का

(श्री परसादीलाल)

आएगी उसका 3500 मैट्रिक टन बीज हम उनको फ्री में देंगे। अच्छी क्वालिटी की मक्का होगी, उसकी व्यवस्था भी हमने की है।

सहरियों के विकास के लिए भी हमने 51 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रावधान इस साल किया है। मां-बाड़ी, इनका आंगन एक नया केन्द्र शुरू किया है उसमें बालक-बालिकाओं को मां और उनके बेटे और बेटियां, प्रारम्भिक तौर पर वहां पर पढ़ाई के लिए तैयार करे। जहां पर दूरदराज में स्कूलें हैं, छोटे बच्चे जा नहीं सकते, जहां भी छोटे-छोटे मगरे और ढाणियां हैं वहां पर हमने ऐसी व्यवस्था की है मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की जिसमें मांएं अपने बच्चों का भोजन बनाएंगी, वहीं उसको थोड़ा-बहुत पढाएंगी, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करेगी। यह मां-बाड़ी केन्द्र भी हमने इस साल से शुरू किया है। भारत सरकार ने भी इस योजना को मंजूरी दी है और तीन वर्षो में भारत सरकार हमको 51 करोड़ 93 लाख रुपये देगी। पहली किश्त हमको भारत सरकार से मिल चुकी है और इन केन्द्रों का संचालन हम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर देंगे जिससे सहरियाओ की जो गरीब आबादी है, वनिश्चित रूप से मुख्य धारा में जुड़ने का उनको फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने, दयारामजी परमार अभी हमारे हाउस में नहीं हैं, उन्होंने राजस संघ के खिलाफ अपना एक सवाल उठाया है कि अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, न ही इसके कभी कोई चुनाव हुए हैं। मैं इसकी पूरी कार्य-प्रणाली की जांच करवाऊंगा और इसमें कहीं अनियमितता होगी या इसका उपयोग नहीं होगा तो जांच कराकर मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। जनजाति कमिश्नर की प्रणाली के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाया है कि जनजाति कमिश्नर पंचायत समितियों की मीटिंग में, जिला परिषदों की मीटिंग में जाते नहीं हैं इसलिए उनको पूरा फीड-बैक नहीं मिलता है। मैं निर्देश दूंगा कि जहां पर भी जिला परिषद की मीटिंग होगी, ट्राइबल सब प्लान में, कमिश्नर निश्चित रूप से अगले टाइम से वहां पर जाएगा, सब चीजों को वहां पर वह अपनी नालेज में लेगा और उसके अनुसार कार्य-योजना बनाएगा।

दूसरी एक बात और हमारे माननीय सदस्य ने कही कि एडवाइजरी कमेटी जो इसकी है उसका भी सवा साल में गठन नहीं हुआ। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर हम एडवाइजरी कमेटी का गठन कर देंगे जिससे उसकी साल में दो या तीन या चार जो भी मीटिंग होंगी

(श्री परसादीलाल)

उसमें माननीय सदस्यों के विचार आएंगे, कार्य योजना बनेगी, जो काम अच्छा होगा, कैसा हो रहा है, कैसे उस काम को किया जाए, उसकी कार्य प्रणाली पर शासकीय निकाय पूरा विचार कर सके। इस चीज के लिए हम एक महीने के अन्दर-अन्दर इस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन कर देंगे।

दूसरी बात हमारे माननीय सदस्यों ने, बाबूलालजी खराड़ी, माननीय सदस्य अभी हैं नहीं, उन्होंने भी उठायी कि कालेज में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है, प्राइवेट में नहीं मिलती है। इस चीज को भी हम दिखवाएंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे। ट्राइबल सब प्लान में गवर्नमेंट कालेज में छात्रवृत्ति मिलती है, वहां एडमिशन नहीं होने के कारण उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, प्राइवेट वालों को, उसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे। इस मामले को भी दिखवा कर सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, किसी तरह का नहीं हुआ। फलासिया-कोटड़ा तो शायद ट्राइबल सब प्लान की पंचायत समिति है। वहां पर छात्रावास भी बने हुए हैं। अगर वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था होगी तो उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए उनके जो भी सुझाव होंगे, जैसा उन्होंने कहा है, उसके अनुसार मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि उनकी बात सुनकर उन कमियों को निश्चित रूप से दूर करें।

हमारे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य माननीय मेवारामजी ने कहा है कि हमारे भी वहां बहुत सारे गांव हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि जो ट्राइबल है उसको ट्राइबल सब प्लान, टी.एस.पी. एरिया में तो बिजली कनेक्शन, खेती के कनेक्शन के लिए प्रायोरिटी मिलती है। एस.सी. को सब जगह मिलती है पर माडा-क्लस्टर और बिखरी जाति के कारण टी.एस.पी. एरिये के अलावा दूसरी जो जनजाति हैं, उनको इसमें प्रायोरिटी नहीं मिलती है। हम मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे कि 27 पंचायत समितियों के अलावा चाहे वह चित्तौड़गढ़ की हो, चाहे सिरोही की हो, जालौर की हो, पाली की हो, वहां का ट्राइबल भी बहुत कमजोर है, उसको भी कनेक्शन में प्रायोरिटी मिले। इसके लिये हमारे विभाग की ओर से कुछ पैसा दिये जाने की व्यवस्था होगी या मदद करने की होगी तो करेंगे। मैंने देखा है, मैं बाली इलेक्शन में गया था, सभापति महोदय, वहां का ट्राइबल भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन वह टी एस पी एरिये में नहीं आता है। बाली से आने वाले माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री परसादीलाल)

भी भारत सरकार को पत्र लिखा था कि 90 प्रतिशत तक, 80 प्रतिशत तक, 70 प्रतिशत तक जो वहां पर पापुलेशन है, गांव के गांव हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि उस चीज को दुबारा भारत सरकार को लिखें। भीमाणा का हो, चाहे बाली का हो, पाली का हो, जालौर का हो, सिरोही का हो, चाहे आबू रोड का बाकी का एरिया हो, सब ट्राइबल बहुत कमजोर है और इनके लिये हम दुबारा भारत सरकार को निवेदन करेंगे कि इनको टी एस पी एरिया में जोड़ें। इसका प्रस्ताव हम हमारे विभाग की ओर से भिजवाएंगे।

जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये और इस पर चिन्ता व्यक्त की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माडा छात्रावास में जहां टीचर की व्यवस्था नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि टी एस पी एरिये में जहां भी इस तरह की व्यवस्था है, आप सबसे पहले वहां पर अध्यापक लगाएं, जो रिक्त पद हैं, आप उनको भरें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो। खाली छात्रावास खोलने से, विद्यालय खोलने से कुछ नहीं होगा जब तक टी एस पी का पूरा डवलपमेंट नहीं होगा, जब तक अध्यापकों का पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा। यह स्टाफ आप लगाएं। और दूसरी जो चिन्ता व्यक्त की है छात्रावासों के बारे में, उस व्यवस्था को भी हम ठीक करवायेंगे। हमारे अधिकारियों को निर्देश देंगे कि एक महीने में कम से कम पाँच या सात आश्रम छात्रावासों का माडा में, टी एस पी एरिये में हर अधिकारी चाहे वह एस डी ओ हो, कलक्टर हो, छात्रावासों का निरीक्षण करे। वह देखे कि भोजन व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, खाना अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है।

सभापति महोदय, पहले खाने की काफी शिकायत आती थी, हमारा विभाग पहले राजस संघ से खाने की आपूर्ति करता था। अब हमारे विभाग ने तय किया है, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे डूंगरपुर हो, सब जगह हमारे होल सेल भण्डारों से हमने व्यवस्था की है। उदयपुर भण्डार से जो रेट होगी वह चाहे डूंगरपुर का है, बांसवाड़ा का है, अच्छी क्वालिटी का सामान वहां पर जाए। दाल अच्छी हो, आटा अच्छा हो, सब्जियां अच्छी हों, मसाले अच्छे हों, इसका भी हमारा विभाग पूरा ध्यान रखेगा। आप सबने सुझाव दिये, आप सबके सुझावों पर मैं विभाग को निर्देश दूंगा और जहां भी जो भी कमी-खामी

(श्री परसादीलाल)

है, उसको हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि विभाग की डिमाण्ड को पास करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा पिछले 15 वर्षों का अनुभव यह है कि टीचर लगते ही नहीं। न तो डिपार्टमेंट देने को तैयार है, न जाने को तैयार हैं। आप इसी आवासीय विद्यालय के लिये अलग से सलैक्शन करो। आश्रम छात्रावास के लिये अलग से सलैक्शन करो तो वहां टीचर निश्चित रूप से जाएगा। हमारे सब प्रयास करने के बाद भी टेलेन्टेड लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, उन बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। आप इसके लिये प्राथमिकता देकर मुख्य मंत्रीजी से बात करके इसके लिये सलैक्शन ही इसी के नाम से करो। आवासीय विद्यालय के नाम से ही आप विज्ञापन निकालो और उसके आधार पर ही आप टीचर को सलैक्ट करो ताकि आपकी इस समस्या का समाधान हो। दूसरा, आपकी स्कालरशिप समय पर नहीं मिलती, साल-साल भर तक नहीं मिलती। क्यों ना आप कोई न कोई इस तरह से अकाउंट खोले जहां उन बच्चों की अटेंडेंस का वैरीफिकेशन हो जाए उसी के साथ चैक बनाकर बच्चे के खाते में चला जाए ताकि हर महीने पैसा आ जाए। आपके पास पैसा पड़ा है, देने की आपकी मंशा है तो फिर उस बच्चे को क्यों नहीं पहुंचता है? केवल अव्यवस्था के कारण। इन दो बातों के बारे में आप विशेष चिन्ता करें तभी समस्या का हल होगा। हमने तो खूब प्रयास कर लिया, लेकिन यहां टीचर जाता ही नहीं, और जाता है तो वापस लौटकर आ जाता है। वह विद्यालय वैसे का वैसा खाली रहता है और टेलेन्टेड बच्चे हैं। 80 प्रतिशत वाले बच्चे हैं, आपने रिजल्ट का एनालिसिस नहीं किया। ये जो आपके आवासीय विद्यालय हैं इनके रिजल्ट को देखो तो आपको और मुझे रोना आएगा कि जिन बच्चों को 80 प्रतिशत के आधार पर भर्ती किया, आज उनका रिजल्ट 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 22 प्रतिशत है, सारा प्रयास बेकार जा रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, सही बात है। वहां पर टीचर भर्ती भी कर लिये जाते हैं, परन्तु वह भर्ती के बाद सबसे पहले प्रयास करेगा कि मेरा ट्रांसफर वापस कैसे इधर हो जाए। हर सम्भव उसका मन उधर रहता है। हम चाहते हैं वह पढ़ाई में रहे। टीचर को हम वेतन भी देंगे, वह रहेगा भी नहीं। कई बार तो ये शिकायतें आती हैं कि 15 दिन एक टीचर रहता है और 15 दिन दूसरा टीचर

(श्री परसादीलाल)

रहता है जिससे वहां पढ़ाई बाधित होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां का कैडर अलग से बना दो। डूंगरपुर में भर्ती हो गया तो उसका रिटायरमेंट डूंगरपुर से हो। बांसवाड़ा में भर्ती हो गया तो उसका रिटायरमेंट बांसवाड़ा से ही हो। उदयपुर में अगर टी एस पी एरिये का आप भला करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अलग कैडर बनाकर वहां पर भर्तियां करें। कभी उनका वहां से ट्रांसफर नहीं हो, जिसको जाना होगा वही जाएगा। यह व्यवस्था जब तक शिक्षा विभाग नहीं करेगा तब तक हमें भी रोज परेशान करते हैं, साहब, मेरा बांसवाड़ा में हो गया, मेरा ट्रांसफर दौसा कराओ, पाली कराओ, धौलपुर कराओ। इस व्यवस्था के लिये आप कैडर बना दें। चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे दूसरे जिले हों सबसे मोटी समस्या यह है कि वहां स्कूलें खाली रहने से भर्ती तो हो जाती है, लेकिन वापस इधर आने की कोशिश करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करिये, आपको राजस्थान के और टीएसपी के लोग याद करेंगे। वहां का अलग कैडर बनाकर वहां पर जिलेवार भर्ती कीजिये और ऐसी शर्त डाल दीजिये कि उनका कभी कोई ट्रांसफर नहीं हो, जिसको जाना हो, जाए। नहीं तो यह सही बात है, अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक स्कूल का रिजल्ट जीरो प्रतिशत रहा है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल का जीरो प्रतिशत रहा है। यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है। दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल कौनसा था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह जो स्कालरशिप देते हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दूसरी स्कालरशिप की बात है। सभापति महोदय, यह भी चिन्ता का विषय है कि हम तीन महीने की, चार महीने की, छह महीने की, आठ महीने की छात्रवृत्ति देते हैं। वह टी एस पी में कम से कम हर महीने दें। उनका अकांउट खुल जाए और हर महीने उसके अकांउट में छात्रवृत्ति जाए, इस तरह की व्यवस्था हमारे विभाग से हम करवाएंगे। उनको समय पर छात्रवृत्ति मिलेगी, वह काम आएगी। पढ़ाई के बाद स्कूल बंद होने के बाद अगर वह छात्रवृत्ति मिलती है तो घरवालों का पैसा लग गया, छात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। उसके अकाउंट में हर महीने जमा हो, ऐसी व्यवस्था हमारे विभाग से करवाएंगे। इसमें और कोई सुधार की गुजाइंश होगी तो, सभापति महोदय, हमारा विभाग उसके लिये पूर्णतया कार्य प्रणाली को ठीक करने की कोशिश करेगा।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 32 पर 29 पर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और अधिकतर सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की कि कैसे हमारा पी डी सिस्टम और अधिक मजबूत बने। भारत सरकार, राजस्थान सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी गरीब आदमी को देती है और यह सोचकर देती है कि गरीब तबके को उसका लाभ मिले। लेकिन निश्चित रूप से, सभापति महोदय, यह चिन्ता का विषय है, कि राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान की सरकार भी यहां तक हमारे प्रधान मंत्रीजी भी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधीजी भी इस बात के लिये चिन्तित हैं, समय-समय पर उन्होंने चिन्ता जाहिर की है। निश्चित रूप से जो आपके सुझाव आए हैं .. (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सोनिया गांधीजी का नाम कैसे ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): केन्द्र में यूपीए सरकार की गवर्नमेंट है और वह चेयरपर्सन हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, फिर सदन के अन्दर सोनियाजी का नाम क्यों ले रहे हो? सोनिया गांधी वाले शब्द को एक्सपंज किया जाए। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजे आप। मंत्रीजी, बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बैठे हैं, उनका खाद्य विभाग का अनुभव रहा है और पिछले कई सालों के आंकड़े भी मैंने देखे हैं, खाद्य विभाग का बजट कभी 18 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 22 करोड़ रहा। पिछली बार वर्ष 2009-10 में अशोकजी गहलोत साहब ने 24 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया था और इस बार, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि करीब पौने तीन सौ करोड़ रुपये का इस बजट में खाद्य विभाग के लिए प्रावधान किया है। निश्चित रूप से बजट भाषण में सभी सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी की तारीफ की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जो डिमाण्ड पेश होती है, उसी पर चर्चा होती है, वही पैसा स्वीकृत करते हैं। डिमाण्ड 50 करोड़ की है, कहां पौने तीन सौ करोड़ रुपये आ गये?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जब बी पी एल को दो रुपये किलो का गेहूं हम देंगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह अलग चीज है। डिमाण्ड में नहीं है, महाराज।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सुन तो लो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यहां चर्चा वही होती है जो डिमाण्ड आपने पेश की है। आप जो यहां पारित करवाएंगे, जो राज्यपाल महोदय को आप देंगे, वह पचास करोड़ ही है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, चाहे बी पी एल को दो रुपये किलो का गेहूं देने की बात हो, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने भी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी की तारीफ की है।

निश्चित रूप से आज पी डी एस का सामान जहां पहुंचना चाहिए उसमें अनियमितताएं रहती हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रयास मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है, जब यह खाद्य आपूर्ति निगम बनेगा, जो प्राइवेट ठेकेदार गेहूं की सप्लाई, कैरोसिन की सप्लाई, चीनी की सप्लाई समय पर नहीं पहुंचाते, देरी हो जाती है, मिलीभगत करके डायवर्जन कर जाते हैं, निश्चित रूप से इसका राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। लम्बे समय से, तिवाड़ीजी को जानकारी है, कमीशन वाली, आपके टाइम में भी बहुत आवाज उठी थी, मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कमीशन भी बढ़ाया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछली बार जब आपकी सरकार थी, तिवाड़ीजी, आपको जानकारी है, बारां के सहरियों को लेकर दो दिन तक हाउस नहीं चला था, जबरदस्त शोर हुआ था। मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार सहरियाओं और उदयपुर जिले के कैथोड़ी के तीस हजार परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हम उनको नि:शुल्क 35 किलो गेहूं देंगे। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री की भावना के अनुसार हमने तीस से पैंतीस किलो के बीच में नि:शुल्क गेहूं देना शुरू कर दिया है राजस्थान में और वे तीस हजार परिवार जिनको रोजी-रोटी की बहुत भारी परेशानी थी, आज वो उससे मुक्त हो गये हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आये दिन शिकायतें मिलती हैं कि जहां सामान पहुंचना चाहिए, वह समय पर नहीं पहुंच पाता, बीच में डायवर्जन हो जाता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि जब भी किसी दुकान को राशन का सामान दिया जाए, समाचार पत्रों में उसकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि अमुक गांव के राशन डीलर को कितनी सामग्री दी गयी है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पिछले महीने ही मैंने विभाग में आदेश जारी कर दिये हैं। विभाग में जो तहसील स्तर पर जो विज्ञप्ति जारी होती है उस विज्ञप्ति की प्रति भी मैंने मंगवाई है। हमने खाद्य विभाग में यह चालू कर दिया है। मैं मानता हूं कि अधिकारियों की कमी है, आज खाद्य विभाग में पचास परसेंट पद रिक्त चल रहे हैं और डेढ़ करोड़ के आस-पास परिवार हैं, राशनकार्ड हैं, निश्चित रूप से मानिटरिंग में कमी महसूस होती है। हमने इस बात की कोशिश की है कि राशन समय पर पहुंचे। मैंने पिछले महीने विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायी और यह आदेश जारी किया था कि जितनी भी खाद्य सामग्री का सामान है, राशन के डीलर मिलीभगत करके इसको डायवर्जन भी कर जाते हैं तो इस पूरे सामान का उठाव 15 मार्च तक पूरे राज्य में कर लिया जाए और उस दिन तक उसका वितरण नहीं किया जाए। मैंने राजस्थान में सभी डी एस ओ को ये निर्देश दे दिये थे और इस बार बजट से पूर्व सारी खाद्य सामग्री और कैरोसिन को रोक दिया था। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक और अच्छा काम किया, जो मेरा सोच था। मैं सोच रहा था कि 15 तारीख तक उठाव हो जाए, मैंने जो आदेश दिए, और 20 तारीख तक उसका सत्यापन हो। गांवों में तीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा सत्यापन हो सिर्फ इस बात का कि जितना सामान आबंटित किया है राशन की दुकान तक वह पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पूरा सामान पहुंचने के बाद उसका वितरण किया जाए 21 तारीख से महीने की आखिरी तारीख तक। और अब तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस तरह की इस बजट भाषण में घोषणा कर दी है कि खाद्य सामग्री 15 से 21 के बीच में और वह भी सरकार कर्मचारी की उपस्थिति में वितरित होगी। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि डायवर्जन में एक बहुत, मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणा की है, यह कारगर साबित होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राशन की दुकान पर कलक्टर के, एस डी एम के और डी एस ओ के नम्बर

(श्री बाबूलाल नागर)

लिखवाये जाएं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने सभी डी एस ओ को ये निर्देश दे दिए हैं और शुरू भी हो गये हैं राशन की दुकान पर कलक्टर के, डी एस ओ के नम्बर लिखाना। जल्दी ही महीने, दो महीने में ही पूरे राजस्थान में इसको पूरा कर लेंगे। हम खुद मानिटरिंग कर रहे हैं कि दुकान पर यह लिखा जाए कि कलक्टर और डी एस ओ के नम्बर क्या हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर परेशानी हो तो कम से कम उसकी शिकायत कर सके।

सभापति महोदय, इसी तरह एक बात बहुत से सदस्यों ने कही कि कोई भी डीलर है, कितनी भी गड़बड़ी कर ले, अनियमितताएं कर दे। विभाग में इस तरह का प्रावधान है, तिवाड़ीजी को जानकारी है कि नब्बे दिन तक अगर डिसाइड नहीं होता है उसका प्रकरण, तो उसकी इन्क्वायरी पैंण्डिग रखते हुए उसको बहाल कर उसकी सप्लाई चालू कर दी जाती है। सभापति महोदय, मैंने इस बात को देखा और पिछले महीने इस बात के आदेश पूरे राजस्थान में जारी कर दिए हैं कि डी एस ओ उन अनियमितताओं का तीन महीने में निस्तारण करें। सरेआम गांव के लोग ट्रक के ट्रक गेहूं पकड़ ले, कैरोसिन पकड़ ले और तीन महीने का विभाग ने जो आदेश जारी कर रखा था कि तीन महीने बाद वापस उसी को सप्लाई का काम दे देते हैं, गांव के लोगों में बहुत हताशा होती है, सरकार के प्रति अविश्वास होता है, मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्यों को, कि मैंने इस तरह के दिशा-निर्देश दे दिए हैं कि जो भी अनियमितताएं पायी जाएं, तीन महीने के अन्दर-अन्दर उसका पक्ष सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए डी एस ओ स्तर पर। निस्तारण में यदि कोई चूक करेगा, मैं उस डी एस ओ के खिलाफ कार्यवाही करूंगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं। इस बारे में भी हमने प्रयास शुरू किया है।

श्री सभापति: मंत्रीजी, यदि कोई कालाबाजारी करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा जाए, उसका तो आपको सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, जिस तरह से आबकारी विभाग के अन्दर होता है। जमानत भी नहीं होती है उसकी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप सही फरमा रहे हैं। सभापति महोदय, ऐसे अधिकारी को तत्काल सस्पैण्ड कर देते हैं, लेकिन नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी अपराधी को उसके पक्ष को सुनने का मौका देना पड़ता है, उसके खिलाफ उसको आरोप पत्र देना पड़ता है और उसके पक्ष को सुना जाता है, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं

(श्री बाबूलाल नागर)

कि जो तीन महीने वाला आदेश लागू किया है, उसके अनुसार उसको सस्पैण्ड कर देते हैं। हालांकि मिलीभगत करके उसको बहाल भी कर देते हैं और उसकी सप्लाई चालू कर देते हैं। हालांकि केस का निस्तारण तो नहीं होता, विचाराधीन चलता रहता है। फिर वह तरीके से मिलीभगत करके दस-दस, पांच-पांच साल तक उसको खींच जाते हैं। उसके कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसको तो सप्लाई मिलती रहती है। इस बात की भी मुझे चिन्ता थी इसलिये मैंने ये दिशा-निर्देश पूरे राजस्थान में जारी कर दिये हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनियमितताओं या करप्शन की कोई भी बात आएगी, मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वह व्यक्तिश: मुझे बताएं, मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति: मैंने आपको कहा कि जो रंगे हाथ पकड़े जाएं उनके लिये कोई व्यवस्था करें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है आप उसके पक्ष को सुनोगे, चार्जशीट दोगे, उसके पक्ष को सुनोगे, उसके पक्ष को सुनने के बाद फिर निर्णय करोगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज कराने का है (व्यवधान) एफ.आई.आर. दर्ज करा कर उसको सस्पैंड कर देते हैं। फिर भी स्थायी रूप से उसको निरस्त तभी कर पाते हैं जब उसका पक्ष सुन कर फिर कोई निर्णय कर पाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, मंत्रीजी का जवाब आ जाने दें। विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, और मैं आपको यह विश्वास देता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): एफ.आई.आर. कितने दिनों में दर्ज करेंगे? यह व्यवस्था करें। 24 घंटे में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए अगर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, जब भी किसी के खिलाफ एफ;आई.आर. दर्ज की जाती है और न्यायालय में चार्जशीट पेश हो जाती है तो ऐसे शत-प्रतिशत प्रकरणों में, मेरी कोई जानकारी में नहीं है, माननीय सभापति महोदय, कि जिसमें न्यायालय में चार्जशीट पेश हो गयी हो और उसको निरस्त नहीं किया गया हो। माननीय सभापति महोदय, जब इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, पुलिस उसमें चार्जशीट पेश करती है। और पुलिस चार्जशीट पेश कर देती है तब तक उसको हम निरस्त कर देते हैं और अगर न्यायालय का उसमें निर्णय हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको विश्वास देता हूं, इस तरह की कोई जानकारी आएगी तो जो भी नियमों के अनुसार सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकती है, मैं आपको विश्वास देता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

माननीय सभापति महोदय, महंगाई के बारे में निश्चित रूप से चिंता का विषय है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट। अब कोई एक सुझाव ही तो दे रहा हूं, आप भी तो सुझाव दे रहे थे। सभापति महोदय, आप भी तो सुझाव दे रहे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। अंकित नहीं होगा, विराजो। अब आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं तब बोलो आप। मैं आपको अलाउ करूं तब बोलो आप, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):×××

श्री सभापति: वो जवाब दे दिया मंत्रीजी ने, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):×××

श्री सभापति: आप विराजो। हां, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):×××

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको निवेदन किया, मैंने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये हैं विभाग में कि किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, जो डीलर है, अगर वो 90 दिन का सहारा लेकर उसको कोई अधिकारी बिना उसके प्रकरण का निस्तारण करे, उसको पैंडिंग रखते हुए बहाल करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। ये मैंने आदेश जारी कर दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से जैसा प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बता रहे थे, महंगाई कोई एक प्रदेश के बस की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है। हमारे सीमित संसाधन हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, बरसात कम हुई है, मैं इसको मना नहीं कर सकता। काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरा विभाग है, जो इस महंगाई पर प्रयास कर सकते थे, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को जो भी सहायता दी, 5 लाख 30 हजार मैट्रिक टन अतिरिक्त दिया, उसका हमने उठाव किया। आप इसको हंस रहे हो। संभाग स्तर पर एक लाख मैट्रिक टन हमने आटा बांटा जब, उसमें तो कोई कालाबाजारी का भी मामला नहीं लग रहा, ओपन, खुली बिक्री पर किया, कोई ले जाए पूरे राजस्थान में। जब एक लाख मैट्रिक टन आटा पूरे राजस्थान में 6-7 संभाग मुख्यालय पर आता है तो निश्चित रूप से उसकी आपूर्ति बढ़ती है और पूरे राज्य में आटे के भावों में फर्क पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में आटे का भाव सरकार के द्वारा आटा वितरण करने से कम हुआ है। इसका जितना फर्क पड़ना चाहिए था, जितना और पूरे प्रदेशों में पड़ा है, देश में पड़ा है उतना फर्क नहीं पड़ा है। हमने इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाया है।

इसी तरह, माननीय सभापति महोदय ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके पास कहीं से मांग आयी क्या कि पिसा हुआ आटा दो हमें?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हां, जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसी जगह से मांग आयी क्या कि पिसा हुआ आटा हमें बांटो?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वो मैं सब बताऊंगा, आप तो सुन लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने आपको सुना है, आप मुझे भी सुनो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने एक एक सदस्य को सुना है, माननीय सभापति महोदय, 29 माननीय सदस्यों ने बोला है, 29 माननीय सदस्यों को सब को मैंने सुना है।

श्री सभापति: आप अपना जवाब दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, आज हमने 1000 मैट्रिक टन मूंग की दाल, मैं मानता हूं कि बहुत कम मात्रा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने 1000 मैट्रिक टन मूंग की दाल खरीदी, पूरे संभाग लेवल पर। सातों संभाग मुख्यालय पर जब मूंग की दाल का भाव 90 रुपये, 95 रुपये, 80 रुपये किलो था तब हमने 47 रुपये किलो राशन कार्ड के आधार पर मूंग की दाल इस प्रदेश में वितरण की। मैं यह मानता हूं कि जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे पास सीमित साधन थे, हमने प्रयास किया।

बहुत से लोग बात कर रहे थे, चने की दाल की भी बात कर रहे थे। चने की दाल राजस्थान सरकार ने खुद कोई कहीं खरीद कर वितरण नहीं किया। हमने प्रदेश के चना दाल व्यवसायियों को बुलाया, हमने उनसे आग्रह किया कि यह संकट का समय है, इस संकट के समय आप आएं। चने की दाल उस समय 32-33 रुपये किलो थी, जब हमने इसकी शुरूआत की, माननीय सभापति महोदय, दस हजार क्विंटल चने की दाल सातों संभाग मुख्यालय पर उन्होंने 28 रुपये किलो, बाद में 29 रुपये किलो दी। बाद में अब

(श्री बाबूलाल नागर)

चना और कम हो गया लेकिन निश्चित रूप से हमने यह प्रयास किया। जो चना हमारे पैदा होता है, यह चना पूरे राजस्थान में ढाणी-ढाणी और गांव-गांव में खाया जाता है। हमारे इस तरह करने से अगर चने की दाल का भाव नहीं बढ़े तो जो ढाणी और गांव में बैठा है, जिसको हम चने की दाल नहीं दे पा रहे, लेकिन जब 28 रुपये किलो शहरों में चने की दाल मिलेगी तो निश्चित रूप से चने की दाल के भाव बढ़ेंगे नहीं और उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी तिवाड़ीजी कह रहे थे आटा वितरण योजना, मैं निवेदन करना चाहूंगा, तिवाड़ीजी, कई राज्यों में ...(व्यवधान) मुझे बोलने दो न, मैं क्यों हंस रहा हूं। कई राज्यों में, राजस्थान में नहीं, माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के कई राज्यों में, मुझे एक बार जाने का मौका मिला, केन्द्रीय कृषि मंत्री ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं भी गया था, मेरे पास भी प्रपोजल आया था, फाइल मंगा कर देख लीजिए, मैंने डिनाई किया। मेरे पास सब लोग मिले थे, गुजरात का उदाहरण देकर मिले थे, मैंने उसको मना किया। फ्लोर मिल वाले भी मिले थे, उनका ज्ञापन भी आया था, मैंने मना किया था इसलिए मैं उससे बचा। मैं आपको भी राय दे रहा हूं कि आप इससे बचो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ठीक है, साहब। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मुझे बोलने दो, यह क्या तरीका हुआ, माननीय सभापति महोदय? यह क्या तरीका है, आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान) बोलने दो आप। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी जो जवाब दे रहे हैं उसी का मामला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत गम्भीर मामला है, साहब।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आप विराजो। आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अब बोलिये, मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, उस सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला। अधिकतर सभी राज्यों के खाद्य मंत्री वहां आये थे, बहुतों ने अपने-अपने राज्यों की योजना के बारे में बताया। सबसे बड़ा मुख्य कारण उन्होंने बताया या डाईवर्जन। आज हमारे राशन कार्ड हैं एक करोड़ 22 लाख, हमारे को ए.पी.एल. का गेहूं मिलता है, 64 हजार मैट्रिक टन, एक राशन कार्ड पर पांच किलो 200 ग्राम, सभापति महोदय सब लोग लेने नहीं जाते, इसके बाद भी यह शिकायत मिलती है कि यह ए पी एल का गेहूं नहीं मिल रहा। सब लोग लेने भी नहीं जाते, यह मैं भी मानता हूं और उसके बाद भी यह शिकायत मिलती है कि हमें ए पी एल का गेहूं नहीं मिल रहा। तो उन सबने अपने राज्यों का यह उदाहरण दिया। मैंने देखा है, हमने सात संभाग मुख्यालयों पर आटा वितरण योजना लागू की और हमने पांच किलो दो सौ ग्राम आटा नहीं दिया, उनको हमने दस किलो आटा एक राशन कार्ड पर दिया, पहले महीने में मेरा यह अनुभव रहा, जितना गेहूं हम उनको देते थे, ए पी एल के राशन कार्ड पर हमने उतना गेहूं दिया।

गेहूं जो वितरण हुआ, हमने यह कोशिश की कि दूध की डेयरियां जो सारे दिन भर खुली रहती हैं, सहकारी उपभोक्ता भण्डार जो दिन भर खुले रहते हैं, आए दिन जो शिकायतें मिलती हैं कि राशन की दुकान वाला दुकान बंद करके चला जाता है और गेहूं नहीं मिलता है, सभापति महोदय, हमने इनको शामिल किया। प्रदेश में संभाग मुख्यालयों पर 800-850 दूध की डेयरियों को हमने शामिल किया। जितने उपभोक्ता भण्डार थे सहकारिता विभाग के हमने इनको शामिल किया और उसका हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला, सभापति महोदय, कि उसमें लोगों को आटा मिला। मुझे जगह- जगह चुनावों में जाने का मौका मिला, तिवाड़ीजी, आपके नगर निगम के और लोगों ने इतनी दुआएं

(श्री बाबूलाल नागर)

दी अशोक गहलोतजी को कि पहली बार आज यह ए पी एल के राशन कार्ड पर हमें आटा मिल रहा है और वह भी नौ रुपए किलो आटा मिला। (व्यवधान) मैं, सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के बहुत से सदस्यों ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हमने देख लिया अखबारों में ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजस्थान की जनता को आटा मांगने के लायक मत बनाओ ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता आटा नहीं मांगती है...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गेहूं में क्या तकलीफ होती है, यह तो बता दें? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। जवाब आने दो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गेहूं के साथ घुण भी पिस रहा है, उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, उसकी जांच तो करवा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में चाहे ए पी एल हो, बी पी एल हो, गर्भवती महिलाएं हों, गरीब आदमी हो, आज चालीस प्रतिशत लोग कुपोषण की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। हमारा यह पहला प्रयोग है पी डी एस के माध्यम से। आज जब मैं कुपोषण की बात कर रहा हूं सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार भारत सरकार ने आयोडीन युक्त नमक पूरे देश में लागू किया। आयोडीन की कमी से जो बीमारियां होती थी, भारत सरकार ने यह तय कर दिया कि पूरे देश में जहां भी नमक बिकेगा उसमें आयोडीन वाला नमक ही बेच सकता है। अन्य राज्यों ने भी पौष्टिक आहार जो चालू किया, क्योंकि हमने यह शुरू ही किया तो हमने यह फैसला किया कि जो आज कुपोषण से तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं, आयोडीन की कमी होने से, कुपोषण को रोकने के लिए फोर्टीफाइड आटा अगर हम देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आइरन

(श्री बाबूलाल नागर)

देंगे, उसमें फॉलिक एसिड देंगे, उसमें विटामिन बी-12 देंगे, उसमें जिंक देंगे। हमारा यह फैसला है, सभापति महोदय, मई के महीने से मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, हम पूरे राजस्थान में फोर्टीफाइड आटा पी डी एस में देंगे। उससे कम से कम कुपोषण की जो परेशानी है, बीमारी है, वह स्थाई रूप से खतम हो जाएगी राजस्थान में।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे बहुत से साथियों ने, राजेन्द्रजी राठौड़ बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सड़ा हुआ गेहूं नहीं खाएंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): देखिये, मेरी बात सुनिये, आप तो चाहे जो बोल लीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, एक-एक बात का जवाब दूंगा। यह तरीका नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सड़ा हुआ गेहूं पिसवा कर मत दीजिए मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सब सुनना चाहते हैं और हम सुन ही रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय, हमेशा जैसे माननीय परसादीलाल जी ने ....

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने कोई रिपीट किया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं किया आपने। आप थोड़े ही कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं बहुत बढ़िया दे रहे हैं इसलिए कह रहा हूं माननीय परसादी लाल जी ने अभी जवाब दिया, हमने सबने सुना। दो तीन क्वेरी भी कीं, उन्होंने जवाब भी दिया। आप भी सदन का सैंस समझिये। यह पार्टी का मामला नहीं है सारे सदन का यह सैंस है, जो बैठे हैं उनका चेहरा भी देखिए कि आटे के बजाए हम गेहूं देते रहें तो क्या दिक्कत है। अपन को क्या दिक्कत है जो अपन फंस रहे हैं? जब सारे सदन का सैंस है, सारे कांग्रेस, बी जे पी, अधिकांश माननीय सदस्यों का सैंस है तो उस सैंस को अपने को ग्रहण करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप क्यों जिद कर रहे हो?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरे पास तो इस तरह के सारे सदन के सुझाव नहीं आये, उप नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मुझे तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। (व्यवधान) मुझे नहीं पता। मैं गया हूं पूरे राजस्थान में, राजस्थान की जनता धन्यवाद दे रही है ...(व्यवधान) मुझे नहीं जानकारी है कि आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आटे का कलर भी सफेद है ...(व्यवधान) इसमें मिलावट है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, हाउस में वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र जी राठौड़ ने अपने उद्बोधन में चर्चा की थी कि आटे का भाव क्या है, गेहूं क्या भाव मिलता है तो हाउस की जानकारी में आना चाहिए मैं निवेदन करूं कि हमने संभाग मुख्यालय पर आटा देने का निर्णय लिया और इसमें हमने निविदा आमंत्रित की, ओपन निविदा आमंत्रित की। राष्ट्रीय स्तर के अख़बार में हमने इसको दिया, राजस्थान के दो अखबारों में पत्रिका और भास्कर में हमने इसको प्रकाशित कराया। कुल निविदा 28 प्राप्त हुईं हमें। उसके लिए विभाग ने एक विभागीय बिड मूल्यांकन समिति का गठन किया। पांच लोग उसके सदस्य बनाये गये। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, वित्तीय सलाहकार फाइनेंस, प्रबन्ध निदेशक, एम डी कानफैड और उपायुक्त और एक डी एस ओ जयपुर, पांच लोग उसमें सदस्य बनाये गये। दो तरह की तकनीकी बिड और वित्तीय बिड, प्रथम चरण में तकनीकी बिड 28 आवेदन प्राप्त हुए, मूल्यांकन समिति द्वारा इनकी जांच की गयी, सत्रह इसमें योग्य पाई गईं। यह बात आपने भी उठाई है, तिवाड़ी साहब, आटे की बात आपने कही थी तो मैं यह चाहूंगा..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आटा मत दो, गेहूं दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सदन की यह जानकारी में आए। हर आदमी अपने हिसाब से बोल सकता है, हमने तकनीकी बिड खोलीं और उसमें सत्रह फर्म योग्य पाई गईं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आटा पिसाई ...(व्यवधान) आप गेहूं क्यों नहीं देना चाहते? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। आपके पल्ले नहीं पड़ेगी यह बात क्योंकि राजस्थान की जनता को पी डी एस में आटा मिल रहा है ...(व्यवधान) आपके समझ नहीं बैठेगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। (व्यवधान) आप ज्यादा समझदार हो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आटा मिल रहा है ...(व्यवधान) आपकी समझ में नहीं बैठेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पर मैं यह कह रहा हूं कि गेहूं देने में क्या दिक्कत है, आटा क्यों देना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपको क्या तकलीफ है ...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, दो रुपये ...(व्यवधान) की मलाई बंद करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दोनों माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह फैसला हमारा है ...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दो रुपये अस्सी पैसे की मलाई बंद कराओ। मलाई है यह, मलाई। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें, दोनों माननीय सदस्य विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह बार-बार गेहूं की बात इसलिए कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों माननीय सदस्य विराजें, मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप एक मिनट बोलने नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान) बार-बार बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान) इनका कोई लेना-देना नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बार-बार गेहूं की बात इसलिए कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान के आस-पास चार राज्यों में जहां आटा वितरण किया जा रहा है, और भी राज्यों में किया जा रहा है लेकिन और राज्यों से तो मैं अभी डाकूमेंट प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह बात अभी दो दिन पहले उठी थी। मैंने 4 राज्यों का डेटा कलैक्ट किया। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का तो हमारे पास है ही। इसमें एक-एक..(व्यवधान) इसमें कोई आटा पिसाई नहीं है। आटा पिसाई ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, राजेन्द्र राठौड़ साहब... एफ सी आई..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: वही तो बता रहे हैं मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अभी तो शहरों का है..(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री सभापति: विराजो। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अभी तो शहरों का है फिर गांवों में तो संभाग लेवल पर उत्पादन किया है..(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, सभापति महोदय..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापतिः अब विराजो। अंकित नहीं हो रहा है। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास):×××

श्री सभापतिः विराजो माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क):×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन):×××

श्री सभापतिः अब विराजो..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापतिः आप विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हमारी सरकार की योजना है, हमारे विभाग की योजना है..(व्यवधान) आपको दुःख दे, आपको कुछ हो तो तकलीफ हो रही है..(व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आया..(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास):×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापतिः अब आप विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य.. (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): तिवाड़ी जी..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये..(व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: सभी शांति रखो। सभी माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें। मंत्रीजी का जवाब सुनें। (व्यवधान) विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह गुजरात में..(व्यवधान) तिवाड़ीजी, गुजरात का मैं आपको बताता हूं आटा पिसाई कितनी है। वह बता रहा हूं मैं आपको। सारी चीज बता रहा हूं। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: बोल रहे हैं न, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): गुजरात में एक किलो आटे का 56 पैसे..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 216 रुपये है। 216 रुपये दर है। गुजरात में 2 रुपये 16 पैसे..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री सभापति: विराजिये। बिराजो माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजो आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नहीं-नहीं, एक किलो आटे की मतलब पूछो पिसाई..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान की पिसाई है। राजस्थान में..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): तिवाड़ीजी, यह नहीं सुनना चाहते तो मत..(व्यवधान) नहीं सुनेंगे तो नहीं दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। हनुमानजी बेनीवाल साहब, विराजिये आप। विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप विराजो..(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजो। आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो..(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो। विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये आप। अब विराजो..(व्यवधान) आप विराजो। मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह लगातार आरोप लगा रहे हैं, माननीय सदस्य। आरोप किसी नियमों में लगाएं वर्ना आप एक्सपंज कराएं इनको।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं शार्ट में निवेदन करता हूं..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यही दे रहा हूं मैं। इसमें 9 रुपये से जब हम आटा देते हैं तो 30 पैसे एक किलो के उस राशन की दुकान वाले को और उस डेयरी वाले को भी कमीशन का देना पड़ता है। (व्यवधान) यह नियमों में देना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: आप विराजो..(व्यवधान) विराजिये..(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर):×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्री सभापति: आप उत्तर तो आ जाने दो पूरा। आप सुनने तो दो, वह क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोई तरीका है यह ? तरीका है यह ? मैं बोलूंगा सबको फील होता है..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजो..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह तरीका है क्या ? तरीका है ? (व्यवधान) क्या तरीका है..(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो..(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, विराज जाओ आप। विराज जाओ। आप जवाब तो आने दीजिये मंत्रीजी का। उप नेता महोदय, जवाब तो आने दो आप। फिर कोई कनफ्यूजन होगा तो बात हो जाएगी साफ। आप इनको तो, हाउस को तो आर्डर में लेकर आइये। कोई कनफ्यूजन रह जाएगा, कोई ऐसी बात है जो..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आटे की बता रहा हूं न। सुनो, क्या हो गया? सुनो तो सही। (व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ ? सुनिये..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): फालतू की बकवास कर रहे हो। सुनिये..(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कमाल की बात है..(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता महोदय, आप इन माननीय सदस्यों को..(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):×××

श्री नगराज (धरियावद):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मंत्रीजी को सुनेंगे। सुनना चाहते हैं सब। एक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा उसका जवाब दे दें, फिर आटा पिसाई के आगे निकल जाएं। इतना ही पूछा है कि राजस्थान में एक किलो गेहूं का हम जो आटा पीसते हैं उसका कितना रुपया देते हैं ? फिर उसके आगे चलो।

श्री सभापति: मंत्रीजी, एक बार बिराज जाओ। मंत्रीजी, एक मिनट विराजो..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पिसाई का एक क्विंटल का हम 100 रुपये देते हैं। राजस्थान में एक रुपये किलो और..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं। विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक रुपये किलो पिसाई का हम देते हैं। राजस्थान की बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये..(व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अब क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता महोदय, जवाब आ गया तो इनको कम से कम हाउस को आर्डर में लाएं। मंत्रीजी को तो जवाब देने दो आप। ऐसे कैसे चलेगा सदन, बताइये आप? (व्यवधान) आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता महोदय..(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये आप। मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हां, रिकार्ड पर है। रिकार्ड पर ही तो होता है। रिकार्ड पर है। रिकार्ड पर है। एक रुपये किलो के अनुसार हम मिलों को पिसाई देते हैं, यह रिकार्ड पर है। (व्यवधान)

(समय : 20.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, विराजें आप ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):×××

श्री सभापति: हाउस में मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनें आप। मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद):×××

श्री सभापति: विराजें आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):×××

श्री सभापति: आप तो विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न। (व्यवधान) आप विराजिये ...(व्यवधान) अब आप मेहरबानी करके सुनें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्री सभापति: विराजिये आप ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री सभापति: भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजे। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):×××

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्रीजी, एक मिनट। (व्यवधान) उप नेता महोदय, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा, डिमांड पारित होनी है। जो चीजें माननीय सदस्यों ने रखी हैं, करीब 30-35 माननीय सदस्य बोले हैं, सचेतक महोदय भी बोले हैं, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त कर दी है, मंत्रीजी को हर चीज का जवाब देना है। जो भी चीज रखी गयी है, जो भी कनफ्यूजन, जो उनकी मांग है, जो व्यवस्था के बारे में है। आप बता दें, अगर इस तरह से शोरगुल चलता रहेगा तो जवाब किसी के समझ में नहीं आएगा। महंगाई और पीडीएस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, यही तो सदन की भावना है कि यह सिस्टम सुधरना चाहिए। जो राशन की सामग्री गरीब तक जा रही है वह उसको पहुंचनी चाहिये। यही तो सदन की भावना है, सब की है, यही सरकार की भावना है। आज मंत्रीजी क्या प्रयास कर रहे हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, उनको सुनने की तो कम से कम मेहरबानी करें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, अगर सदन चाहे तो एक-एक डिटेल दे सकता हूं। आप नहीं चाहते तो, सभापति महोदय, मैं एक लाइन में यह खतम करता हूं। इसमें खाली आटा पिसाई ही नहीं है, वैट भी है, टैक्स भी है, इसके अलावा उसका ट्रांसपोर्ट भी है, पैकिंग भी है, उसका बैग भी है। डीलर का कमीशन भी है। यह सारा मिलकर ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री सभापति: अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक मिनट, राजस्थान में सारा मिलाकर 2 रुपये 15 पैसे, एक बार तो सुनिये मेरी बात, गुजरात में मिड-डे मील में देते हैं 3 रुपये 20 पैसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो आटे पर इस तरह राजस्थान की जनता की जो लूट हो रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप वरिष्ठ सदस्य हो, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस लूट के विरोध में हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सुन तो लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): खुद गड़बड़ी करते हो, आपकी पार्टी गड़बड़ी करती है, उसकी सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हो। मंत्री जी सारी चीजें बता रहे हैं, उस चीज को सुनना नहीं चाहते हो। मुख्य मंत्रीजी क्या प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में, उन चीजों को सुनना नहीं चाहते हो। चोर की दाढ़ी में तिनका पहले नजर आता है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरी बात तो सुनिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपकी पार्टी बदनाम है, गुजरात में क्या कर रही है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अगर आटे की ढुलाई का पैसा जुडता है तो जुड़ेगा, यह तो नियमों में है। (व्यवधान) सुनकर तो जाएं जवाब को ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, आठ बज गये इसलिए ये यहां नहीं रह सकते। अब आठ पीएम हो गये इनके। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजे माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, ये सारे आठ पीएम वाले चले गये। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आठ बजते ही इनकी आठ पीएम हो गयी, ये चले गये यहां से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी बोल रहे हैं आप तो विराजें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): गुजरात सरकार द्वारा आईसीडीएस में भी गेहूं का आटा देते हैं और उसकी दर है 280 रुपये एक क्विंटल पर इसका मतलब 2 रुपये 80 पैसे और अपना है 2 रुपये 15 पैसे। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में बीपीएल स्कीम में आटा देते हैं और उसकी कास्ट है 226 रुपये एक क्विंटल पर, राजस्थान से ज्यादा। दिल्ली में ज्यादा, गुजरात में ज्यादा, पश्चिमी बंगाल में ज्यादा। मुझे इन चार के ही रिकार्ड मिले हैं, चारों जगह राजस्थान से ज्यादा है।

सभापति महोदय, बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने 'शुद्व के लिए युद्व' अभियान की चर्चा की है, इस हाउस में यह कहना चाहूंगा कि 'शुद्व के लिए युद्ध' अभियान के मर्म में जाना पड़ेगा, यह कोई एक विभाग का अभियान नहीं है। खुद राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने पहल की, दृढ़ निश्चय करके, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव नजदीक थे, शहरों में इसका विरोध भी हो सकता था लेकिन राजस्थान की सरकार किसी को भी राजस्थान की गरीब जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकती।

सभापति महोदय, राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने 15 जून, 2009 को सात विभागों के मंत्रियों की और प्रिंसिपल सैक्रेटरियों की एक मीटिंग बुलायी, इस बात पर चिंता व्यक्त की और सबके सुझाव लिये। जब कोई ऐसा कार्यक्रम चलता है उसमें उस विभाग के अधिकार ही जाते हैं तो उसमें अनियमितताएं हो सकती हैं, गुंजाइश है। मुख्य मंत्रीजी का यह सोच था कि क्यों नहीं इन सातों विभागों के अधिकारियों को एक साथ किया जाए। लेकिन इन विभाग के अधिकारियों को कहां जांच करनी है यह उनकी जानकारी में नहीं दिया जाए, कलक्टर्स को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। ये सातों विभागों के अधिकारी कलक्टर के डायरेक्शन में, कलक्टर के यहां एकत्र हों और कलक्टर डायरेक्शन दे कि आपको अमुक जगह पर जाकर मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी की जांच करनी है। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी है। इसमें निरीक्षण करके जरूरत पड़े तो सस्पैंड करिये, थाने में रिपोर्ट करिये और तब भी नहीं मानें तो जेल भेजें। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया और सातों विभागों के द्वारा 22.06.2009 से यह अभियान चालू हुआ।

सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने कहा कि बहुत कम कार्यवाहियां हुईं, मैं उनकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि 22.06.2009 से 5 मार्च, 2010 तक 47994 निरीक्षण किये गये इन सातों

(श्री बाबूलाल नागर)

विभागों के लोगों के द्वारा। यह आंकड़ा रिपोर्ट में आ गया है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इसमें चिकित्सा विभाग अकेले ने 5679 निरीक्षण किये उसमें 1048 अपमिश्रण पाये गये। यह चर्चा चल रही थी कि प्रयोगशालाएं नहीं हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, या तो जो किताब आपने हमको दी है वह गलत है या आप जो कह रहे हैं वह गलत है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कौनसी तारीख तक की दी आपको, इसकी डेट देखें डेट। डेट देखें एक बार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप स्वयं इस किताब को उठा लें, जिस चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं कि आपने जो निरीक्षण किये हैं वे 479 किये हैं, सैंपल लिये हैं 409, एक भी सैंपल में न तो लाइसेंस निलंबित हुए हैं ना एफआईआर दर्ज हुई।न प्रतिभूति जब्त हुई। सब जीरो, जीरो, जीरो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कौनसी डेट है, तारीख तो देखें इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आपके पेज नम्बर 36 पर है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): तारीख कौनसी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पेज नम्बर 36, यह आपने दिया है 22.06.09 से लेकर 31.12.09 तक का जो अभियान आपका चला। या तो आपने यह गलत छपाया, कृपया अब इसका स्पष्टीकरण कर दें। यह किताब हमारे नहीं आपके द्वारा छपी है और 22.06.09 से लेकर 31.12.09 तक जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला, इस अभियान के तहत जो आपने सैंपल लिये और वह पूरा का पूरा चिकित्सा विभाग का सब इसमें है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इसको मैं दिखवा लूंगा आप जो जानकारी दे रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें एक नहीं पूरे का पूरा ... (व्यवधान) जीरो, एक नहीं, एक भी नहीं। आप चाहें तो आपका समय, नहीं, दूध के लिए आपने...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं आपको मार्च तक के महीने का बता रहा हूं, 5 मार्च तक का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पर यह किताब किसके लिए है?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इसमें 5 मार्च, 2010 तक का नहीं होगा। मैं आपको 5 मार्च, 2010 तक का बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रगति प्रतिवेदन आपने 2009 और 2010 का दिया, अभी हमको दिया चार-पांच दिन पहले ही दिया है, और इसमें इन्होंने तारीख लगा कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने तारीख नहीं लगाई। 22.6.09 से 31.12.09 तक जो शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चला उसमें एक-एक विभाग का, आपके खाद्य विभाग का भी है जिसमें भी कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपने सैम्पल लिये, या जो कुछ भी किया उसमें कमियां कुछ भी नहीं, थोड़ी-बहुत तो होगी?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वह 2009 है या 2010 है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कह रहा हूं दिसम्बर, 2009, जो अभियान चला वह दिसम्बर, 2009 का कह रहा हूं। यह का यह, आपने दूध में 409 सैम्पल लिये, इसमें एक भी निलम्बित नहीं किया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं- जीरो, जीरो। देशी घी के आपने 767 निरीक्षण किये, उसमें 456 सैम्पल लिये- जीरो जीरो जीरो। उसके बाद पनीर के आपने 34 किये, उसमें 24 सेम्पल लिये उनमें-आपने जीरो जीरो जीरो। उसके बाद आपने मावा के किए 145 उसमें 130 आपने सैम्पल लिये, उसमें 2 सैम्पल पर लाइसेंस निरस्त किये, एक में एफ आई आर दर्ज की, बाकी सब जीरो जीरो जीरो। उसके बाद मसाले में आपने...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पेज नम्बर कौनसा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पेज नम्बर 36 है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 36 पर ही मैं पढ़ रहा हूं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसमें 5242 निरीक्षण किये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है, आगे बोलो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह है मेरे पास। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आगे पढ़ो, आगे बढ़ो न, आपने सैम्पल लिये 2996.

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): लिये गये सैम्पल 2996, निलम्बित लाइसेंस 24, पी एफ एक्ट में..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आगे पढ़ो न, आगे पढ़ो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एफ आई आर 6 हुईं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 6 एफ आई आर दर्ज हुईं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यस। निरस्त लाइसेंस की संख्या 2, प्रतिभूति जब्त संख्या 342, मैं आपको 5 मार्च तक का कह रहा हूं, लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैंने कलैक्ट की है। मैं लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं आपको जो मैंने कलैक्ट की है, मैं कहां इसको मना कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह एक डिपार्टमेंट का नहीं है, स्वायत्त शासन का भी आपके ऐसे ही है- जीरो जीरो जीरो। उसके बाद पशु पालन में है, जो आपका यह सारा का सारा...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अब आप सुनिए। स्वायत्त शासन में 2579...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लिए पर निकला क्या? आपने शुद्ध के लिए युद्ध जनता के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। इसमें परिणाम निकलता तो मैं मानता।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): परिणाम निकला न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या परिणाम निकला इसमें से? परिणाम क्या निकला, यह सवाल है। आपने सैम्पल लिये ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 1048 लोगों के खिलाफ 451 मामलों में चालान पेश कर चुके हैं। 451 और 297 पैंडिंग हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह सैम्पल जनता के लिये या अपने लिये लिए थे? सैम्पल लिये तो इसका परिणाम क्या आया? सज़ा किसको मिली, मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ? ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। ये आपके आंकड़े हैं, श्रीमानजी। आप थोड़ा शांत रहें, ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। मैं कोई चीज अपने मन से नहीं बना कर कह रहा हूं और मेरे कहने का कोई दूसरा अभिप्राय भी नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं यह रिकार्ड, यह डाटा सोच-समझ कर दे रहा हूं और जो मैंने लेटेस्ट डिपार्टमेंट से रिकार्ड लिया है वह दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह क्या सोच कर छपाया?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह दिसम्बर तक का है, आप समझ ही नहीं रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह क्या सोच कर छपाया? क्या मतलब है इसका?

व्यवस्था का प्रश्न

प्रगति प्रतिवेदन में व अनुदान की मांग के समय दिये जा रहे जवाब के आंकड़ों में अन्तर

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आई एम आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन में अगर इस प्रकार की बात हो। माननीय बेनीवाल साहब को ध्यान हो तो हम यहां कुछ चर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास जब प्रगति प्रतिवेदन आता है सरकार का और सदन के प्रगति प्रतिवेदन पर हम चर्चा करते हैं और अगर माननीय मंत्रीजी खड़े होकर सदन में यह कहें कि जो प्रगति प्रतिवेदन आया है उसके बाद की बात बता रहा हूं, यह बिलकुल नहीं। इसी विधान सभा में जब मैं यहां मंत्री था तो संस्कृत शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ने इस प्रकार की एक बात की थी, श्री सी.पी. जोशी साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मैंने वहीं खड़े होकर उसी समय उनको सस्पैण्ड किया था। यह मजाक की बात नहीं है। आई एम आन ए पाइण्ट आफ आर्डर कि प्रगति प्रतिवेदन में जो बात आई है उसको गलत बता कर उसके आगे की बात बताना, सदन में उस पर चर्चा नहीं होती। माननीय सदस्यों को जो कुछ भेजा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ठीक है, नेता प्रतिपक्ष महोदय, ओके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Please listen me.

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं यह प्रगति प्रतिवेदन की बात कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बैठ जाएं। आप बैठिए। आई एम आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। यह मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब इस सदन की उन परम्पराओं से है कि जब हम प्रगति प्रतिवेदन वितरित करते हैं, वह सदस्यों को इसीलिए भेजते हैं कि हमारे विभाग का विवरण उनके पास आ जाए। माननीय सभापति महोदय, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा सदन में। कोई भी यहां आकर आंकड़े दे दे और आंकड़े वहां से मना करें। ये आंकड़े सदन में पेश किए हैं, या तो पेश करने वाला गलत है या आज यहां पर बोल रहे हैं वह गलत है। सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए उसी प्रकार से जो प्रश्न आया उस प्रश्न में भी गुमराह हुए। पहले एक रुपए किलो बोले, फिर खटाखट-खटाखट उसको दो रुपए तीस पैसे पर ले आए। यह नहीं है, सदन में माननीय मंत्रीजी जो भी बात कहते हैं उसको हम आदर से सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारा कोई विशेषाधिकार है, ऐसी क्या बात है। आप व्यवस्था करो इस पर। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई है, आपके लगातार चल रहे प्रश्नों से, आपकी इस रुचि से अभिप्रेरित होकर माननीय मंत्रीजी ने लेटेस्ट सूचनाएं भी आपको समर्पित करने का प्रयास किया है। इनकी भावनाओं पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी तथ्यों से आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है, कृपया आगे इस पर बात रखें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत बात को ढंग से जमाने का प्रयास किया। मैंने भी जब सवाल खड़ा किया तो मैंने डेट पढ़ कर किया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं मार्च तक का बता रहा हूं। और मैंने जो-जो फीगर बताएं हैं जीरो जीरो जीरो, जो यह कहा कि यह हो ही नहीं सकता, वह तो बाद में वहां से किताब आई। इनके पास वह किताब भी नहीं थी। प्रगति प्रतिवेदन इनके पास नहीं है खाद्य मंत्रीजी जिस बात का जवाब दे रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा सदन का?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़े हैं मेरे पास।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अभी वह तो बाद में आया है तब जाकर पढ़ा है। मैंने जब पढ़ा न तो आपने ना कह दिया, यह हो ही नहीं सकता।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नहीं है मेरे पास, यह दूसरी किताब दिखती है न आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): फिर यह याद क्यों नहीं रहा कि जीरो जीरो जीरो?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ऐसा आरोप मत लगाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह निकालो। (व्यवधान) बात कर रहे हैं आप, क्या मजाक कर रखी है आपने? कमाल हो गया हाउस का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, उप नेता महोदय ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सदन का अपमान हो नहीं सकता। (व्यवधान) इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। (व्यवधान) खड़े होकर यहां माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपका यह भला आदमी प्रगति प्रतिवेदन पर भी ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह देखिए। आप दोनों देखिए। आप दोनों देखिए। एक इधर का और एक उधर का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी सच्चे साबित हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने तो मेरे सारे फीगर को झूठा बता दिया। मैंने आपकी किताब से कहा तो आपने कहा नहीं है, यह नहीं हो सकता।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): उप नेता महोदय, मंत्रीजी सच्चे साबित हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या बेकार की बात है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय का पीछा छोड़ो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर अपनी बात कही थी। मैं पुनः कह रहा हूं, खाद्य विभाग में निरीक्षणों की संख्या 3172 और सैम्पल लिए 20, शर्म की बात है। आपके इन्सपैक्टर 3172 जगहों पर गये और सैम्पल लेते हैं 20 । इसी तरह उद्योग विभाग में पैट्रोलियम पदार्थों के निरीक्षण के लिए आपके इन्सपैक्टर गये 2036 जगहों पर और सैम्पल लिये 100 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, विराजो। विराजो, सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ने इन्सपैक्शन किये 2579 जगह पर और सैम्पल लिये 86, आगे है यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न मैं समझता हूं कि विधान सभा का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। खाद्य मंत्रीजी का रिकार्ड आप मंगवाकर देख लें। कटारियाजी ने जब पूरी बात रखी तो इन्होंने कहा कि यह हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि सदन का अपमान नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने 5 मार्च तक के आंकड़े बताये हैं आपको। प्रगति प्रतिवेदन को मैं मानता हूं, उसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने दिया है, लेकिन आंकड़े और भी बता दिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और नहीं, आपने कहा और कहां से आएंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ठीक है। आप प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार मान लीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, या तो मंत्रीजी खड़े होकर इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करें, वर्ना मैं समझता हूं कि

(श्री अमराराम)

रिकार्ड निकलवा कर देख लें। इस सदन में जिस तरह से इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि यह सदन का सबसे बड़ा अपमान है। या तो वह अपनी बात के लिए क्षमा प्रार्थना करें वर्ना आप रिकार्ड निकाल कर व्यवस्था दें, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही आगे चले।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने निवेदन किया कि वे मार्च तक के आंकड़े हैं और वे दिसम्बर तक के आंकड़े हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल बाबूलालजी का विरोध करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अच्छा काम किया है, शुद्ध के लिए युद्ध हुआ। (व्यवधान) म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शुद्ध के लिए युद्ध नहीं हुआ ... (व्यवधान) यह शुद्ध के लिए युद्ध नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप उन चीजों को आंकड़ों में उलझा रहे हैं। केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मंत्रीजी अच्छा जवाब दे रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वन मंत्रीजी, यह शुद्ध के लिए युद्ध नहीं हुआ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): शुद्ध के लिए युद्ध को राजस्थान की जनता ने माना है, पब्लिक ने माना है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह अभियान शुद्ध के लिए नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह शुद्ध के लिए युद्ध था या आपके लिए युद्ध था? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इतना अच्छा इस बात का उत्तर दिया, राजस्थान की जनता की मांग है ......(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, विराजिये ......(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। मंत्री के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, विराजिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: रामलालजी, विराजिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री सभापति: आप गिर जाओगे, नीचे ही रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: बैठिए, मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी अपना जवाब दे रहे हैं, कृपया शांति से सुनिए। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री सभापति: आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री सभापति: हद कर दी, बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजो। आप तो विराजो, मैं व्यवस्था दे रहा हूं न। सचेतक महोदय, उप नेता महोदय, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ......(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप विराजो तो सही, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारबाजी)

आप बिराजो न, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। सचेतक महोदय, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप आसन पर पधारें सभी। विराजो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

व्यवस्था

मंत्री को अनुदान की मांगों के जवाब के समय प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़ों तक ही सीमित रहना चाहिए

श्री सभापति: मंत्री जी, प्रगति प्रतिवेदन में जो है, अपने को उसी के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए था, आपने उससे आगे बढ़कर दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): x x x

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): x x x

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): x x x

श्री सभापति: मैंने दे दी न व्यवस्था। (व्यवधान) मैं दे चुका व्यवस्था ......(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): x x x

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ......(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सब आरोप निराधार हैं। ये बौखला गये हैं। जो राजस्थान की जनता के अन्दर समर्थन मिल रहा है हमारी सरकार को, हमारी योजनाओं को जो समर्थन मिल रहा है, उससे ये बौखला गये हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग पारित की जाए।

श्री सभापति: जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी, विराजो। (व्यवधान)

मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,45,25,75,000/- (सत्रह अरब पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 – नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,71,06,000/- (पचपन करोड़ इकहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 – क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,60,53,40,000/- (दो अरब साठ करोड़ तिरेपन लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.27 बजे बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर राजकीय पोलीटेक्निक कालेज, में शिक्षकों के रिक्त पद

160. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिला मुख्यालय स्थित "पोलीटेक्निक कालेज" में वर्तमान में कितनी फैकल्टीज/संकाय में शिक्षण कार्य हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय पोलीटेक्निक कालेज, बाड़मेर में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित 02 पोलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित की जा रही हैं :-

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर।

डा. डी.एन. मूथा इन्स्टीट्यूट आफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बालोतरा (बाड़मेर) उक्त संस्थान निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित है।

उक्त के अलावा बाड़मेर में तकनीकी शिक्षा हेतु निम्न पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं :-

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाड़मेर।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवाणा।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोतरा।
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिव।

निजी केन्द्र :-

1. जय नारायण व्यास औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में यांत्रिकी, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा केमीकल फैकल्टीज में शिक्षण कार्य हो रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि प्रवक्ताओं के माध्यम से शैक्षणिक कार्य करवाये जाने की अनुमति प्रदान की है।

सिरोही जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवकों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति

161. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रियान्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पद पर कुल रिक्त पदों का 15 प्रतिशत आरक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवक पद से पात्रता अर्जित करने पर कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दी जाती है?

(2) जिला सिरोही में वर्ष 1990-91 से 2009-10 तक वर्षवार कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों के विरुद्ध हुई विभागीय पदोन्नति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला सिरोही में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया समय पर नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए समय-समय पर जारी आदेश, निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) पदोन्नति से वंचित रहने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवक कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक पद पर विभागीय पदोन्नति कब तक दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक नियम-1999 के शिड्यूल-1 ग्रुप-ए में कनिष्ठ लिपिकों के स्वीकृत पदों का 15 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवक की वरीयता सूची से कनिष्ठ लिपिक के पद की पात्रता रखने वाले को पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु शिक्षा विभाग के अलग से कोई नियम नहीं हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिला सिरोही में उक्त नियमों के तहत वर्ष 1990-91 से 2009-10 तक वर्षवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवक के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण इस प्रकार से है :-

वर्ष	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या	वर्ष	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या
1990-91	02	1998-99	03
1991-92	01	1999-2000	00
1992-93	02	2000-01	02
1993-94	05	2001-02	02
1994-95	04	2002-03	03
1995-96	08	2003-04	03
1996-97	02	2004-05	01
1997-98	06	2005-06	01

वर्ष 2006-07 से 2009-10 में पदोन्नति अभ्यांश के पद उपलब्ध नहीं होने से पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं।

(3) जी नहीं। जिला सिरोही में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति अभ्यांश के पद उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक शून्य पदों की पदोन्नति की जा चुकी हैं।

(4) शिक्षा विभाग में प्रतिवर्ष सभी संवर्ग के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने के निर्देश प्रतिवर्ष जारी किये जाते हैं। इस वर्ष जारी निर्देश की छाया प्रति का परिशिष्ट "क" संलग्न हैं।

(5) प्रश्न के भाग संख्या-03 के अनुसार।

परिशिष्ट- "क"

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर

क्रमांक : शिविरा(मा)साप्र/बी-1/2820/09-10　　　　दिनांक 4.3.2010

समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक

विषय :-विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- समसंख्यक पत्र दिनांक 11.01.2010

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में पुन: निर्देशित किया जाता है सम्बन्धित वर्ष की 1 अप्रैल से वरिष्ठता कम पात्रता सूची का प्रसार कर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर, वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए अन्तिम (final) वरिष्ठता कम पात्रता सूची की प्रति 15 दिवस से इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

मंत्रालयिक संवर्ग के प्रत्येक पद हेतु वर्षवार पात्रता सूची निर्मित होनी चाहिये।

ह0/-
अतिरिक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

घड़साना-रावला किसान आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या 200/2007

162. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि घड़साना-रावला किसान आंदोलन में मृतक श्री चंदूराम सहारण के संबंध में अभियोग संख्या 200/2007 दिनांक 16.7.2007 को दर्ज हुआ और जांच में इस प्रकरण को झूठा पाया गया? प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 52 दिनांक

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

27-8-07 को अघटित (झूठ) शीर्षक में दिया गया है? यदि हां, तो श्री चंदूराम को विशेष पैकेज द्वारा पांच लाख रुपये व आश्रित को नौकरी किस आधार पर दी गई?

उत्तर

यह सही है। घड़साना-रावला किसान आन्दोलन में मृतक चंदूराम सहारण के संबंध में अभियोग संख्या 200/2007 दिनांक 16.07.2007 को पुलिस थाना घड़साना पर पंजीबद्ध हुआ था जिसमें बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. अदम वकू झूठ में जरिये एफ.आर. नं. 52 दिनांक 27.08.2007 को दी जाकर निस्तारण किया गया।

मृतक चन्दूराम के परिवार को पांच लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से व आश्रिता को नौकरी क्षेत्र की जनता की मांग पर एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की विधान सभा में की गई घोषणा के आधार पर दिये गये हैं।

तहसील नगर (भरतपुर) में खेल केन्द्र की स्थापना

163. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तहसील नगर (भरतपुर) में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने हेतु वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों/गांवों में खेल-कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक कहां-कहां मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष में कब तक करा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील नगर (भरतपुर) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत कैथवारा, खोहारी, सीकरी ग्राम पंचायत में खेल मैदान का विकास कार्य प्रगति पर है एवं विकास कार्य पूर्ण होते ही खेल केन्द्र स्थापित कर दिये जावेंगे।

(2) राज्य में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत चयनित विद्यालय में खेल मैदान का विकास कार्य करवाया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है। इसके साथ-साथ खेल उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं खेल केन्द्र के संचालन हेतु क्रीड़ाश्री लगाने का कार्य भी प्रगति पर है।

(3) विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत खेल मैदान के विकास कार्य के साथ-साथ खेल उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं खेल केन्द्र के संचालन हेतु क्रीड़ाश्री लगाने का कार्य भी प्रगति पर है साथ ही प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

(4) जी नहीं। 4600 से अधिक आबादी वाली समस्त ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना" से जोड़ा जा रहा है। उनमें खेल मैदान विकसित करने के साथ-साथ खेल उपकरण भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रथम चरण में 869 ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है एवं खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं। शेष पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2015-16 तक पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना से जोड़ दिया जायेगा।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

164. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के किन-किन गांवों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? उक्त केन्द्रों में कौन-कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने -कितने समय से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. रघु शर्मा)

(2) उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र भवनविहीन हैं? क्या सरकार उक्त भवनविहीन केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2010 तक कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को रेकार्ड रखने हेतु आलमारी एवं केन्द्र की विभिन्न सूचनाओं हेतु स्टेशनरी दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब इन केन्द्रों को आलमारी एवं स्टेशनरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना केकड़ी, भिनाय एवं अंराई के कुल 251 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनका परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

परियोजना का नाम	**संचालित आं. बा. केन्द्र**
केकड़ी	147
भिनाय	35
अंराई	69
कुल योग	**251**

उक्त केन्द्रों की पंचायत समिति/ग्रामवार सूची तथा केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मय कार्यकाल सूची परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कोई भी केन्द्र भवनविहीन नहीं है। इस क्षेत्र में संचालित 251 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 191 के विभागीय भवन बने हुए हैं। शेष 60

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

केन्द्र किराये/अन्य भवनों में चल रहे हैं। राज्य में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराकर स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं तथा उपलब्धतानुसार केन्द्र स्थानान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। इस क्रम में नाबार्ड के वित्त पोषण से आगामी वर्षों में 1140 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कराये जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जनवरी 2004 से फरवरी, 2010 के दौरान 69 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्षवार एवं परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	परियोजना का नाम			योग
	केकड़ी	भिनाय	अंराई	
2004-05	0	0	0	0
2005-06	19	05	01	25
2006-07	0	0	0	0
2007-08	13	01	18	32
2008-09	0	0	0	0
2009-10	08 18 मिनी	02 1 मिनी	02 9 मिनी	12 28 मिनी
परियोजना वार योग	40 18 मिनी	08 1 मिनी	21 9 मिनी	69 28 मिनी

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित जनसंख्या एवं अन्य मानदण्ड पूर्ण करने वाले लगभग सभी ग्रामों/बस्तियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जा चुका है।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिवर्ष स्टेशनरी तथा केन्द्र प्रारम्भ के समय स्थाई सामग्री दी जाती है। वर्ष 2009-10 के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक स्टेशनरी की आपूर्ति की जा चुकी है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2004-05 से पूर्व स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्टेशनरी को रखने के लिए बक्शे की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2004-05 से जनवरी 2010 तक स्वीकृत 69 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 37 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बक्से की आपूर्ति की जा चुकी है। शेष 32 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रावधानों के अनुरूप बक्सों की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर जिले में बारानी भूमि के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण

165. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में बारानी भूमि आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर में बारानी भूमि आवंटन हेतु कुल 26335 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

(2) मंत्री मण्डल आज्ञा संख्या 65/2009 दिनांक 25.08.2009 द्वारा उक्त प्राप्त 26335 आवेदन पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। तदनुसार जिला कलक्टर, जैसलमेर को निर्देशित कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग कालेजों में सिस्टम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट प्रशिक्षण हेतु किया गया भुगतान

166. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में

(श्री वासुदेव देवनानी)
स्नातक से कम पाठ्यक्रमों के लिये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम (S.A.P.) प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या छात्रों या संस्थाओं की ओर से इसकी मांग की गई थी?

(2) उक्त हेतु सरकार द्वारा किन-किन कम्पनियों को निमंत्रण/सम्पर्क किया गया तथा किस कम्पनी से अनुबन्ध किया गया व अनुबन्ध की शर्तें क्या थीं? एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्पनी को 15 फरवरी, 2010 तक किस-किस कालेज से कितना भुगतान किया गया है?

(4) क्या उक्त प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो अब तक कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है व नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त फर्म/कम्पनी को भुगतान किन परिस्थितियों में और क्यों किया गया?

उत्तर

(1) सिस्टम एप्लीकेशन एण्ड प्रोडक्ट्स (S.A.P.) प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य के राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए की गई है।

राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण से विचार विमर्श के उपरान्त सिस्टम एप्लीकेशन एण्ड प्रोडक्ट्स (S.A.P.) प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं छात्रों के रोजगार एवं उच्च वेतन के अवसरों को ध्यान में रखते हुये (कार्यक्रम की उपयोगिता सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) इस तकनीकी में प्रशिक्षण देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

(2) SAP INDIA PVT. Ltd. द्वारा सरकार से सम्पर्क कर अपने प्रोग्राम की जानकारी दी गई। सिस्टम एप्लीकेशन एण्ड प्रोडक्ट्स प्रोग्राम S.A.P. का प्रोपराइटरी आइटम है जिसे अन्य कम्पनियां नहीं दे सकती हैं। अतः इसी कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस प्रशिक्षण की उपयोगिता को देखते हुये सरकार की राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने की योजना है।

SAP INDIA PVT. Ltd. के साथ ही अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध के शर्तें संलग्न एम.ओ.यू. में उल्लेखित है। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-2 से 7 पर संलग्न है।

(3) दिनांक 15 फरवरी, 2010 तक महाविद्यालयों द्वारा किये गये अग्रिम भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :-

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	किये गये भुगतान की राशि (रुपयों में)
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	16,37,955.00
2.	महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	11,69,180.00
3.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	16,37,955.00
4.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर	16,37,955.00
5.	कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर	11,25,060.00
6.	एम.एल.वी. टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, भीलवाड़ा	16,37,955.00
7.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	16,37,955.00

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया में हैं, जो प्रशिक्षण आरम्भ होने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए संचालित होगा।

निम्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार कम्पनी द्वारा S.A.P. प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न तिथियों से आरंभ किया जा चुका है एवं प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रशिक्षण आरम्भ होने की दिनांक
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	16.3.2010
2.	महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	9.3.2010
3.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	18.3.2010
4.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर	8.3.2010
5.	कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर	8.3.2010
6.	एम.एल.वी. टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, भीलवाड़ा	11.3.2010
7.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	9.3.2010

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बेरोजगारी भत्ते की एवज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण की उपयोगिता

167. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जुलाई, 2007 में बेरोजगारी भत्ते हेतु "अक्षत" योजना चालू की गई थी? क्या सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलने के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बेरोजगार भत्ते की एवज में सरकार द्वारा बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों व उससे बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ होगा?

(3) क्या सरकार प्रशिक्षण के उपरान्त बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किस प्रकार? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2007 से बेरोजगारी भत्ते हेतु "अक्षत" योजना चालू की गई थी।

राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्रचलित "अक्षत योजना-2007" को संशोधित कर "अक्षत कौशल योजना-2009" दिनांक 1.10.2009 से लागू की गई है।

अक्षत कौशल योजना-2009 का उद्देश्य योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के स्थान पर कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करना है।

(2) जी हां। बेरोजगार भत्ते की एवज में सरकार द्वारा अक्षत कौशल योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अक्षत कौशल योजना-2009 का उद्देश्य योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् बेरोजगार आशार्थियों की नियोज्यता बढ़ती है।

(3) जी नहीं। अक्षत कौशल योजना-2009 के अन्तर्गत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

होने के पश्चात् रोजगार जगत में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। योजना का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तेवड़ी ग्राम (विराटनगर) के राशन डीलर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

168. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तेवड़ी ग्राम के राशन डीलर के विरुद्ध रसद विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो कब व इसका चालान कब पेश किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि चालान पेश करने की समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त राशन डीलर के विरुद्ध चालान पेश नहीं करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त राशन डीलर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के तेवड़ी ग्राम के राशन डीलर के विरुद्ध रसद विभाग द्वारा दो अभियोग पंजीबद्ध कराये गये हैं। अभियोग संख्या 88/97 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में दिनांक 20-10-97 को दर्ज कराया गया था एवं अभियोग संख्या-7/09 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में दिनांक 05-01-09 को दर्ज कराया गया है। अभियोग संख्या 88/97 का चालान दिनांक 02-07-98 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा अभियोग संख्या-7/09 में एफ.आर. दिनांक 15-03-09 को अदमवकू में दी गई थी, जिसे रि-ओपन कर पुनः अनुसंधान जारी है।

(2) 3/7 ई.सी. एक्ट के अपराध में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 3 वर्ष से ऊपर की सजा से दण्डनीय अपराध में चालान पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अभियोग संख्या-88/97 में चालान न्यायालय में दिनांक 02-07-98 को पेश किया जा चुका है। अभियोग संख्या-7/09 में बाद तफ्तीश एफ.आर. अदमवकू (गलती फहमी वाका) में दिनांक 15-03-09 को किता की गई, जिसे ग्रामवासी विराट नगर के परिवाद पर रि-ओपन कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली से पुनः जांच करवायी गई।

(गृह मंत्री)

उपरोक्तानुसार की गई तफ्तीशों में विरोधाभास होने के कारण इस प्रकरण की पुन: जांच करवायी जा रही है। अनुसंधान पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-1 में वर्णित पुलिस कार्यवाही के अलावा उक्त राशन डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरणों में कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.08.09 से निलम्बित है। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार उक्त राशन डीलर के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा प्रकाशित दोषपूर्ण जानकारी

169. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 15 सितम्बर, 2009 से 15 अक्टूबर, 2009 तक नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य चेतना यात्रा के लिए कुल कितने पोस्टर किस दर से छपवाये गये तथा उक्त पर कुल कितना व्यय हुआ?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, निदेशालय चिकित्सा तथा परिवार कल्याण की ओर से छपवाये गये पोस्टरों में टीकाकरण, मलेरिया उपचार संबंधी गलत जानकारी प्रकाशित की गई? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जुलाई, 2009 को सरकार की ओर से प्रकाशित निरामया पत्रिका में टीकाकरण व मलेरिया उपचार के बारे में त्रुटिपूर्ण समाचार प्रकाशित किये गये? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) 15 सितम्बर, 2009 से 15 अक्टूबर, 2009 तक स्वास्थ्य चेतना यात्रा 2009 के प्रचार प्रसार हेतु 13 प्रकार के पोस्टर (विभिन्न विषयों पर) प्रत्येक 50,000 की संख्या में कुल 6,50,000 पोस्टर राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर से लगभग 4.238 रुपये प्रति पोस्टर की दर से छपवाये गये जिन पर कुल व्यय राशि रुपये 27,54,529/- का व्यय हुआ। यह व्यय एनआरएचएम मद से किया गया।

(2) जी हां। टीकाकरण एवं मलेरिया के संबंध में मुद्रित सामग्री में त्रुटि रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
इस क्रम में संबंधित दो जिला शिक्षा एवं प्रचार अधिकारियों के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। निरामया पत्रिका में टीकाकरण व मलेरिया के उपचार के बारे में त्रुटि रही हैं। इस क्रम में संबंधित अतिरिक्त निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अजमेर स्थित चश्मा-ए-नूर इमारत का जीर्णोद्धार

170. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर शहर की कौन-कौनसी इमारतें पुरा महत्व स्मारकों की सूची में सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चश्मा-ए-नूर इनमें से एक है? यदि हां, तो इसे इस सूची में कब सम्मिलित किया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चश्मा-ए-नूर इमारत वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार इसका पुनरुद्धार कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि चश्मा-ए-नूर के पास बहने वाले बरसाती झरने के रास्ते में एवं चश्मा-ए-नूर के मुख्य कक्ष के सामने स्थित बावड़ी में वर्तमान में अंग्रेजी बबूल व अन्य कूड़ा-करकट भरे होने से इसमें आने वाले बरसाती पानी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है? क्या सरकार उक्त की सफाई कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधिसूचना दिनांक 10.07.2008 की फोटो प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर इसके पुनरुद्धार कराने पर विचार किया जायेगा।

(4) जी हां। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(सूची/प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिले में संचालित मदरसों में पैराटीचर्स की नियुक्ति

171. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसे कितने व कहां-कहां संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उन सभी मदरसों में पैराटीचर्स कार्यरत हैं? यदि हां, तो उनका नाम एवं मदरसे का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पैराटीचर्स को प्रबोधकों के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो धौलपुर जिले में किन-किन पैराटीचर्स को नियुक्ति दी गई?

(4) क्या यह सही है कि पैराटीचर्स को प्रबोधकों के पद पर नियुक्ति दिये जाने के कारण मदरसों में पैराटीचर्स के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों और कब से?

(5) क्या सरकार बन्द मदरसों को शीघ्र चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार पैराटीचर्स के खाली पद लम्बे समय तक रहने की स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मदरसों का संचालन मदरसा बोर्ड द्वारा न किया जाकर मुस्लिम समुदाय की स्थानीय इन्तजामियां कमेटी द्वारा किया जाता है। जिला धौलपुर में मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 52 मदरसे हैं। धौलपुर जिले के पंजीकृत मदरसों की सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला धौलपुर में पंजीकृत 52 मदरसों में से वर्तमान में 20 मदरसों में 24 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। उनके नाम एवं मदरसे की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। धौलपुर जिले के जिन पैराटीचर को प्रबोधक पद पर नियुक्ति दी गई है, का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) जी हां। पैराटीचर्स के पद प्रबोधक पद पर नियुक्ति होने के कारण तथा नयी नियुक्ति नहीं होने के कारण रिक्त हैं। यह पद प्रबोधक पद पर चयन तिथि दिनांक 30.8.2009 से रिक्त हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(5) मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत कोई मदरसा बन्द नहीं है।

(6) मदरसे मूलत: मुस्लिम समुदाय द्वारा दीनी तालीम के लिए संचालित किए जाते हैं, मदरसा खोलने तथा संचालन का कार्य राज्य सरकार नहीं करती है। राज्य सरकार तो केवल स्कूली पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए सपोर्ट के तौर पर सुविधाएं (नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, पोषाहार, शिक्षण सामग्री आदि) प्रदान करती है। जिन मदरसों में पैराटीचर के प्रबोधक बनने से शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। वहां शीघ्र ही पैराटीचरों की भर्ती की जा रही है और इस भर्ती के लिए वर्षभर हेतु वरीयता सूचियां बना ली गई हैं। पद रिक्त रहने की स्थिति में इन्तजामियां कमेटी शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था करती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में कियोस्क आबंटन प्रकरण

172. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर के चूड़ी मार्केट में से ठेली पटरी वालों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2001 में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कियोस्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ठेली पटरी वालों को कियोस्क आबंटित कर आबंटन पत्र जारी किये गये व तयशुदा कीमत न्यास/ट्रस्ट अलवर द्वारा वसूल कर ली गई थी? यदि हां, तो किस-किस से? नाम व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आबंटियों को अब तक उक्त आबंटन शुदा कियोस्कों का निर्माण नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आबंटियों को अवगत कराया कि उक्त योजना समाप्त की जा चुकी है? यदि हां, तो आबंटन के पश्चात् बिना कब्जा दिये योजना समाप्त करने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2001 में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कियोस्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया था, निर्णय की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि ठेली पटरी वालों को कियोस्क आबंटित कर आबंटन पत्र जारी किये गये हैं एवं राशि भी जमा करवा ली गई थी, जिसमें से 40 कियोस्कों का राशि जमा कराने पर कब्जा दे दिया गया एवं शेष 60 कियोस्कों का निर्माण नहीं होने के कारण राशि की प्रथम किस्त ही जमा कराई गई, शेष किस्तें जमा नहीं करवाई गई।

(3) 60 कियोस्कों का निर्माण जो शिवाजी पार्क के पास होना था। जिसमें मौहल्लेवासियों का विरोध होने एवं बिजली की लाइन ऊपर से जाने के कारण निर्माण नहीं हो सका, जिसके कारण जमा राशि सभी को वापिस लौटा दी गई है। सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ब"

(4) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा उक्त योजना पर रोक लगा दी गई थी। इस संबंध में न्यास द्वारा अध्यक्ष चूड़ी मार्केट ठेली पटरी मजदूर यूनियन को पत्र दिनांक 27.03.2010 को अवगत करवा दिया गया। प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "स"

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निजी नर्सिंग होम्स द्वारा लिंग परीक्षण पर रोक हेतु कार्य-योजना

173. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? क्या यह सही है कि लिंग परीक्षण एवं अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफी के कारण निरन्तर लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी नर्सिंग होम्स में कन्या भ्रूण हत्यायें हो रही हैं? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 921/1000 है। लिंगानुपात की परिभाषा में समस्त आयुवर्ग के जीवित स्त्री व पुरुष आते हैं जिन पर की लिंग परीक्षण एवं अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफी तकनीक के प्रभाव का आंकलन नहीं किया जा सकता, जैसा कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात 910/1000 था जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 921/1000 हो गया है। इस प्रकार प्रदेश का लिंगानुपात बढ़ा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। परन्तु कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य से होने वाली गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 दिनांक 01.01.1996 से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम राजस्थान प्रदेश में दिनांक 01.01.1996 से लागू है। उक्त अधिनियम की प्रदेश में क्रियान्विति एवं कार्ययोजना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विभिन्न श्रेणी के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

174. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी कितनी व कब निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुये उक्त न्यूनतम मजदूरी कम है? यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कामगारों के लिए क्रमश: दिनांक 1 मार्च, 2008 से 100/-, 107/- एवं 115/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

(2) जी नहीं। फिर भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले महीनों में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा मूल्य सूचकांक के अनुपात में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की राय के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी पर विचार किया जायेगा।

नीमराणा फोर्ट होटल, अलवर द्वारा निर्मित अवैध रज्जु मार्ग

175. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नीमराणा फोर्ट होटल जिला अलवर को कब व कुल कितनी भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि उक्त होटल का निर्माण कार्य आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर किया गया है? यदि हां, तो आबंटन से अधिक भूमि कितनी है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त होटल में रज्जु मार्ग (रोप वे) बनाया गया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त मार्ग वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है? क्या इस हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया? यदि हां, तो कब? अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त होटल मालिकों द्वारा रज्जु मार्ग (रोप वे) निर्माण हेतु किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नीमराणा फोर्ट होटल को राजस्व विभाग द्वारा कोई भूमि आबंटन नहीं की गयी है। वर्तमान में नीमराणा फोर्ट होटल ख.न. 505/593 रकबा 4.75 हैक्टेयर में स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में मै. देहली वेयर हाउस प्रा. लि. नई दिल्ली डायरेक्टर अमरनाथ निवासी ए-51 निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली के नाम क्रय होकर दर्ज है।

(2) जी नहीं। होटल का निर्माण क्रय शुदा भूमि पर ही किया गया है।

(3) जी नहीं। रोप-वे का निर्माण नहीं किया गया है। एडवेन्चर टयूरिज्म के लिए जिपिंग लाइन (फलाईग फोक्स) बनायी गयी है जिससे एक व्यक्ति तार के जरिये झूलता हुआ केवल नीचे की ओर जा सकता है। यह जिपिंग लाइन जनवरी, 2009 में बनायी गयी है। इसके निर्माण में कुल 5 जगह लोहे के पिलर्स लगाये गये हैं, जिनमें से 4 पिलर वन भूमि के ख.न. 505 एवं 279/574 (ग्राम नीमराणा तहसील बहरोड़) में स्थित है। एक पिलर गैर वन भूमि में स्थित है। इसके निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।

(4) जी हां। न्यायालय सहायक वन संरक्षक अलवर के यहां भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10.3.2010 को अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्वाइन फ्लू की जांच हेतु कार्य-योजना

176. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2009 में स्वाइन फ्लू की महामारी से सतर्क रहने के लिए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को स्वाइन फ्लू की रोकथाम एवं महामारी से सतर्क रहने की हिदायत देने के पश्चात् सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या उपाय तथा इसकी रोकथाम एवं इलाज हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जांच किस-किस चिकित्सालय में किस-किस दर से की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु मशीनें उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु भारत के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा जांच भी की गई थी? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति की तथा जांच में कितने लोगों को स्वाइन फ्लू की बीमारी पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से दिनांक 30.4.2009 को फैक्स मेसेज प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट आथीरिटी से सम्पर्क कर यात्रियों की स्क्रिनिंग के लिए चिकित्सा दल में एम्बूलेन्स लगाने के निर्देश जारी किये गये, एयरपोर्ट पर तैनात किये गये चिकित्सा दल ने दिनांक 02.05.2009 से यात्रियों की स्क्रिनिंग आरम्भ कर दी। इसके साथ ही 5 मई, 2009 से जोधपुर एवं बाड़मेर मुनाबाव-खोखरापार थार एक्सप्रेस के यात्रियों की स्क्रिनिंग भी आरम्भ की गई। अब तक 95 हजार 927 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

राज्य के जिलों में उपलब्ध क्रिटीकल केयर में प्रशिक्षित चिकित्सकों को इस रोग में होने वाले रेस्पाइरेटरी काम्पलीकेशन के मध्यनजर पुन: प्रशिक्षित किया गया।

राज्य में स्वाईन फ्लू रोग की स्थिति का जायजा लेने एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 31 मई, 2009

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

को सभी जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू का प्रथम संदिग्ध केस दिनांक 4 जून, 2009 को आया जो लैब की जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाया गया। स्वाइन फ्लू के प्रथम रोगी की पुष्टि 25 जुलाई, 2009 को हुई जिसे आवश्यक उपचार दिया जाकर उपचारित किया गया। इस रोगी के सम्पर्क में आये 11 व्यक्तियों को रोग के बचाव हेतु तुरन्त आस्लटामिवीर नामक दवा प्रारम्भ कर दी गई।

स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुए एसएमएस स्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर में 20 बैड का वार्ड आरक्षित कर दिया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट व अन्य राज्यों से आ रही स्वाइन फ्लू के रेंस्पीरेटरी कोम्पलीकेशन को मध्यनजर रखते हुए 7 बैड का अतिरिक्त आई.सी.यू. वार्ड 04.10.2009 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में स्थापित किया गया। यह आई.सी.यू. वार्ड मय आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण जैसे वेंटिलेटर, मानीटर, इन्फ्यूजन पम्प, बाइपेप मशीन एवं हाइफ्लो आक्सीजन मास्क आदि की सभी सुविधाओं युक्त है।

इसके पश्चात् दिनांक 5.11.2009 से एक छत के नीचे आई.सी.यू. वार्ड के निकट एक 12 बैड का आब्जरवेशन वार्ड, स्वाइन फ्लू ओ.पी.डी. एवं सैम्पल कलेक्शन सेन्टर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई।

प्रारम्भ में राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, संदिग्ध रोगियों के जांच हेतु सैम्पल एन.सी.डी.सी. लैब, नई दिल्ली में भेजे जाते थे, जिनके जांच परिणाम आने में समय लगता था।

राज्य सरकार के प्रयासों से सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर स्थित माइक्रोबायलोजी विभाग में पी.सी.आर. लैब की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा दिनांक 14.10.2009 से परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी। परीक्षण की रिपोर्ट सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और आवश्यकतानुसार चिकित्सालय के पूछताछ कार्यालय पर उपलब्ध कराई जाती है।

दिनांक 07.09.2009 से 10.09.2009 तक 126 रेपिड रेस्पोन्स टीमों का गठन कर प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में उपचार हेतु पृथक से स्वाइन फ्लू का आउटडोर दिनांक 05.11.2009 से प्रारम्भ किया गया एवं राज्य के समस्त मेडिकल

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
कालेज, जिला चिकित्सालय, सब जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाइट चिकित्सालयों में एवं राज्य के 31 निजी चिकित्सा संस्थाओं में पृथक से आइसोलेशन वार्ड बना कर कुल 364 बैड्स (240 सरकारी एवं 124 निजी क्षेत्र में) की व्यवस्था की गयी।

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में नये वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। दिनांक 25.11.2009 को जयपुर में 10 वेंटिलेटर देने के बाद कुल 55 वेंटिलेटर हो गये। बीकानेर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 6 वेंटिलेटर हो गये। कोटा में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 15 वेंटिलेटर हो गये। दिनांक 26.11.2009 को जोधपुर में 14 नये वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 19 वेंटिलेटर हो गये। अजमेर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 19 वेंटिलेटर हो गये। उदयपुर में 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद कुल 30 वेंटिलेटर हो गये।

प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर प्रत्येक को एक-एक वेंटिलेटर दिनांक 01.12.2009 को उपलब्ध करवाये गये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से जोधपुर स्थित चिकित्सालयों हेतु दिनांक 04.12.2009 को 3 एवं दिनांक 10.12.2009 को 5 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। इसके बाद दिनांक 16.12.2009 को कोटा-2, दौसा-1, नागौर-1 एवं बाडमेर-1 को भी वेंटिलेटर उपलब्ध करवाये गये। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट द्वारा जयपुरिया अस्पताल जयपुर को 4, कांवटिया अस्पताल जयपुर को 3, सामान्य चिकित्सालय, अलवर को 2, सेटेलाइट अस्पताल, पावटा (जोधपुर) को 1 एवं ए.के. अस्पताल, ब्यावर को 1 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया गया।

इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में कुल 144 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं तथा जिला चिकित्सालयों में पूर्व में 34 वेंटिलेटर उपलब्ध थे जो बढ़कर 68 हो गये।

इस प्रकार राज्य में कुल 212 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।

स्वाइन फ्लू से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु दिनांक 04.06.2009 से लेकर 09.03.2010 तक विभिन्न चिकित्सालयों में 23 लाख 56 हजार 320 ऑस्लटामिविर केप्सूल एवं 27 हजार 179 सिरीप नि:शुल्क इलाज हेतु उपलब्ध कराई गयी। इसके साथ ही दिनांक 09.03.2010 तक 7044 पी.पी.ई. किट, 10 हजार 595 एन-95 मास्क, 1 लाख 63 हजार 995 ट्रिपल लेयर मास्क, नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये।

आमजन को इस रोग की दवा ऑस्लटामिविर उपलब्ध होने में कोई

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कठिनाई न हो, इसके लिये रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के लगभग सभी जिलों में ऑस्लटामिविर टेबलेट, सिरीप बेचने हेतु दिनांक 09.11.2009 से 09.03.2010 तक में 263 निजी मेडिकल स्टोर को अधिकृत किया गया।

राज्य सरकार के प्रयासों द्वारा 19 नवम्बर, 2009 से डी.एम.आर.सी. जोधपुर में भारत सरकार के सहयोग से पी.सी.आर. लैब स्थापित कर जांच सुविधा आरम्भ की गई।

सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के अतिरिक्त राज्य के अन्य मेडिकल कालेजो में भी पी.सी.आर. लैब स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसके फलस्वरूप आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु 4 मार्च 2010 से लैबोरेट्री प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में जांच हेतु नमूना संग्रहण केन्द्र बनाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा 3 निजी लैबोरेट्री दिनांक 05.10.2009 को डा. लाल पैथ, दिनांक 07.10.2009 को सुपर रैलीगेयर, एवं दिनांक 20.11.2009 को ऐरोप्रोब लैब को सैम्पल जांच हेतु अधिकृत किया गया तथा इन लैबोरेट्रीज के कुल 46 कलेक्शन सेन्टरों को सैम्पल लेने हेतु विभिन्न जिलों में अधिकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा राजकीय लैबोरेट्रीज में जांच शुल्क दिनांक 14.12.2009 से राशि प्रति सैम्पल 3000/- रुपये से घटा कर जनहित में 1500/- रुपये किया गया। इसके साथ ही 5 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाऐं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बीपीएल परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

स्वाइन फ्लू के मरीजों को तुरन्त उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिये 108 एम्बुलैन्स भी नि:शुल्क उपलब्ध रही।

स्वाइन फ्लू की गम्भीरता को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2009 को 600 चिकित्सकों की नियुक्ति अनुबन्ध पर करने की स्वीकृति जारी की गई, जिसकी अनुपालना में साक्षात्कार हेतु आये सभी 343 नये चिकित्सकों को संविदा पर जिला स्तर पर नियुक्ति दी गई एवं शेष रहे खाली पदों को भरने के लिए वाक-इन-इन्टरव्यू द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

स्वाइन फ्लू से ग्रसित रोगी का उपचार यदि समय पर नहीं होता है तो रोग गम्भीर अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, एवं रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही रोग की पहचान हो सके एवं उपचार किया जा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सके, इस हेतु अति संवेदनशील 18 जिलों में घर-घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों के 24304 गांवों का बार-बार सर्वे कर 27 हजार 161 लोगों को एवं शहरी क्षेत्रों के 28 लाख 36 हजार 183 घरों का सर्वे कर 38 हजार 909 लोगों को मौके पर ही नि:शुल्क दवा देकर उपचार किया गया। जिससे की केटेगिरी-बी के रोगियों को गम्भीर अवस्था में आने से बचाया जा सके।

राज्य में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं केटेगिरी-बी के 337 संदिग्ध रोगियों को उपचार दिया गया।

पाजिटिव केसेज के नजदीक सम्पर्क वाले व्यक्तियों में इस रोग के बचाव हेतु रेपिड रेस्पोन्स टीमों द्वारा जांच कर दवा वितरित की जा रही है। अब तक 62 हजार से अधिक व्यक्तियों को दवा वितरित की जा चुकी है।

राज्य में 9 मार्च, 2010 तक 11319 संदिग्ध रोगियों की जांच की गयी जिसमें से 3361 स्वाइन फ्लू से ग्रसित पाये गये।

जोधपुर जिले में इस रोग से मरने वालों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जोधपुर शहर में विशेष कार्यवाही की गई। जिसके अन्तर्गत निदेशक (एड्स) द्वारा दिनांक 09.11.2009, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव द्वारा 8.11.2009, निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा 05.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा दिनांक 09.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाकर जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

राज्य में राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 दिनांक 17.11.1957 से लागू किया गया, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22.11.1957 को हुआ था। इस अधिनियम की धारा 2 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम में वर्णित आवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही उठा लिये गये थे एवं सभी जिला कलक्टरों को मौखिक रूप से निर्देशित कर दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर रोग का विस्तार न हो, स्कूल/कालेज बन्द कराये जा सकते है तथा प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों के उपचार के उपयोग में लिया जा सकता है। फिर भी सावधानी के तौर पर राज्य के सभी जिलों के लिए अधिसूचना संख्या एफ.9(58)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिस्वा/2/2009 दिनांक 10.12.2009 जारी की गई, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 16.12.2009 में कराया जाकर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी किया गया। इस एक्ट के तहत अस्थाई रेग्युलेशन से जिला कलक्टरों द्वारा निम्न प्रमुख कार्यवाही की गई :-

1. रेलवे अथवा अन्य संसाधनों यथा हवाई यात्रा, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच एवं परीक्षण की व्यवस्था।
2. चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू के रोगियों को पृथक रखना।
3. अस्थाई आवास के प्रावधान यथा धर्मशाला आदि का अधिग्रहण।
4. निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को न्यूनतम आइसोलेशन बैड्स की व्यवस्था करने हेतु पाबन्द करना।
5. सरकारी एवं निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग एवं स्वाइन फ्लू पाजिटिव पाये जाने पर अवकाश घोषित करना इत्यादि।

भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 22.11.2009 एवं 20.12.2009 को जोधपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया एवं उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, एवं निदेशक, इमरजेन्सी मेडिकल रेस्पोन्स, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2010 को राज्य का दौरा कर स्वाइन फ्लू की स्थिति का जायजा लेकर राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सन्तोष प्रकट किया।

जिला जोधपुर के शहरी क्षेत्र में 21 नवम्बर, 2009 से 6 दिसम्बर, 2009 तक 100 टीमों द्वारा प्रथम चरण में 1 लाख 80 हजार घरों में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा पुन: 7 दिसम्बर, 2009 से 21 दिसम्बर, 2009 तक 69 टीमों द्वारा 1 लाख 95 हजार घरों में स्वास्थ्य परीक्षण कर कुल 22 हजार 274 रोगियों का ऑस्लटामिविर दवा नि:शुल्क वितरित की गयी। 22 दिसम्बर से लगातार स्वाइन फ्लू पाजिटिव रोगियों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का सर्वे कार्य अभी भी चालू है। पूरे राज्य में भी इसी की भांति सर्वे कार्य जारी है।

जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 7 दिसम्बर, 2009 से 7 जनवरी, 2010 तक प्रथम चरण में 45 टीमों द्वारा 1 हजार 820 गांवों में बार-बार सर्वे कर 7 लाख 17 हजार व्यक्तियों का परीक्षण किया एवं 8 जनवरी, 2010 से 5 फरवरी, 2010 तक 2 हजार 508 लोगों का पुन: परीक्षण किया गया इस दौरान कुल 8 हजार 142 व्यक्तियों को ऑस्लटामिविर दवा दी गयी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जयपुर शहर में दिसम्बर एवं जनवरी माह में लगातार विभिन्न चरणों में 5 से लेकर 148 तक टीमों के द्वारा प्रभावी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य करवाया गया एवं 1009 संदिग्ध मरीजों को नि:शुल्क ऑस्लटामिविर दवा दी गयी।

कोटा शहर में दिसम्बर एवं जनवरी माह में लगातार विभिन्न चरणों में प्रभावी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया गया एवं 622 संदिग्ध मरीजों को नि:शुल्क ऑस्लटामिविर दवा दी गयी।

आमजन को स्वाइन फ्लू की जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने हेतु जयपुर में दिनांक 13.11.2009 को स्टेट हैल्प लाइन शुरू की गई जिसके दूरभाष नम्बर 0141-3052222, 4092222 को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। इसी के साथ समस्त जिला मुख्यालय पर एवं निदेशालय में 24 घण्टे चलने वाले कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये।

राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में रोग के लक्षण, बचाव, उपचार एवं जांच सुविधाओं की जानकारी हेतु 403 विज्ञापन समय-समय पर जारी कर आम जनता को जागरूक किया गया।

विभिन्न अन्य माध्यमों (टी.वी. एफ.एम. रेडियो, इलैक्ट्रोनिक मीडिया) द्वारा स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु 571 विज्ञापन प्रसारित कर आमजन को समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रचार-प्रसार हेतु 5-5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिनांक 25 अगस्त, 2009 को दी गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु सभी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटियों को इस रोग के नियंत्रण हेतु भागीदार बनाया गया।

इस प्रकार स्वाइन फ्लू की आपदा से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय रहते लिये गये उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न कदमों द्वारा राजस्थान बहुत सफलता पूर्वक इस आपदा से उभर पाने में सक्षम हो सका है।

(3) राजस्थान राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर एवं आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर में उपलब्ध है। जिसकी जांच दर 1500/- रुपये है तथा उक्त दोनों लैबोरेट्रीज में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाऐं, वरिष्ठ नागरिकों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की जांच नि:शुल्क की जा रही है। भारत सरकार की डी.एम.आर.सी. प्रयोगशाला जोधपुर में स्वाइन फ्लू की जांच सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी नहीं। फिर भी स्वाइन फ्लू की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा जयपुर, उदयपुर एवं केन्द्र सरकार द्वारा जोधपुर में लैब प्रारम्भ कर दी गयी है एवं अजमेर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर मेडिकल कालेजों में राज्य सरकार द्वारा जांच सुविधा प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। राज्य में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जयपुर में 81441 यात्रियों की एवं मुनावबाव-खोखरापार थार एक्सप्रेस, बाड़मेर में 14486 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, इनमें से 26 स्वाइन फ्लू संदिग्ध यात्री पाये गये जिसमें से 2 यात्रियों की जांच रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पाजिटिव पायी गयी। सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय रहित पंचायत मुख्यालय

177. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायत दुसारणा, इन्दपालसर-सांखलान, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ व ग्राम पंचायत मसूरी लालमदेसर बड़ा, पंचायत समिति नोखा में अब तक माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के उक्त चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों में माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में 1900 राउप्रावि को मावि में उन ग्राम पंचायत में जहां माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, में उप्रावि को मावि में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में मावि विहीन 1216 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जा चुके हैं, जिसमें पंचायत समिति नोखा के ग्राम पंचायत मसूरी के राउप्रावि को मावि में क्रमोन्नत आदेश दिनांक 26.02.10 के द्वारा क्रमोन्नत कर दिया है। ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत दूसारण के गांव पुन्दलसर एवं भोजास में माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा ग्राम पंचायत इन्दपालसर सांखलान के गांव बिग्गावास रामसर में उमावि संचालित है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत मसूरी में आदेश दिनांक 26.02.10 के द्वारा मावि में क्रमोन्नत किया जा चुका है। ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। ग्राम पंचायत क्षेत्र दूसारणा एवं इन्दपालासर सांखलान के गांवों में माध्यमिक स्तर के विद्यालय पूर्व से ही संचालित है।

वरिष्ठ/सहायक नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा पाली की आवासीय बस्तियों के स्वीकृत मानचित्रों में संशोधन

178. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में वरिष्ठ/सहायक नगर नियोजक जोधपुर द्वारा पाली शहर की किन-किन खसरा नं. की कृषि भूमियों पर आवासीय बस्ती बनाने के मानचित्र कितने-कितने समय में स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मानचित्रों वाली किस-किस योजना में कितनी-कितनी भूमि किस-किस प्रयोजनार्थ रिक्त छोड़ी गई? स्वीकृत मानचित्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत मानचित्रों की किस-किस योजना में बाद में संशोधित मानचित्र स्वीकृत किस-किस संशोधन के साथ किन-किन कारणों से किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर कार्यालय द्वारा जिन जिन खसरा नम्बर की आवासीय बस्ती बनाने के मानचित्र जब-जब स्वीकृत किये गये हैं, उनका विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	प्रकरण प्राप्ति दिनांक	योजना स्वीकृति/ निष्पादन दिनांक
1	2	3	4	5
1.	पाली चक-(द्वि)	386/1	28.06.2007	25.07.2007
2.	पाली चक प्रथम	865/1	27.06.2007	28.09.2007
3.	पाली चक प्रथम	781/1, 781	25.07.2007	22.08.2007

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	4	5
4.	मण्डली खुर्द	505/1, 505/1/1	13.08.2007	30.11.2007
5.	पाली	107, 108, 109	15.11.2007	16.01.2008
6.	मण्डली खुर्द	498 एवं 502	25.02.2008	11.04.2008
7.	पाली चक-II	963/1	08.05.2008	11.06.2008
8.	पाली चक प्रथम	841/12	28.07.2008	17.09.2008
9.	पाली चक	1086, 1088, 1088/1	25.09.2008	01.10.2008
10.	मानपुरा	386/92	23.09.2008	08.10.2008
11.	पाली चक द्वितीय	607/2	27.02.2009	02.03.2009
12.	पाली चक द्वितीय	371, 372, 373	28.12.2007	13.10.2008
13.	पाली चक प्रथम	858, 860	13.10.2009	23.10.2009
14.	पाली चक प्रथम	1220/6	18.09.2009	15.01.2010

(2) उक्त स्वीकृत मानचित्र की जिस-जिस योजना में जिस-जिस प्रयोजनार्थ भूमि रखी गई है वह मानचित्रों में अंकित है, मानचित्रों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में जिस-जिस योजना में बाद में संशोधन किये गये हैं उनकी कारणों सहित सूची एवं मानचित्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	प्राप्ति दिनांक	संशोधन का कारण	निष्पादन दिनांक
1.	पाली चक प्रथम	386/1	27.10.2007	मौका स्थिति के कारण	05.04.2008
2.	मण्डली खुर्द	505/1, 505/1/1	01.04.2009	मौका स्थिति के कारण	09.04.2009

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई (भरतपुर) का सौन्दर्यीकरण

238. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर "दीपा" (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नदबई (भरतपुर) के सौन्दर्यीकरण के लिए चौराहों एवं तिराहों का विकास कराने एवं सीवर लाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में सैंट्रल पार्क का निर्माण

239. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में सैंट्रल पार्क का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में नगर परिषद् या नगर विकास न्यास में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देवगढ़ नगरपालिका को ग्राम पंचायत का दर्जा दिये जाने का औचित्य

240. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिका देवगढ़ को ग्राम पंचायत बनाने के आदेश पारित किये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन भावनाओं के मद्देनजर उक्त आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भाग संख्या 1 के उत्तर के पश्चात् प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जयपुर शहर में भवन निर्माण हेतु नीति

241. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कितने वर्ग गज तक का मकान बनाने के लिए नागरिकों को जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम से अनुमति की आवश्यकता नहीं है?

(2) क्या सरकार जयपुर में बनी सभी दुकानों व मकानों को नियमित करने की योजना बना रही है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर में मकान एवं दुकान निर्माण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के अनुसार बिन्दु संख्या 4(1) योजना क्षेत्र में 500 व. मी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों में सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति के निर्माण हेतु प्रार्थी द्वारा विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल स्थल मानचित्र में प्रस्तावित सैटबैक (नियमानुसार देय) दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन दस्तावेज एवं देय शुल्क संबंधित सक्षम अधिकारी को (विनियम 5 में वर्णित सक्षम अधिकारियों में से तकनिकीविद को छोड़कर अन्य) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता है। विनियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भवन उप नियम 1970 नगर परिषद जयपुर में (1) शहर के चार दीवारी क्षेत्र में निर्माण से पूर्व नगर निगम जयपुर से स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के उप धारा 7(घ) के अनुसार लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप धारा (1) के अध्यधीन 250 वर्गमीटर से कम के क्षेत्रफल के लिए आवेदन किया हो, प्रस्ताव प्रथम तल तक एकल आवासिक इकाई के सनिर्माण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के लिए हो, और भवन की कुल ऊंचाई छत की मोटाई और किसी भी अन्य संरचना सहित सड़क की सतह से दस मीटर से अधिक न हो। तथापि, यह उपबंध किसी परकोटे वाले शहरी क्षेत्र में जहां पृथक उप विधियां विद्यमान है या ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी हेरीटेज क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, लागू नहीं होगा। (2) शहर की चारदीवारी के बाहर के नगर निगम क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनिमय-2010 की धारा 4 (1) के अनुसार "विनियम 2.53 में उल्लेखित योजना क्षेत्र में 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों में वातावरण मैत्री आवासीय के प्रकरणों में तथा ऐसे वाणिज्यिक भूखण्ड जिनकी टाइप डिजायन है, के लिए भवनों का निर्माण सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति के इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा'' अर्थात् मानचित्र स्वीकृति आवश्यक नहीं। इसमें मानचित्रों में सैट बैक दर्शाते हुये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पेश करने पर शुल्क जमा कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है साथ ही अनुमोदित टाइप डिजायन संलग्न कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पेश कर देय शुल्क जमा करवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकता है। धारा 194 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नवनिर्मित भवनों में मंजूरी हेतु सोलर सिस्टम की अनिवार्यता

242. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण हेतु शहरों में नवनिर्मित होने वाले भवनों के नक्शों की मंजूरी के लिए सोलर सिस्टम का प्रावधान होना अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

नगर निगम/परिषद/पालिका हेतु माडल भवन निर्माण उप विधि 2006 के बिन्दु संख्या 7.16 व जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

भवन) विनियम, 2010 के बिन्दु संख्या 8.16 के अनुसार हास्पिटल एवं नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह लाज, राजकीय आवास गृह, सभी प्रकार के छात्रावास, 500 वर्गमीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों में सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के बेरेक्स, सामुदायिक केन्द्र एवं इसी प्रकार के उपयोग हेतु अन्य भवन व सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों में पानी गर्म करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

आगरा रोड, जयपुर की प्रस्तावित नया जयपुर योजना

243. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आगरा रोड, जयपुर पर नया जयपुर बनाने की योजना बनाई गई? यदि हां, तो क्या एवं उक्त क्षेत्र में पूर्व से ही बसी आबादी के संबंध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा आगरा रोड पर नया जयपुर बसाने की योजना बनाने हेतु वर्तमान में प्रारम्भिक प्रक्रिया की जा रही है। अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27.10.09 को किया जा चुका है। उक्त क्षेत्र में पूर्व से ही बसी आबादी के संबंध में मार्गदर्शन व निर्णय हेतु प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को अनुरोध किया गया है जो जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के स्तर पर योजना प्रक्रियाधीन है। विचार-विर्मश किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाने के कारण किसी प्रकार का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की स्कीम नं. 16 का नियमन

244. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम नं. 16 का नियमन शिविर दिनांक 9.12.2002 व 11.12.2002 को सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा, जयपुर में लगाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है उक्त स्कीम का प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जाकर नक्शा तैयार करवाया गया था? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम का अभी नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त स्कीम का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे नक्शा के अनुसार ही नियमन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिन्धु नगर गृ.नि.स.स. की स्कीम नं. 16 का नियमन शिविर दिनांक 09.12.02 व 11.12.02 को सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा जयपुर में लगाया गया था।

(2) उक्त स्कीम का प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया जाकर नक्शा तैयार करवाया गया था। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त स्कीम का नियमन नहीं किया गया। आयोजित कैम्प मौका सर्वे प्लान माननीय उच्च न्यायालय पं. निर्णायक एवं उपरजिस्ट्रार सहकारी विभाग में प्रकरण विचाराधीन होने, अनेकों भूखण्डों के डबल आबंटन पत्र (समिति के) एवं कुछ भूखण्डों के आबंटन पत्र होने पर भी मौके पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का कैम्प स्थगित किया गया।

(4) उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, न्यायालय पंच निर्णायक एवं उपरजिस्ट्रार सहकारी विभाग में प्रकरणों के निस्तारण होने पर नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के आवासीय परिसरों में बनी व्यावसायिक दुकानों का नियमन

245. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बसाई गयी कालोनियों का वर्ष 2002 के पश्चात् से नियमन करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कतिपय निवासियों ने भूखण्डों में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करा लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यावसायिक दुकानों के नियमन का नीतिगत निर्णय किया है? क्या सरकार उक्त दुकानों का नियमों में संशोधन कर नियमन का विचार रखती है? यदि हॉ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार के भूखण्डों के नियमन में शास्ति के रूप में लगाई जाने वाली ब्याज की राशि को माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) (3) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु नियमन की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। कतिपय निवासियों ने भूखण्डों में व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करा लिया है। आवासीय क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से संचालित गैर आवासीय गतिविधियों के नियमन करने के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2007 को मा. उच्च न्यायालय जयपुर में डी.बी. सिविल रिट नं. 8341/07 गीतेश खन्ना बनाम राज्य व अन्य में चुनौती दी गई थी।

मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने प्रकरण में निर्णय दिनांक 07.01.2009 द्वारा पीटीशनर रिप्रजन्टेशन को राज्य सरकार को तय करने के निर्देशों के साथ निर्णित की जा चुकी है। इस संबंध में नई नीति तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। परिपत्र दिनांक 27.09.1999 अनुसार घोषित समयावधि समाप्त होने के बाद राशि जमा कराने पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केकड़ी (अजमेर) में आवासन मण्डल की प्रस्तावित आवासीय योजनाएं

246. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनायें कहां-कहां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. रघु शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के केकड़ी में आवासन मण्डल की कई आवासीय योजनायें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनायें कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं?

(3) उक्त प्रस्तावित विचाराधीन योजनाओं पर अमल कब तक किया जायेगा? उक्त संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाएं अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ एवं नसीराबाद में है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल की केकड़ी हेतु कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

मानसरोवर, जयपुर योजना के लम्बित आवेदनकर्ताओं को आवास आबंटन

247. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मु.स.प्र./92/4042 दिनांक 17.02.1992 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल के उक्त आदेश की पालना में गत तीन वर्षों में मानसरोवर, जयपुर योजना में कितने आबंटियों को आवास उपलब्ध करवाये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर, जयपुर स्थित उप आवासन आयुक्त कार्यालय में अब कितने प्रार्थना पत्र इस संबंध में बकाया हैं

(4) क्या सरकार उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संबंधित आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त आदेश की पालना में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 में एक आवास का आरक्षण किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) राजस्थान आवासन मण्डल में वृत्त द्वितीय में इस आदेश के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के बकाया प्रार्थना पत्रों की सूची पृथक से संधारित नहीं की गई है।

(4) जी हां। उक्त आदेश की निरन्तरता के क्रम में आदेश क्रमांक 1027 दिनांक 30.09.2009 जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मानसरोवर योजना, जयपुर में शेष सामान्य पंजीकृत आवेदकों को खुली नीलामी करने से पूर्व प्राथमिकता

248. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित मानसरोवर योजना में कौन-कौन से मकान खुली बिक्री के द्वारा आबंटित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खुली बिक्री में आबंटन करने से पूर्व उक्त मकानों को सामान्य पंजीकृत आवेदकों को आबंटन करने के लिए कितनी बार लाटरी में डाला गया और कितने आवेदकों ने मकान लेने से मना किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खुली बिक्री में आबंटित किए गए आवास जब-जब लाटरी में डाले गये तो किन-किन मकानों को सामान्य आवेदकों ने लेने से इंकार किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कौन-कौन से मकान ऐसे हैं, जो कभी सामान्य लाटरी में नहीं डाले गए तथा सीधे ही खुली बिक्री में डाले गए सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) खुली बिक्री में मकान आबंटन की प्रक्रिया क्या है तथा खुली बिक्री में कौन-कौन से प्रकरण डाले जाते हैं? नियम व प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) खुली बिक्री योजना में आवास आबंटित किये जाने से पूर्व उक्त आवासों को कब-कब सम्पत्ति आबंटन समिति द्वारा लाटरियों में डाले गये? उक्त लाटरियों की सूची, जिस पर सम्पत्ति आबंटन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(7) क्या खुली बिक्री योजना में आवास आबंटन से पूर्व मण्डल के शेष अन्य पंजीकृत आवेदकों को नियमानुसार लाटरी के उक्त मकानों को डालकर आबंटन करने का प्रयास किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.01.1995 से 17.05.2000 तक आबंटित किये गये आवासों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा एक बार आबंटित आवास के निरस्त होने के उपरान्त खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत निस्तारण हेतु अवशिष्ठ आवासों का आबंटन किया जाता है आबंटी द्वारा आवास का आवंटन पत्र जारी होने पर मांग राशि जमा न कराने पर उन्हें निरस्त कर दिया जाता है एवं खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत उन्हीं आवासों को निस्तारण हेतु रखा जाता है। मानसरोवर योजना में वर्ष 1994-96 में कुछ डुप्लैक्स आवास/फ्लैट्स बनाये गये थे किन्तु सामान्य पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट्स/डुप्लैक्स आवास आबंटित न करने के तत्कालीन निर्णय के अनुसार खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत निस्तारण हेतु रखे गये थे एवं उनका निस्तारण खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत किया गया।

(3) खुली बिक्री के लिए आवास आबंटन से पूर्व पंजीकृत आवेदकों से स्वीकृति मांगने का कोई प्रावधान नहीं था। जिन आबंटियों द्वारा मकानों की मांग राशि जमा नहीं कराई गई उनको निरस्त कर खुली बिक्री में रखा गया। पंजीकृत आवेदकों द्वारा सामान्य आबंटन से इन्कार करने की लिखित सूचना लिये जाने का प्रावधान न होने से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) वर्ष 1994-1996 में आवासों की मांग कम होने एवं मण्डल के लिए निर्मित आवासों में पंजीकृत आवेदकों की रूची कम होने पर मण्डल द्वारा फ्लैट्स/डुप्लैक्स एवं अन्य आवासों का आबंटन पंजीकृत आवेदकों से विकल्प लिये बिना सीधे ही खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत रखा गया था। खुली बिक्री योजना में भी लम्बित पंजीकृत आवेदकों द्वारा आवेदन करने पर उनको प्राथमिकता प्रदान की गई। इस तरह की सूचना नहीं रखे जाने के कारण सूची दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) खुली बिक्री हेतु आबंटन से पूर्व में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है एवं मण्डल में लम्बित पंजीकृत आवेदकों को वरियता

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(प्राथमिकता) देते हुए आबंटन किया जाता है। खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत मकानों के आबंटन की प्रक्रिया तत्कालीन आदेशानुसार निर्धारित की गई थी, प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(6) खुली बिक्री योजना में आबंटन से पूर्व आयोजित लाटरी के द्वारा भिन्न-भिन्न श्रेणी के व भिन्न-भिन्न समय पर डाले गये आवासों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(7) आवासों का आबंटन वर्षवार एवं वरियता अनुसार एवं आवासों की उपलब्धता तथा पूर्व ग्रहण राशि जमा होने के उपरान्त ही नियमानुसार किया जाता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सोजत विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

249. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल स्टेडियम हेतु आबंटित भूमि पर निर्माण कार्य हेतु रुपये 21.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है यदि हां, तो कब व अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल स्टेडियम हेतु आबंटित भूमि पर निर्माण कार्य हेतु रुपये 21.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 02.07.2008 के द्वारा जारी की गई है।

सोजत में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा संशोधित व्यय अनुमानों में स्टेडियम निर्माण की राशि में कटौती किये जाने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई।

सोजन में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव होगा।

तहसील मुख्यालय बयाना व रूपवास पर खेल स्टेडियम

250. **श्री ग्यारसा राम कोली** (बयाना) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ग्यारसा राम कोली)

क्या सरकार तहसील बयाना एवं रूपवास मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधायें) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में तहसील बयाना मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA) योजना" के अन्तर्गत रूपवास मुख्यालय में खेल मैदान का निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण

251. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के थानों में कितने अस्त्र-शस्त्र कितने समय से जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के थानों में जमा शस्त्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष/ थाना	कोतवाली	निहालगंज	सदर	सैपउ	कौलारी	बसईडांग
1989	-	-	01	-	-	-
1990	-	-	13	-	-	-
1991	-	-	01	-	-	-
1992	-	-	04	-	-	-
1994	-	-	-	-	05	-

(गृह मंत्री)

वर्ष/ थाना	कोतवाली	निहालगंज	सदर	सैपऊ	कौलारी	बसईडांग
1995	-	-	02	-	05	-
1996	-	-	02	-	04	-
1997	-	-	05	-	-	-
1998	-	02	09	-	01	01
1999	-	-	02	-	-	-
2000	-	-	02	-	02	-
2001	-	-	02	-	02	01
2002	-	-	-	-	01	-
2003	-	-	05	-	-	01
2004	-	01	03	-	-	01
2005	-	04	05	-	01	-
2006	-	-	02	-	-	02
2007	23	02	02	-	-	08
2008	-	-	-	-	-	02
2009	29	02	-	103	-	01
2010	-	-	01	-	-	-
विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में जमा शस्त्रों की कुल संख्या 265						

(2) उक्त जमा शस्त्रों में से 144 के अनुज्ञापत्र नवीनीकृत है। 94 प्रकरण मृतकों के जमा शस्त्र रिलीज हेतु लम्बित है और 23 अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये। 04 अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु अन्य कारणों से लम्बित हैं।

जमवारामगढ़ (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र के थानों में रिक्त पद

252. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में कुल कितना स्टाफ स्वीकृत है और इनमें से कितने पद रिक्त हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में स्वीकृत स्टाफ व रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र के थानों के रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता पर भरा जाता है।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	नाम थाना	स्वीकृत पद					रिक्त पद				
		पु.नि.	उ.नि.	स.उ.नि.	हैड कानि.	कानि.	पु.नि.	उ.नि.	स.उ. नि.	हैड कानि.	कानि.
1	कानोता	-	2	10	3	31	-	-	1	-	4
2	बस्सी	1	2	11	6	26	-	-	5	2	-
3	जमवाराम गढ़	1	1	5	6	17	-	-	1	4	5
4	आंधी	-	1	3	3	22	-	-	1	2	9
5	चन्दावाजी	1	3	7	5	24	-	1	3	-	3
6	मनोहरपुर	-	1	5	2	20	-	1	2	-	-
योग		3	10	41	25	140	-	2	13	8	21

कस्बा नगर (भरतपुर) में उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय की स्थापना

253. **श्रीमती अनिता सिंह** (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर में टटलू एवं अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की लम्बे समय से मांग उठाई जा रही है? क्या सरकार पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गोविन्दपुरा ग्राम (टोंक) की चरागाह भूमि

254. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार सर्किल बासेड़ा,

(श्री रामनारायण मीणा)

तहसील टोडारायसिंह (टोंक) में रेकार्ड के अनुसार चरागाह भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो खसरा नम्बरान मय रकबा सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत बन्दोबस्त (भू-प्रबन्ध कार्य) के पूर्व भी राजस्व रेकार्ड के मुताबिक उक्त ग्राम में चरागाह भूमि उपलब्ध थी? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि किस-किस खसरा नम्बर एवं रकबे की? भू-प्रबन्ध कार्य के पूर्व तथा भू-प्रबन्ध कार्य समाप्ति के बाद के राजस्व रेकार्ड मय नक्श ट्रेस एवं खसरा मिलान क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भू-प्रबन्ध के पूर्व के तथा बाद के नक्शे में चरागाह भूमि की अवस्थिति में अंतर है एवं भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों संबंधी जारी परिपत्र की भावना का भी उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण मय रेकार्ड की प्रति के सदन की मेज पर रखें

(4) क्या सरकार उक्त कमी एवं त्रुटि की दुरुस्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खतौनी (जमाबन्दी) संवत 2050 से 2069 के खाता संख्या 134 में किता 23 रकबा 17.16 हैक्टेयर चरागाह दर्ज है। खतौनी (जमाबन्दी) की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। भू-प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2038-41 की खाता संख्या 119 में किता 5 रकबा 67 बीघा 9 बिस्वा चरागाह दर्ज थी। राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2038-41, नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल क्रमश: परिशिष्ट "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम गोविन्दपुरा पटवार सर्किल बासेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के भू-प्रबन्ध से पूर्व तथा बाद के नक्शे में चरागाह भूमि की अवस्थिति में अन्तर आया है। परन्तु ग्राम के सम्पूर्ण चरागाह रकबे में अन्तर नहीं आया है।

भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों संबंधी जारी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.5.94 की भावना का उल्लंघन हुआ है। गत भू-प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2038-41 के चरागाह के खसरा

(राजस्व मंत्री)

नम्बर 100 मिन रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से भू-प्रबन्ध के दौरान 0.33 हैक्टे. रकबा सिवायचक दर्ज किया गया है तथा गत ख.नं. 161/1 में दर्ज खातेदारी का कुल रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा में से भू-प्रबन्ध के दौरान 0.45 हैक्टे. रकबा खातेदारी में से कम किया जाकर 0.33 हैक्टे. रकबा चरागाह दर्ज किया गया है तथा शेष 0.12 हैक्टे. रकबा, बीघा, विस्वा से हैक्टेयर एयर में राउण्ड फीगर में गणना के कारण अन्तर आया है।

इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु विस्तृत जांच उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। इस त्रुटि की दुरूस्ती हेतु आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाबूपुरा बस्ती ग्राम (जोधपुर) के खसरा नं. 632 का आबादी भूमि में परिवर्तन

255. **श्री मलखान सिंह** (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. दीवानी स्पेशियल अपील संख्या 281/2005 में दिनांक 1 नवम्बर, 2006 को पारित फैसले में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पाबूपुरा बस्ती, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 632 की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने, भूमि के नामान्तरण तस्दीक करने एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने पर राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-3) के आदेश क्रमांक प. 4 (49) राज/ग्रुप-396 जयपुर दिनांक 27-7-96 द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगाकर जिला कलक्टरों को ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के ध्यान में लाने के निर्देश दिये थे? क्या उक्त आदेश राज्य सरकार के अधिकारों के बाहर होने की वजह से इस आदेश का कोई कानूनी अतिस्तव ही नहीं माना गया है?

(2) क्या उक्त आदेश क्रमांक प.4(49)राज/ग्रुप-3/96 जयपुर, दिनांक 27.7.96 को सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार विड्रा किया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त आदेश को शीघ्र विड्रा करने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री मलखान सिंह)

(3) क्या सरकार के उक्त आदेश के तहत उक्त खसरे में सभी तरह के नामान्तरण व भूमि रूपान्तरण के कार्य बंद हैं? यदि हां, तो क्या यह न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है? क्या नामान्तरण पर सरकार की कोई रोक नहीं है? यदि हां, तो उक्त खसरे में उक्त अवधि में कुल कितने नामान्तरण किये गये हैं? प्राधिकृत अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी उक्त खसरे में नामान्तरण व भूमि रूपान्तरण पर रोक लगाये हुए है? क्या उक्त खसरे में अन्य खसरों की तरह नियमानुसार नामान्तरण व भूमि रूपान्तरण पर सरकार की कोई रोक नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. दीवानी स्पेशियल अपील संख्या 281/2005 न होकर 280/2005 है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.7.96 के द्वारा जोधपुर के ग्राम पाबूपुरा की भूमि ख.नं. 632 का प्रकरण राज्य स्तर पर जांच का विषय होने व परीविक्षाधीन होने से मौजा जोधपुर के ख.नं. 632 की भूमि के नामान्तकरण तस्दीक करने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गयी थी, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. दीवानी स्पेशल अपील संख्या 280/2005 में अपने निर्णय दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के द्वारा उक्त आदेश को राज्य सरकार के अधिकारों से बाहर होने का मानते हुए आदेश को निरस्त/सेट असाइड कर दिया गया।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(49)राज-3/96 दिनांक 27.7.96 को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आदेश को न्यायालय द्वारा निरस्त कर देने की स्थिति में उसे विड्रा करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.7.96 को निरस्त कर दिया गया है। भूमि के नामान्तकरण एवं रूपान्तरण रोकने बाबत कोई नये निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। ख.नं. 632 में निम्नलिखित नामान्तकरण उनके आगे अंकित तिथि को स्वीकृत किये गये हैं।

(राजस्व मंत्री)

संख्या/दिनांक	प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर)
1295/8.9.06	श्री खान मो. खान
1296/.8.9.06	श्री खान मो. खान
1298/8.9.06	श्री खान मो. खान
1299/8.9.06	श्री खान मो. खान
1310/25.11.06	श्री मुकेश चौधरी
1311/25.11.06	श्री मुकेश चौधरी
1312/27.11.06	श्री मुकेश चौधरी
1313/27.11.06	श्री मुकेश चौधरी
1318/4.12.06	श्री मुकेश चौधरी
1340/16.3.06	श्री मुकेश चौधरी
1341/9.4.07	श्री मुकेश चौधरी
1353/17.5.07	श्री मुकेश चौधरी
1445/8.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1446/8.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1447/8.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1448/8.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1450/21.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1451/21.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1452/21.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1453/21.4.08	श्री मुकेश चौधरी
1547/9.1.09	श्री विवेक व्यास

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.7.96 को निरस्त कर दिया गया है। भूमि के नामान्तकरण एवं रूपान्तरण रोकने बाबत कोई नये निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

कलक्टर जोधपुर द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 01.11.2006 के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह राय मांगने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह राय व्यक्त की है कि आदेश दिनांक 01.11.2006

(राजस्व मंत्री)

order in persona है अर्थात केवल उस रिट पिटिशन से संबंधित पिटिशनरों के लिए ही लागू होगा। अत: अन्य व्यक्तियों के बाबत नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सीकर जिले में शहीद सैनिकों के नाम से राजकीय भवनों का नामकरण

256. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में शहीद सैनिकों के नाम से विद्यालय एवं अन्य राजकीय भवन के नामकरण के कितने आवेदन कब से विचाराधीन हैं तथा उनके नामकरण कार्यवाही में देरी के क्या कारण हैं?

(2) अब सरकार लम्बित प्रकरणों का कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला सीकर में शहीद सैनिकों के नाम से विद्यालय एवं अन्य राजकीय भवन के नामकरण हेतु वर्ष 2004 से 2009 तक 11 आवेदन शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में विचाराधीन हैं।

(2) नामकरण हेतु प्रकरण वर्तमान में शिक्षा विभाग व चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन हैं। लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

तहसील बीकानेर के ग्राम चकगर्बी व शरह नत्थूसर का सर्वे

257. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बीकानेर तहसील के ग्राम चकगर्बी व शरह नत्थूसर का सर्वे कब-कब करवाया गया तथा राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग ने कब-कब सर्वे किया? तीनों विभागों के नक्शा/सर्वे शीट तरमीमशुदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों का सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त गांवों का सर्वे कब तक पूरा कर दिया जायेगा व सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? आदेश/दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) ग्राम चकगर्बी, तहसील व जिला बीकानेर में सर्वे कार्य निम्न प्रकार हुआ है:-

उपनिवेशन विभाग द्वारा सन् 1967-68 में सर्वे कार्य किया गया। नक्शा/सर्वे शीट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सन् 1924 में सर्वे कार्य किया गया था, जिसका नक्शा/सर्वे शीट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सन् 1988-89 में सर्वे कार्य प्रारम्भ किया गया जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(ब) ग्राम शरह नत्थूसर, तहसील व जिला बीकानेर में सर्वे कार्य निम्न प्रकार हुआ है :-

उपनिवेशन विभाग द्वारा सन् 1971 (सम्वत 2028) में सर्वे शीट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सन् 1923 में सर्वे कार्य किया गया था, जिसका नक्शा/सर्वे शीट परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सन् 1988-89 में सर्वे कार्य प्रारम्भ कर सन् 2001 में पूरा किया गया, जिसका नक्शा/सर्वे शीट परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कार्य नहीं किया गया है।

(2) ग्राम नत्थूसर का सर्वे कार्य 2001 में पूरा हो चुका है।

ग्राम चकगर्बी का सर्वे कार्य नक्शों एवं अभिलेखों में कुछ पेचीदगियां होने के कारण अपूर्ण हैं। इस समस्या का परीक्षण कर निराकरण करने हेतु राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 08.6.2009 द्वारा सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन किया गया है, जिसमें भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर, अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर, तहसीलदार बीकानेर को सदस्य बनाया गया है। उक्त आदेश दिनांक 08.06.2009 की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। कमेठी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सर्वे कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

(नक्शा/सर्वे शीट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला मुख्यालय अलवर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

258. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला मुख्यालय अलवर स्थित सामान्य चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में बैड्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय जिला चिकित्सालय एवं राजकीय जनाना चिकित्सालय, अलवर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 81 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, उप नियंत्रक, वरिष्ठ दन्त टेक्नीशियन एवं वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी (पीजी अस्थीरोग) के रिक्त पद को स्थानान्तरण से भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जिला चिकित्सालय अलवर के जनाना चिकित्सालय में बजट घोषणा के अनुरूप आगामी वर्ष में शैय्याओं में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नकली दवाओं के निर्माण पर रोक

259. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा नकली दवाओं के निर्माण पर नियंत्रण करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार नकली दवाओं से मरीजों को बचाने के लिये सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क का व्यापक विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंधी सरकार की कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा नकली दवाओं के अवैध निर्माण पर रोक के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 जो कि केन्द्रीय अधिनियम है के अन्तर्गत औषधि निर्माताओं एवं विक्रेताओं के नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। अनियमितताऐं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस देकर संस्थाओं के लाइसेन्स निरस्त एवं निलम्बित किये जाते हैं। शिकायत से अथवा सूचना के आधार पर दल बनाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है, जिसमें पुलिस का सहयोग भी लिया जाता है। अवैध निर्माण एवं वितरण के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है।

औषधि नियंत्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जांच क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 220.45 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा विभाग में 23 नवीन पद तकनीकी व अन्य कार्मिकों के सृजित किये गये हैं।

वर्ष 2009-10 में नकली दवा के मामलों में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टस में पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

जनवरी 2010 में पूरे राज्य में नकली दवा के विरुद्ध चलाये गये अभियान में 640 दुकानों के निरीक्षण किये गये जिन पर कार्यवाही करते हुए 288 दुकानों के लाइसेन्स निलम्बित, 03 निरस्त किये गये एवं 132 दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है।

अभियान में 68 विधिक नमूने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तद्वधीन नियमावली 1945 के अन्तर्गत लिये गये जिसमें से 32 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें से 1 नमूना अवमानक कोटि का पाया गया है जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता का है जिसमें अनुसंधान जारी है। इसी अभियान के तहत 145 सर्वे सैम्पल भी लिये गये जिसमें से 03 नमूने अवमानक पाये जाने पर उनके विधिक नमूने लेकर राजकीय प्रयोगशालाओं को जांच हेतु भेजे जा चुके हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इस प्रकार राज्य सरकार नकली व घटियां दवाओं के प्रकरणों में कार्यवाही हेतु पूर्ण सजग एवं सतर्क है।

(2) जी हां। अभी तक राज्य में 525 दवाओं की सहकारी दुकानें संचालित हैं। सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाऐं सहकारी विभाग (कोन्फेड) के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु 105 जनऔषधि भण्डार खोले जाने का निर्णय हुआ है व इस क्रम में कोन्फेड, चिकित्सा विभाग व आरडीपीएल के मध्य एमओयू हुआ है। इसकी क्रियान्विति हेतु उपरोक्त संस्थानों पर चिकित्सा विभाग कोन्फेड को जमीन उपलब्ध करायेगा या अगर पूर्व से संचालित औषध भण्डार है तो उसका हस्तांतरण सहकारी विभाग को करेगा। इन भण्डारों पर जेनेरिक दवाइयां आरडीपीएल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। कोन्फेड श्रेणीनुसार निश्चित किराया सम्बन्धित चिकित्सालय की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में जमा करायेगा। इन भण्डारों से जेनेरिक दवायें सस्ती व गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाई जावेंगी, जिससे नकली दवाओं से बचा जा सकेगा। इन भण्डारों से राजकीय सेवा के पेन्शनर्स को नियमानुसार मुफ्त दवा मिलेगी व राज्य सरकार के कर्मचारियों को इन भण्डारों से दवा क्रय करने पर नियमानुसार पुनर्भरण हो सकेगा।

उदयपुर जिले के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात

260. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की पंचायत समिति मावली, गिर्वा, सराड़ा एवं खैरवाड़ा के कुछ राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बच्चों का अनुपात 1:7 से कम है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति कोटड़ा, झाड़ोल व खैरवाड़ा के कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:100 का है? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को ठीक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला उदयपुर की पंचायत समिति मावली, गिर्वा, सराड़ा व खैरवाड़ा के 1:7 से कम शिक्षक छात्र अनुपात वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति कोटड़ा, झाडोल व खैरवाड़ा के जिन विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:100 से अधिक है, उन राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(3) जी हां। आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व समानीकरण की प्रक्रिया द्वारा इस अनुपात को संतुलित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "क"

जिला उदयपुर की पंचायत समिति मावली, गिर्वा, सराड़ा व खैरवाडा के 1:7 से कम शिक्षक छात्र अनुपात वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	राप्रावि का नाम
1	मावली	आनन्दपुरा
2	गिर्वा	दूर्गावत नगर
3	गिर्वा	नेडिया
4	गिर्वा	बांडि मंगरी
5	गिर्वा	कोदेला फला
6	खैरवाड़ा	खोखादरा
7	खैरवाड़ा	वादेश्वर
8	खैरवाड़ा	जावली
9	खैरवाड़ा	रूला फला
10	खैरवाड़ा	ननमा फला
11	खैरवाड़ा	मानपुरा
12	खैरवाड़ा	साकडी दरी
13	खैरवाड़ा	छप्पन पाडलिया
14	खैरवाड़ा	रामा के घर
15	खैरवाड़ा	कुम्हारवाडा
16	खैरवाड़ा	नरेणा
17	खैरवाड़ा	मेघवाल बस्ती
18	खैरवाड़ा	बेलवा

परिशिष्ट- ''ख''

पंचायत समिति कोटड़ा, झाड़ोल व खैरवाड़ा के जिन विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:100 से अधिक हैं, उन राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	राप्रावि/राउप्रावि का नाम
1	कोटड़ा	राप्रावि बाखेल
2	कोटड़ा	राप्रावि तिलोई
3	कोटड़ा	राप्रावि मालविया
4	कोटड़ा	राप्रावि सेईबांध
5	कोटड़ा	राप्रावि पडावलीकेलां
6	कोटड़ा	राप्रावि वास
7	कोटड़ा	राप्रावि समीजा
8	झाड़ोल	राप्रावि बोरनपाडा
9	झाड़ोल	राप्रावि सोम
10	झाड़ोल	राप्रावि मेलाखुर्द
11	झाड़ोल	राप्रावि हुण्डला
12	खैरवाड़ा	राप्रावि घाटी फला
13	कोटड़ा	राउप्रावि नृरसिंहपुरा
14	कोटड़ा	राउप्रावि बैरण
15	कोटड़ा	राउप्रावि मण्डवाल
16	कोटड़ा	राउप्रावि गांधीसरणा
17	कोटड़ा	राउप्रावि तिलरवा
18	खैरवाड़ा	राउप्रावि कल्याणपुर
19	खैरवाड़ा	राउप्रावि कोजावाडा
20	खैरवाड़ा	राउप्रावि म. की ओबरी

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती जयपुर के किराये का भुगतान

261. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि सरस्वती कुण्ड भवन पुरानी बस्ती जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है? यदि हां, तो क्या उक्त भवन में स्कूल चलाने हेतु अनुमति मकान मालिक द्वारा दी गई थी?

(2) क्या उक्त विद्यालय भवन के किराये भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी खण्ड द्वितीय को न्यायालय ने फैसला दिया था?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अब तक उक्त भवन के किराये का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त भवन के किराये का भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु सरस्वती कुण्ड का भवन एवं भूमि सरकारी है जिसमें रा.मा.वि. संचालित है। अतः सरकारी भवन में विद्यालय संचालन हेतु किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। अपितु श्री बृजमोहन त्रिवेदी न्यायालय सम्पदा अधिकारी सावर्जनिक निर्माण विभाग राजस्थान वृत्त प्रथम जयपुर ने मुकदमा नम्बर 346/1969 में दिनांक 12-5-70 को श्री सुख सिंह के पिता स्व. श्री आनन्द सिंह को आदेश दिया गया था कि वह अपने अतिक्रमण के सम्बन्ध में बेदखली तक डेमेजेज के 50/- रुपये प्रतिमाह की दर से राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को जमा करावें।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 01 के अनुसार उक्त विद्यालय राजकीय भवन में संचालित है, अतः विद्यालय भवन का किराया भुगतान किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

पीपल्दा में व्याख्याताओं/शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

262. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने तृतीय, द्वितीय श्रेणी व्याख्याताओं के पद किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा से दूसरे विधान सभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लगा रखें हैं? यदि हां, तो क्यों व कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रेमचन्द)

(3) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में संचालित विद्यालयों में तृतीय, द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र से अन्य विधान सभा क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था के तहत लगाये गये शिक्षकों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री सूरजकरण बडगोत्या	राउमावि, खातोली	राउमावि म.न. III
2.	श्रीमती अंजना माथुर	बाउमावि इटावा	राउमावि रामपुर
3.	श्री अमर लाल मीणा	रामावि, लुहावद	राउमावि सांगोद

(3) उक्त शिक्षण व्यवस्था सत्र समाप्ति तक के लिये की गई है, वर्तमान सत्र समाप्ति पर इन्हें पुनः मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

263. **श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

झाड़ोल के विद्यालय भवनों का नवीनीकरण

264. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में सरकार द्वारा संचालित विद्यालय भवन पुराने कवेलूपोश हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने? क्या सरकार उक्त भवनों का नव निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र झाडोल का राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमनीफला (कुकावास) पंचायत समिति कोटड़ा कवेलूपोश भवन में संचालित है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय बान्ता के मृतक राज्यकर्मी के आश्रितों को नियुक्ति

265. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बान्ता में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व. श्री बाबूलाल के आश्रित परिवार को सरकार द्वारा अब तक अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बान्ता (पाली) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत श्री बाबूलाल का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 04.01.1993 को निधन हो जाने पर इनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ने मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के नाते अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिनांक 10.06.1999 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996 के नियम 10(3) के अनुसार मृतक कर्मचारी के निधन के पश्चात् 45 दिवस में नियुक्ति हेतु आवेदन करने का प्रावधान है। प्रकरण 6 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। अत: समय में शिथिलन हेतु प्रकरण कार्मिक (क-2) विभाग को प्रेषित किया गया। जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 1.6.2000 के अनुसार शिथिलन देय नहीं होने का निर्णय दिया गया। अत: कार्मिक विभाग

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार का आवेदन-पत्र उक्त निर्णय एवं नियम 10(3) के तहत खारिज कर दिया गया।

(2) जी नहीं। क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन 6 वर्ष बाद प्रस्तुत किया था जबकि आवेदन 45 दिवस में करने का प्रावधान है। श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में वाद संख्या 57/03 राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 5.1.04 को टी.आई. में दावा खारिज कर दिया गया। अतः नियम 10(3) के तहत अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय नहीं है।

कोटा में सर्व शिक्षा अभियान में नियुक्त शिक्षकों का बकाया भुगतान

266. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान समयबद्ध नहीं होता है तथा मांगा गया अतिरिकत बजट भी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान को बंद कर अन्य किसी योजना में विलय अथवा अन्य नाम से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले में सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। माह जनवरी, 2010 तक का वेतन का बजट हस्तानान्तरण किया जा चुका है। माह फरवरी, 2010 का वेतन हस्तानान्तरण प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत, संशोधित बजट के अनुसार राशि जिले को उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी नहीं।

बामनवास में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

267. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवलकिशोर)

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कुल कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं व उनमें किस-किस विद्यालय में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि बामनवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की कमी है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बामनवास में 09 राउमावि संचालित हैं। विद्यालयवार संचालित संकाय का विवरण इस प्रकार से है :-

विद्यालय का नाम	संचालित संकाय
01. राउमावि बामनवास खुर्द	कला संकाय
02. राउमावि पिपलाई	कला संकाय
03. राउमावि बरनाला	कला संकाय
04. राउमावि बिनजारी	कला संकाय
05. राउमावि बाटोदा	कला संकाय
06. राउमावि बौली	कला एवं विज्ञान संकाय
07. राउमावि मित्रपुरा	कला संकाय
08. राबाउमावि बामनवास	कला संकाय
09. राबाउमावि बौली	कला संकाय

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 500 राउमावि में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 17.12.09 के द्वारा 93 राउमावि में विज्ञान संकाय तथा 61 राउमावि में वाणिज्य संकाय तथा आदेश दिनांक 26.02.10 के द्वारा 50 राउमावि में विज्ञान, 20 राउमावि में वाणिज्य संकाय खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राउमावि बौली में वाणिज्य तथा राबाउमावि बौली में विज्ञान संकाय खोला गया है।

(शिक्षा मंत्री)

राउमावि, बामनवास खुंर्द एवं पिपलाई में विज्ञान एवं वाण्ज्यि संकाय खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में किसी भी प्रा.वि. को उ.प्रा.वि. स्तर पर एवं मा.वि. को उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

जमवारामगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

268. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर अध्यापक पदस्थापित हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	व्याख्याता	95	67	28
2	व.अ.	196	160	36
3	अध्यापक	74	36	38

(2) जी हां। व्याख्याताओं के 1622 पदों तथा व.अ. के 8946 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

अनूपगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

269. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अनूपगढ़, घड़साना, रावला, 365 हैड व रोजड़ी के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों/सैकण्डरी विद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं? क्या राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

अनूपगढ़, घड़साना, रावला 365 हैड व रोजड़ी के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों/सैकण्डरी विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याताओं के रिक्त पदों की संख्या
1.	राउमावि, अनूपगढ़	06
2.	राबाउमावि, अनूपगढ़	03
3.	राउमावि, घड़साना	02
4.	राउमावि, रावला	01
5.	राउमावि, 365 हैड	04
6.	राउमावि, रोजड़ी	03

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को व्याख्याताओं के 1622 पदों की पूर्ति हेतु अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

आकोली की ढाणी (किशनगढ़बास) में प्राथमिक विद्यालय

270. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम आकोली से आकोली की ढाणी काफी दूरी पर है? यदि हां, तो क्या सरकार आकोली की ढाणी के बच्चों की शिक्षा के लिये आकोली की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम आकोली से आकोली की ढाणी लगभग 01 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजकीय श्रीमती भगवान देवी बाजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर से सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन स्वीकृति

271. **श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्री गोपाल शर्मा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को राजकीय श्रीमती भगवान देवी बाजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर से व्याख्याता हिन्दी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? क्या उन्हें अभी तक पेंशन स्वीकृत होकर मिलना प्रारम्भ नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त सेवानिवृत्त कर्मी को पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। श्री गोपाल शर्मा के पक्ष में वर्तमान तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। क्योंकि पेंशन विभाग द्वारा श्री शर्मा के पेंशन प्रकरण में आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था, तत्पश्चात् आक्षेप की पूर्ति कर, शिक्षा विभाग द्वारा प्रकरण पेंशन विभाग को शीघ्र निस्तारण हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

कोटपूतली के विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. के तहत निर्माण कार्य

272. **श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा कोटपूतली के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डी.पी.ई.पी., सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में शौचालय, मूत्रालय, रैम्प, रसोइघरों का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक अतिरिक्त कक्षाकक्ष, चारदीवारी, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, मरम्मत व विद्युतीकरण के कार्य करवाये गये। कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इनमें से कुछ विद्यालयों में शौचालय/मूत्रालय, रैम्प, रसोइघर की सुविधा उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों में शौचालय/मूत्रालय, रैम्प, रसोइघर का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। सर्व शिक्षा अभियान में जिले की वार्षिक कार्य-योजना में अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में ही निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। अतः आवश्यकतानुसार शेष कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाली आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य-योजना के अनुमोदन उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में करवाये जा सकेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ के विद्यालयों में रिक्त पद

273. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन हुआ? स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के

(शिक्षा मंत्री)

अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (मावि) का ही पद स्वीकृत किया गया है, शिक्षकों के पद सृजित नहीं हुये। प्रधानाध्यापक (मावि) के सभी पद भरे हुये हैं।

(3) रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले की जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें

274. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन अभियोजन निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के हर जिले में जन अभाव अभियोग निराकरण समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिला प्रतापगढ़ में अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक गठित समितियों की बैठकें, कब-कब आयोजित की गईं और बैठकों में कितने लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं और दर्ज शिकायतों में कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया?

(2) उक्त समितियों में कौन-कौन सदस्य रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक निम्नानुसार बैठकें आयोजित की गईं जिसमें प्राप्त शिकायतें एवं उनके निराकरण निम्नानुसार रहे :-

बैठक दिनांक	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	विशेष विवरण
27/08/2009	7	12	पूर्व की बकाया शिकायतों से भी शिकायतों का निराकरण किया गया है।
25/09/2009	0	15	
29/10/2009	15	05	
योग	**22**	**32**	

(जन अभियोजन निराकरण मंत्री)

(2) उक्त समितियों में उपस्थित रहे व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरसागर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

275. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं? प्रत्येक योजनावार लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रपत्र मय नत्थी किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालिका का नाम, संचालन की अवधि, संचालन स्थल, केन्द्र से लाभान्वितों का योजनावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। बाल कल्याण के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकायें पात्रता रखती हैं यह एक सामुदायिक लाभ की योजना है इसके लिए कोई आवेदन पत्र/दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। ग्रामवासी/जनसाधारण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से सेवा प्रदाय हेतु सम्पर्क कर लाभान्वित हो सकते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कुल 70 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जिनकी विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में उप निदेशक का रिक्त पद

276. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) जिला बाड़मेर में आई.सी.डी.एम. (महिला एवं बाल विकास विभाग) में उप निदेशक (आर.डी.डी.) का पद कितने वर्षों से रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि जिले में उक्त पद पर किसी सक्षम अधिकारी के अभाव में आंगनबाड़ी केन्द्रों में भारी अनियमितता हो रही है? क्या सरकार जिला स्तर के किसी सक्षम अधिकारी (आर.ए.एस.) की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग का पद 1 वर्ष 9 माह (4.7.08 से निरन्तर) रिक्त चल रहा है। इस पद का अतिरिक्त कार्यभार वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर को दिया गया है।

(2) जी नहीं। उप निदेशक के पद का कार्यभार किसी न किसी सक्षम अधिकारी के पास रहने से नियमित कार्य संचालन में कोई बाधा नहीं आयी है। वर्तमान में जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार आर.ए.एस. अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर को दिनांक 30.01.2010 को सौंपा जा चुका है। बाड़मेर जिले में पूर्ण कालिक उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर आर.ए.एस. अधिकारी के पदस्थापन हेतु कार्मिक विभाग को अनुरोध किया गया है।

डीडवाना (नागौर) के आयुर्वेदिक औषधालयों में परिचारकों के रिक्त पद

277. **श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना (नागौर) में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में परिचारकों के कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार स्थानान्तरण पद्धति व नवीन भर्तियों में प्राथमिकता से उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना (नागौर) में संचालित 17 आयुर्वेद औषधालयों में से एक औषधालय, तोषीणा में परिचारक का पद नवम्बर, 2005 से रिक्त है।

जी हां। रिक्त पद को यथा शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। रिक्त पद को स्थानान्तरण से शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-157 की सूची)

राज्य में दिनांक 09.03.2010 तक पाये गये कुल पाजिटिव रोगियों एवं मृत्यु का जिलेवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	जिले का नाम	पाजेटिव रोगियों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	अजमेर	47	10
2	भीलवाड़ा	21	3
3	टोंक	8	0
4	नागौर	66	15
5	भरतपुर	15	2
6	करौली	11	5
7	सवाईमाधोपुर	2	0
8	धौलपुर	2	0
9	बीकानेर	117	9
10	चूरू	16	6
11	श्रीगंगानगर	18	4
12	हनुमानगढ़	17	0
13	जयपुर	1745	30
14	अलवर	31	5
15	दौसा	14	0
16	सीकर	76	4
17	झुंझुनूं	64	2
18	जोधपुर	619	48
19	पाली	27	4
20	सिरोही	0	0
21	जालौर	5	3
22	जैसलमेर	27	8
23	बाड़मेर	44	9
24	कोटा	175	11

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**पाजेटिव रोगियों की संख्या**	**मृत व्यक्तियों की संख्या**
25	बारां	6	1
26	झालावाड़	9	1
27	बूंदी	9	3
28	उदयपुर	131	5
29	बांसवाड़ा	2	0
30	चित्तौड़गढ़	25	5
31	डूंगरपुर	0	0
32	प्रतापगढ़	0	0
33	राजसमंद	6	3
34	अन्य राज्य	4	0
	कुल योग	**3361**	**196**

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री पेमाराम (धोद) :

1. आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावासों की मरम्मत व प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पाक विस्थापित भीलों को नागरिक अधिकार दिये जाने, उन्हें जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

3. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में बिजली के पोल लगाने एवं विद्युत कनेक्शन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आश्रम विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राजस संघ उदयपुर के गठन से आज तक चुनाव नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनजाति छात्रावास में उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य एवं अन्य सामग्री घटियां किस्म की होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)

8. राज्य में जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न योजना लागू कर विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सराफ)

9. उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति के युवाओं के लिये प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों के जनजाति क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. जनजाति क्षेत्रों में जनजाति के युवाओं के लिये खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेने एवं प्रतिभाओं को तराशने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जनजाति बाहुल्य जिलों में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने एवं उपखण्ड मुख्यालयों पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

13. टी.एस.पी. क्षेत्र के युवकों के लिये राज्य की सेवाओं में अलग से आरक्षण लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. उपयोजना क्षेत्र के लिये विशेष सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाकर क्षेत्र को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. डूंगरपुर महाविद्यालय एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. कडाणा एवं माही बांध के विस्थापितों को मुआवजा दिलाने एवं पुनर्वास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जनजाति उप योजना क्षेत्र के बजट का दो वर्षों में पूर्ण उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

18. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में उपलब्ध कराये गये कैरोसीन, शक्कर एवं गेहूं के संबंध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जनजाति के समग्र विकास एवं 20 सूत्री कार्यक्रम में हुए कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

20. बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. बारां जिले के शाहबाद में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. बारां जिले के सहरिया जनजाति को आबंटित भूमि का कब्जा दिलाकर खातेदारी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. बारां जिले के सहरिया जनजाति के लोगों को वितरित की जाने वाली राशन सामग्री का वितरण पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में तलहटी पर कराई डेम के निर्माण की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

25. जनजाति क्षेत्र में वनों की वृद्धि तथा जनजाति वर्ग की स्थाई आमदनी बढ़ाने के लिये आम वृक्ष को बढ़ावा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. जनजाति क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रदेश के अनुपात के बराबर लाने के लिये नये कालेज न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित बहुउद्देशीय योजना माही डेम को मूल योजना अनुसार विकसित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. जनजाति उपयोजना में जनसंख्या, पिछड़ापन एवं क्षेत्र-भूमि विकास की तुलनात्मक रूप से औसतन कम व्यय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

30. ग्राम पंचायत गोरीया, पीपला, काकराडी को जनता जल योजना के तहत माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत मुख्यालय भीमाणा व पीपला में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

32. ग्राम कुण्डाल, पीपला, वेरडी, रोनवाड़ा, भारला सेरावा, तहसील बाली को माडा में चयनित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. ग्राम पंचायत आयलिया, भीमाणा, कोयलवाव, कूरण काकराडी, गोरीया, पीपला को टाडा योजना में शामिल कर राशि स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा क्षेत्र के गांव ढाणियों में कुओं को गहरा कराने के लिये ब्लास्टिंग सरकारी खर्चे पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

35. सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के हिम्मनगर सिंचाई परियोजना में डूब में आने वाली सम्पत्ति व नहर में खोदी गई जमीन का मुआवजा देने में असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर पर चर्चा के लिये।

36. माही परियोजना का पानी लिफ्ट से कुशलगढ़ क्षेत्र में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. माही का पानी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. माही परियोजना में डूब में आने वाले विस्थापितों को जमीन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. माही परियोजना का पानी कमाण्ड एरिया के किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-32 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-32 मुख्य शीर्षक नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री पेमाराम (धोद) :

1. सीकर जिले में नये कनेक्शन लेने पर गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ता की मजबूरी का फायदा उठाते हुये जबरन अन्य सामग्री बेचने की प्रवृत्ति पर पूर्णत: रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने एवं नये डीलर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के राशन डीलरों के विरुद्ध वर्ष 2003 से अब तक प्राप्त शिकायतें व उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बी.पी.एल., ए.पी.एल. के गेहूं व अन्य सामग्री का वर्ष 2009 से किये गये माहवार वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

5. नये बी.पी.एल. कार्डधारियों को उचित मूल्य की दुकान से सस्ती दरों पर राशन सामग्री दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कैरोसीन, चीनी, दाल, अनाज व मसालों का उचित मूल्य की दुकानों से अनिवार्य वितरण की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के प्रत्येक गांव स्तर पर उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

8. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. जिला उदयपुर की उचित मूल्य की दुकानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ए.पी.एल. के व्यक्तियों को भी सस्ता राशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

11. जयपुर शहर में राशन की दुकानों में बढोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जयपुर जिले में जिला रसद अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से कैरोसीन वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच के बाद भी तत्कालीन

(श्री कालीचरण सराफ)

जिला रसद अधिकारी एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. शुद्ध के लिये युद्ध अभियान की विफलता एवं इस अभियान के तहत जांच के लिये, लिये गये सैम्पलों हेतु प्रयोगशाला न होने एवं अभियान के नाम पर विक्रेताओं को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा सस्ती दर पर आटे की पिसाई के लिये टेण्डर आमंत्रित नहीं किये जाने एवं इसमें हुई अनियमितताओं की जांच करवाने व वितरण की सुव्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. केन्द्र सरकार से गेहूं, चावल एवं कैरोसीन का आबंटन बढ़ाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने व एल.पी.जी. के वितरण की सुव्यवस्था हेतु तेल कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

16. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सस्ता राशन वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में पलसाना, खाटू एवं दांतारामगढ़ में एल.पी.जी. गैस एजेन्सी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करके सभी परिवारों को 14 आवश्यक वस्तुएं वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. सीकर जिले में राशन विक्रेताओं की दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों का सही निस्तारण नहीं करके राशन ब्लैक करने वालों को वापिस राशन डीलर बनाने तथा जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों होते हुये भी निजी डीलरों को लाभ पहुंचाने हेतु परिवहन ठेका देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

20. राज्य में एल.पी.जी. गैस वितरकों द्वारा आम उपभोक्ताओं से नाजायज वसूली एवं एल.पी.जी. सिलेण्डर ब्लैक करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

21. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी मुख्यालय में नवीन अतिरिक्त गैस ऐजेन्सी स्वीकृत करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

(डा. रघु शर्मा)

22. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 500 से अधिक उपभोक्ता वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

23. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में उचित मूल्य की दुकानों से किये जा रहे राशन वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

24. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राशन डीलरों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में रिक्त राशन की दुकानें आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

26. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वार्डवार उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. को दिये जाने वाले राशन में की गई कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

28. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की पंचायतों में स्थापित सहकारी समितियों से राशन की आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तेवड़ी के डीलर द्वारा राशन की वस्तुओं का जो गबन किया गया उसकी वसूली की कार्यवाही कर गरीब जनता में बंटवाने एवं डीलर का लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. सात संभागों में बांटी गयी चने की दाल की बिक्री की वैट चोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. ए.पी.एल. गेहूं को आटे में बदलकर राशन की दुकान पर बेचने की व्यवस्था में निर्धारित अन्तर राशि सरकारी खजाने में जमा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

32. प्रदेश में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान से दुकानदारों में फैले आंतक तथा लिये गये सैम्पलों में से अधिकांश आधारहीन पाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

33. चूरू जिले के राशन डीलर्स का राजनैतिक आधार पर निलम्बन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को राशन की दुकानों से रियायती दरों पर चीनी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

35. कोटा शहर में नए राशन कार्ड बनाने, रसोई (घरेलू) गैस की 75 प्रतिशत आपूर्ति करने, बी.पी.एल. परिवारों को दी जा रही एक किलो शक्कर प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 किलो करने तथा बी.पी.एल. परिवार के लिये डीलर को दिये जा रहे 85 प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर शत प्रतिशत कोटा आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

36. विधान सभा क्षेत्र बाली नगरपालिका बाली, फालना व सादड़ी की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कच्ची बस्ती क्षेत्रों में राशन की दुकानों व डेयरियों के मार्फत सस्ता आटा, दाल, गेहूं वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत काकराडी के ग्राम सांभरवाड़ा में उचित मूल्य (राशन) की दुकान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बाली माडा क्षेत्र, बिखरी जनजाति क्षेत्र में आटा, दाल, गेहूं व अन्य देय सुविधाएं प्राथमिकता से डेयरियों व राशन की दुकानों के मार्फत वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

39. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सामोद के रैगर मोहल्ले में ग्राम पंचायत मलिकपुर के ग्राम नृसिंहपुरा, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के ग्राम गुवाल्डी व ग्राम पंचायत घिनोई के ग्राम सबलपुरा में राशन डीलर्स की नवीन दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

40. चौमूं कस्बे में स्थित सरस डेयरी की बूथों व राशन की दुकानों पर बी.पी.एल. व ए.पी.एल. को दालें व आटा वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत सिंगोदकलां, इटावा भोपजी तथा मोरीजा ग्राम पंचायत के भोजताज (मोरीजा) में राशन की नई दुकान सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत मन्डा-भिन्डा के डोला का बास, ग्राम पंचायत टाकरड़ा के ग्राम जैतपुरा व ग्राम पंचायत हाथनाज के ग्राम भोपावास में राशन की नई दुकान सृजित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

43. तहसील फुलेरा की नगरपालिका क्षेत्र फुलेरा, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर में गैस एजेन्सी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. जयपुर जिले में चलाये गये शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत पाये गये मिलावट के मामलों में की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

45. तहसील फुलेरा में राशन डीलर्स द्वारा बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं वितरण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

46. अशोका गैस एजेन्सी शास्त्री नगर जयपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

47. विधान सभा क्षेत्र नावां के नावां, कुचामन, मारोठ व लुणवा में रसोई गैस के नए गैस कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र नावां के नावां एवं कुचामन में रसोई गैस की आपूर्ति समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र नावां में राशन डीलर्स द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण समय पर नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

50. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राशन देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

51. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में राजस्थान राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नगरपालिका पिलानी तथा चिड़ावा में नागरिक आपूर्ति आयोग व जिला फोर्म के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

53. जहाजपुर क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानदारों को बिना किसी प्रकार की जांच के कार्य करने से रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. जहाजपुर क्षेत्र में सरकारी मापदण्ड के अनुरूप नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

55. जयपुर शहर के आम उपभोक्ताओं को समय पर रसोई गैस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आटे के स्थान पर गेहूं वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विवाह आदि समारोह में प्रति परिवार पांच अतिरिक्त घरेलू गैस सिलैण्डर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा बिना भेदभाव के कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

59. सूरसागर क्षेत्र के तीव्र नगरीय विस्तार के अनुरूप नव-विकसित कालोनियों में एवं क्षेत्र की सभी कच्ची बस्तियों में नई राशन की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बैंच की स्थापना संभाग मुख्यालय जोधपुर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. उचित मूल्य दुकानों पर सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर चीनी, चावल, दाल, तेल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

62. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नई गैस एजेन्सियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल मीणा)

63. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में डीलरों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

64. बायतू, सपाऊ पदमसिंह, पाटौदी में उचित मूल्य की दुकानें और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. बाड़मेर जिले में ए.पी.एल. के गेहूं राशन कार्डों को आधार मानकर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

66. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की उचित मूल्य की दुकानों पर अव्यवस्था दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

67. विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत के ग्राम पंचायत रेपडावास के ग्राम हापस में उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-22 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-22 मुख्य शीर्षक क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री अमराराम (धोद) :

1. राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र को बढ़ने से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. राज्य में कस्टोडियन भूमि का खातेदारी अधिकारी मेवात क्षेत्र में नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. मेवात विकास क्षेत्र में आवासीय बालिका विद्यालयों को शुरू करने के लिये पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।